(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] नवम् विधान सभा के तृतीय सत्र का प्रथम् दिवस [संख्या : 1

गुरुवार,

8 नवम्बर, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सचिव, राजस्थान विधान सभा गत विधान सभा सत्र में पारित विधेयकों

व्यवस्था का प्रश्न

जनता दल (ग्रुप) विधायक दल को मान्यता

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई कार्य शुरू करें उसके पहले आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बुलेटिन संख्या 90 प्रसारित की है, कल जो हमको मिली हैं उसमें आपने एक व्यवस्था की है, कुछ हमारे दल के सदस्यों के नाम पर आपने एक दूसरे ग्रुप को मान्यता दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे दल में से 5 सदस्यों को हमने 5 तारीख को निष्कासित किया जिसकी सूचना...

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : हम नेता ही नहीं मानते हैं आपको। (व्यवधान)

क्या निष्कासित करेंगे आप ?

श्री नत्थीसिंह : हमने 6-11-1990 को आपको दी और मैंने ही नहीं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बोम्मई। (व्यवधान)

राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि निष्कासित किया जा चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिए आप।

श्री नत्थीसिंह : आपने जो व्यवस्था दी है उस पर आप पुनर्विचार करें। आपने इस आसन से श्लोक पढ़ा पहले दिन तब आपने बहुत गम्भीर और गरिमापूर्ण भाषण दिया। हमारे दिलोदिमाग में निश्चित रूप से यह धारणा बनी कि हमारे आसन पर एक ऐसे उच्च विचार वाले न्यायप्रिय व्यक्ति को पदासीन किया गया है जो इस सदन की गरिमाओं को ऊंचा तो रखेगा ही लेकिन नयी परम्पराएं भी कायम करेगा। मैंने जो कहा है...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मैंने जो कहा है कि मैंने ही नहीं निकाला ·· (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : व्यवस्था का प्रश्न है, भाषण नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : बैठो, बैठो। सुनो, सुनो। (व्यवधान)

वी. पी. सिंह के सहयोग से चुनाव जीतने वाले लोग (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : वी. पी. सिंह की फोटो के साथ चौधरी देवीलाल और चन्द्रशेखर के फोटो भी थे। अकेले वी पी. सिंह की फोटो नहीं थी। देवीलाल की भी फोटो थी।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको जो निष्कासित किया है वह केवल नत्थीसिंह ने ही नहीं किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोम्मई ने निष्कासित किया है। एक ही अध्यक्ष है····।

एक माननीय सदस्य : आप करने के लायक नहीं हो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 40 लोग नत्थी सिंह जी के साथ हैं, नत्थीसिंह हमारे नेता हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके वी. पी. सिंह की जमीन खिसक गई है।

श्री नत्थीसिंह : जिन्होंने गरिमा, गिराई, जिन्होंने दल-बदल किया है उनको मैंने ही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोम्मई ने निष्कासित किया है और आपको इसकी सूचना दी है। आपको पत्र आया है और आपको टेलिग्राम आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री जगतसिंह दायमा : पेम्पलेट की तैयारी करो आप।

श्री नत्थीसिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जो 5 माननीय सदस्य निष्कासित किए गए हैं वे उसी दिन अपने आप असम्बद्ध सदस्य हो गए।

श्री जगतसिंह दायमा : एक टेबलेट लेओ, गला बैठ गया।

श्री नत्थीसिंह : आपके पास 6 तारीख को सुबह 10 बजे हमने सूचना दी और उसके बाद में रात को कुछ लोगों ने 20 सदस्यों के नाम आपको दिये बताये, जैसा आपके वक्तव्य और समाचारों से पता चला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कानून है जो हमारा 52वां संविधान संशोधन विधेयक है, एक्ट है, जो संविधान में संशोधन हुआ है और जिसके अन्तर्गत दल-बदल को रोकने पर अंकुश लगाया गया है उसमें साफ तौर पर है कि जो लोग स्वेच्छा से पार्टी छोड़े वह स्वतः तुरन्त डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। 5 माननीय सदस्यों को हमने निष्कासित किया, हम 50 रहे। जब तक 17 माननीय सदस्य आपको इत्तला एक साथ नहीं दें तब तक। (व्यवधान) वह स्वतः पार्टी छोड़ने वाले अयोग्य घोषित हो गए। फिर दूसरे दिन अखबारों में मैंने पढ़ा, मेरे पास अखबार है माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, नवज्योति ने लिखा हैं कि दूसरे दिन 2 सदस्य और आपके पास आए 7 तारीख को, और आपने कहा है कि मुझे मालूम नहीं है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि 15 तो

Page No. 3

(श्री नत्थीसिंह)

स्वयं डिस्क्वालिफाइड हो गए, दो, अगर जाते हैं तो मैं आसन से पूछना चाहता हूं कि इस देश में दल बदल को रोकने के लिए....

श्री देवीसिंह भाटी : पूछ नहीं सकते हैं आसन से, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मेरा अधिकार है उनसे रिक्वेस्ट करने का, उनसे पूछने का भी, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 15 माननीय सदस्य स्वयं डिस्क्वालिफाइड हो गए। जिन्होंने आपको दिए वह कौनसे रह गए थे वन थर्ड ? आज मैं फिर अखबार पढ़ रहा हूं कि कोई एक सदस्य और है। क्या आपने फाइल को खुला रख छोड़ा है ? यह भी मैं जानना चाहता हूं, एक वक्तव्य अखबार में पढ़ने को मिला, मुझे मालूम नहीं कितना सच है, अध्यक्ष महोदय, आपके रेफरेंस से इसमें लिखा गया कि हमने नत्थीसिंह से कहा, हमारे सचिव महोदय से सीट की व्यवस्था, उन्होंने कहा, कर दीजिए। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि कर दीजिए। तो 55 के लिए व्यवस्था कर दो। मैं वकील रहा हूं, कोई लच्चर से लच्चर दलील और मरियल वकील भी ऐसी नहीं देता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि 5 सदस्यों को निकालने की इत्तला आपको गई। आपका टेलीफोन गया, मुझसे पूछा क्या व्यवस्था है ? मैंने कहा कि सचिव महोदय ने कहा था कि फ्लोर पर व्यवस्था की है, ठीक है। कहां से मान लिया कि 55 की कही है ? 5 की इत्तला सुबह आपको दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप गरिमा को कायम रखिए। जो शिड्यूल 10 का आर्टिकल 2 है उसके (1) में वालेन्ट्री छोड़ा है। गिवन अप, यह 15 अपने आप डिस्क्वालिफाइड हो गये हैं तारीख का और वो जो दूसरे हैं उन्होंने पीछे दिया है तो वह स्वतः ही डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। इस सदन में बैठने के अधिकारी नहीं है। मेरा पाइन्ट आॅफ आर्डर यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट। (व्यवधान).... मैं खड़ा हुआ हूं। एक मिनट आप बैठिए। प्लीज सिट डाउन।

मेरा निवेदन यह है कि आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, इसका डिसीजन, इसका निर्णय आपके और लोग भी जो बोलने वाले हैं उनको सुनने के बाद निश्चित रूप से निर्णय करूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि शोकाभिव्यक्ति का मामला हो जाय उसके बाद इस सवाल को उठायें, इसका जवाब देंगे। आपने उठा दिया है, आपने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है, हाउस चालू होते ही अपनी बात कह दी। अब आप शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिए। शोकाभिव्यक्ति होने के बाद इस प्रश्न पर, आपने जो उठाया है और लोग भी अपनी बात कहना चाहेंगे। सबको सुनने के बाद मैं अपनी व्यवस्था आपको दूंगा।

श्री नत्थी सिंह : एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप फिर रिपीट करेंगे, आपको मौका मिलेगा, तो रिपीट करेंगे। पहले यह शोकाभिव्यक्ति का

(श्री अध्यक्ष)

मामला सुलट जाय। तसल्ली से आपको सुनेंगे, अपन दिन भर यहां बैठे हैं, आपको मैं सुनूंगा, आपने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब दूंगा।

सचिव महोदय।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय आपने तो निर्णय कर दिया। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

(राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण :

सचिव, राजस्थान विधान सभा (**श्री नन्दलाल छुंगाणी**) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :—

(1) राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1990

(2) राजस्थान वित्त विधेयक, 1990

(3) राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

(4) राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1990

(5) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों को परिलब्धि तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1990

(6) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1990

(7) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1990

(8) राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1990

(9) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज वर्मा।

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश, 1990

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता) : राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 2) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री कमलापति जी, श्री प्रफुल चन्द्र सेन, कैप्टेन विलियमसन ए संगमा, श्री राजबहादुर जी, श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, श्री हंसराज जी मिढा, श्री मनोहर सिंह जी मेहता, श्री मोतीलाल जी सारण देश के, राज्य के इन 8 महान व्यक्तियों के प्रति, जिनका पिछले समय में स्वर्गवास हो गया, मैं अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री कमलापति त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। हिन्दी साहित्य में उनकी एक धाक थी। राजनैतिक क्षेत्र में वे स्पष्ट वक्ता थे और उनकी राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस प्रकार की सूझ-बूझ थी उस सूझ-बूझ के कारण उन्होंने जनमानस में अपना एक स्थान बनाया था। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जनता की जिस प्रकार की सेवाएं कीं आज उन सेवाओं को कोई भी नहीं भूल सकता। पिछले वर्षों में अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने में जिस निडरता का उन्होंने परिचय दिया, आज के राजनैतिक वातावरण में इस प्रकार की निडरता का एक प्रकार का अभाव है। मैं ऐसा समझता हूं कि कमलापति जी में राजनैतिक विश्लेषण करने की जिस प्रकार की सूझ-बूझ थी, वह कम ही व्यक्तियों में होती है। वह किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और जो सही बात उन्होंने समझी उसको जनता के समक्ष रखने में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, वे उस पीढ़ी में थे जो पीढ़ी अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। जिस पीढ़ी ने देश की आजादी में कुर्बानियां दीं, सब प्रकार के कष्ट सहे, देश में जिस प्रकार का जन-जागरण किया, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर जिस निर्भीक पत्रकारिता का उन्होंने परिचय दिया आज उस प्रकार की पीढ़ी शनैः-शनैः समाप्त होती जा रही है। श्री कमलापति जी भी उस पीढ़ी के अंतिम व्यक्तियों में से हैं, जिस पीढ़ी का अब केवल इतिहास में ही नाम पढ़ेंगे। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका स्मरण कर हम प्रेरणाएं लेते रहेंगे। वह उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिसने सदा संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत किया। वह हमारे बीच से उठकर चले गए। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन, उनके संबंध में जितना कहा जाए, कम है। उस व्यक्ति ने बंगाल में जिस प्रकार का राजनीति में शुद्धीकरण करने की चेष्टा की, आजादी के आन्दोलन में जिस प्रकार का संघर्ष किया, बंगाल में जिस प्रकार की लोकप्रियता हासिल की, राजनैतिक क्षेत्र में जिस प्रकार की सूझ-बूझ का परिचय दिया, यह उसी के कारण है कि आज सारे देश में उनके प्रति एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई है कि सेन की मृत्यु के बाद हम उस पीढ़ी का दूसरा व्यक्ति खो रहे हैं। पहले हमने कमलापति जी के रूप में खोया और दूसरा सेन साहब को।

हमने तीसरा व्यक्ति खोया, मैं समझता हूं कि इसी क्रम में यदि राजबहादुर जी का नाम लिया जाए। वे सदन के सदस्य थे। वे लोक सभा के सदस्य रहे। वे नेपाल में राजदूत रहे। वे भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहे। इस प्रकार की परिस्थितियों में राजबहादुर जी ने जन्म से लेकर लगातार अंत तक जिस प्रकार का संघर्ष किया है वह आज की पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। वे इस विधान सभा के सदस्य थे। मैंने उस उम्र में उनको देखा था, जब कभी भी किसी विषय पर बोलने के लिए वे खड़े होते थे तो पूरी तैयारी के साथ खड़े होते। चाहे उस तैयारी के लिए 3 दिन का समय लगाना पड़े लेकिन बाबूजी बिना तैयारी के इस सदन में नहीं बोलते। उन्हें हर विषय का अच्छा ज्ञान था और उस ज्ञान के कारण ही हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा जमाई। आज वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्ति हमारे बीच से उठकर चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

कैप्टन विलियमसन ए. संगमा, इनके जीवन के संबंध में जितना कहा जाय कम है। इस व्यक्ति ने बचपन से शिक्षा अध्ययन के साथ अपना संघर्ष चालू किया था। और संघर्ष भी मामूली संघर्ष नहीं था। सब प्रकार का संघर्ष किया, दुरूह परिस्थितियों में संघर्ष किया, अकेले रहकर संघर्ष किया, अपने लोगों का नेतृत्व कर संघर्ष किया। और वह संघर्षशील व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया, इसका हमें दुःख है। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र कुमार जी मीणा, जो इसी सदन के सदस्य थे, मेरे से उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। स्व. रोशन लालजी के कारण मेरा व्यक्तिगत रूप से एक प्रकार से भाईचारा का–सा सम्बन्ध था। मैंने उस व्यक्ति में कभी निराशा के भाव नहीं देखे। कभी उस व्यक्ति को मैंने आवेश में नहीं देखा। लगातार अपने क्षेत्र की सेवा करने में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच से उठ जाए, इसका हम सबको दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हंसराज जी मिढा जो पिछली विधान सभा के सदस्य थे, हमने देखा है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस प्रकार से विधान सभा में संघर्ष करते थे, विधान सभा से बाहर किस प्रकार से संघर्ष करते थे। समस्याओं का अध्ययन कर किस प्रकार पुरजोर शब्दों में रखा जाए, उसकी उन्हें महारत हासिल थी। और उस दृष्टि से वह व्यक्ति भी अचानक हमारे बीच से चला गया, मुझे इसका दुःख है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मनोहर सिंह मेहता, मैं उनके बारे में अधिक कह नहीं सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने उनको हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में माना है और उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई के रूप में माना है। भ्रातृत्व का कितना मिश्रण हो गया है और कितना प्रभाव हो सकता है, मैं इसी बात से इस सदन को कह सकता हूं कि इस व्यक्ति ने मरते वक्त तक कभी भी अहसास नहीं किया यह मन में जानते हुए कि मेरी मौत निकट है। अस्पताल में मिले, चाहे घर में मिले। बातचीत में ऐसा लगता था जैसे इनके पास मौत आ ही नहीं सकती। जैसे इस को मृत्यु का किसी प्रकार का भय ही नहीं। मरते दम तक जो व्यक्ति हंसते-हंसते चला गया, हंसते-हंसते जाते वक्त तक किसी प्रकार की वेदना नहीं थी। केवल वेदना यही थी कि आज देश में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान उचित ढंग से हो। शराबबन्दी के मामले में उस व्यक्ति ने राजस्थान में एक इतिहास बनाया। और शराबबन्दी के मसले पर इस राजस्थान विधान सभा में जब वे सदस्य थे, चाहे मसला पीने के पानी का हो, चाहे मसला डाकूग्रस्त समस्या का हो, चाहे मसला अकाल का हो चाहे मसला गरीबी के उत्थान का हो, मनोहरसिंहजी की एक धारणा बनी हुई थी कि इस देश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को बर्बाद करने वाली शराब है और यह शराबबन्दी जब तक नहीं होगी तब तक राजस्थान में गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा। जब तक शराब बन्द नहीं होगी राज्य में अत्याचार कम नहीं होंगे। जब तक शराब बन्द नहीं होगी राजस्थान में अपराध वृत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं ऐसा समझता हूं वह व्यक्ति चला गया, मैं कभी कल्पना ही नहीं करता था। मनोहरसिंह जी जैसे हंसमुख आदमी, पलंग के ऊपर जिसने कभी यह महसूस नहीं किया कि बीमारी मेरे लिए घातक है, हालांकि बीमारी घातक थी इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन चेहरे पर और विचारों में इस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त नहीं की। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से उठकर चला गया, मुझे इसका दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मोतीराम जी सारण पहली विधान सभा के सदस्य थे। परिचय मेरा अच्छी तरह से है। मैं भी पहली विधान सभा का सदस्य था। अपने क्षेत्र की समस्याओं को केवल रखने से ही काम नहीं चलता, वह व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्याओं और किसानों की समस्याओं को वास्तव में समझते थे। समझदारी इतनी थी कि पहली विधान सभा में जब राजस्थान टीनेन्सी एक्ट या लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पर चर्चा होती थी तो मोतीरामजी सारण और एक सदस्य जो हमारे बीच से उठकर चले गए श्री ईश्वरसिंह जी सीकर के, इन दो आदमियों की राय को सुनने के लिए सारा हाउस आतुर रहता था कि इस प्रकार के कानून के कारण किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी और किसानों की समस्याओं का किस प्रकार से समाधान होगा।

आज इन सबके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दारूण दुःख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। भगवान से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, दरअसल में यह हम सबके लिए अत्यन्त ही शोक का विषय है। माननीय कमलापति त्रिपाठी हमारे बीच में नहीं रहे। वे विद्वान नेता, मार्गदर्शक और स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने त्याग और बलिदान से अनेकों को प्रेरणा दी। न केवल स्वतन्त्रता संग्राम में बल्कि उसके बाद भी और आज भी जो सही दिशा में सोचने वाले लोग हैं, उनकी कमी होती चली जा रही है। जहां स्वार्थ ऊपर आता है, परहित दीखता नहीं है, ऐसे लोगों को वे हमेशा प्रेरणा दिया करते थे और कहते थे, तुम सही बात जो महसूस करते हो उसको कहो। मैं कमलापति जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रफुल्ल चन्द्र सेन की बात है। वे बंगाल के गांधी कहे जाते थे। उनका व्यक्तित्व अपने ढंग का था। वे हमेशा प्रेरणा देते थे, प्रेरणा के स्रोत थे। बंगाल ऐसा प्रदेश है जिसने महान व्यक्तियों को जन्म दिया है। उन महान व्यक्तियों में वे सबसे ऊंचे थे। मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विलियम संगामा से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। थोड़े दिन तक मुझे उनके साथ आसाम में रहने का मौका मिला। तब उनके लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस अवसर पर मैं उनसे मिला था। एक महान व्यक्ति थे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

राज बहादुर जी हमारे में से एक थे इसलिए हमसे बहुत निकट थे। वे राजस्थान के इने-गिने लोगों में से थे जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, प्रेरणा दी और राजस्थान का आज जो स्वरूप है उसको बनाया। राजबहादुर जी कई वर्षों तक लोक सभा के सदस्य रहे, विधान सभा के सदस्य रहे। बहुत अच्छे पार्लियामेन्टेरियन थे। यही नहीं बहुत अच्छे वकील भी थे और लोगों के कष्टों के निवारण के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। मैं उनके प्रति, क्योंकि वे हमसे बड़े थे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, देवेन्द्र कुमार के लिए क्या कहूं, वो तो हमारा साथी था। हमारे साथी कार्यकर्ताओं में से एक था। अत्यन्त स्नेही, अत्यन्त विनम्र और समाज सेवक था। उस बिछुड़े हुए साथी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मनोहरसिंह जी मेहता दरअसल एक जुझारू कार्यकर्ता थे। जो काम वे हाथ में लेते थे उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते थे, प्राण फूंक देते थे। जैसा अभी सदन के नेता ने कहा, शराबबन्दी के मामले में वे राजस्थान के उत्कृष्ट लोगों में से थे जो निष्ठापूर्वक शराबबन्दी का काम करते थे। भैरोंसिंह जी को याद है जब वे पहले मुख्यमन्त्री थे उस समय उनको कुछ कहना पड़ा था, कुछ करना पड़ा था। उसके बाद में आप लोग कितना क्या हो सके, यह तो मैं नहीं जानता पर ऐसे जुझारू कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हंसराज जी मिढ़ा और मोतीरामजी सारण भी इस सदन के सदस्य रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, श्री कमलापति त्रिपाठी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने के साथ-साथ अत्यन्त विद्वान, निर्भीक और अन्तिम समय तक अपनी खरी बात को कहने में कोई संकोच न करने वाले नेता थे। वे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की अन्तिम कड़ी थे, हमारे देश में जो आज लुप्त होती चली जा रही है। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

प्रफुल्ल चन्द्रजी सैन और कैप्टन विलियम जो पश्चिम बंगाल और मेघालय के पूर्व मुख्यमन्त्री हैं उनको भी मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जहां तक श्री राजबहादुर जी का सवाल है उनके हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। हम लोग जो भरतपुर के क्षेत्र से आते हैं उनमें से अनेक के वे प्रेरणा स्रोत

(श्री नत्थी सिंह)

रहे हैं। आजादी की लड़ाई में और उसके बाद उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है। कैसे इस प्रदेश का, देश का विकास हो, इसके लिए वे सदैव चिन्तनशील और कर्त्तव्य-निष्ठ रहे। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

देवेन्द्र कुमारजी मीणा कर्मठ विधायक होने के साथ-साथ पीड़ित और शोषित जनता के प्रति सजग थे। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हंसराज जी मिड्ढा इस सदन में पिछली बार अपने क्षेत्र के लिए, राजस्थान की समस्याओं के लिए सदैव जूझते रहे। जब तक वे जीवित रहे अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए जागरूक रहकर संघर्षरत रहे। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मनोहरसिंह जी मेहता, जैसा सदन के नेता और विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, जहां गांधीवादी विचारों के महान समर्थक थे, शराबबन्दी के प्रति भी पूर्णतया समर्पित थे। वहीं वे कभी अपने निश्चय से न डिगने वाले मेधावी सदस्य थे। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मोतीरामजी सारण के साथ मुझे कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला है। जब मैं चेयरमैन था स्टेट को-आपरेटिव बैंक का, तब वे डाइरेक्टर थे। उसके साथ साथ जो किसान आन्दोलन चला गंगानगर में, मैं भी उन दिनों वहीं था। वे एक प्रेरणा के स्रोत थे। उस आन्दोलन में जीवन भर वे किसानों की समस्याओं से जूझते रहे। आज वे हमसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (नेता, जनता दल ग्रुप): अध्यक्ष महोदय, मैं 8 दिवंगत आत्माएं जो आज हमारे बीच में नहीं रहीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। मैं समझता हूं जब शोकाभिव्यक्ति हो रही हो, सामान्य शिष्टाचार और सभ्यता माननीय सदस्य सदन में मेन्टेन करें।

श्री दिग्विजय सिंह: श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री प्रफुल्लचन्द्र जी सैन, कैप्टन विलियम संगामा, श्री राजबहादुर जी, श्री देवेन्द्र कुमारजी मीणा, श्री हंसराज जी मिड्ढा, श्री मनोहरसिंह जी मेहता, श्री मोतीराम जी सारण, 8 दिवंगत आत्माओं की जो आज हमारे बीच में हमारे संसार से उठ गई, शोकाभिव्यक्ति पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए और सदन के नेता ने जो उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला, जो बात बताई उन सब भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाएं भी जोड़ता हूं।

श्री कमलापति जी त्रिपाठी एक ऐसे व्यक्ति थे और एक ऐसी विभूति थे जिसकी आज के समय में और खास तौर से मौजूदा राजनीतिक जो घटनाचक्र है उसमें आवश्यकता है। आज मैं समझता हूं कि वे होते तो निश्चित रूप से हम सभी को उनके दिखाये हुए मार्ग के ऊपर कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश होती।

(श्री दिग्विजय सिंह)

श्री प्रफुल्लचन्द्र जी सैन, उनके साथ में 1966 में जब कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री कान्फ्रेंस में कनाडा डेलीगेशन के अन्दर गया,था, तब ये भी उसके अन्दर सदस्य थे इसलिए थोड़ा-सा परिचय उस समय मेरा उनसे हुआ । जितना-सा परिचय उस कान्फ्रेंस के दौरान हुआ, जानकारी हुई और उनके जो विचार मुझे मालूम हुए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वे एक ऐसे उदार और ब्रॉड माइन्डेड व्यक्ति थे आज अगर हम उन आदर्शों पर चलें तो हमारा अगला रास्ता निकल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, जो दिवंगत आत्मायें हैं उनके सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि राजबहादुर जी जो हमारे राजस्थान के वयोवृद्ध नेता और कांग्रेस के कर्मठ नेता रहे हैं वे आज हमारे बीच में नहीं रहे । उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजजि अर्पित करता हूं ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, हंसराज जी मिढ्ढा, श्री मनोहरसिंह जी मेहता, मोतीरामजी सारण साहब मेरे बहुत सीनियर रहे हैं । बाकी अन्य सदस्यगण के साथ मुझे काम करने का मौका मिला न केवल सदन बल्कि सदन के बाहर भी राजनैतिक क्षेत्र और अपने जिस-जिस दल में थे बड़ी कर्मठता के साथ उन्होंने कार्य किया । मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से इन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल (नेता मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी) : अध्यक्ष जी, आज सदन में हम जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनमें श्री कमलापति त्रिपाठी हमारे देश के वे नेता हैं जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के नेता उस समय रहे जब कांग्रेस इस देश के सारे लोगों को लेकर एकता के साथ संघर्ष में लड़ती थी । इस सारे देश को एक रखने के लिए, साम्प्रदायिक भाईचारे को कायम रखने के लिए जिस तरह का संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया, जिस तरह के संस्कार उनके अन्दर थे ऐसे संस्कार के लोग पार्टियों में नहीं रहे । विशेष तौर से इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश में एक लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष लड़ा था उसमें इस तरह के लोग नहीं रहे । मैं समझता हूं वे उन महानुभावों में थे जो शायद आजादी की लड़ाई की आखरी कड़ी थी । वह जो कमी पैदा हुई हमारे देश में और राजनीति में, उसका नुकसान आज की स्थिति में सारे देश को हुआ । मैं अपनी पार्टी की ओर से इस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

जहां तक श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन और संगमा साहब का सम्बन्ध है, वे अपने प्रांतों के लिए वहां की जनता के लिए संघर्ष करते रहे उस प्रांत की समस्याओं के लिए उस प्रदेश के लोगों को साथ लेकर, विशेष तौर से संगमा जैसे लोग जिन्होंने ऐसे सरहद्दी इलाके में लोगों को एकजुट करके संघर्ष की अगुवाई की, ऐसे लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे । मैं उनके प्रति अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

राजस्थान के हमारे वयोवृद्ध नेता श्री राजबहादुर जी विशेष तौर से पूर्वी राज-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

स्थान के नेता थे। सारे राजस्थान के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। हर संघर्ष के मौके में बड़ी बुद्धिमतापूर्वक व्यापक एकता को कायम रखने वाले नेता जो हमारे प्रदेश में थे आज हमारे बीच में नहीं रहे।

इसी तरह से हमारी विधान सभा के पुराने सदस्य श्री हंसराज जी मिढ़ा, श्री मोतीराम जी, श्री देवेन्द्र कुमार जी और श्री मनोहरसिंह जी मेहता भी आज हमारे बीच में नहीं रहे। विशेष तौर से मैं हंसराज जी मिढ़ा और श्री मोतीराम जी को जानता हूं। उन्होंने संघर्ष किसानों के लिए, वहां की आम जनता के लिए किया। हंसराज जी मिढा जितने अर्से विधान सभा में रहे यहां से उन्होंने संघर्ष किया, बाहर रह कर लोगों के लिए आन्दोलन लड़ा और अपने आखरी दम तक अभी भी वे संघर्षरत ही थे।

इसी तरह से चौधरी मोतीराम जी किसानों के संघर्ष में हमेशा आगे रहे। यद्यपि वे कांग्रेस के अन्दर सत्ता में थे उसके बावजूद भी जब भी किसानों पर जुल्म हुआ, किसानों के साथ पक्षपात और भेदभाव हुआ, मुझे याद है 1970 के आन्दोलन में, इतनी बड़ी उम्र में भी बड़ी बहादुरी से लाठियों और बन्दूकों का सामना करके जेलों में गये और उस आन्दोलन की अगुवाई की। मैं समझता हूं कि कोई नौकरशाही को लगाम देने में, एक अनपढ़ आदमी होते हुए, जिस तरह मोतीराम जी की पकड़ थी बहुत कम लोगों को पकड़ होती है। मैं इन सारे नेताओं को अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): अध्यक्ष जी, सदन के नेता, विरोधी दल के नेता और जनता दल के नेता ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उसी में मैं मेरे विचार सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष जी, यह सबसे बड़ा दुःख और क्षति का विषय है कि हर साइड के राजनीतिक खिलाड़ी, किसानों के मसीहा और कुरीतियों को बन्द करने वाले सभी तरह के व्यक्तियों की इतनी बड़ी लिस्ट शायद विधान सभा में पहले कभी एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पेश नहीं हुई है। यह भगवान की कुकृपा ही है कि आठ महान आत्माएं हमारे बीच से उठ गयीं, जिसमें केवल पांच हमारे राजस्थान की हैं। यह अपूर्ण क्षति जो हुई है यह कभी पूरी हो सकती है। मैं इसके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ऐसे लोग हमारे बीच में से उठ गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोक एवं दुःख के माहौल में डूबे हुए इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने श्री कमलापति त्रिपाठी, पूर्व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन, पूर्व मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल एवं श्री बी. ए. संगमा पूर्व मुख्य मंत्री मेघालय तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजबहादुर, श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, श्री हंसराज मिढ़ा, श्री मनोहर सिंह मेहता एवं श्री मोतीराम सारण के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कमलापति त्रिपाठी का जन्म तीन सितम्बर, 1905 को वाराणसी जिले के औरंगाबाद में हुआ था। आपने अपनी विद्यालय स्तर की शिक्षा सेन्ट्रल हिन्दी स्कूल में प्राप्त की।

आप 15 वर्ष की आयु में ही देश को विदेशी शासन की बेडी से मुक्त कराने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और आपने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण सन् 1921, 1930, 1932, 1940 एवं 1942 में जेल यात्रायें की।

भारतीय राजनीति के वटवृक्ष पंडित त्रिपाठी का राजनीति में प्रवेश सन् 1936 में हुआ। सन् 1936 से 1966 तक लगातार चंदौसी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। आप सन् 1952 से 1957 से 1960, 1962 से 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। सन् 1969 में आपको उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल में उप मुख्य मंत्री बनाया गया। आप सन् 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के मुख्य मंत्री रहे। सन् 1973 से 1978 तक व 1978 से 1980 तक राज्य सभा और 1980 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य रहे। 1930 से 1977 तक एवं 1980 में आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। सन् 1983 में आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाये गये। सन् 1986 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

कांग्रेस (ई) के वयोवृद्ध नेता कमलापति त्रिपाठी 7 अक्टूबर, 1990 को रात डेढ़ बजे लम्बी बीमारी के बाद स्वर्गवासी हुए।

श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन का जन्म सन् 1896 में बिहार के शाहबाद में हुआ। आपने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में बिताया जहां वे शिक्षक और समाज सुधारक रहे। आपने हुगली को ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया।

विख्यात गांधीवादी नेता श्री सेन को आरामबाग का गांधी कहा जाता था। आप आजीवन अविवाहित रहे। आपने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सन् 1930, 1940 एवं 1942 में जेल यात्रायें कीं।

श्री सेन पश्चिमी बंगाल में डा. बी.सी. राय के मंत्री मण्डल में खाद्य मंत्री बनाये गये तथा सन् 1962 में आप राज्य के तीसरे मुख्य मंत्री बने। सन् 1977 में आप पश्चिमी बंगाल में जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाये गये। सन् 1977 में आप लोक सभा के सदस्य चुने गये।

पश्चिमी बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन का हृदय और गुर्दे के काम न करने के कारण दिनांक 25 सितम्बर, 1990 को कलकत्ता में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे।

कैप्टन विलियमसन ए. संगमा का जन्म 1919 को हुआ। आपने अपनी शिक्षा पी. आर. गवर्नमेंट हाई स्कूल, गालपारा जगन्नाथ इन्टरमीडिएट कालेज, ढाका

Page No. 13

(13)

(श्री अध्यक्ष)

तथा क्रिश्चियन कालेज, सेरामपोर में प्राप्त की।

कैप्टन संगमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी में सेवारत थे। आप 1947 में राजनीति के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और गारो नेशनल कौंसिल के प्रारम्भ से ही अध्यक्ष रहे। साथ ही आप ईस्टर्न इण्डिया ट्राइबल यूनियन के मुख्य कार्यकारी सदस्य तथा संचालक रहे। आप सन् 1952 एवं 1962 में आसाम विधान सभा के सदस्य चुने गये। सन् 1963 में आपने त्यागपत्र दिया और पुनः निर्वाचित हुए तथा आसाम सरकार के आदिवासी क्षेत्रों के तथा यातायात मंत्री बनाये गये। आप 1961 में सर्वदलीय पहाड़ी नेताओं के सम्मेलन में अध्यक्ष बनाये गये।

सन् 1967 में आसाम विधान सभा तथा मार्च, 1970 में मेघालय विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अप्रेल, 1970 में आपको मेघालय का मुख्य मंत्री बनाया गया।

आपका निधन दिनांक 25 अक्टूबर, 1990 को हुआ।

श्री राजबहादुर का जन्म 21 अगस्त, 1912 को भरतपुर में हुआ था। आपने हाई स्कूल तक की अपनी प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर में प्राप्त की और उसके पश्चात् बी एस.सी., एम ए. हिन्दी तथा एल.एल.बी. की उच्च शिक्षा ग्रहण की। श्री राजबहादुर 1940 से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए थे और 1941 में भरतपुर नगरपालिका के सदस्य बन गए। भरतपुर नगरपालिका से त्याग पत्र देकर देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना आपने आरम्भ कर दिया।

श्री राजबहादुर 1948-50 में संविधान सभा के सदस्य रहे। 1952 में आप प्रथम लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए एवं 1967 तक लोक सभा के सदस्य रहे। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्री मण्डल में उप मंत्री के रूप में शामिल हुए तथा बाद में आप केन्द्रीय मंत्री मण्डल में केबिनेट मंत्री बनाये गए तथा परिवहन, जहाजरानी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। जनवरी, 1968 से 1971 तक नेपाल में भारत के राजदूत रहे। सन् 1971 में आप लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए एवं संसदीय कार्य, नौवहन व परिवहन, नगर-विमानन एवं पर्यटन मंत्री रहे।

1980 में भरतपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा के लिए चुने गए तथा 1985 तक विपक्षी सदस्य के रूप में सक्रिय रहे।

श्री राजबहादुर की ख्याति एक निष्ठावान एवं कर्मठ राष्ट्रीय नेता के रूप में रही। भरतपुर के औद्योगिक विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आपका निधन 22 सितम्बर, 1990 को हुआ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा का जन्म सरवर तहसील सराडा, जिला उदयपुर में बैसाख शुक्ला दशमी संवत् 1939 में हुआ था। इन्होंने फतह हाई स्कूल, उदयपुर में मध्यमा शिक्षा प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मीणा तीसरी (1962–67) तथा सातवीं (1980–85) एवं आठवीं (1985-90) राजस्थान विधान सभा के कांग्रेस (आई) सदस्य रहे ।

आप राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर के तीन वर्ष तक अध्यक्ष रहे, राजस्थान अनुसूचित जनजाति निगम के संचालक रहे और जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति के सदस्य भी रहे ।

श्री मीणा जन लेखा समिति के सदस्य रहे तथा अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति एवं सदस्य रहे । इसके साथ ही श्री मीणा वित्त, करारोपण, आबकारी, शिक्षा, भाषा संसदीय परामर्शदायी समिति के सदस्य भी रहे ।

श्री मीणा आदिवासी क्षेत्र एवं पिछडी जाति की समस्याओं के प्रति काफी जागरुक रहे । आपकी जन सेवा में अधिक रुचि रही ।

आपका निधन 18 अक्टूबर, 1990 को हुआ ।

श्री हंसराज मिढा का जन्म 1925 में हुआ था । शिक्षा में श्री मिढ़ा मिडिल थे । मिडिल शिक्षा उन्होंने बहावल नगर, बहावलपुर स्टेट पाकिस्तान में प्राप्त की ।

श्री मिढा अध्यक्ष, व्यापार मंडल जिला गंगानगर में रहे । श्री मिढा सामाजिक कार्य कलपों में, विशेष तौर से दहेज, मृत्यु भोज जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते रहे । श्री मीढा आठवीं विधान सभा में जनता पार्टी से सूरतगढ से सदस्य निर्वाचित हुए । आप प्राक्कलन समिति (ख) तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे ।

श्री मिढा अपने क्षेत्र की जनता की समस्यायें पुरजोर शब्दों में विधान सभा में रखते थे । किसानों की मूलभूत समस्याओं की ओर वे इस सदन में अपने अमूल्य सुझाव देने के साथ भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को समाप्त करने हेतु संघर्षशील रहे । श्री मिढा घग्घर बाढ़ के पीड़ितों की समस्याओं के समाधान एवं ग्रामीण पेयजल योजना एवं ग्रामीण शिक्षा पर जोर देते थे ।

अपने जीवनकाल में आपसे सदैव गरीबों, असहायों के लाभ हेतु कार्य करते रहे ।

श्री मिढा का असामायिके निधन जीप दुर्घटना में 24 सितम्बर, 1990 को हुआ ।

श्री मनोहरसिंह मेहता का जन्म श्रावण शुक्ला अष्टमी सवत् 1968 को हुआ था ।

आप चौथी एवं छठी विधान सभा में माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः निर्दलीय एवं जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए ।

श्री मेहता ने आजादी के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया । सन् 1951 में आप सर्वोदय आन्दोलन में सक्रिय रहे । वे अनेक वर्षों तक प्रदेश नशाबन्दी समिति के मंत्री रहे । वे आपातकाल में 5 माह तक

(श्री अध्यक्ष)

भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत जेल में रहे।

श्री मेहता सार्वजनिक कार्य एवं सर्वोदयी कार्य में संलग्न रहे तथा आपने सर्वोदय तथा सेवा संघ बीगोद के द्वारा हरिजन एवं हिन्दु-मुस्लिम एकता तथा समाज सुधार का कार्य किया श्री मेहता विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा याचिका समिति के सभापति रहे।

उनका निधन भीलवाड़ा जिले के सांगानेर कस्बे में 17 अक्टूबर, 1990 को हुआ। वे 78 वर्ष के थे। श्री मेहता कुछ समय से पक्षाघात से पीड़ित थे।

श्री मोतीराम सारण का जन्म भादवा कृष्ण संवत् 1960 में गंगानगर में हुआ था। आप प्रथम विधान सभा में कांग्रेस के टिकट पर गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।

1951 में आपने सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया एवं जनहित के कार्यों में लग गए जिनमें कांग्रेस कार्यक्रम का पालन, शिक्षा की वृद्धि एवं अन्य देशभक्ति के कार्य प्रमुख रहे।

आपकी विशेष अभिरुचि कृषि कार्यों में रही एवं सरकारी आन्दोलन में आपका विशेष योगदान रहा।

आपका निधन दिनांक 3-10-1690 को हुआ।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार जन को उनके बिछोह को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

व्यवस्था का प्रश्न

जनता दल के सदस्यों का दल से निष्कासन

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो आपने बुलेटिन 90 निकाला है और मान्यता के विषय में व्यवस्था दी है उस पर आप पुर्नविचार करें।

मैंने बताया आपको जिस तरह का घटनाक्रम हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। श्री बौम्बई ने, हमने जो कार्यवाही की उसकी पुष्टि करते हुए, 9 सदस्यों को इस दल से निकाल दिया।

पहले मैंने कहा, पांच तारीख को निकाल दिया जिसकी सूचना आपको छह तारीख को सुबह 10 बजे हुई। रात को कुछ सदस्यों ने आपको दिर्यी, जिनमें 20 बताये जाते हैं, 15 और कानून के आप ज्ञाता है, विद्वान हैं, इतना तो आप जानते हैं कि 55 में से 5 के बाद संख्या 50 रहती

(श्री नत्थी सिंह)

है और उसका एक तिहाई 17 होता है 15 नही । गणित भी आपका अच्छा होगा, मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है। इसलिए वे 15 विधायक किसी भी हालत में कोई ग्रुप नहीं बना सकते । इसे स्प्लिट नहीं कहा जा सकता । इसलिये जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत वे स्वतः डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें आपको जांच करने की भी जरूरत नहीं होती । जांच तो तब हो जब डिस्प्यूट हो । आप स्वयं, आपकी विज्ञप्ति आपके कथन यह बताते हैं कि आपके सामने उन्होंने पार्टी से गिव-अप किया है, छोड़ा है । यह उन्होंने भी माना है । उसके बाद अचम्भा मुझे तब हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सात तारीख को जब आपके सब पढ़े । हमने आपसे निवेदन किया था, कि ये लोग स्वतः ही असम्बद्ध सदस्य हो गये, आप घोषित करिये । लोक सभा में 25 सदस्यों को असम्बद्ध घोषित किया गया था । ताजा-ताजा नजीर थी । इसी विधान सभा में हमारे दो माननीय सदस्यों को असम्बद्ध घोषित किया गया था—माननीय नवरंग सिंहजी को और यदुनाथ सिंहजी को एक बार आया था ऐसा मामला । आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर कैसे, उनके बाद कहां से उन्होंने एक तिहाई की संख्या पूरी कर ली ?

यह अखबार जो मैंने आपको बताया है, उसमें लिखा है, नवज्योति में कि उसी कागज पर उनके भी दस्तख्त करा लिये गये । मैं समझता हूं, ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ है तो राजस्थान की विधान सभा में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जब ऐसा हुआ है ।

मैं कहना चाहता हूं, आप उच्च आसन पर हैं । आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं । हम आपसे अपेक्षा और आशा रखते हैं कि यहां सदन की गरिमा बनाई जायेगी और ऐसे निर्णय किये जायेंगे जो राजस्थान में ही नहीं, देश के लिए एक मापदण्ड साबित हों । (व्यवधान)

हां जी, आप क्यों बोल रहे हैं ? आप क्यों बोल रहे हैं ?

4-4 स्टेटमेंट आये हैं ।

एक माननीय सदस्य : भाग जाओ, शर्म करो ।

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया पाइण्ट आफ आर्डर ? हो गया ?

श्री नत्थी सिंह : अभी नहीं । अभी कहां हुआ ?

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या हो रहा है ।

श्री नत्थी सिंह : अभी नहीं, अभी नहीं हुआ । आगे सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी । पता नहीं कितनी सत्य है कितनी नहीं । एक सदस्य का नाम निकला है कि वह भी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात सुनिये पहले । मेरा निवेदन सुनिये ।

श्री नत्थी सिंह : मैं पूछना चाहता हूं, वह फाईल आपने खुली रखी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : पहले मेरा निवेदन सुनिये । आप पाइण्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं कि भाषण देना ?

श्री नत्थी सिंह : नहीं, पाइण्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : तो उसकी कोई सीमा है ?

श्री नत्थी सिंह : अभी जो 90वां बुलेटिन है, उसके एक भाग की तो ...

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप जल्दी करिये । (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आपके 90वें बुलेटिन में एक बात और की है, अध्यक्ष महोदय, पता नहीं किस कुशलता से । हम तो यही मानते हैं कि आसन पर तो किसी दल का प्रभाव है ही नहीं । इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निश्चित रूप से आप आचार परम्परा और संसदीय मर्यादाओं का निर्वाहन करेंगे ।

इसमें आपने जो विज्ञप्ति निकाली है, उसमें है ' जनता दल (ग्रुप) विधायक दल' क्या मतलब "विधायक दल" का ? आपने लिखा है उसमें "विधायक दल" । यह बड़ा जटिल इण्टरप्रिटेशन है, मैं समझता हूं । पार्लियामेंट की पार्टी को आप लेजिस्लेचर पार्टी घोषित करना चाहते हैं ? वह कब घोषित होगी, ये आपके यहां नियम हैं और जो 'पार्लियामेण्टरी प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर" है एम. एल. शकधर साहब और कौल की लिखी हुई, उसके पेज संख्या 288 पर साफ दिया हुआ है :

"An association of Members, who proposes to form a parliamentary party in the Lok Sabha, must satisfy the following required conditions :—"

पहला "They should have a distinct ideological programme."

अभी एक माननीय सदस्य, मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र बोल रहे थे, कौनसी आइडियोलॉजी, कौनसा प्रोग्राम ? मुझे फोन पर इस्तीफा दे दिया है, मैंने डाक से भेज दिया है, डाक शायद देर से आयी होगी, कर्फ्यू लग गया, मुझे मालूम नहीं, मिला नहीं ।

दूसरी कण्डीशन "They should have an organisation, both inside and outside the house, which is in touch with public opinion on important issues before the country."

कोई और नहीं है, आज भी वह के वह अध्यक्ष हैं, बोम्मई साहब । एक ही संगठन है । आपने यह क्या किया है बीच में इसमें बड़े तरीके से यह जो "विधायक दल" लिखा है, उसकी मंशा क्या है ? मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं । किसी भी हालत में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है इस पार्टी में नौ सदस्य निर्दलीय, अनअटेच्ड हुए, असम्बद्ध हुए । जो 13 रह गये, वे डिस्क्वालिफाइड हैं । अगर आज भी हैं, मेरे व्हिप का सामना उन्हें करना पड़ेगा ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परम्परा कायम रखने के लिये निश्चित रूप से एक ज्यूडीशियल रूलिंग दें और

Page No. 18

(श्री नत्थी सिंह)

आपने जो एक व्यवस्था की है, उस पर पुनर्विचार करें। रूलिंग को रद्द करें और यह जो व्यवस्था की है, उसको बदलें। नौ आदमियों को असम्बद्ध और शेष को अगर वे कहते हैं कि हमने छोड़ दी पार्टी तो, कहें पधारिये, आप आदरणीय हो गये इस हाउस के लिए, इस हाउस में बैठ नहीं सकते, इसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : साहब + + + मैं भी आपको कह सकता हूं।

श्री जगमालसिंह यादव : आप बिके थे 15 दिन।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : कहां बिके थे ? हमारी पार्टी के डिसीजन के कारण मंत्री थे, पार्टी के सपोर्ट वापस लेने के कारण इस्तीफा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको शान्ति से सुना है सबने उनको भी शान्ति से सुनिये।

देखिये, मैंने कल आप लोगों को सारा मैटिरियल इसीलिए दिया था कि आप लोग उसको पढ़कर शान्ति से अच्छी बहस करिये। बहस सुनिये पहले आप।........ Please hear.

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) पहले व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें, उस पर दूसरा आदमी कैसे . ...

श्री अध्यक्ष : उसी पर बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : This is no new point of order. This is the same point of order. He has got a right Everybody has got a right to speak.

एक माननीय सदस्य : No...No ...No.......No point of order... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अभी तो शुरूआत है, अध्यक्ष महोदय, अभी से नाराजगी जाहिर हो रही है। अभी तो 12 घण्टे पड़े हैं पूरे।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.) : अब पाइण्ट तो कुछ बचा नहीं, आर्डर चला गया। बस ठीक है।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस सदन के जनता दल के भूतपूर्व नेता को हमने सुना। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

डा. चन्द्रभान : भूतपूर्व नहीं, वर्तमान में नेता हैं हम। भूतपूर्व नहीं कह सकते हैं आप।

एक माननीय सदस्य : नत्थीसिंह...... नेता हैं। (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : भूतपूर्व विधायक दल के नेता को जिस तरह से

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमालसिंह यादव)

हमने शान्ति से सुना, मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं, उसी तरह से न केवल नेताओं को बल्कि सदन के माननीय सदस्यों को, चाहे वे किसी भी हैसियत से, चाहे नये आये हैं चाहे पुराने, उसी तरह सुनने का माद्दा आप लोग भी रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता दल के माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, उनकी व्यथा व्यर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी में इस हाउस के बाहर क्या प्रक्रिया हुई, जनता दल के आपसी विवाद किस तरह से उलझे हिन्दुस्तान में, और दिल्ली में केन्द्रीय जनता दल में किस तरह विभाजन हुआ, मेरे ख्याल से अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक क्रिया कलाप जो हाउस में होता है, उससे आप सम्बन्ध रखते हैं। पार्टी के अध्यक्ष कौन होते हैं, पार्टी के जनरल सैक्रेटरी कौन होंगे, पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन होंगे, पार्टी की क्या रीति-नीति होगी, इससे यहां और स्पीकर को, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई वास्ता नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यथा, जैसा मैंने पहले कहा, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की व्यर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले नीयत बनाई गई कि माननीय भैरोंसिंहजी की कुर्सी पर माननीय कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घोषित किया जायेगा, इसलिये आप अयोग्य हैं।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री जगमालसिंह यादव : पार्टी की जब इस रीति-नीति के तहत, कांग्रेस के अंगर हाथ मिले....

एक माननीय सदस्य : घोषित किया जायेगा, इसीलिये आप अयोग्य हो, अयोग्य ....अयोग्य (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....आर्डर प्लीज....

एक माननीय सदस्य : +++

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मेरा अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह पाइण्ट आफ आर्डर किस बात का है, यह स्पष्ट करिये। यह भाषण शुरु हो रहे हैं या पाइण्ट ऑफ ऑर्डर है ? यह क्या स्पीच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह पाइण्ट ऑफ ऑर्डर भाषण से शुरु हुआ है, इसलिए भाषण से एण्ड होगा।

एक माननीय सदस्य : नो पाइण्ट ऑफ ऑर्डर....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : नियमों से हुआ है। नियमों और परम्परा से हुआ है। आपने कहा भाषण नहीं होंगे, भाषण नहीं दिया। भाषण तो अभी दूंगा मैं।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) अध्यक्षजी भा. ज. पा. के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है।

श्री जगमालसिंह यादव : सदन के नेता के आसन पर बैठने के जब ख्वाब चकनाचूर हो गये तो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने व श्री हरिदेव जोशी.... (व्यवधान)

जब उधर बैठने के ख्वाब चूर हो गये तो कुम्हेर से आने आले माननीय सदस्य का मन यह किया कि माननीय हरिदेवजी जोशी की कुर्सी छीनी जाय। यह दोनों ही ख्वाब जब चकनाचूर हो गये तो आज इनको सिद्धान्त की बात सूझ आयी। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि आपका जनता दल की बाहरी क्रिया कलापों से कोई विशेष वास्ता नहीं है लेकिन सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि जब माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार में शामिल होने का प्रश्न आया तो ज्यादातर माननीय सदस्यों का मन नहीं था कि शामिल हुआ जाय। लेकिन कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य का मन लालायित था कि नेता चुन लिया जाऊंगा और मंत्री की शपथ लूंगा। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : कतई गलत। केन्द्र ने फैसला किया है। आप असत्य बोल रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : यह जोशी जी की कुर्सी छीनने लगे थे और जोशी जी के पड़ौसी बने बैठे हैं।

श्री जगमालसिंह यादव : एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 15 दिन में आदमी की विचारधारा बदल जाये, 15 दिन में आदमी का स्वरूप बदल जाये, 15 दिन में आदमी के संबंध बदल जाये यह तो न केवल इस सदन ने देखा है बल्कि राजस्थान की जनता के एक-एक आदमी ने देखा है। जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय हमारे भूतपूर्व दल के नेता आज कम्युनल कहकर पार्टी छोड़कर बाहर आये, यही राम मन्दिर बनाने का विषय उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के पास था जिस दिन आप विधायक दल के नेता के रूप में सरकार में शामिल हो रहे थे। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मैं आपको अपील करूंगा

श्री हेतराम बेनीवाल : यह पाइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कोई पाइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यह तो रेगुलर डिबेट हो गई। कोई कानून का मुद्दा हो, कानून की बात हो तब तो बात चले। आपने रेगुलर डिबेट चालू करवा दी। यह कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनरल डिबेट नहीं करें। (व्यवधान) आप बैठिये। आप अपना पाइण्ट आफ आर्डर बता दीजिये। पाइण्ट आफ आर्डर पर जो बात कहनी हो वह कहिये।

श्री जगमालसिंह यादव : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एन्टी डिफेक्शन बिल लागू हो गया। मैं

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आपसे निवेदन करूं कि बीस आदमियों ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन उसी दिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको प्रस्तुत किया कि अब हमारे दल के नेता कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं है। हमने पहले ही बैठक करके यह तय किया कि अब हमारे नत्थीसिंहजी नेता नहीं बल्कि श्री दिग्विजयसिंह जी नेता हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर निवेदन करना चाहता हूं। आज माननीय सदस्यों ने 8 बजे की हिन्दी की न्यूज सुनी होगी। जिन संसद सदस्यों को असम्बद्ध घोषित किया गया है उन्होंने एक याचिका लोकसभा के अध्यक्ष माननीय रविराय जी के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय अध्यक्ष रविराय जी ने यह आश्वासन दिया है और कहा, रेडियो सुना है, कि मैं इस पर पुनर्विचार कर रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं। अभी यह तकरीर आप कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर का फैसला आ जाये, रूलिंग बन जायेगी। अगर आप इतने ही न्यायप्रिय हैं तो आपकेपास कानून के दरवाजे खुले हैं। आप तो वकील हैं, आप तो बहुत पुराने नेता हैं। अगर सदन की और अध्यक्ष की व्यवस्था से आप सहमत नहीं हैं तो जो भी कानूनी कार्यवाही हो, वह कीजिये। हम एक और निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मैन्डेट दिया था। गर्व है हमें, अपनी सदस्यता छोड़ के भी अगर जनता के इस मेन्डेट को कायम रखना पड़ता, तो हमको सदस्यता से भी कोई वास्ता नहीं था। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : + + +

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा ? मेरे दो कान हैं, आप एक साथ दस मुंह से बोलेंगे तो कैसे सुनूंगा ?

एक माननीय सदस्य : उधर वाला खुला है इधर वाला बन्द है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक आदमी की बात सुन सकता हूं, दस की एक साथ नहीं सुन सकता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनका पाइण्ट ऑफ ऑर्डर पूरा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की जनता ने जो पवित्र जनादेश दिया था, आप तो दल बदल की बात करते हैं जो कानून ही न्याय संगत नहीं है, अगर राजस्थान के मेन्डेट को कायम रखना था, राजस्थान के वोटर की भावना का अगर आदर करना था तो हम सारे लोग सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भी जनता के मेन्डेट को कायम रखने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको पार्टी और राज में शामिल होने का शौक नहीं है...

श्री नत्थी सिंह : पैसे का शौक है.... (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : आज सदन में छोटा-सा ग्रुप माननीय नत्थीसिंह जी के नेतृत्व का है, जब वह वहां बैठता था तो

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमालसिंह यादव)

भारतीय जनता पार्टी कम्युनल नहीं थी, भ्रष्ट नहीं थी, इनके सिद्धान्त सब ठीक थे। आज जब कुर्सी छिन गई, गाड़ी छिन गई, टेलीफोन और कोठी छिनने की नौबत आ गई तो आज वही जनता पार्टी....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : छिनी नहीं, छोड़ी है, हमने छोड़ी है। ठोकर मार कर जा रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे....

श्री डूंगरराम पंवार : अब रोने-धोने से क्या काम, अब गाड़ी गई सो गई।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के शिड्यूल 10 सब क्लाज (3) अगर नहीं पढ़ा है तो मैं, माननीय श्री नत्थीसिंहजी, आपको इसको पढ़ने के लिए देता हूं, आप पढ़कर फैसला कर लेना। आपको लगे कि जनादेश की अवहेलना हुई है तो आप हमारे भूतपूर्व नेता रहे हैं आपकी भी थोड़ी-बहुत सलाह मानेंगे। लेकिन नैतिकता की दुहाई और केवल आपकी नैतिकता हो, इस दुहाई का न राजस्थान की जनता विश्वास करेगी। आपके चेहरे तो हमसे पहले ही बेनकाब हो गये जब आप राज के भागीदार बने। एक और आवश्यक सूचना है कि कल आप पांच एम. एल. एज. के नेता होंगे। और मैं एक सदन को निवेदन कराऊं कि 24 तारीख को साम्प्रदायिक दंगे हुए। 26 तारीख को ....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मर्यादाएं नहीं हैं। यह हाउस में भाषण नहीं होगा....

श्री जगमालसिंह यादव : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं। आप बैठिये, वह एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उन्होंने एक मिनट का समय मांगा है। एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : आप अपनी व्यवस्था दे दीजिये, भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और धीरज रख लीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भी पूरा हो गया।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन को एक नई सूचना देना चाहता हूं जिससे बहुतों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। जो आज कम्युनल और साम्प्रदायिकता की दुहाई देते हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। 24 तारीख को कर्फ्यू लगा, 24 तारीख को साम्प्रदायिक दंगे हुए, 26 तारीख को माननीय मंत्री महोदय ये नेता महोदय....(व्यवधान) उसके भागीदार आप हो।

श्री अध्यक्ष : अब आप बि [illegible] जें।

(व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक नहीं थी।

(श्री जगमालसिंह यादव)

यह पाइण्ट श्राफ श्रार्डर भूतपूर्व नेता ने उठाया, बेमानी और अवैधानिक है।

श्री नत्थी सिंह : 25 तारीख को बोम्मई ने कहा था कि हम बी. जे. पी. के साथ नहीं बैठ सकते। ये थे जगमालसिंह जी (व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : बोम्मई जी के सामने यह था कि मर जायेंगे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। और कांग्रेस के साथ बैठकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और बी. जे पी. दोनों के साथ नहीं बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय विश्नोई जी।

श्री जगतसिंह दायमा : इसको कहते हैं + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, समस्या है कुछ एक सदस्यों के दल बदलने की आपके सामने चर्चा उठी है कुछ माननीय सदस्यों के दल बदलने की। इसमें आपको दल बदल कानून की व्याख्या बहुत गहराई से करनी होगी। इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्य जनता दल से टूट कर अलग हो गये। जो दल बदल कानून हैं उसमें स्पष्ट व्याख्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जिस राजनैतिक दल में चुना गया उसका त्याग कर देता है तो वह अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि 1/3 माननीय सदस्य सिद्धान्तों के आधार पर, उनमें सैद्धान्तिक मतभेद हों तो वे अलग हो सकते हैं। यहां सवाल यह हो रहा है कि एक पक्ष कहता है कि हम 1/3 हैं, दूसरा कहता है कि पांच उनमें से चले गये, उनको निलम्बित कर दिया इसलिए वे इसमें हैं नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें 14-15 थे या 12 होंगे, वे किस सिद्धान्त पर अलग हुए हैं उन्होंने यह बात तो कही नहीं है। उन्होंने तो केवल इतनी ही बात कही है कि हम माननीय भैरोंसिह जी के मंत्रिमंडल को समर्थन देंगे। तो यह किसी पार्टी की क्या नीति हुई? जो गुट अलग हुआ है उसने कभी स्पष्ट नहीं किया कि उनके सैद्धान्तिक मतभेद क्या हैं। अगर इन एक तिहाई में सैद्धान्तिक मतैक्य नहीं हैं तो वह प्रत्येक माननीय सदस्य अलग-अलग ही माने जायेंगे। जो वह अलग-अलग छोड़ के गये। छूट तभी होगी जब वह सिद्धांतों के आधार पर अलग होकर एक तिहाई हो जायेंगे मुझे यही निवेदन करना है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूनमचन्द जी ने बात कही। यह बहुत समय तक इस हाउस के मेम्बर भी रहे हैं और हाउस के स्पीकर भी रहे हैं। जहां तक सिद्धान्तों की बात कही मैं सिद्धांतों के ऊपर पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी सिद्धान्तों की अवहेलना क्या हो सकती है कि जिस जनादेश को लेकर हम आये थे कांग्रेस का विरोध करने के लिए और हमारी पार्टी के कुछ सदस्य यह चाहें

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लालचन्द डूडी)

कि हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे ? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ? यह हमारा सिद्धान्त था कि हम कांग्रेस को किसी भी तरह से समर्थन नहीं देंगे। बहुत क्लियर है। बल्कि सिद्धान्तों के इश्यू पर यह फ्रीज हुए हैं, कहीं कोई दूसरी बात नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : यह किसी ने नहीं कहा....

श्री पूनम चन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी को आपने लिख कर दिया है कि हम इन सिद्धान्तों पर चलेंगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में सिद्धान्तों की बात चल रही है और इस सदन के नेता माननीय भैरोंसिंह जी ने बहुत सिद्धान्तों की बात कही कि राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी+++ आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की कहते हैं, आप सिद्धान्तों की बात करें।

+ + +(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय गहलोत साहब, इसीलिए हमने विरोध किया है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : कांग्रेस ने इतना ज्यादा फैला दिया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कुछ देर लगेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय केदारनाथ जी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, जिस इश्यू पर पाइण्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया है, मेरा आपसे, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसे डाइल्यूट न किया जाय। इसका ओरबिट, इसका एम्ब्रीट कुछ अलग है। बहुत सीमित दायरा है। हम मानते हैं कि हर माननीय सदस्य को पार्टी छोड़ने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है लेकिन उसमें कुछ कन्डीशन है। यह इश्यू इससे जुड़ा हुआ है जो आज आप रूलिंग देने जा रहे हैं। हिन्दुस्तान की केवल दो असेम्बलीज में इसके ऊपर बहस हुई है। एक तो आज हो रही है और एक पंजाब में हुई। यह मोमेंटिव कांसिक्वेंसेज होंगे इस इश्यू पर, जो आप रूलिंग देने जा रहे हैं। आपकी रूलिंग एक नजीर होगी कि राजस्थान की विधान सभा में इश्यू रेज हुआ पाइंट ऑफ ऑर्डर की मार्फत और माननीय अध्यक्षजी ने रूलिंग दी। हम बड़े आभारी हैं कि आपने हमें मैटीरियल सप्लाई किया, जूरिस्ट की राय आपने की और हमें कुछ रेफरेंस किताबों के भी दिये, हमारे सामने पेश किये। हम बड़े आभारी हैं। इस डिबेट की तह में टेंथ शिड्यूल है कांस्टीट्यूशन का नम्बर एक से 6 जो प्रोसेस है, एक तो यह इसका ओरबिट है। दूसरा जो प्रोसीजर एंड प्रेक्टिस है पार्लियामेंट की, उसका चेप्टर 16, उससे यह वास्ता रखता है। किसको अधिकार है कौनसी प्री-कंडीशन हैं जब कोई गुट स्पिलिट हो, अपने आपको मान्यता प्राप्त करने के लिए कौनसी प्री-कंडीशन हैं, वह सैटिस्फाई करता

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

है या नहीं करता। वह आपके सामने है, आप इसकी स्टडी करिये। पंजाब में 1986 और 1987 में इसी बात पर, जब लोंगोवाल ग्रुप से मिस्टर बादल अलग हुए उन्होंने उस समय मिस्टर मिन्हास जो स्पीकर थे उन्होंने जो रूलिंग दी उस रूलिंग को हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया। उस रूलिंग के हाई कोर्ट जजमेंट के खिलाफ उस वक्त की सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील वापिस गई। वह इश्यू अभी पेंडिंग है। उसके साथ कुछ और रिट्स उन्होंने उसके साथ लिंक कर दीं। वह बड़ा इम्पार्टेंड इश्यू है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज है।

माननीय अध्यक्ष जी, दो दिन पहले हमारे लोक सभा के अध्यक्ष ने फैसला किया और पच्चीस सदस्यों को अनअटैच्ड घोषित कर दिया। जिनको हमारे दल ने डिसक्वालिफाई किया, अपनी पार्टी से निकाल दिया, एक्स्पेल कर दिया उनको माननीय अध्यक्ष जी ने अनअटैच्ड घोषित करके उनको सीटों का अलाटमेंट कर दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : अनअटैच्ड क्या होता है।

श्री केदारनाथ शर्मा: जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो। इसमें बेसिक जो किताब में है वह अनरजिस्टर्ड है पर क्योंकि लोक सभा के स्पीकर ने अनअटैच्ड कहा है उसी को हम मानेंगे। अभी आज रेडियो में हमने सुना, क्या रूलिंग दी है यह तो, अध्यक्ष जी, आप पढ़ कर बताएंगे ताकि हमें इन्फोर्म इन्फ्यूसिव मिल जाय कि कोनसी रूलिंग दी है। किस पर उन्होंने रूलिंग दी है अनअटैच्ड करने की, आपकी बात हम समझ जाएंगे। आज उन्होंने कहा है और हम रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने जो अनअटैच्ड घोषित किया। उस पर उन लोक सभा के माननीय सदस्यों ने अपना एक मेमोरेण्डम दिया है। उसमें उन्होंने राय दी है कि मैं इस पर सोच-विचार कर फैसला दूंगा, रूलिंग दूंगा।

मैं अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एन्टीडिफेक्शन लॉ बहुत बड़ी इनिशियल डिबेट के बाद पास किया गया।

श्री जगतसिंह दायमा : पंडित जी, आप बीमार हैं, थोड़ा ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा : बड़ी खुशी है, आप मेरी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इसलिए पास किया गया ताकि एक लेजिस्लेचर की लायल्टी के साथ कोई ट्रेड नहीं कर पायें कोई अनशैडी डील न कर पाएं और पार्टी के अन्दर डिसिप्लिन रहे। पोलिटिकल पार्टीज अपनी एक कोहेसिव इमेज जनता के सामने पेश करें और इलेक्टोरेट्स पोलिटिकल सिस्टम में जो विश्वास करते हैं वह उस विश्वास को भंग न करें अदला-बदली से इन्कार करें। ये तीन आब्जेक्ट्स थे, और इसलिए यह एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ। यदि इसका सही इस्तेमाल नहीं होता रूल्स के मार्फत टेंथ शिडयूल के मार्फत, जूरिस्ट की राय के मार्फत और आपकी रूलिंग के मार्फत तो मेरा ख्याल है कि यह ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है। इसलिए बहुत गम्भीरता के साथ

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आपको फैसला करना है। मैं चाहता था, और भी माननीय सदस्य पुराने, अनुभवी यहां बैठे हैं, कि इसमें एक सोबर, स्पेशल डिबेट हो। हम यह नहीं कहते कि फलां व्यक्ति क्यों गया, कैसे गया। यह हमारे सामने इश्यू नहीं है। न हम कोई मोटिव्ज इम्प्यूट करने आये हैं यहां पर कि कौन किस हालत में गया, कैसे गया। यह आज का सबजेक्ट नहीं है कि हम घोषणा पत्र में क्या लेकर आये थे और किस आधार पर इलेक्शन लड़ा, मंत्रिमण्डल में शामिल हुए, यह आज का विषय नहीं है। या इस इश्यू के मार्फत न किसी को कम्यूनल कहने आये हैं न किसी को एंटीकम्यूनल कहने आये। न यह कहने आये हैं कि कौन कांग्रेस में मिला, कौन नहीं मिला। यह इश्यू नहीं है, यह तो डायल्यूट करना है। बल्कि बाई-पास करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू आपके सामने है। अध्यक्ष जी, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वे तीन शर्तें कौन-सी थीं, जब एक ग्रुप आइसोलेट करता है, अपने आपको स्प्लिट करता है, ब्रेक अवे करता है तो कौन-सी तीन प्री-कंडीशन हैं जिनके तहत आपने मान्यता दी है वह प्री-कंडीशन कौनसी हैं जो इस पर एन्जोइन करते हैं, लागू करती हैं। पहली है डिस्टिंक्ट आइडियोलोजी और उनका प्रोग्राम ऑफ वर्क कल्चरल, फील्ड में पालिटिकल, फील्ड में अकानामिक फील्ड में और सोशल फील्ड्स में कौनसे प्रोग्राम हैं। कौन से प्लान हैं जिसमें एक पार्टी को, माननीय दिग्विजयसिंह जी के पाइन्ट सुन लिये, हम जानते हैं उस बात को। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त है उनका दफ्तर असेम्बली के अन्दर और बाहर उनका आर्गेनाइजेशन और इसके साथ-साथ जो इश्यू हैं देश के कंट्री के सामने उन पब्लिक ओपीनियन को साथ रखते हुए उन इश्यूज को डील करें।

तीसरा यह है कि कोरम से कम उनकी स्ट्रेन्थ न हो। अध्यक्षजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यह इश्यू है मेरे सामने निवेदन करने का कि पाँच तारीख को हमारे नेताजी ने, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा और कल आपका जो फैसला पढ़ा, पांच तारीख को 5 माननीय सदस्यों को अपने दल से एक्सपेल कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, यह अलग बात है। छह तारीख को माननीय दिग्विजय सिंहजी, जो नेता हैं, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मेरे पास ही बैठे हैं, साथ रहे हैं, ऐसे साथ कल और हो सकते हैं, इन्होंने छह तारीख को फिजीकल प्रजेन्स की किन्हीं एम. एल. एज. की। वह तो आप बता सकते हैं कि कितने हैं। अखबारों में 20 आया, कहीं 16 आया कहीं 12 आया, मैं नहीं कह सकता, वह आप बतायें। वह छह तारीख को पेश हुए लीगल आसपेक्ट इसका यह है कि अगर पेरेन्टल बॉडी उनको पांच तारीख को एक्सपेल करती है एन्टी पार्टी एक्टीविटीज के आधार पर तो क्या वे उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, यह लीगल इश्यू है। उसके बाद 12 के 15 बने, 16 बने, 20 बने, 22 बने और 23 बने, नम्बर बढ़ गया मुझे उस पर एतराज नहीं है, मेम्बर बढ़ सकते हैं, मेम्बर जा सकते हैं मगर लीगल आसपेक्ट के ऊपर मैं आपका ध्यान आक-

(श्री केदारनाथ शर्मा)

षित करना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी कि उसकी लीगल स्टेटस फिर क्या होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अपने आशीर्वाद दिया था, आपने भेजा था।

श्री केदारनाथ शर्मा : आशीर्वाद है। मेरी बात तो सुनें, मैं क्या बात कर रहा हूं।

श्री जगतसिंह दायमा : अन्तिम सांसों में तो कम से कम सच बोलना चाहिये।

श्री केदारनाथ शर्मा : हम साथ रहे हैं। यह कहने में कोई फायदा नहीं है। आशीर्वाद है। आप भी मेरे हैं, यह भी मेरे हैं। इसमें क्या बात है? अध्यक्षजी यह लीगल पोजीशन क्या हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फैक्ट्स के आधार पर, इन एडीशनल फैक्ट्स के आधार पर आपने जो रूलिंग दी, जो फैसला दिया उसको रिवाइज कीजिए ताकि आइन्दा आने वाली जनरेशन के सामने एक मिसाल पेश हो और साइट की जाये कि राजस्थान के स्पीकर ने एक बहुत ही ऐसे मोमेन्ट्स इश्यू पर क्रूशियल पाइण्ट पर अपनी रूलिंग दी जो ज्यूडीशियल है बड़ी सोबर है और फॉर रीचिंग इसके कान्सिक्वेसेज हैं। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यगण........

श्री देवीसिंह भाटी : भीष्म पितामह के कहने के बाद कुछ रह नहीं जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का विवाद एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में यहां खड़ा किया गया है उस सम्बन्ध में मैं कुछ भ्रांतियों का निराकरण करना चाहता हूं। यहां दो प्रश्न खड़े किए गए एक मान्यता का और दूसरा मेम्बर्स की डिसक्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में एक कानून बना है, वह कानून सारे देश में लागू है। उसी कानून की धारा (3) में जो लिखा हुआ है मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगा—

"Disqualification on ground of defection not to apply in case of split : - Where a Member of a House makes a claim that he and any other members of his Legislative Party constitute the group representing a faction which has arisen as result of split in his original political party, and such group consists of not less than $\frac{1}{3}$rd of the members of such Legislative Party"

उसके साथ जो पैराग्राफ है उसमें यह है–" .... shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 on the ground that he has voluntarily given up his membership of his original political party"

नम्बर दो –"That he has voted or abstained from voting in such House contrary to any direction issued by such party or by any person or authority authorised

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

in that behalf without obtaining the prior permission of such party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such party person or authority within 15 days from the date of such voting or abstention."

नम्बर तीन—"From the time of such split, such faction shall be deemed to be the political party."

यह इसमें डिस-क्वालिफिकेशन किनकी हो सकती है इस प्रकार की व्यवस्था की है। मोटे रूप में यह है कि इसमें एक तिहाई मेम्बर्स उपस्थित हैं या नहीं और मैं समझता हूं कि किसी ने इस बात को चुनौती नहीं दी है कि इसमें एक तिहाई मेम्बर्स नहीं हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : क्यों नहीं दी ? हमने दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है कि आपने चुनौती दी है। मैं यह भी मान लेता हूं कि आपने चुनौती दी है, लेकिन यह तो जरूरी है न कि एक तिहाई मेम्बर्स आदि स्प्लिट में शामिल हों तो डिसक्वालिफिकेशन लागू नहीं होती....

श्री नत्थी सिंह : बीस में से पांच निकाल दिये, पन्द्रह रह गये। कैसे रह गये वन थर्ड ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए, किसने किसको निकाला, यदि जनता दल का कांस्टीट्यूशन आप देखें तो शायद निकालने का अधिकार ही नहीं है....

श्री नत्थी सिंह : पूरा अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पूरा देखा है तो मैंने भी पढ़ा है, निकालने का आपको अधिकार ही नहीं है। आज मैं अपने विधायक को, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही निकाल सकता हूं, बिना व्यवस्था के मैं नहीं निकाल सकता। हमारे दल के भी 85 सदस्य हैं, मैं नेता हूं और मन में यह तय कर लूं कि अमुक सदस्य को निलम्बित करना है लेकिन वह नहीं कर सकता....

श्री नत्थी सिंह : नेता ने नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने....

डा. चन्द्रभान : विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने निकाल दिया दिल्ली में ...

श्री देवीसिंह भाटी : विश्वनाथ प्रताप को भी निकाल दिया दिल्ली में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा कहना तो केवल इतना सा ही है कि निकालने की भी प्रक्रिया है और प्रोफेसर केदार साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही की जाये तो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि उस आदमी को सुनवाई का मौका दिया जाय। मैं समझता हूं, नेता महोदय, आप इस बात को ... ... (व्यवधान)

मेरी बात तो सुन लीजिए, आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : आपका उद्देश्य पूरा हो गया, कानून को क्यों तोड़ते-मरोड़ते हो ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मै केवल इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि न तो इनको सुनने का मौका दिया गया । आपने निलम्बन कर दिया और वह भी पार्टी रिकाग्नाइज होने के बाद में निलम्बन किया तो उसका कोई असर नहीं होगा । मेरा क्वेश्चन केवल लिमिटेड है कि डिसक्वालिफिकेशन के मामले में............ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुन लीजिये पहले ।

श्री नत्थी सिंह : हमारी पार्टी के नियमों के अनुसार निकाला है, उसकी अपील हमारी पार्टी में ही हो सकती है, आपके यहां नहीं । स्टे वहां से आयेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी पार्टी का कांस्टीट्यूशन है, यह मेरी पार्टी का नहीं है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह जनता पार्टी का है, जनता दल का नहीं है इसमें हलधर मंड रहा है, हमारा चिन्ह सिर्फ चक्र था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता दल है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद ; यह जनता दल नहीं, जनता पार्टी है ।

डा. चन्द्रभान : चुनाव चिन्ह देख लो (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : चक्र चाहिये, चक्र नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता दल....

डा. चन्द्रभान : चक्र नहीं है, हलधर किसान है इसके ऊपर । यह जनता पार्टी का हलधर किसान वाला दिखा रहे हैं आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.......... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने मंत्री बनाने का मानस बना लिया है क्या, जिनकी वकालत कर रहे हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें सुन लीजिए ।

श्री नत्थी सिंह : हमारी पार्टी ने जो दिया है उसका फैसला हमारी पार्टी करेगी सदन का नेता नहीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । बिराजें, सुन लीजिए ।

श्री रामनारायण वर्मा : किसानों की फसल सूख रही है, डीजल नहीं है, पैट्रोल नहीं है, क्या हालत हो रही है, त्राहि-त्राहि मच रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । सुन लीजिये पहले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात यह निवेदन कर रहा था कि स्प्लिट हो गया, इस बीच स्प्लिट में वन थर्ड से ज्यादा संख्या हो गई, डिसक्वालिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता ...

श्री नत्थी सिंह : हुई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न आता है कि डिसक्वालिफिकेशन का भी प्रोसीजर दिया हुआ है। आप किसी जगह खड़े होकर मांग करेंगे कि इसको डिसक्वालिफाई कर दिया जाय इस तरह से डिसक्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। हाऊस में एक प्रक्रिया है, इस कानून में भी प्रक्रिया है ...

श्री नत्थी सिंह : हम रिकाग्नीशन के खिलाफ आवेदन कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : माननीय सदन के नेताजी, अध्यक्ष जी की व्यवस्था आप दे रहे हैं क्या ?

श्री नत्थीसिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, अध्यक्ष जी की व्यवस्था आप दे रहे हैं क्या ? अध्यक्ष देंगे। आप सदन के नेता, मुख्य मंत्री हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय नत्थीसिंह जी को कुल्हाड़ा दे दिया जाये एकाध ताकि काट दिया जाये सब के सब को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने डिसक्वालिफिकेशन की बात केवल इसलिए कही है कि आप शायद सदन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि जो मेम्बर्स टूट गये हैं वे डिसक्वालिफाई हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि आप भ्रम पैदा....

श्री नत्थीसिंह : वह तो पहले ही आश्वासन दे दिया है कि घबराओ मत, हम सब को बचा लेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल वोटिंग में साथ देने का ही मतलब है। बाद में आप उनको फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं,

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इनको आज-आज वोट चाहिए बाद में डिसक्वालीफाई हो जायं ये सब लोग।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस मामले में प्रोफेसर केदार ने कुछ कहा, पंजाब हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया। इस एक्ट में एक प्रोविजन है

"Notwithstanding anything in this Constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a Member of a House under this Schedule."

श्री नत्थी सिंह : यह प्रोविजन स्ट्रकडाउन कर दिया है हाई कोर्ट ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें स्पीकर का फैसला फाइनल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नो-नो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और एक्ट के अनुसार कोर्ट का क्षेत्राधिकार बार किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ है। आप यह कहें कि पंजाब हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा कि पंजाब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और स्टे आर्डर दे दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपील फाइल की है, स्टे फाइल नहीं किया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्टे हो हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरे पर छोड़ दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Misleading the House (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) आप क्या डेफीनेशन देना चाहते हैं कि क्या स्पीकर का फैसला फाइनल है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। आप मेरे बाद बोल लेना .. (व्यवधान)

मैं जो बोल रहा हूं मेरी मर्जी से बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आप सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिकग्नाइज्ड पार्टी क्या होगी ? (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : +++ (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको गलत बयानी करते शर्म नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : आपको सुनना तो पड़ेगा। आप उनको सुन लीजिए : पहले उनको पूरा कह लेने दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : वह गलत बात कह रहे हैं हम क्यों सुनेंगे उनकी बात ?

डा. चन्द्रभान : पंजाब हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : सुनना तो पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम हैं आपके पास कानूनी व्यवस्थाएं हैं, पर पहले आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल लूं उसके बाद यह बोल लें, फिर आप व्यवस्था दे दीजिए। मुझे आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरा करने दीजिए। Let him complete. आप भी बोल लेना। (व्यवधान) आपको कम्पलीट करने दीजिए। (व्यवधान)-

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 32

(32)

देखिए, मैं धीरे बोलता हूं तो आप मेरी आवाज नहीं सुनते हैं। जोर से बोलूंगा तो कहेंगे नाराज हो रहे हैं....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मेरे लिए तो व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : धीरे बोलता हूं तो सुनते नहीं और जोर से बोलूंगा तो कहेंगे नाराज हो रहे हैं। इसलिए प्लीज सिट डाउन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्टी को रिकग्नाइज करने का प्रश्न है, यह विधान सभा के रूल्स हैं। राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन अधिनियम, 1956 (अक्टूबर, 1979 तक संशोधित) इन नियमों में लिखा हुआ है—पेंशन मिल रही है वह ठीक है—

"Telephone facilities to the Whips of recognized parties and leaders of groups in the Legislative Assembly shall be entitled to such telephone facilities as may prescribed."

इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है

"For the purpose of this section, recognized party means a party having a membership of more than the quorm psescribed for the sitting of the Assembly for the time being."

रिकग्नाइज्ड पार्टी का मतलब है कोरम की संख्या से ज्यादा हो। कोरम अपने यहां 20 है तो 20 से ज्यादा संख्या होगी उसको रिकग्नाइज्ड पार्टी के रूप में मान्यता दी जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : उसको टेलीफोन दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रुप मीन्स एसोशिएशन आफ ...

श्री नत्थीसिंह : आज तैयार होकर नहीं आये। अपना बचाव तो कर लिया, इनका बचाव नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इलेक्शन कमीशन देगा मान्यता।

श्री डूंगरराम पंवार : आप सुन तो लीजिए। सुविधाएं भाग्य में होंगी तो मिलेंगी, नहीं तो बैठे रहना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको पढ़ने के लिए मना नहीं किया। आप पढ़ने के लिए मेरे से ले लीजिये। बिना पढ़े मत बोलिए।

श्री चन्दनमल बैद : बड़ा छोटा लफ्ज था टेलीफोन का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं यह बात सही है कि आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री चन्दनमल बैद : जो करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोशिश आप यही कर रहे हैं न कि आप और नत्थीसिंह जी दोनों मिलकर सरकार बना लो।

श्री चन्दनमल बैद : हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस कुर्सी से हटा दें। और हटा नहीं देंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह करते रहें। विपक्ष में बैठे हैं तो सत्ता पक्ष का समर्थन करने के लिये नहीं बैठे हैं। सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए बैठे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : राज करेगा खालसा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और इस कारण से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि रिकग्नाइज हुआ उससे डिसक्वालीफाई होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : Now I conclude the debate.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता था, मगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार रखे। मैं सोचता यह था कि लीगल इश्यू के साथ लीगल वे में डील हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मसला ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर कोई फैसला दे दिया जायेगा तो वह अन्तिम रहेगा, इसके वाइडर रिपरकेसन्स है। इसलिए एक समय था जब भैरोंसिंह जी दलबदल को बुरा मानते थे . (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बोलेंगे, बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। शांति से सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरदेव जोशी : आज यह दलील दे रहे हैं कि दलबदल हुआ तो कैसे जायज है। आज वे यह सफाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से और कैसे लोगों ने दूसरी पार्टी बनायी। दिग्विजय सिंहजी से न केवल यह सदन बल्कि राजस्थान की जनता यह जानना चाहेगी कि उन्होंने अपनी पार्टी के आदेशों को मानकर मंत्री पद से त्याग-पत्र दिया, ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने त्याग-पत्र दिया था, उसके पीछे क्या कारण थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पाइन्ट आफ आर्डर में आता है क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने कहा वह पाइन्ट आफ आर्डर में आता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिल्कुल पाइन्ट आफ आर्डर में आता था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा पाइन्ट आफ आर्डर ? आपने किस बात के लिए इण्टरविन किया था ? it was nothing all irrelevant. (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं उस पर कुछ नहीं कहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को समझ सकता हूं जिन्होंने मंत्री पद से त्याग-पत्र नहीं दिया ...

श्री देवीसिंह भाटी : जिन्दगी में रिस्क लेते हैं, लिया है और लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी यह समझ में नहीं आया ?....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके कभी समझ में नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दिया था तो क्या कन्सीडरेशन थे कि दूसरे दिन वह उन कन्सीडरेशन से परे होकर के और इधर वो हुए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके कारण आप हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके मन्सूबे फेल करने के लिए।

श्री जगतसिंह दायमा : इनके मन्सूबे अधूरे रह गये, बस यही दुख है। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आपको इस के ऊपर अपना फैसला देना है। यह आपकी प्रतिष्ठा की बात है कि आप किस प्रकार से और कैसे सारी चीजों से उठकर के अपना निर्णय देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में बोलना नहीं चाहता था क्योंकि आखिर में निर्णय तो आपको करना होगा परन्तु माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो मेरा नाम लिया और इस बात को कहा कि आपने पार्टी के निर्देशों की पालना करते हुए त्यागपत्र दिया। यह बिल्कुल सच है और पार्टी के आदेशों को उस वक्त हम सबने माना और मानकर के न केवल मंत्री पद से त्यागपत्र दिया बल्कि हमने सरकार से भी अपना समर्थन वापस ले लिया। उस समय भी हमने स्पष्ट कर दिया था, केन्द्रीय नेतृत्व को कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार नहीं बना सकते। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारे साथी ......

डा. चन्द्रभान : लेकिन भाजपा का भी साथ नहीं देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता चन्द्रशेखर हैं और हमारे नेता वी. पी. सिंह हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुन लीजिये प्लीज, बैठिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : डाक्टर साहब, आप तो कंवारे ही रहे, कंवारे ही रहोगे।

श्री जगतसिंह दायमा : आपने उस समय भी कहा था+ + + (व्यवधान)

हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर उनके माननीय सदस्यों की पीड़ा को समझ सकता हूं कि वह पीड़ा उनको क्यों हो रही है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा हमने दिल्ली में भी स्पष्ट किया, हमने दिल्ली में भी यह कहा कि आप केवल मंत्रियों को ही निर्देश दीजिए कि हम मंत्रिमण्डल से स्तीफा दें। पूर्व गृह मन्त्रीजी भी मौजूद थे, हमारे उस वक्त के नेता नत्थी सिंहजी भी थे। इन्होंने कहा कि हम सब सदस्य मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देते हैं, परन्तु 7 तारीख तक हम हमारा समर्थन वापस नहीं लें, यह आप हमें परमीशन दीजिए। आज आप बात कर रहे हैं कि आपने हमको एक्सपेल कर दिया। आप खुद चाहते थे कि 7 तारीख तक हम साथ बैठे और समर्थन दें।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सही नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्यों सही नहीं है?

श्री नत्थी सिंह : सही कहूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अब आप कुछ भी कह दो आप गंगाजली माथे पर रख कर कहो तो भी मै नहीं मानूं।

डा. चन्द्रभान : जिनके साथ जा रहे हैं, वहां भी अटलजी कंवारे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : हमको कहा गया कि आप तुरन्त जाकर जयपुर पहुँच कर अपना इस्तीफा दे दो और अपना समर्थन भी वापस ले लो। माननीय नत्थीसिंह जी के निवास स्थान पर हमारी बैठक हुई। उसी दिन हम पहुँचे। वहां निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर तय हुआ कि सभी मंत्री अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देंगे, मुख्य मंत्रीजी को। दल के उस वक्त के हमारे अध्यक्ष हरजीरामजी बुडरक और पूर्व नेता नत्थीसिंह जी दोनों हस्ताक्षर करके राज्यपाल महोदय को देंगे कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। हमने उस वक्त भी यह बात कह दी थी कि आप समर्थन वापस लें, यह आदेश आप दे रहे हैं, ठीक है परन्तु कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की बात हम स्वीकर नहीं करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस ने आपको कभी इनवाइट किया था क्या?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अखबारों में पढ़ा और आश्चर्य इस बात का हुआ कि जनता दल ने तो समर्थन मांगा ही नहीं और कांग्रेस तैयार हो गई कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। अखबारों के अन्दर न केवल माननीय जोशीजी का बयान आया, माथुर साहब का भी, देवपुरा साहब का भी जिक्र आया कि अगर जनता दल प्रस्ताव पास करता है तो हम दे देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा हमेशा कंडीशनल आया है कि हमें कहेंगे तो हम विचार करेंगे। न टेलीफोन किया, न चिट्ठी लिखी, न बात की।

श्री डूंगरराम पंवार : जोशीजी आपने यह नहीं कहा था कि आप अपना घर संभाल कर आओ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो साबित होती है कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात तो जरूर थी। वह कंडीशनल थी या कोई भी थी, जैसा आप कह रहे हैं, परन्तु यह बात तो सही है कि आप मिलकर सरकार बनाने की योजना बना रहे थे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने खुदने कहा है कि अपना घर संभालो पहले। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : कोई भी हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

और यह निवेदन करना इसलिए चाहूंगा कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब था घर संभाल आयें तो आप तैयार हैं

श्री हरिदेव जोशी : मैं इनकी हालत क्या है, जानता था। मैंने इनसे कभी भी बात नहीं की न टेलीफोन पर की, न कैसे की।

श्री चन्दनमल बैद : हम आपको हटाने के लिए तैयार थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अखबारों में छपी खबरों का खण्डन करते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इण्टरप्शन इतना हो रहा है, यह मैं भी क्या करूं। अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने उसके अनुरूप, हमारे त्याग पत्र समझ लो वापिस लिया उसके बाद हमारी बैठक, दल की बैठक 2 तारीख को हुई। 2 तारीख को दल की बैठक में कुछ माननीय सदस्य वहां उपस्थित थे और उस वक्त हमारे नेता नत्थीसिहजी के निवास स्थान पर हुई। उन्होंने हमको कहा कि एकजुट रहना है, एकजुट रहकर पार्टी के साथ काम करना है। यह भी कहा, जब हमारे सदस्यों ने पूछा कि क्या आपको कोई कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया, तो आपने जरूर कहा कि कुछ लोग बात करके गये हैं और हो सकता है कि आप लोग एक रहें तो हम कांग्रेस के साथ सरकार बना बना सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : यह जरूर कहा था कि ऊपर के आदेश की पालना की जायेगी। यह कभी नहीं कहा। व्यवधान

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहूंगा। बाकी यह बात जरूर है कि कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाने की बात जरूर गुपचुप हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2 तारीख को उसी बैठक में अधिकांश सदस्यों ने इस बात का विरोध करते हुए उस बैठक का बहिष्कार कर दिया और हम चल दिये। (व्यवधान) उसके बाद जब हम घर पहुंचे। व्हिप जारी करने की इन्होंने वहां बात कही तो हमने उनको वहीं मना कर दिया कि हम आपका कोई व्हिप स्वीकार नहीं करते हैं, न हम आपका व्हिप लेते हैं। (व्यवधान)

आप पूरी बात सुन लें। दूसरे दिन जब हम सवेरे उठे तो अखबारों में पढ़ा कि रात को 12 बजे, मध्य रात्रि को व्हिप जारी कर दिया गया है। अब यह इसलिए कहने जा रहा हूं टू करेक्ट दी रिकार्ड कि किस प्रकार से सारी कार्यवाहियां ...

श्री हरिदेव जोशी : अभी आपके जो प्रेसीडेन्ट हैं बोम्मई, उन्होंने आपको यह आदेश दिया क्या कि इसे विथड्रा कर लें ? या यह आदेश दिया कि आप झुक जायं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं उस पर भी आ जाऊंगा, बता दूंगा आपको।

हमने जब अखबारों में पढ़ा कि इस प्रकार की कार्यवाही गुप-चुप इन्होंने की है, हमने तुरन्त हमारे उस वक्त के सचेतक, स्पिलिट नहीं हुए उसके पहले की अर्ज कर

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहा हूं, भंवरलालजी सचेतक जो हमारे हैं उन्होंने तुरन्त उस वक्त के माननीय नेता महोदय को एक चिट्ठी लिख दी। और कहा कि आपने जो कार्यवाही की हैं व्हिप जारी करने की, वह आपने हमारे विधायकगण जो वहां मौजूद थे उनकी भावनाओं के विपरीत कार्य किया है। यह भी उन्होंने लिखा कि हम आपको नेता नहीं मानते हैं। जब हमने आपको नेता ही नहीं माना और हमने 3 तारीख को ही सूचित कर दिया कि आप हमारे नेता नहीं हैं तो 5 तारीख को हमको निष्कासित करने का औचित्य क्या है ? आप हमको निष्कासित कर सकते हैं ? (व्यवधान)

अब इसके पीछे जो भावनाएं हैं, अध्यक्ष महोदय, वह निवेदन करना चाहता हूं कि एन्टी डिफेक्शन जो बिल है, जो (10) शिड्यूल है अब इसके अन्दर जो सदन के नेता ने जो बात बताई सेक्सन (3) की।

डा. चन्द्रभान : आप सी. एम. को सी. एम. नहीं मानें तो क्या है ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसको किस प्रकार से वीशियेट किया जाय, किस प्रकार से डिफिट किया जाय। जब पूर्व नेताजी के नीचे से जमीन खिसकने लगी तो बैक डोर से कार्यवाही एक्सपेल की शुरू कर दी। अध्यक्ष महोदय, 5 पहले एक्सपेल कर दिए, कल मैंने सुना 4 कर दिए और आज शायद होते होते हम सारों को ही कर देंगे। इनका मकसद है वन थर्ड को कैसे डिफीट किया जाय, उस एन्टी डिफेक्शन के अन्दर वन थर्ड लिखा हुआ है। उस वन थर्ड को कैसे डिफीट किया जाय। इसके लिए यह बैक डोर से कार्यवाही की है हमारे पूर्व नेताजी ने। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रेकार्ड को करेक्ट करने के लिए जानकारी दे रहा हूं, एन्टी डिफेक्शन बिल का हवाला देकर कार्यवाही करना चाहते हैं वह इस पर लागू नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मेरा नाम लेकर बात कही गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नो प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो व्यवस्था दी है उस पर श्री नत्थीसिंह ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है मैं समझता हूं कि मेरी व्यवस्था दी जा चुकी है और मैं यह समझ रहा हूं कि मेरी बात सुन लीजिए ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या दी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मेरी व्यवस्था को चेलेंज करने का अधिकार किसी प्रावधान में नहीं है। लेकिन यह मानते हुए कि मेरी व्यवस्था के पीछे क्या कारण है वह कारण जानना चाहते हैं या उसके पीछे क्या लीगलिटी है। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मेरी बात सुन लें आप। इन्होंने जो यह कहा कि ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। बैठ जाय।

श्री नत्थी सिंह : इन्होंने जो कहा है उनकी बातों को साफ करने दीजिए। दिग्विजयसिंह जी ने मेरे बारे में और

(श्री नत्थीसिंह)

बोम्मई साहब के बारे में जो कहा है मैं उसको साफ करना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस के साथ कभी सरकार बनाने की बात नहीं कही है और कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा । यह गलत है । (व्यवधान

श्री अध्यक्ष : बैठे आप । उपदेश दे रहे थे हाउस की गरिमा का आसन पैरों पर है (व्यवधान)

माननीय सदस्य, हाउस की गरिमा रखने का अभी मेरे को बड़े-बड़े शब्दों में उपदेश दिया जा रहा था कि मुझे हाउस की गरिमा रखने के लिये निष्पक्ष होकर पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर अपनी बात कहनी चाहिए । लेकिन जब मैं पैरों पर खड़ा हूं तो सदन का नियम है कि जब आपके अध्यक्ष आसन पर खड़े हों तो न तो विपक्ष के नेता को अधिकार है कि वह खड़े होकर उनको टोकें, न लीडर आफ पार्टी जो पावर में हैं उसको अधिकार है और न आपको है मगर आप कर रहे हैं और मुझे उपदेश दे रहे हैं कि मैं गरिमा को रखूं । इसलिए आप

श्री नत्थीसिंह : आप सुनें तो सही ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं दो घण्टे से ।

श्री नत्थीसिंह : मेरी बात सुन नहीं रहे हैं । एक की सुन रहे हैं और दूसरे को मौका नहीं ।

श्री अध्यक्ष : 2 घण्टे से सुन रहा हूं यदि यह कोई चार्ज लगाए कि मैंने सुना नहीं तो मैं समझता हूं कि सारा राजस्थान इसका साक्षी है कि 11 से लेकर 1 बज रहा है, मैं आपको सुन रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह : मेरा नाम लेकर कहा है इन्होंने, मेरा पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेशन है । मौका ही नहीं दे रहे हैं । इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है, यह मेरा अधिकार है । (व्यवधान)

व्यवस्था

जनता दल (ग्रुप) विधायक दल को मान्यता

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

मेरी व्यवस्था सुन लीजिए । इस सम्बन्ध में ।

"सत्यम् ब्रूयात प्रियम् ब्रूयात्, न ब्रूयात सत्यम् अ प्रियम् ।"

इस सिद्धान्त को ध्यान में रखकर मेरे सामने जो सवाल है इस सम्बन्ध में 2 सवाल उठाए गए हैं । एक इसका सवाल उठाया गया है ग्रुप का रिकाग्निजेशन और एन्टी डिफेक्शन का । एन्टी डिफेक्शन और ग्रुप रिकिग्निजेंशन के सवाल को मिलाया जा रहा है इसलिए सबसे पहले एन्टी डिफेक्शन एक्ट के बारे में क्या लीगल व्यवस्था है वह (व्यवधान)

आप सुन लें । और उसके बाद आगे चलें । एन्टी डिफेक्शन एक्ट के बारे में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला पूरी बैंच का है उस फैसले के अन्दर उस हाई कोर्ट ने सैक्शन (7) जो बार आफ जुरिडिशन ऑफ दी कोर्ट्स था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया । केवल उसके खिलाफ में सैन्ट्रल गवर्नमैण्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई हुई है । बाकी के 10 शिड्यूल के सभी सैक्शन को पंजाब हाई कोर्ट ने अप-हैल्ड किया,

(श्री अध्यक्ष)

वेलिड किया है, कान्स्टीट्यूशनं माना है और उसका लम्बा चौड़ा फैसला देते हुए उन्होंने एन्टी डिफेक्शन एक्ट कब काम में आता है इस बारे में अपनी बातें कही है। वह मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं ...

"Now let us examine the matter otherway round as suggested by Mr. Shantibhushan. Suppose a split has taken place in the original party, given rise to a separate faction and more than 1/3rd of the members have chosen to form a group representing such a faction, the question arises—is there any cause for them to approach the Speaker ? In the para 6, the answer obviously would be in the negative. All that they need do would be to approach the Speaker and put up their claim and request him to make necessary corrections in the record.

When such a claim is made by no stretch of reasoning it can be said that a question has arisen as to whether they have become subject to disqualificaction under the 10th Schedule. The Speaker, therefore, would have no jurisdiction to take cognizance of any dispute under para 5 nor to render any decision. Instead, he has to accept the claim as it is. The procedure has to be adopted because the entries in the record maintained under para 8(1)(A) have to be corrected and cease to be allotted to the new group by virtue of the power conferred on the speaker under rule (4) of Chapter II of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

When the members claim to have formed a separate group, they would obviously be deemed to have voluntarily given up the membership of their political party within the meaning of Clause (A) Para 2(1). If some interested party feels that thereby they have incurred the disqualification, it is he who has to approach the Speaker under para 6 and it would be then that a queetion can be said to have arisen as to whether a member of House has been subject to disqualification and the speaker would be ceased of the matter. If no one challenges the claim of the members who have formed a new group, the provisions of para six would not be come into operation, nor the Speaker would be beseized of any question relating to the disqualification of any member of the House. The action of the Speaker which he is required to take when a claim is made under para 3(3) would not, therefore, be any order under para 6 and would be only an executive action on his part in exercise of his power under rule 4 and 113 of the said rules. Moreover, as already stated above, the provisions of para 3 are in exception to para 2 and provided a

(श्री अध्यक्ष)

defence to a member who is alleged to have incurred a disqualification, it is a thing of common knowledge that no one can approach a judicial or quasi-judicial authority for adjudication upon his defence because unless someone alleges that he has committed the wrong, no cause of action would arise for filing the defence or seeking an adjudicication thereon."

इन्होंने अभी परसों अपनी राय दी है।

Anti-defection law of 10th Schedule to the Constitution and the rules framed thereunder do not provide for the expulsion of a member from his party for his activities outside the House nor do they provide for anything like an unattachment. there is nothing like unattachment. This is new

श्री नत्थीसिंह : ये स्पीकर से ऊपर है ?

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिए।

This nomenclature unattached member is a new one.

असम्बद्ध सदस्य शब्द नया है और इसके पीछे अभी परम्पराएं बनी नहीं है। यह स्टार्टिंग है। जब परम्परा बन जाएगी, अनअटैच्ड (असम्बद्ध) सदस्य की परम्परा स्वीकार हो जाएगी तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा। अभी तो यह शुरूआत है, इसकी बिगनिंग हुई है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट में माननीय स्पीकर ने 25 सदस्यों को अनअटैच्ड सदस्य घोषित करने के बाद भी इनको वोट देने के लिये सीटिंग का अरेंजमेंट हाउस में किया था। (व्यवधान)

सुन लीजिए।

They have took part.

इसका मतलब साफ है कि आज के दिन एन्टी-डिफेक्शन एक्ट के बारे में मेरे से कोई क्लैरीफिकेशन मांगना न न्यायोचित है, न उचित है और न मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बात कहने जा रहा हूं। जहां तक एन्टी-डिफेक्शन का सवाल है समाप्त हो गया।

दूसरा सवाल जो मेरे सामने है वह है रिकोग्नाईजेशन आफ ए ग्रुप ऑफ ए पार्टी जैसा कि लीडर ऑफ हाउस ने आपको पढ़ कर सुनाया है। हमारे इस तरह के कोई रूल्स नहीं है। केवल पेन्शन रूल में डिफाइन किया गया है। पोलिटिकल पार्टी की ओर ग्रुप को। ग्रुप के लिए लिखा है। Association of the Members पार्टी के लिए लिखा है। more then quorum that is more than 20 यदि हो तो पार्टी है और उसमें जैसा और जगह आया है पार्टी के अपने सिद्धान्त होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए, वह सारी बातें उसमें आई हैं। चूंकि मैंने यह ग्रुप रिकोगनाइजेशन इसलिए किया है कि मैंने इस को अभी पार्टी रिकोगनाइज्ड नहीं किया। क्योंकि उसके क्या विधान है, उसकी क्या प्रक्रिया है यह मेरे सामने अभी आई नहीं है। इसलिए I have simply recognised it as a group. जहां तक माननीय सदस्यों ने

(श्री अध्यक्ष)

उदाहरण दिया था पिछली बार नवरंग सिंह जी, यदुनाथ सिंह जी का। उस समय जो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष थे उन्होंने यह रूलिंग दी मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

एक सूचना है माननीय सदस्य, एक सूचना है। राजस्थान विधान सभा में लोकदल के सदस्यों के बारे में घोषणा है– "यह माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा लोकदल के नेता ने मुझे यह सूचना दी है कि श्री यदुनाथ सिंह और श्री नवरंग सिंह उनके दल के सदस्य नहीं रहे। मैं उनको सीट संख्या 135, 136 आवंटित करता हूं।" दिस इज दी डिसीजन। इसका क्या मतलब यह हुआ कि माननीय नत्थी सिंह जी मेरे से यह चाहते थे कि जिन पांच सदस्यों को उन्होंने अपनी पार्टी से अलग किया है उनको व अपनी पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहते। मैंने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और उन पांचों सदस्यों को अलग से सीट दे दी है। (व्यवधान)

इससे ज्यादा मेरे सामने कोई सवाल अभी नहीं है। अभी मेरे सामने इतना ही सवाल है हाउस में इससे पहले भी 85 में 11 आदमियों के ग्रुप को रिकोगनाइजेशन मिला था जिसके अध्यक्ष श्री मोहन लाल छंगाणी थे और इस तरह की व्यवस्था है कि सदस्य यदि कोई भी ग्रुप बनाए तो वह अपनी रिस्क पर बनाते हैं। एन्टी-डिफेक्शन एक्ट को वे इन्वाइट करते हैं। इट इज देयर रिस्क। लेकिन मैं उसमें मना नहीं कर सकता और इस सम्बन्ध में रूलिंग भी है। (व्यवधान)

"Recognition of an association of Members as a Parliamentary party or group for the purpose of functioning in the House is accorded only by the Speaker and his decision in the matter is final. The Speaker on his own initiative does not accord this recognition but a formal request has to be made to him in this regard by the Members concerned. In submitting a written communication to him the association of Members in question have to show that they satisfy all the conditions set-forth for the purpose of recognition either as party or as a group. The signatures of all the Members concerned have to be appended there to."

मैंने यह सारी फोरमल्टीज कर ली। उनके पूरे दस्तख्त ले लिए। सबसे अलग लिखकर ले लिए और यह फारमल्टी उन्होंने पूरी कर दी। मेरे सामने जो भी आया अपना ग्रुप मैंने रिकोगनाइज कर लिया। उसका एन्टी-डिफेक्शन एक्ट पर क्या अन्तर पड़ेगा।

I am not at all concerned with it

लेकिन एक बात में निवेदन चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जब आप कहते हो यह बड़ा गंभीर मसला है, भविष्य के लिए हमारे सामने एक नई चीज पैदा होने वाली है। एन्टी-डिफेक्शन एक्ट की मंशा यह है कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी किस प्रकार से

(श्री अध्यक्ष)

चले और गवर्नमेंट चलाने वाली पार्टियों में डिसिप्लेन रहे और हमारे माननीय सदस्यों को करप्शन करने का अधिकार नहीं मिले। इसीलिए एन्टी-डिफेक्शन एक्ट आया। इस एन्टी-डिफेक्शन एक्ट के प्रोविजन को किसी को भी इनलोव्ड करके, फ्राड करके, चीटिंग करके, तोड़-मरोड़ करके उसमें से गली निकालने का अधिकार नहीं है। न तो यह अधिकार किसी सदस्य को है और न यह अधिकार किसी पार्टी को दिया जा सकता है। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन यह है कि और इससे भी ज्यादा बात यह है कि इस प्रकार का ट्विस्टिंग या इस तरह की कोई बात करने में स्पीकर को हथियार बनाया नहीं जाना चाहिए और स्पीकर को हथियार बनाया भी नहीं जा सकता। अब मैं आपको मेरे मैथेमेटिक्स की बात बताता हूं। आप इसमें नाराज मत होना। मेरे पास 20 आदमी आए। 20 आदमी आने के 2 दिन पहले आपने मुझे सूचना दी। सूचना दी तो सीटिंग अरेंजमेंट के लिए सेक्रेटरी ने इनसे बात की। जब सेक्रेटरी साहब ने बात की तो पूरी जनता दल की बात थी उसमें 50-55 का सवाल नहीं था। पूरा जनता दल जैसा था। आपने कहा यह अरेंजमेंट कर दीजिये। नेक्स्ट डे मेरे पास फाइल आई। सेक्रेटरी जी ने उस पर नोट लगाया कि मेरी नत्थीसिंह जी से बात हो गई और मैंने आपसे फोन किया कि आपके और सेक्रेटरी की बात हो गई। पूरे जनता दल बैठाने का अरेंजमेंट है उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? आपने कहा कोई आपत्ति नहीं है। जो हो गया सो हो गया।

श्री नत्थीसिंह : आपने 55 की बात नहीं की। + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां अर्थमेटिक आती है। जब मैंने अपना माइन्ड अप्लाई किया तो मुझे अर्थमेटिक में जाना पड़ा कि 20 आदमियों ने जब रिकोगनाइजेशन के लिए दिया उसके बाद में नत्थीसिंह जी मेरे से मिले और कहा कि इन 5 को अनअटैच्ड घोषित करिए। तब तक मैं नहीं समझा, इनकी अर्थमेटिक मेरे समझ में नहीं आई। (व्यवधान)

पहले मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद में नेक्स्ड डे 2 आदमी और जुड़ गए तब इनका एक पत्र और आया कि हमने 4 को और निकाल दिया। तब मेरी समझ में अर्थमेटिक आई कि उन्होंने 5 को इसलिए निकाला कि 20 में से 5 चले गए, रह गए 15·55 में से 5 चले गए रह गए 50, 1/3 नहीं रहे। फिर जब देखा कि 2 बढ़कर 17 हो गए तो 1/3 रह गए 4 को और निकाल दिया। तो 17 में से 4 गए तो रह गए 13 और उधर रह गए 41, फिर वह 1/3 में कम रह गए। तब मेरी समझ में आया। इस मैथेमेटिक्स में मैं अपनी साख नहीं डाल सकता। (व्यवधान)

एज ए स्पीकर मैं ईमानदारी से पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर हिन्दुस्तान के संविधान की आत्मा को मेरी कोंसियस पर रखकर मैंने यह निर्णय दिया है और मैं समझता हूं कि मेरी यह व्यवस्था इस मामले में अंतिम है। और अब आगे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मरथीसिंह : यह आपका अन्याय है। यह जो व्यवस्था होगी, चेलेंज होगी। और आपकी व्यवस्था को गलत साबित करेंगे। (व्यवधान)

हम अपनी अन्तरात्मा को जागृत करने का कष्ट करेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : मैं आपसे पहले खड़ी थी।

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। मैं पाइन्ट ऑफ ऑर्डर वालों को मना नहीं कर सकता। इस सब्जेक्ट पर ही जिस सब्जेक्ट पर वह प्रस्ताव मूव कर रहे हैं उसी पर यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास ; पहले मैं बोल लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा एक अविश्वास का प्रस्ताव आपको प्रेषित किया जा चुका है। कृपया नियम 132 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इन नियमों के तहत (व्यवधान)

आप बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ बिजनेस में सब नियमों के अन्दर आप बिराजमान हैं। कन्सेन्ट आफ दी स्पीकर सब जगह लिखा हुआ है लेकिन वह रूल 132 ऐसा है कि जहां पर आपका कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आप आसन पर बिराजमान हैं और आपको रेग्यूलेट करना पड़ेगा इससे।

"A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions namely :—

(a) leave to move the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon.

(b) the member asking for leave shall, before the commencement of the sitting for that day give to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move."

अध्यक्ष महोदय, इसका पहला पार्ट यह कहता है कि जो बैठक शुरू होगी उसके पूर्व सचिव को नोटिस देना पड़ेगा। सचिव को नोटिस टाइम पर दे दिया। उसके बाद प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात जब लिस्ट ऑफ बिजनस में एण्टर करेगा हाउस तो इसमें आपकी कहीं कन्सेन्ट की जरूरत नहीं है। पहले यह मोशन आएगा यह रूल के अन्दर क्लियर लिखा हुआ है।

"Leave to move the motion shall be asked for after questions and before the list of business for the day is entered upon.

अब नम्बर दो यह आता है "If the Speaker is of the opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

rise in their places, and if not less than one-fifth of the total number of members rise, accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten clear days, from the date on which the leave is asked for as he may appoint. If less than one-fifth of the total number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not got the leave of the House."

तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि बैठक शुरू होने से पहले नोटिस की सूचना सचिव को दी जाएगी और बैठक शुरू होने के पहले जब नोटिस की सूचना दी जा चुकी है तो क्वेश्चन ऑवर आज अपना सस्पेण्ड हो गया। लिस्ट ऑफ बिजनस में अब अपन एण्टर कर रहे हैं। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज के हिसाब से आबीट्यूअरी रेफरेन्सेज और पेपर शुड बी लेड डाउन आन दी टेबिल ऑफ दी हाउस, लिस्ट ऑफ बिजनस के अन्दर नहीं आता है, लिस्ट ऑफ बिजनस में एण्टर करने से पहले नो कान्फीडेंस मोशन पर स्पीकर की कन्सेन्ट की कोई जरूरत नहीं है।

You only have to see that the motion is in order.

तो अगर मेरा मोशन आर्डर में नहीं है तो आप वह व्यवस्था फरमाएं अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप लीव के लिए हाउस की टेबिल पर रखें और 1/5 मैम्बर अगर राइज होता है तो लीव ग्राण्टेड हो जाएगी उसके बाद आप आते हैं पिक्चर में कि इस पर डिबेट कब रखी जाए। उसमें वह प्रोवाइडेड है नोट मोर देन टेन डेज, दस दिन की अवधि मैग्जीमम है। वह ठीक बात है। तो पहले पार्ट में तो, अध्यक्ष महोदय आपको कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स ही नहीं है। आप कहीं पर बीच में नहीं आते हैं। आपको कोई पावर्स वेस्टेज नहीं है। इस किताब के अन्दर, इस रूल्स के अन्दर, सब रूल्स के अन्दर आपको कोई पावर्स होगी लेकिन एक रूल्स 132 के अन्दर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई आप्शन नहीं है, कोई पावर्स नहीं है। आपको हाउस के अन्दर रखना पड़ेगा और लीव ग्राण्ट करने के लिए वोटिंग लेना पड़ेगा। 1/5 मैम्बर अगर राइज करते हैं तो आपको ग्राण्ट देनी पड़ेगी। अब अध्यक्ष महोदय आगे चलें।

The Speaker shall, at the appointed hours on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

अब यह मोशन आज आया है, जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के पहले सरकारी मुख्य सचेतक के नाम से था।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में और किसी को कुछ पूछना है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मैं बोल रहा हूं। आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं इसका सारा मैटीरियल

(श्री अध्यक्ष)

कल मैंने प्रद्युम्न सिंह जी को दिया वह ही आप बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा भाषण दिया हुआ मान लिया जाए, आपका निर्णय सुना दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए, रिकार्ड पर आ रही है। आप कहो तो मैं रिपीट कर दूं।

Should I repeeat what you have said ?

आपने जो कहा रिपीट कर दूं। तब आप मान लेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : करिए।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे यह कह रहे हैं आपका जो नो कान्फीडेंस मोशन है वह इन आॅर्डर है। मेरे को कोई अधिकार नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। आप 132 का हवाला मुझे दे रहे हैं उसकी प्रक्रिया में लीव लेना जरूरी है और इसमें दस दिन का तो समय है मगर वह मैग्जीमम है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो बाद की बात है।

श्री अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं वह मैं रिपीट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आगे का सुनो।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुन रहे हैं तो आप समझने की चेष्टा कीजिए। लीव के विषय में आपका कोई डिस्क्रिशन नहीं आता। यह एक ऐसा मोशन है जिसमें आपकी कन्सेन्ट जरूरी नहीं है और यह आपके लिए आब्लीगेटरी है, मेण्डेटरी है कि लिस्ट आॅफ बिजनस शुरू होने से पहले अगर नोटिस सैक्रेटरी को हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले दे दिया गया है तो उसी वक्त लिस्ट बिजनस में एण्टर करने से पहले रखा जाएगा यह बहुत क्लियर है, आप समझ लें। हाउस के बिजनिस को देखते हुए मैग्जीमम दस रोज के अन्दर नो कान्फीडेंस मोशन को विचारार्थ रखा जाए। अब आप अध्यक्ष महोदय, इसको तवज्जोह दें। मुख्य विषय आज जो विचारार्थ इस सदन के अन्दर हैं और आज जाकर के यह बात कहने वाले हैं कि सदन को विशेष रूप से इसीलिए आहूत किया गया है वह है वोट आॅन कान्फीडेंस का मोशन। वोट आॅन कान्फीडेंस का रूल्स में कहीं हवाला नहीं है। 119 इसको रेग्यूलेट करेगा।

अब अध्यक्ष महोदय एक बात यह देख लीजिए कि "Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker. Notice of a motion shall be given in writing addressed to the Secretary. Condition of admisibility of motion.

124 says : "The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

for the discussion of any such motion."

अब अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आई है कि वोट ऑफ कान्फीडेन्स के मोशन का रूल्स में कोई हवाला नहीं है। वह 119 रेगुलेट करेगा उसका और 132 का क्लियर वोट आफ नो कान्फीडेन्स का प्रोवाइडेड फोर है। आपको अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो मसला चल रहा था यहां पर उस मसले में लोक सभा के अध्यक्ष की आपने अनुपालना नहीं की और मैं यह समझता हूं कि संवैधानिक रूप से हालांकि मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि आपने अनुपालना क्यों नहीं की लेकिन संवैधानिक रूप से मैं सही मानता हूं। मैं लोक सभा के निर्णय से सहमत नहीं हूं और मैं इसको संवैधानिक नहीं मानता। परन्तु अब अध्यक्ष महोदय, इस इश्यू के अन्दर भी लोक सभा के नियमों का हवाला देंगे तो मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोक सभा की कोई भी व्यवस्था आपके ऊपर बाईंडिंग होने का सवाल नहीं है लेकिन आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। कब डालेगी जब पर्टीकूलर सबकी लैंगवेज और हमारे सबकी लैंगवेज एक हो ऐसा तो नहीं हुआ है कि सदन में कोई प्रस्ताव पारित कर दिया हो कि जो भी लोक सभा के नियम से उनको हम एडाप्ट कर लेते हैं। हमारे यहां रूल्स आफ बिजनिस बाकायदा अलग बने हुये हैं अब आप लोक सभा के 198 को पढ़ें मैं समझता हूं लोक सभा के रूल्स आपके पास उपलब्ध होंगे।

"198. (1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions namely :"

अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स में जो प्रोवाइड है वह यह है।

"(a) leave to make the motion shall be asked for by the Member when called by the Speaker"

यहां फिर भी स्पीकर को डिस्क्रिशन दिया जाता है कि When called by the Speaker.

और अध्यक्ष महोदय, हमारे नियमों में जहां तक लीव का मसला है स्पीकर को कोई पावर्स नहीं है स्पीकर को कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि स्पीकर काल करेगा, स्वतः लिस्ट आफ बिजनिस में एन्टर करेगा, हाउस में इससे पहले लीव के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर 1/5 मैम्बर्स खड़े होते हैं तो आपको देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, (b) the members asking for leave shall, before the commencement of the sitting for that day give, to the Secretary-General a written notice of the motion which he proposes to move.

(2) If the Speaker is of opinion that the motion is in order,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than fifty members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is asked for as he may appoint. If less than fifty members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House."

अध्यक्ष महोदय, वोट ऑफ कान्फीडेन्स का प्रोविजन वहां के रूल्स में भी नहीं है वहां भी 184 से 190 में रूल में रेगुलेट करेंगे

"Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

185. Notice of a motion shall be given in writing addressed to the Secretary-General.

186. In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions...."

यह अलग है, अध्यक्ष महोदय।

187. The Speaker shall decide whether a motion or a part there of is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part there of when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of House or is in contrvention of these rules.

188. No motion which seeks to raise discussion on a matter is pending before any statutory tribunal ...."

189. अध्यक्ष महोदय आप देखें।

"189. If the Speakr admits notice of a motion made and no date is fixed for the discussion of such motion, it shall be immediately notified in the Bulletin with the heading : "No–Day-Yet—Named–Motions."

190. The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consulation with the Leader of the House, allot a day or days or part of day for the discussion of any such motion. (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अध्यक्ष महोदय, प्लेन एण्ड सिम्पल दो चीज सामने आती है रूल्स की लोकसभा में और हमारे यहां पर करीब-करीब एक सी ही है पोजिशन सिटिंग के पहले सेक्रेटरी को नोटिस देना, उसके बाद जो फर्क मोटा है वह यह है कि वहां पर स्पीकर को डिस्क्रिशनरी पावर है कि स्पीकर जब कोल, करेगा तब मेम्बर उस मोशन को रखेगा वहां तादाद दी हुई है कि 50 मेम्बर्स राइज होने चाहिए। हमारे यहां पर 1/5 उसमें प्रेसक्रमाइब किया हुआ है। बाद में वही मसला है वह सब्सिक्वेंटली बाद की स्टेज पर आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आप कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें कि जो 52 अमेण्डमेंट कान्स्टीटयूशन के अन्दर हुआ है। 52 अमेंडमेंट के अन्दर मूल भावना यह रही है कि पोलिटिकल पार्टीज में डिसिप्लेन कायम हो, जिस आइडियोलोजी को सब्सक्राइब करके कोई आदमी जीतकर आये उस आइडियोलोजी को स्ट्रिक्ट करें और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो और पोलिटिकली स्टेबिलिटी कन्ट्री के अन्दर हो। अध्यक्ष महोदय, उस विचारधारा के आधार पर सिम्पल अर्थमेटिक जो पोलिटिकल पार्टी की प्रोजिशन है हाउस के अन्दर होती है इसमें चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुःख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि 95 मेम्बर्स कांग्रेस के, 86 बी. जे. पी. के दोनों को एलिबिलेट करने के बाद कोई गणित दुनियां के अन्दर नहीं हो सकता जिसके आधार पर कोई प्रधान मंत्री अपना बहुमत सिद्ध कर सकता था। लेकिन ठीक है वहां पर उनको एक मौका दिया गया वही यहां दिया गया। 50 आदमी कांग्रेस के, 55 जनता दल के। तो 50 और 55 से 105 होते हैं। ऐसी कौनसी गणित है कि बिना दल बदल कराये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को अलग-अलग ही रखें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विषयान्तर हो रहे हैं भ्रमित हो रहे हैं। यह पाइन्ट आफ आर्डर का इनको पता नहीं है। आपने बोलना शुरू किया था कान्फिडेंस मोशन पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप भावना को समझिये। वोट आन कान्फिडेंस का कहीं प्रोविजन नहीं है। जो बात कही जायेगी आप सम्भवतः अपनी रूलिंग में यह भी कहने की चेष्टा करेंगे

श्री अध्यक्ष : Why anticipate you my rulting आप अपनी बात कहिये। मैं अपनी कहूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अपनी .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरी डिस्कशन को एन्टीसिपेट करेंगे तो जैसा आपने कहा कि मैं तैयार कर रहा था (व्यवधान)

यह सेशन विशेष तौर से वोट आन कान्फीडेंस के लिए बुलाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे विधायी जीवन में न तो कभी सुना न कभी देखा। कोई सेशन प्राइवेट बिजनिस के लिए बुलाया जाता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हो। वह तो हमेशा गवर्नमेंट बिजनेस के लिए बुलाया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको इस पाइन्ट पर बोलना है तो मैं आपको चान्स दूंगा। Please hear him first आप सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था ऐसा कोई सैशन नहीं होता जों लेजिसलेचर का सैशन बिना गवर्नमेंट बिजनस के बुलाया जाता हो। इसलिए यह कहना कि यह सैशन स्पेसिफिकली इस परपज के लिए बुलाया गया है। हर सैशन गवर्नमेंट बिजनस ट्रान्जेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है और गवर्नमेंट के बिजनस के अन्दर ही वोट आफ नो कान्फीडेंस का मोशन, एडजोर्नमेंट मोशन, जिस प्रकार के मोशन इनरूल्स में प्रोवाइडेड फोर हैं उन्हें गवर्नमेंट टाइम में से निकाल कर देना पड़ता है। यह रूल्स में प्रोवाइडेड है। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। आब्जेक्ट क्या है? आब्जेक्ट यह है कि जनता दल में स्पिल्ट हो चुकी है। जनता दल में स्पिल्ट हो जाने के बाद अब 85 आदमी बी. जे. पी. के हैं और 22 आदमी जनता दल के विभाजन में हुये तो 107 आदमी साफ हो गये। विश्वास मत तो आपको प्राप्त हो ही जायेगा। सवाल यह है कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव का एक सशक्त माध्यम रूल्स के अन्दर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव मूव करने से विपक्ष गवर्नमेंट को सेन्श्योर करता है, गवर्नमेंट की फैल्योर हाई लाईट करता है। उसको आप प्रि-एम्प्ट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब बहुत हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट देंगे? सुभाष कश्यप की खुद आपने प्रसंशा की है उसको मुझे तो रेफर करने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा। If I speak is irrelevant, you are within your rights, to ask to take my seat.

लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह समय की सीमा ...

श्री अध्यक्ष : You are speaking relevant but sometimes you are repeating.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. I am not repeating.

श्री अध्यक्ष : Please give new points.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं ध्यान रखूंगा। मैं रिपीट नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी वोट आफ नो कान्फीडेन्स आयेगा उसको प्रि-एम्प्ट किया जा सकता है वोट आफ कान्फीडेन्स लाकर। अध्यक्ष महोदय, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। शकधर की पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की किताब 1990 के एडीशन को पढ़ रहा हूं जो इसके अन्दर कोट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने टेलीफोन से आपको निवेदन किया था, मैंने सचिव महोदय को भी सुझाव दिया था। यह किताब आप दिल्ली से मंगवा लीजिए। यहां उपलब्ध नहीं है लेकिन इसमें ही पढना पड़ेगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"When leave of the motion for moving of a motion no confidence motion has been granted, no substantive motion on policy matter is to be brought before the House by the House till the motion of the no confidence is disposed off."

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है। (व्यवधान) तो अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कह रहा था कि मेरे सीनियर गोविन्दसिंह जी से कि आज महावीर जी नजर नहीं आये गैर जिम्मेदारी की बात करने वाले और हल्ला-गुल्ला करने वाली बात। तो कृपा करके आप मेरे जिले के हैं। कम से कम आप भी कृपा रखें। पांच मिनट शांति रखें। कोई बेवकूफी की बात हो तब आप भाग लेना उसके अन्दर। तो अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो यह मोशन है इसके दो पार्ट हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनः निवेदन करूंगा कि You have to strictly stick to the rules.

और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपके पास डिस्क्रिशन ही नहीं है। इसलिए आप कोई भी बिजनस नहीं ले सकते। अन्त में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात रिपीट करके ....

श्री अध्यक्ष : समझदार आदमी शब्दों पर नहीं जाते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। Leave to move the motion shall be asked for after question.

"May be asked for" नहीं है, अध्यक्ष महोदय "and before the list of business of the day is enteaed upon."

अध्यक्ष महोदय, सौभाग्यवश हमारे राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सांसद माननीय गुमानमल जी लोढा दीर्घा में बैठे हुए हैं। आप उचित समझे तो चैम्बर में जाकर उनसे सलाह कर लें। लेकिन उससे आप डिपार्चर कर नहीं सकते। आपको लीव के लिए तो रखना ही पड़ेगा। आप इसको लिस्ट आफ बिजनस में एन्टर ही नहीं कर सकते। यहां रूल्स के साथ चलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : वह कल पार्लियामेन्ट में बैठे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पार्लियामेन्ट में अलग है नो, नोट अध्यक्ष महोदय, आपका 198 कहता है "Leave for the motion shall be asked for by the member when called by the speaker."

वहां स्पीकर काल करेगा। यहां स्पीकर काल नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स की मंशा स्पीकर के विवेक पर नहीं छोड़ी है, स्पीकर को कोई पावर्स नहीं देता है। विवेक पर नहीं छोड़ा है। वह तो आयेगा ही आयेगा। स्वतः आयेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्टेज पर विचार करना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होगा। टाइम निकाला जाये। दस दिन का ही है इसमें। वोट आफ कन्फीडेन्स का जो मोशन है, अध्यक्ष महोदय, वस सब्स-टेन्सिव मोशन है। उसमें भी यही है कि स्पीकर विथ कन्सल्टेशन आफ विद दी लीडर आफ दी हाउस और लिस्ट आफ बिजनेस देखकर उसको तय करेगा और वोट आफ नो-कन्फीडेन्स का भी वही है। तो आप हाउस का सेन्स लेकर बाद में डिसाइड करेंगे लेकिन पहले आपको लीव के लिए मोशन रखना पड़ेगा और आप लिस्ट आफ बिजनस में एंटर नहीं कर सकते। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप रूल्स से डिपार्ट नहीं करेंगे और इस पर आप अपनी व्यवस्था फरमायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वैरी पूअर परफार्मेन्स।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महावीर जी, अभी आप लम्बी बहस में बैठे हैं, आप क्यों इन्टरप्ट कर रहे है। वह बोल रहे हैं। श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो संक्षेप में केवल एक ही पाइन्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने यह सत्र एक स्पेसिफिक परपज के लिए बुलाया है और उन्होंने रूल्स आफ बिजनेस के अन्दर बता दिया है कि आज क्या काम होगा यह उन्होंने उसके अन्दर हम लोगों को जो नोटिस आया है उस नोटिस के अन्दर राज्यपाल महोदय ने बता दिया है। अब जबकि हमारे सामने एक ही स्पेसिफिक परपज है कि मंत्रिमण्डल के अन्दर सदन का विश्वास प्राप्त करने का है। इस सिलसिले में जो प्रेक्टिस एण्ड प्रासीजर आफ पालियामेन्ट बाई कौल एण्ड शकधर है, जिसका जिक्र किया है उसके दो सेन्टेन्सेस में आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस किताब के पेज 578 पर है:

"When notice of t' e Government motion and a private member notice are received on the same subject and Government motion is admitted and private members motion is disallowed"

यह बहुत ही क्लियर है। यदि मान लीजिए प्राइवेट मोशन आ भी गया है यहां पर और उसी सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेन्ट मोशन है और गवर्नमेन्ट मोशन बहुत पहले नोटिस के अन्दर बता दिया गया है इनके नोटिस से भी पहले तो गवर्नमेन्ट का जो मोशन है उस मोशन को कन्सीडर किया जायेगा, दूसरे को नहीं कन्सीडर किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर देता हूं कि वोट आफ कान्फीडेंस और वोट आफ नो-कान्फीडेंस दोनों एक ही चीज है। वोट आफ कान्फीडेंस का परिणाम वोट आफ नो-कान्फीडेंस भी हो सकता है और नो-कान्फीडेंस का परिणाम कान्फीडेंस हो सकता है। इन दोनों शब्दों में कहीं भी यदि कोई विवाद चल रहा है तो वह केवल मात्र थ्योरटिकल विवाद है। दोनों बातें एक ही हैं। इसलिए जबकि यह कान्फीडेंस का मोशन आ चुका है तो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मैं उसी पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस की किताब से एक और सैन्टेन्स आपको निवेदन करना चाहता हूं उसमें लिखा है, यह पेज 591 पर है :

"On 4th September, 1974 in regard to a notice of motion of no confidence tabled by a member for the second time in the session the Speaker observed that such a motion cannot be .. .... "

श्री **देवेन्द्रसिंह** : आप कह रहे हैं कि मोशन आफ कान्फीडेंस और मोशन आफ नो-कांफीडेंस में कोई फर्क नहीं हैं तो फिर नो-कान्फीडेंस का मोशन रहने दीजिए। फिर क्या बात है।

श्री **रमाकान्त शर्मा** : आप बीच में इन्टरप्ट क्यों कर रहे हैं ? राज्यपाल ने लिखा है Such a motion can not to taken up.

तो बात यह थी कि दस दिन के अंदर भी लिया जाये। यह सत्र एक्सटैण्ड भी होता है तो इसमें इसी प्रकार का बिजनेस दुबारा नहीं लाया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कान्फीडेंस मोशन के बारे में जो सरकारी एकमात्र स्पेसिफिक परपज है वही लिया जाय।

श्री **अध्यक्ष : श्री** विश्नोई जी।

श्री **पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, विचारणीय विषय यह है कि आज विचारार्थ जो विश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा है सत्ताधारी दल ने वह स्वीकार किया जाये या जो विपक्ष ने नो-कान्फीडेंस मोशन रखा है उसको लिया जाये। जैसा कि थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा दोनों का मायना तो एक ही है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नियमों के अन्दर विश्वास मत प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा यदि कोई प्रस्ताव आता है तो नियम 119 के अन्तर्गत आता है लेकिन संसदीय परम्परायें हमेशा यह रही है कि यदि किसी समस्या के लिए या किसी विषय के लिए नियमों में प्रावधान हो तो वही माध्यम अपनाया जायेगा और विश्वास के लिए 132 नियम है और 119 के अन्दर यदि हम प्रस्ताव लाते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं क्योंकि विश्वास मत का कोई प्रावधान तो है नहीं, अगर सरकार में विश्वास नहीं है सदन का तो दो विकल्प हो सकते हैं। एक तो सत्ताधारी दल है उसका नेता अपना त्याग पत्र दे दे और दूसरा विकल्प यह है कि वह अगर ऐसा नहीं करता है, इस्तीफा नहीं देता तो विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव ले आये।

कुछ दिन पहले उनके सहयोगी दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसलिए जनता में भी यह भ्रांति हो गई, राज्यपाल ने यह सोचा कि शायद मंत्रीमण्डल ने अपना विश्वास खो दिया हो इसलिए सदन आहूत किया। सदन आहूत, जैसा आप कह रहे हैं, राज्यपाल ने, अपने नोटिस में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ आहूत किया है। यदि आपके समक्ष कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, तो सोच सकते थे, उनकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए विश्वास मत का प्रस्ताव दे दे लेकिन....

श्री रमाकान्त शर्मा : राज्यपाल महोदय ने पहले आदेश दिया है कि विश्वास प्राप्त करें और उसके बाद सदन आहूत किया है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यदि नियमों के अन्दर कोई प्रावधान नहीं हैं तो जिस माध्यम का नियमों के अन्दर प्रावधान है, उसकी प्रायोरिटी रहेगी। आप 119 कहते हैं तो मैं 119 नियम पढ़कर सुनाता हूं। वह इसमें पूरा लागू नहीं होता क्योंकि—It shall be restricted to a matter of recent occurrence.

आकरेंस तो यह था कि जनता दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया जो विश्वास प्रस्ताव रखा है, उसके अन्दर आपने उसका उल्लेख किया है क्या कि किसलिये आप विश्वास मत प्राप्त कर रहे हो तो जिस नियम के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है उसके सब नियम 4 की अवहेलना होती है। उसके बाद में It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session.

आपने जो प्रस्ताव दिया है, उसको हम इस तरह से लेते है कि क्योंकि आपको यह भय था कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लायेगा इसलिए उसकी आड़ी रोक लगाने के लिये आपने इस तरह का दिया है तो ऐसा नियमों के अन्दर कर नहीं सकते कि जिस विषय के बारे में सदन में चर्चा होती उसको अबोर्ट करने के लिये, उसको रोकने के लिये आपने यह प्रस्ताव दिया है।

तीसरा इसमें यह है, 122 में आगे से आगे यह चलता है "or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

जब रूल्स के अन्दर प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, यह टैस्ट किया जायेगा तो आप दूसरे माध्यमों का उपयोग नही कर सकते। और उसका यह होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। जोइंट प्रस्तुत किया जाता है। अगर उसका प्रारूप ठीक है तो अध्यक्ष महोदय उसको सदन के समक्ष पढ़ते है। यहां पढ़ने को क्या है? नोटिफिकेशन में तो कुछ दिया नहीं।

अध्यक्ष महोदय पढ़ कर सदन के समक्ष रखेंगे। उसके बाद में माननीय सदस्यों को कहेंगे कि इतनी जो सीमा है 1/10 या 1/5 खड़े हो और उसके बाद में चर्चा का कोई समय लिया जाय। लेकिन मान लीजिये कि अगर 119 में विश्वास मत टैस्ट कर लेने लग जावेंगे तो किसी को ऐसी कोई बाधा नहीं आती है. अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्ताव रख दिया। हम सब गैर-हाजिर हैं, विपक्ष भले ही इधर-उधर गये हुए हों, प्रस्ताव रख दिया कि यह सदन अपना विश्वास व्यक्त करता है इस मन्त्रिमण्डल में। उसी वक्त उस पर चर्चा हो गई। चर्चा हो करके विश्वास मत आपने प्राप्त कर लिया। हम दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे तो इस सदन के अन्दर ऐसे नियम है और आपने भी व्याख्या की थी कि यदि किसी विषय पर चर्चा हो गई हो तो उस सत्र में उस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि आपके सामने दो विकल्प हैं। विषय एक ही है। एक वह माध्यम है जिसका नियमों में प्रावधान है। जिसमें सब को पूरा समय

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

देकर के और उनकी जो मन की तकलीफ है, उनकी जो शिकायतें हैं, वह सब सामने रखकर और नियमों के अनुसार कार्य किया जाय और दूसरा 119 में जिसकी कई शर्तें हैं। आपका यह प्रस्ताव पूरा नहीं करता है उसके माध्यम से, विश्वास मत है वह प्राप्त किया जाय।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जिन विषयों के बारे में नियमों के अन्दर व्याख्या है, उसी के अनुसार हमको सदन की कार्यवाही चलानी चाहिये। बहुमत का विश्वास है कि नहीं मंत्रिमंडल में, इसके लिए यही एक व्यवस्था है। दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जब एक ही विषय है, नियमानुसार हैं, इससे किसी तरह आगे भी प्रिजुडिस नहीं होगा, कोई गलत परम्परा, बुरी परम्परा नहीं पड़ेगी। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसको लें।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्षजी, जो बात अभी पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से उठाई गई। आज भारत के संविधान में और नियमों में भी विश्वास प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए सविधान के विशेषज्ञों ने आर्टिकल 174 बनाया है। उसी के साथ आर्टिकल 175 भी हैं।

174 reads as follows : "The Governor shall from time to time summon the House. The House has baen summoned by His Excellency Governor.

"175. The Governor may address the Legislative Assembly or in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State or both the Houses and may for that purpose require the attendance of the members.

(2) The Governor may send message to the House or Houses of the Legislature of the State **wether** with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। हमारी राजस्थान विधान सभा और अन्य विधान सभाओं में अधिवेशन होते रहे हैं लेकिन यह विशेष अधिवेशन इसलिये बुलाया गया है कि महामहिम गवर्नर आर्टिकल 175 (2) के अन्तर्गत एक मैसेज के द्वारा इस हाउस से कोई विशिष्ट बात पास करवाना था रखवाना चाहते हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैसेज कहां है ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : प्लीज सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस के पास मैसेज कहां है ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप सुनने का माद्दा रखिये। इसलिये वकालत में भी आप सफल नहीं हुए। न यहां सफल हो रहे हैं न वकालत चली।

श्री डूंगरराम पंवार : आप खिचड़ी पकाना चाहते थे, हमने चूल्हा बुझा दिया।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : इसलिये हमारे जो नियम हैं उन नियमों के नियम 21 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"Where a message from the Governor for the House under Artical 175(2) of the Constitution is received by the Speaker, he shall read the message to the House and give necessary directions in regard to the procedure that shall be followed for the consideration of the matter referred to in the message."

मेरा निवेदन यह है कि 175 (2) के अन्तर्गत गवर्नर साहब ने विश्वास प्राप्त करने के लिए इस हाउस को सम्मन किया है और उसके अन्तर्गत को रूल 21 है उसके अनुसार जो मैसेज है, जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर ही यह सदन विचार करेगा और उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आगे अधिकार है।

"In giving these direction, the Speaker shall be empowered to suspend or vary the rules to such extent as may be necessary."

क्योंकि सदन मात्र एक दिन के लिये और एक विशिष्ट व्यवस्था और परपज के लिये बुलाया गया है, माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि सदन जिस विषय पर बुलाया गया है, उसके अलावा अन्य किसी विषय पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो रूल्स हैं, 132 और रूल 119, ये सस्पेंड किये जायें। यह रूल सस्पेंड करके और खाली विश्वास प्राप्त करने का जो प्रस्ताव है, उस पर विचार किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई मैसेज है क्या ?

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैसेज आया है श्री राज्यपाल महोदय का, यह तो स्थिति साफ हो जाय। मैसेज आया है ?

श्री अध्यक्ष : हमारे सचिव के नाम एक पत्र आया है। आप कहो तो पढ़कर सुना दूं ? मुझे ही दे लेने दीजिए इसका जवाब। उन्होंने उठाया है तो मैं भी इसको रेफर करूंगा।

यदि आप मेरे सचिव के नाम का पत्र सुनना चाहते तो मैं पढ़कर सुना देता हूं।

सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत 8 नवम्बर, 1990 को राजस्थान विधान सभा को आहूत करने की आज्ञा। दिनांक 27-10-90।

उपरोक्त प्रेषित निदेश के अनुक्रम में

(श्री अध्यक्ष)

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान विधान सभा का 8 नवम्बर, 1990 का सत्र मुख्यतः मुख्यमंत्री महोदय को सदन के अन्दर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये बुलाया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही पूर्ण होते ही अविलम्ब वोटिंग के परिणाम से इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें। उचित होगा कि आपका पत्र विशेष वाहक द्वारा भिजवा दिया जाये।"

जो आया है मैंने बता दिया। आपने पूछा मैंने पढ़ कर सुना दिया। आप जो समझें, समझें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सदन में विश्वास के मत पर बहस शुरु की जाये या अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर पहले विचार किया जाये, इसके ऊपर डिबेट चल रही है। हमारे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में, संविधान में और हमारी संसदीय लोकतंत्र की जो परम्परायें हैं, उनके अनुसार विधान सभा की कार्यवाही कार्य सलाहकार समिति के सलाह से तब की जाती है। अभी कुछ सदन के माननीय सदस्यों ने इस सदन को बताया

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल्ला जी, यह विश्वास और अविश्वास का मामला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समय का ध्यान रखें। वह अपनी बात कह रहे हैं, तो आप सुनिये उनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने लोक सभा का उदाहरण देकर बताया कि वहां पर इस विषय में कोई बहस नहीं हुई और विश्वास के मत पर वहां पर बहस शुरू हुई और कल की कार्यवाही चली वहां पर पहले कार्य सलाहकार समिति ने यह तय किया और तय करने के बाद फिर वहां पर इस बात पर बहस हुई लेकिन यहां पर हमारे नियमों में स्पष्ट प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के अनुसार यहां का बिजनेस चलता है और सदन उसको सहमति देता है। यहां पर सदन की इस प्रकार कोई सहमति नहीं ली गई न कार्य सलाहकार समिति की कोई बैठक हुई। फिर दूसरी बात इस सदन की यह परम्परायें रही है...

श्री चम्पालाल बांठिया : गुजरात में 1 तारीख को क्या हुआ था यह भी बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी सदन आहूत होता है उस समय कार्य सूची आरम्भ होने से पहले सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

यदि एडजार्नमेंट मोशन कोई आया हो, काम रोको प्रस्ताव को सर्वोच्च प्राथमिलती है उसके बाद प्रिवेलेज के प्रस्ताव को, विशेषाधिकार के हनन का कोई मामला उठाया जाये तो उसको पहले डिस्पोज आफ किया जाता है। उसके बाद यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताय आया हो तो उसके ऊपर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बात की जाती है और उसके बाद यदि मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया हो तो उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अविश्वास के प्रस्ताव के लिये अपने नियमों में रूल 132 एक अलग से चेप्टर है....

श्री अध्यक्ष : Please don't repeat.

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसको एलीब्रेट कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : जिस तरह विश्नोई जी ने नया पाइंट बताया, नया पाइंट बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में सन् 1981 में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष के नेता महोदय उस समय भैरोंसिह जी शेखावत थे। उन्होंने एक अविश्वास का प्रस्ताव लगभग 11 बजे यहां पर सदन में रखा। मैं सदन में मौजूद था। तुरन्त सारे कार्य को रोक कर पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सदन ने उस पर निर्णय लिया। लेकिन यहां पर कुछ अजीब सा लग रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप स्वयं की जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप समय का ध्यान रखिये। आप इनका टाइम क्यों बढ़ा रहे हैं? Please don't intrrupt.

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर न तो आपने कोई स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी, न कोई प्रिवेलेज मोशन वगैरा जो आते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, अब आप दुसरी पर आ गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने अध्यक्ष महोदय, सदन को कोई सूचना ही नहीं दी चूंकि सदन में जो पब्लिक इम्पार्टेंस के मैटर्स होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें, आप पाइंट आॅफ आर्डर हो गया। अब आप दूसरी बात पर आ गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोक सभा में अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश दिये हैं उसमें जो प्राथमिकतायें निश्चित की हैं, उन प्राथमिकताओं का यहां उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात, सबसेन्टिव मोशन की प्रायरटी लिस्ट प्रायरटी होती है।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी बताना चाहता हूं कि कार्य सूची का जब आप निर्णय करते हैं तो उसमें सरकारी प्रस्तावों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यह तो सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है यह सरकारी चीफ व्हिप जरूर है लेकिन यह सर री प्रस्ताव लाने के हकदार नहीं है। मैं डेफिनेशन यहां कोट करना चाहूंगा प्राइवेट private members means a a member other than a minister (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कल्ला जी, सारी किताबें यहीं रख दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदये, मैं आपको सैकण्ड पी ए जर्नल वाल्यूम

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

11 नं 2 इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"The most important constitutional right in the hands of a Member is to move a vote of no confidence in the Council of Ministers. The only self imposed restriction is that 50 members...."

यह 50 मेम्बर्स हैं लोक सभा के लिये हमारे यहां प्रावधान ऐसा है वन फिफ्थ यानि 40 सदस्य खड़े होकर कह दें कि हम अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं तो उनको सर्वप्राथमिकता दी जानी चाहिये।

"The only self imposed restriction is that 50 members should support the motion. Members have not to give any reason for moving the motion. There is no time limit for giving such notice."

इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने रखा है। यह विपक्ष का एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अविश्वास का प्रस्ताव रखें नहीं तो जब भी कोई अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, सरकार विश्वास का प्रस्ताव रख देगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में प्राथमिकता किस को दी जाये। अविश्वास प्रस्ताव को या जो मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रस्ताव जो विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव हैं उसको प्राथमिकता देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दोनों ही प्रस्तावों का परिणाम एक ही होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके समक्ष जब यहां के रूल्स का हवाला दिया गया है और रूल्स में विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है अविश्वास का मत प्राप्त करने का रूल्स में कोई प्रोवीजन नहीं है। एक सबस्टेन्टिव मोशन के नाते यह मोशन आया है तो निश्चित बात है कि आपके सामने जब दोनों का परिणाम एक ही होने वाला है, तो आपको रूल्स की पाबन्दी करते हुए, रूल्स का ध्यान रखते हुए, अविश्वास के प्रस्ताव को प्राथमिकता देकर, आज मंत्री परिषद् के अन्दर इस सदन का विश्वास है या नहीं, उस पर आपको निर्णय करा देना है। राज्यपाल महोदय ने हालांकि इस सदन को समन करने की दृष्टि से जो नोटिस माननीय सदस्यों को मिला है, कहीं पर भी, यह सदन किस लिये आहूत किया गया है कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया गया है। 175 का हवाला अभी आपके समक्ष सरकारी मुख्य सचेतक ने दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध की कोई प्रक्रिया यहां पर पूरी नहीं की गई। न कोई हवाला दिया गया है। न नोटिस में यह कहा गया है कि विशेष सदन केवल एक दिन के लिये बुलाया जा रहा है। हमेशा स्वभाविक रूप से जो नोटिस मिलता है वही नोटिस माननीय सदस्यों को मिला है। जब बजट पास करने के लिये हमें विधान सभा बुलाते हैं तो महीने भर विधान सभा चलती है केवल एक नोटिस आता है कि विधान सभा फलां तारीख को समन की गई है। उसमें डेट नहीं होती, कब समाप्त होगी। ठीक इस प्रकार से इस बार जो नोटिस मिला है,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वह भी नोटिस नहीं मिला है उसमें कोई भेद नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह सदन कोई विशेष काम के लिये, खास तौर से पर्टीकुलर परपज के लिये बुलाया गया है। न राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार का कोई सन्देश इस सदन को रूल 175 के तहत दिया है। यह चिट्ठी आपने रैफर की है वह तो सचिव की आई हुई चिट्ठी है। राज्यपाल महोदय की वह चिट्ठी नहीं मानी जा सकती और सचिव की चिट्ठी इस सदन के ऊपर कोई असर नहीं रखती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके सक्षम भी, आपके हाथों भी सेफ कोर्स यही है जिससे नियमों की पालना भी हो और परपज भी पूरा हो जाये। मैं मानता हूं कि सदन आज किसलिए बुलाया है। तो वह परपज भी पूरा हो जाय और नियमों की भी पालना हो जाये तो अविश्वास प्रस्ताव ही रख लिया जाना चाहिये। मैं तो गरिमा इसी में समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इस बात के लिये कह देना चाहिए कि हमें कोई एतराज नहीं हैं। हमारे विश्वास का प्रस्ताव न लेकर विपक्ष से आया हुआ अविश्वास प्रस्ताव ले लीजिए। क्या फर्क पड़ता है। नियमों की पालना इस सदन के लिए मुख्य बात रहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राथमिकता उसको दी गई है और परिणाम एक ही आने वाला है। डिबेट एक ही प्रकार की होने वाली है। तो अध्यक्ष महोदय, नियमों की पालना की जाय, नियमों को तोड़ा नहीं जाय, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो तरह के प्रस्ताव आये हैं एक विश्वास का प्रस्ताव और एक अविश्वास का प्रस्ताव।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : (मुख्य सचेतक) : कार्य सूची में एक ही प्रस्ताव है।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन तो सुनें ····

श्री हीरालाल देवपुरा : कार्य सूची में नहीं आया इसी बात की तो डिबेट है इसका तो ध्यान रखिये, आज डिबेट किस बात की हो रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : दोनों ही प्रस्ताव है इसको सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको वरीयता दी जाय। इसके पीछे मूल कारण यह है कि प्राइवेट प्रस्ताव मूव करने वाले ····
(दर्शक-दीर्घा से नारे)

(2.03 म. प.)

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यों चिल्लाने से सरकारें नहीं जाती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए पटा के लाये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है उसको आज वरीयता मिलेगी। जो प्राइवेट प्रस्ताव आया हुआ है उस पर अगर यह बहस भी करना चाहते हैं बहस करके इस पर जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा आज

(श्री हीरासिंह चौहान)

सदन में बहुमत के लिए सदन को आहूत किया गया है, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए जैसा प्रोसीजर पार्लियामेंट में अपनाया गया है, कल ही के दिन अपनाया गया उसको भी मद्देनजर रखा जाय और जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव है उसी प्रस्ताव को वरीयता दी जाय।

व्यवस्था

मंत्री परिषद में विश्वास के प्रस्ताव की अविश्वास के प्रस्ताव पर पूर्ववर्तिता

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में मैंने आपकी बहस सुनी है। इस बारे में मैं अपने विस्तृत रीजन्स तो रिजर्व्ड रखता हूं लेकिन अभी तत्काल इस संबंध में जो बातें आई हैं, सवाल हमारे सामने आये हैं कि हिन्दुस्तान में जो कन्वेशन्स कायम होती है उनकी कीमत क्या है। मैं सबसे पहले इस बात को मान रहा हूं कि 175 का कोई मैसेज हमारे पास नहीं है इसलिए उस पर विचार करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने संविधान देखा होगा। तो हमारे संविधान में न अविश्वास का प्रस्ताव है और न वोट ऑफ कांफीडेंस है बल्कि इस देश में जो अवस्था है जरा उसको आप समझिये। हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री कैसे नियुक्त होगा, प्रदेश का मुख्य मंत्री कैसे नियुक्त होगा इसकी भी व्यवस्था सविधान में नहीं है।

There is only one line that the Council of Ministers shall be responsible to the House.

हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र आधा तो कन्वेंशन्स पर चल रहा है और आधा संविधान पर चल रहा है। हमारे यहां सी. एम और प्रधान मंत्री की नियुक्ति, सरकार का फोर्मेशन मेजोरिटी पार्टी का लीडर ही मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बनेगा। यह सारी बातें विधान में नहीं है। यह विधान से अलग कन्वेंशन्स से कायम की गई हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में जितनी कीमत नियमों की है उतनी ही कीमत कन्वेंशन्स की भी है।

जहां तक वोट ऑफ कांफीडेंस सवाल है। यह सबसे पहले 1850 में इंग्लैण्ड में वहां के प्रधान मंत्री ने पेश किया। हिन्दुस्तान में यह 1979 में शुरू हुआ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भारत में या हिन्दुस्तान में ?

श्री अध्यक्ष : भारत में।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप हिन्दुस्तान तीन बार बोल चुके, अध्यक्ष महोदय। हिन्दुस्तान का तो कोई संविधान ही नहीं है। भारत का संविधान है।

श्री अध्यक्ष : मुझे खेद है यदि भारत और हिन्दुस्तान में आप अन्तर समझते हैं मैं तो नहीं समझता। हिन्दुस्तान में 1979 में यह वोट ऑफ कांफीडेंस का प्रश्न पार्लियामेंट में आया। उसके बाद में अभी आया जब वी. पी. सिंह सरकार बनी। गुजरात में आया और स्टेट्स में आया और कल ही हमारी पार्लियामेंट में भी आया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने इस कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया कि वोट ऑफ कांफीडेंस भी कन्वेंस-

(श्री अध्यक्ष)

नली ग्राह्य है जिस पर विचार हो सकता है, जिस पर निर्णय हो सकता है। यह एक स्वीकृत तथ्य हो गया इसको नकारा नहीं जा सकता और जब यह स्वीकृत तथ्य हो गया तो जो परम्परा इस संबंध में बन रही है। जहां तक वोट ऑफ कांफीडेन्स का सवाल है, इन्हीं परम्पराओं पर हमें चलना पड़ेगा। कल पार्लियामेंट में वोट ऑफ कांफीडेंस और नो कांफीडेंस वोट दोनों आये। आपने कहा, बी. ए. सी. ने तय किया। किसी ने भी तय किया हो लेकिन सिद्धान्त यह मान लिया गया कि वोट ऑफ कांफीडेंस पर ही विचार होगा वोट ऑफ अपने नो-कांफीडेंस पर विचार नहीं होगा।

यह सिद्धान्त बी. ए. सी. ने मान लिया और इसको लोक सभा ने मान लिया। यह कल हमारे सामने हुआ है। यहां पर भी विरोधी गुट ने यह किया और इसके पीछे एक कारण है। चूंकि इस तरह का सेशन एक विशेष डायरेक्शन के अन्तर्गत बुलाया जाता है। तो इसमें यह एन्टीसिपेट नहीं किया जाता कि विरोधी वोट ऑफ नो कांफीडेंस रखें या नहीं–

You are not bound.

यह आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है आप चाहें तो रखें, जैसे गुजरात में नहीं रखा। यदि गुजरात में नहीं रखा और वह भी वोट आफ कांफीडेंस नहीं रखते इसका मतलब क्या होता, वह भी क्रास्टेज हो जाता, सेशन बुलाना ही बेकार हो जाता। इसलिए इस बात को कोई भी सरकार या गवर्नर एंटीसिपेट नहीं कर सकता—

It cannot be left on the choice of the opposition. It is binding on the Government to seek vote of confidence on 8th November.

इसी आधार पर इस सरकार का जीवन निर्भर है। आप मेरी बात सुनें। यह मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो तथ्य मेरे सामने हैं उनसे यह बात तो साबित हो गई कि वोट आफ कांफीडेंस नाम की चीज भी हमारे पार्लियामेंट और विधान सभा की प्रक्रिया में कन्वेंसनली सम्मिलित हो गई है इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। (व्यवधान)

प्लीज सिट डाउन, माननीय चन्द्र भानजी, आप तो मंत्री रहे हैं। मैं खड़ा हूं। मेरे बैठने के बाद आप बोल सकते हैं। अब मेरे सामने सवाल यह है कि वोट आफ कांफीडेंस जो परम्परागत स्वीकार कर लिया गया है और वोट आफ नो कांफीडेंस दो चीज हमारे सामने है।

अब इन दोनों में से किसको प्रायरिटी दी जाय, यह सवाल मेरे सामने है। मैं उसको निकाल नहीं सकता, मैं यह नहीं कह सकता कि वोट आफ कान्फीडेंस कहीं है नहीं इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है।

It exists very much and it is to be accepted that it exists in law.

और इसलिए वह एग्जिस्ट करता है। दोनों की लिस्ट एक है। एक पोजेटिव है, एक नेगेटिव है। इसके सिवाय कांसीक्वेंसेज आप तब मानते इस पर तो इसलिए जो अब तक की पार्लियामेंन्ट्री प्रैक्टिस रही है। वह यही रही है कि जब एक सबजेक्ट के

(श्री अध्यक्ष)

ऊपर दो मोशन आते हैं तो उसमें पाइन्ट ऑफ टाइम स्टेब्लिश कर दिया जाता है। जो पहले आता है उसको पहले लिया जाय जो बाद में आता है उसको बाद में लिया जाय। अब वह बाद में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है It is a diferent matter उसमें और कोई रूल आ जायेगा वह भी डिफरेंट मैटर है। लेकिन मेरे सामने तो एक ही सवाल था कि मेरे सामने दो आये। जो पहले आया है उसको मैंने स्वीकार किया और जो दूसरा आया है उसका मैं बाद में लूंगा। अब सवाल है कि मेरे पास पहले आया था। गवर्नमैट का ...... (व्यवधान)

अब जो रूलिंग है, खतरनाक है, अब सुनिये आप। मेरी बात नहीं सुनोगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रूल सस्पेंण्ड करा दो। रूल की स्टेच्यूट बुक को देखते हुए यह रूलिंग मत दो आप। आप इसको सस्पेंण्ड करा दो।

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी सुन लीजिए आप। मैं रूल सस्पेंण्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तीस तारीख को जब हमारे यहां सम्मन जारी हुए तो हमारे यहां से मेरी स्वीकृति से जो बिजनस गया, वह था— औपचारिक कार्य, शोकाभिव्यक्ति, मंत्री परिषद् द्वारा विश्वास मत प्राप्त करना। जिसको गवर्नमेंट ने भी अमूव कर दिया। यह हो गया, उसके बाद में पांच बज कर पचपन मिनट पर आपका प्रस्ताव आया तो स्वाभाविक रूप से आपका रूल 22 जो है कि जिसमें यही है कि जब कोई काम गवर्नमेंट बिजनस के लिए अलोटेड है तो उसमें प्रिसिडेंस बिजनस गवर्नमेंट बिजनस को लिया जाता है। आज का दिन और आज का सेशन केवल गर्वमेंट बिजनस के लिए हैं और जिसमें एक ही बिजनस उन्होंने स्वीकार किया है कि वोट ऑफ कान्फीडेंस मूव किया जाय। It is the only business जो गवर्नमेंट ने मूव किया हैं, जो हमने एक प्रपोजल करके भेजा है उसी को उन्होंने स्वीकार किया है, and in point of time also वह पहले आया है इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया है। इसके बाद यदि जरूरत पड़ेगी, आप उठाइये, विचारकर लूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाद का सवाल ही नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : अब सवाल नहीं है तो It is not within my hands. I have kept it open.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप 132 पढ़ो, न, यह क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष : I have not frustrated the rule.

श्री सुरेन्द्र व्यास : साहब, आपके पास पावर्स नहीं है। मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं कि आपके पावर्स ही नहीं हैं। आप 132 भी पढ़िये, आप रूल को सस्पेंण्ड करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास पावर्स हैं, सुनिये आप।

When a number of notices on the same subject are received for the same sitting and two or more they are held to be in order, they are taken up one by one in the order of their receipt in point of time"

I have got the authority

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब 132 पढ़िये आप।

"**श्री अध्यक्ष** : इसलिए अपने बाकी के रीजन्स रिजर्व रखते हुए इस पाइन्ट ऑफ आर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : House cannot adopt this procedure.

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्षजी, मैं जो प्रस्ताव पढ़कर निवेदन कर रहा था ...

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़िये। समर्थन।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष, महोदय, अभी आपने लोक सभा की नजीर दी है, आपने कहा कि लोक सभा में विश्वास के मत को पहले लिया गया है लेकिन जब इन सदस्यों को असम्बद्ध करने का सवाल था, लोक सभाध्यक्ष की ओर से, तो उसको तो आपने नहीं माना।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह सदन जो विचार कर रहा है उसकी ओर राजस्थान के करोड़ों लोगों की नजर लगी हुई है ...

श्री अध्यक्ष : आपने मोशन मूव कर दिया ?

मन्त्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिह शेखावत के मन्त्री मण्डल में विश्वास व्यक्त करता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : समर्थन कौन करेगा ?

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी ने जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्रीजी और मन्त्री मण्डल में विश्वास व्यक्त करने के लिए सदन के पटल पर रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समर्थन कर रहे हैं वह, दूसरा प्रस्ताव मुख्य मन्त्री रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मन्त्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कौन सा प्रस्ताव रह गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

Page No. 64

9(64)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री मोहम्मदमाहिर आजाद : कौन से प्रस्ताव पर पहले विचार होगा? माननीय मुख्य सचेतकजी वाले पर या मुख्य मन्त्रीजी वाले पर ?

श्री अध्यक्ष : दोनों एक ही हैं, दोनों पर साथ-साथ चलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव मन्त्री मण्डल में विश्वास व्यक्त करने का रखा गया.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपने अभी यहां पर कान्सीक्वेसेज का हवाला दिया कि पार्लियामेंट में क्या हुआ और विश्वास का मत रखा गया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि मुख्य मंत्री जी की तरफ से....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे राजस्थान प्रदेश की...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, रघुवीर सिंह जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थान प्रदेश की स्थिति है, जो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा नीचे से पहला या.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैंने आपसे आज निवेदन भी किया था प्रातः–काल, आम तौर पर जो हमारे आप का वार्तालाप चैम्बर के अन्दर होता है उस पर यहां पर चर्चा नहीं होती अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि इसके ऊपर डिबेट लोक सभा के अन्दर प्रधानमन्त्री जी ने शुरू की थी और वह प्रस्ताव भी प्रधान-मन्त्री जी ने नहीं रखा था, मेरा आपसे निवेदन है कि डिबेट माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा शुरू की जाये। मेरा पुरजोर एतराज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यदि मुख्य मन्त्री जी बोलना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, यह निर्देश तो आपको देने पड़ेंगे श्रीमान्।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप परम्पराओं का निर्वहन कीजिए।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं किसी को कम्पेल नहीं कर सकता बोलने के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव इनका और प्रस्तावक भी थे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रस्ताव पेश किया।

श्री अध्यक्ष : हां, तो वह बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

but I connot compel and I cannot order.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्दर यदि प्रस्ताव भी....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी आर्डर नहीं दे सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो फिर आप अविश्वास का प्रस्ताव मंजूर कर लीजिए, फिर हमको बोलने दीजिए पहले ...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलिये, अब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सदन का समय खराब करने की नीयत से यह बात नहीं कह रहा हूं लेकिन प्रोप्राइटी इस बात को कहती है, जो प्रस्तावक है उसको अपने प्रस्ताव के पक्ष में बोलना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय के धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है, प्रस्तावक उसको पढ़ता है, शुरू करता है, अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पर अपनी व्यवस्था दें। आज यहां पर कई परम्पराएं डलेंगी इस सदन के अन्दर भविष्य, के लिए भी परम्परा डलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया मुख्य मंत्रीजी को निर्देश देवें कि उनका प्रस्ताव है और वह उसके समर्थन में जो कुछ भी कहना चाहें, उनको अपनी बात प्रारम्भ करनी चाहिए तभी यह डिबेट मीनिंगफुल होगी। यह मेरा निवेदन श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि मुख्य मन्त्रीजी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं निर्देश नहीं दे सकता। इस तरह की परम्परा आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं भी नहीं है। यदि इस पर वह बोलना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं चाहता था कि इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य पहले बोल लें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप तो रिप्लाई के टाइम....

श्री भैरोंसिह शेखावत : गोविन्द सिंहजी रूल तो मुझे भी मालूम है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव के ऊपर जब आम चर्चा हो जाये तो उसके बाद में, मैं आपको, जो भी आप मुद्दे उठायें, उन मुद्दों के ऊपर उत्तर देकर आपको इतना सन्तुष्ट करता कि मेरे पक्ष में आप लोग भी मतदान करते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको राइट ऑफ रिप्लाई भी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मौका तो अब भी मिलेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : और मुझे विश्वास है कि यदि मैं पहले बोलूंगा तो फिर आपको स्वतन्त्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो कर ही दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक मिनट। जो समय का बंटवारा है वह आपको बता दूं। (व्यवधान)

नहीं-नहीं, हो जाय। मैं पहले समय का बंटवारा बता दूं ताकि समय शुरू हो जाये।

(श्री अध्यक्ष)

यहां कुल सात घंटे डिबेट के लिए तय किये हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तीन घंटे मुख्य मंत्री के उत्तर सहित, जनता दल को एक घंटा दस मिनट, जनता दल [अ॒प] विधायक दल को पैंतालीस मिनट, कांग्रेस (आई) पार्टी को एक घंटा चालीस मिनट, सी.पी.आई. (एम.) पांच मिनट, निर्दलीय बीस मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 26 को मंत्री मण्डल के दस सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये थे,....

दूसरे दिन एक माननीय सदस्य ने और त्याग-पत्र दिया। 11 सदस्यों ने इस प्रकार से त्याग-पत्र दिये। मैंने ज्योंही त्याग-पत्र मिले राज्यपाल महोदय को इस बात की सिफारिश की कि इनके त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जायं। अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने त्याग-पत्र दिये उनके त्याग पत्रों में भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि हम सरकार को अब तक जो समर्थन देते थे वह विद्ड्रा करते हैं केवल त्याग-पत्र की मेरे पास सूचना थी।

इसके बाद राज्यपाल महोदय से मुझे एक पत्र मिला। जिस पत्र का आधार यह था कि जनता विधायक दल के तत्कालीन नेता एवं जनता दल के अध्यक्ष ने एक पत्र राज्यपाल महोदय को लिखा है, जिसके अनुसार उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापस लेने के संबंध में ज्योंहि मुझे सूचना मिली मैंने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि सदन में मेरा बहुमत है और इस बहुमत को मैं सदन के अन्दर सिद्ध कर सकता हूं और इसलिए इस समर्थन को व्यक्त करने के लिए कोई व्यवस्था करे।

(2.20 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप लोगों ने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। अब तक कई विधान सभाओं में इस प्रकार के विवाद हुए और सरकार के बनने और बनने के पश्चात् कई प्रकार के विवाद चले हैं कि बहुमत सिद्ध करने की सबसे उत्तम प्रक्रिया कौनसी है? सरकारिया आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि किस को यदि बहुमत सिद्ध करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम प्रांगण विधान सभा है या लोक सभा है और इसी दृष्टि से मैंने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि मैं अपना बहुमत सिद्ध कर सकता हूं। राज्यपाल महोदय ने उस आग्रह को स्वीकार कर 8 तारीख को विधान सभा आहूत करने के लिए मुझे सूचना दी अध्यक्ष महोदय को भी सूचना दी और आहुत करने के सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया। उसी के आधार पर यह सत्र चल रहा है। इसी सूत्र के अन्दर यह विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है।

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से यह सत्ता बनी रहेगी और बहुमत नहीं मिलेगा तो उसका जो परिणाम होगा वह हमारे सामने आ जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह इन्तजाम तो कर लिया।

श्री डूंगरराम पंवार : आप छुक मना-इये बच गये नहीं तो घर जाते तो घर वाले घर में नहीं घुसने देते और गांव वाले गांव में नहीं घुसने देते । अच्छे रहे आप बच गये । पुण्य दान करो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार मार्च को मैंने मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और उस समय से लेकर अब तक स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि न मैंने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने की चेष्टा की है न दलीय हितों की चिन्ता की है, केवल एक ही चिन्ता मेरी रही है कि पिछले वर्ष में राजस्थान में किस प्रकार का पिछड़ापन आया है, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान बहुत पीछे रह गया है । इसलिए इस बात का प्रयत्न किया जाय कि राजस्थान की प्रगति हो और अन्य राज्यों की तुलना में भी हम ऐसे स्तर पर आ जायं कि लोग हमको पिछड़ा-हुआ नहीं कहें । मैंने इसी दृष्टि से काम किया है और इसी आधार पर इस बात की भी चिन्ता की है कि राजस्थान में जो गरीब हैं, पीड़ित हैं उनका किस प्रकार से उद्धार हो ।

इस सदन को अच्छी तरह से जानकारी है कि 1977 से लेकर 1980 तक मैंने राजस्थान में अन्त्योदय योजना का कार्यक्रम चालू किया । मैं स्वयं अपने मुंह से इसको एक उपलब्धि के रूप में नहीं मानता हूं लेकिन भारत सरकार ने मेरे सत्ता से हटने के बाद इसका कई बार इवोल्युशन कराया और इवोल्युशन करने के बाद इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है । गरीब में एक विश्वास जागृत हुआ कि जो कार्यक्रम है वह हमारा कार्यक्रम है और गरीबी हटाने की दृष्टि से यह कार्यक्रम लाया गया है । इस प्रोग्राम को चालू करने का हमने प्रोग्राम बनाया है । मैं इस सदन में विश्वास दे सकता हूं कि यदि आपने मुझे विश्वास दिया तो राजस्थान के गरीब के उत्थान के सम्बन्ध में इस अन्त्योदय योजना के माध्यम से बहुत कुछ कर पाऊंगा । इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जब चुनाव हुए हम सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा । कांग्रेस और विपक्ष इस प्रकार दो धड़ों के अन्दर चुनाव हुए । कई राजनैतिक कारण हैं जिनके कारण से मेरे साथी मेरे से बिछड़ गये । मैं समझता हूं कि इन साथियों को कम से कम एक बात का तो विश्वास होगा कि हमने जब मंत्रिमण्डल में बैठकर काम किया तो दो दलों के रूप में काम नहीं किया एक परिवार के रूप में काम किया और उसी कारण से माननीय सदस्य जब त्याग-पत्र देने आये तो उस समय मैंने कहा था कि हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने सरकार बनायी, सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में हमने सरकार चलायी और सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में यह त्याग-पत्र आपने दिये हैं ।

मेरा विश्वास है कि हमारा इसी प्रकार का सौहार्द्र पूर्ण वातावरण बना रहेगा । मैं आज सामूहिक जिम्मेदारी के नाते किसी पर आरोप लगाने की दृष्टि से कुछ कहने वाला नहीं हूं न मैं न चाहता हूं कि सदन में इस प्रकार की चर्चा हो । आखिर 26 तक हम साथी थे और सभी ने मिलकर काम किया है । उत्तरदायित्व तो हमारा सबका है । मेरा भी है और इनका भी है और इस दृष्टि से मैं इस विषय में न जाकर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे राजस्थान में कर्जे माफी का प्रश्न है, हमने कर्जे माफी के सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बजट में 170 करोड़ का प्रावधान रखा था लेकिन उसके बाद जब इसका और असेसमेण्ट हुआ तो 170 करोड़ से काम नहीं चलेगा। 300 करोड़ के करीब हमको खर्च करना होगा। आज 300 करोड़ के के कर्जे में से लगभग 140 करोड़ के कर्जे के ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र हमने वितरित कर दिये हैं। बाकी की धनराशि अभी पड़ी है।

मैं समझता हूं कि यदि राज्य में किसी प्रकार से भी दूसरी पार्टी के हाथ में शासन आया, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन चला जाय तो कांग्रेस पार्टी उन किसानों के जो कर्जे माफी का हमने अभियान चलाया है उसको रोकेगी। इसके साथ ही यदि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में हो जाय तो जो कर्ज माफी है वह नहीं होगी। मैं अपने हित के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं राजस्थान के किसानों के लिए वोट मांग रहा हूं, जिन किसानों से हमने चुनाव के वक्त वायदा किया था और 10 हजार तक के कर्ज माफ करेंगे यह अपने घोषणा-पत्र में उल्लेख किया था जिस घोषणा-पत्र के आधार पर हमने 170 करोड़ के कर्ज माफ करने का प्रावधान रखा था। मेरा विश्वास है कि विपक्ष की तरफ से बैठे हुए माननीय सदस्य उसमें जो किसान है वह निश्चित रूप से मेरे साथ खड़े होंगे। हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक भी किसानों को ऋण मुक्ति के रूप में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी। यह पहली सरकार है और पार्टी जिसमें जनता दल और भाजपा दोनों है, सबने मिलकर घोषणा की थी कि हम कर्जे माफ करेंगे और हमने कर्ज माफी का अभियान चलाया है। 140 करोड़ के कर्जे माफ कर चुके हैं और बाकी के कर्जे माफ करने का कार्यक्रम चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा की जा सकती है कि राजस्थान में नगरपालिकाओं के चुनाव हुए मै उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जनता में कोई विश्वास की कमी नहीं आयी है। उसी विश्वास के आधार पर आपको भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। नगरपालिका के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है हम जब चुनाव जीतकर आये थे उस समय से लेकर अब तक जनता की सोच में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी जो नगरपालिका के क्षेत्र के अन्दर अधिपत्य जमाये थी। हमारे जिम्मे 10–12 नगरपालिकायें आती थीं, जिनमें हमारा बहुमत होता था लेकिन पिछले चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बहुत कम आयी और विपक्ष की सीटें जिनको उस समय आप विपक्ष कहते थे उस विपक्ष में जो आज सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं उनको ज्यादा सीटें मिली हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का विश्वास बरकरार है। जनता का विश्वास हमको पिछले आम चुनावों में भी मिला और उसके बाद नगरपालिकाओं के चुनावों में हमको विश्वास मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके चलते हमको दुबारा इस सदन में विश्वास का मत प्राप्त करने की आवश्यकता हुई और उसी दृष्टि से यह प्रस्ताव यहां रखा गया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की बहुत कमी है। हम सब बिजली की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्षों में कोशिश भी की गई कि राजस्थान को विद्युत उत्पादन के लिए योजना आयोग से या भारत सरकार से अनुमति मिले, सहायता मिले, यह मामले विचाराधीन थे। प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंहजी से पिछले महीने मैंने एक बात की और उनसे निवेदन किया कि आप हमारी किसी योजना को स्वीकार करें या नहीं करें आप एक बार निर्णय ले लीजिए। यदि स्वीकार करते हैं तो निर्णय लीजिए और अस्वीकार करते हैं तो निर्णय लीजिए। हमने आज से 4 वर्ष पहले कोई योजना बनाकर भेजी थी। तीन वर्ष पहले भी योजना बना कर भेजी और वह योजना हिन्दुस्तान के केन्द्रीय सचिवालय के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाती रही। एक आदमी ने एक कमी निकाल दी, उस कमी को हम 3 महीने में पूरी करके भेजें। दूसरी टेबिल पर गई, उसने कमी निकाल दी। यह वर्षों से योजना पड़ी है जिसके कारण कास्ट एस्केलेशन के कारण से खर्चा बढ़ेगा और जितना लाभ हम उठाना चाहें उतना नहीं मिल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमन्त्री जी ने मेरी भावना को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने स्वयं ने कहा कि राजस्थान राजस्थान के बिजली और पानी के जितने भी मामले चाहे किसी भी विभाग में विचाराधीन हो, चाहे किसी भी टेबल पर हो, चाहे किसी भी अफसर के पास हो, उन सारे मामलों के ऊपर निर्णय कराऊंगा।

वह अपनी व्यस्तता के कारण से उस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके लेकिन अधिकारी स्तर पर इस प्रकार की बैठक हुई। उसका विश्लेषण निकला और उसके परिणामस्वरूप 2, 3 उपलब्धियां निश्चित रूप से हुई हैं। हमारा सूरतगढ़ का थरमल प्लाण्ट, जिसके लिए बार-बार कहा जाता था कि को-लिकेज नहीं मिल सकता। मुझे आश्वासन मिला है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में सूरतगढ़ के लिए को-लिकेज स्वीकार किया गया है। मुझे इस बात की भी जानकारी मिली है कि हम लगातार पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि अंता में हमें एडीशनल गैस मिल जाये। कई दिनों से मामला विचाराधीन पड़ा था। मेरे पास भारत सरकार की चिट्ठी भी आ गई कि गैस आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। इसी प्रकार से जोधपुर में सौर ऊर्जा का मामला था। कई वर्षों से पेण्डिग था। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जायेगा। मुझे कहना चाहिए कि हमारे कई संसद सदस्यों ने केन्द्र की सरकार के सामने व लोकसभा में इस प्रकार की चर्चा कर राजस्थान सरकार को सहयोग दिया। मैं अंतिम रूप में तो नहीं कह सकता क्योंकि वह पत्र मुझे नहीं मिला है लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि 30 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्लाण्ट जोधपुर में ही लगेगा और किसी स्थान पर नहीं। आज कुछ समस्याएं हैं, मै समझता हूं कि राजस्थान में कई प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हम सब मिलकर समाधान कर पायेंगे। मैं अकेला कोई समाधान कर दूं, यह स्थिति नहीं है और यह समाधान करने में आज चाहे जनता दल के कई सदस्य बाहर निकल गये, मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में पिछले वर्ष से कुछ साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुयी थी। माननीय माथुर साहब बैठे हैं, जोशीजी बैठे हैं यह जानते हैं कि 1980 के बाद से राजस्थान में इस प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण की स्थिति बनी, उदयपुर में दंगे हुए। भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर दंगे हुए, कोटा में दंगे हुये, जयपुर में दंगे हुये, लेकिन जयपुर में नवनवम्बर, 89 में दंगे हुए उसके कारण लोगों में रंजिश ज्यादा पैदा हो गयी और उस रंजिश को समय समय पर किस प्रकार मिटाया जाय इस प्रकार की चेष्टा की गयी लेकिन चेष्टा के बाद भी अभी हाल में यहां जयपुर में दंगे हुए। कई लोग मारे गये। संपत्ति का नाश हुआ, जलायी गयी, यह सब कुछ राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है और मैं तो सदन में यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं समझता कि व्यक्तिशः मैं अपना भी दुर्भाग्य समझता हूं कि मेरे शासन में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई। मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि लोगों में जो मतभेद पैदा हो गये हैं उनको दूर किया जाय। सदन को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मुख्य मन्त्री के रूप में मेरे सामने हिन्दू है न मुसलमान है जो भी कानून की व्यवस्था है उस व्यवस्था के के अन्दर सब लोगों को न्याय किस प्रकार मिले, जो पीड़ित हैं उनको राहत किस प्रकार से मिले मैं केवल इस बात की चिन्ता करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान के विकास का प्रश्न है, मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से पिछली एक वर्षीय योजना का जो आकार हमने बढ़ाया, वह आकार इसलिए नहीं बढ़ा कि हम आकार के जरिये राजस्थान में सारी समस्याओं का समाधान कर पायेंगे लेकिन प्लानिंग कमीशन को विश्वास में लेकर राजस्थान का आकार, राजस्थान की योजना का आकार हमने बढ़ाया और उसी आकार बढ़ाने के साथ मैंने इस बात की भी कोशिश की कि जिस गाड़गिल फामूले से राजस्थान को हमेशा हानि पहुंची है, उस गाड़गिल फामूले में किस प्रकार से संशोधन हो।

माननीय जोशीजी, माथुर साहब, पहाड़ियाजी और यह सब जानते हैं कि हम सबने मिलकर कई बार इस गाड़गिल फामूले का विरोध किया लेकिन किसी भी रूप में हमें सफलता नहीं मिली। मैं यह नहीं कहता कि मुझे इस मामले में पूर्णतः सफलता मिली है। आज भी उसके जो इन्टीग्रीडंट्स हैं, कई इन्टीग्रीडंट्स का मैं घोर विरोध करता हूं। जिस तरह से आपने विरोध किया मैं भी करता हूं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गाड़गिल फामूले में आंशिक रूप से परिवर्तन कराने में मैं सफल रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि उसमें इस प्रकार का संशोधन हो जाये जिसके कारण राजस्थान की बैकवर्डनैस, गरीबी, डेजर्ट, आदिवासी क्षेत्रों, हिल एरियाज आदि में राजस्थान की डेंसिटी के परसण्टेज में यह जो इनग्रीडंट्स है, इनके आधार पर राजस्थान को विकास की दृष्टि से भारत सरकार या योजना आयोग से ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, मैं इस बात की भी कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान में बिजली

Page No. 71

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो-जो विभाग उनको दिये गये थे, उन विभागों में उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ही नहीं किया बल्कि इस बात की भी कोशिश की कि भारत सरकार से, किस-किस जगह से वह अपने प्रभाव का, अपने साथियों के प्रभाव का उपयोग कर सकते थे, उस प्रकार का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा धनराशि अपने पक्ष में आ जाये। इस प्रकार की कोशिश की है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सीमा किस प्रकार की है। आज देश में जिस प्रकार का संकट खड़ा है। चाहे खाड़ी संकट का मामला हो, चाहे और किसी प्रकार के संकट का मामला हो, चाहे पंजाब की स्थिति हो, चाहे जम्मू काश्मीर की स्थिति हो, असम की स्थिति हो, या अन्य राज्यों में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उसमें हमें आवश्यकता इस बात की रहेगी कि हम सब मिलकर इस प्रकार के संकट का मुकाबला करने के लिये एकजुट हो जायें। मैं आप लोगों को विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में कोई राजनीतिक भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, कोई राजनीतिक जुगाड़ नहीं रहेगा। राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्य मिलकर निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की चिन्ता करेंगे। मैं मेरी ओर से आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मेरी जितनी भी शक्ति और साधन हैं, उन शक्ति और साधनों के आधार पर मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि आपका पहले भी सहयोग लिया है, आगे भी लेता रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वास का प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव, यह दोनों प्रेक्टिकल बातें हैं। अगर विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए या मांगने के लिए राज्यपाल महोदय मुझे नहीं कहते तो मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे विश्वास प्रस्ताव पास करने की या विश्वास प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसी आधार पर यह सब कुछ आपके सामने रख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मामले आप उठायेंगे मैं अपने रिप्लाई में उनका उत्तर दे पाऊंगा लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास में हम एक दूसरे से मिलकर सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और इसी आधार पर मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसका आप समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दरअसल में दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा देश एक अजीब राजनैतिक स्थिति के अन्दर गुजर रहा है। उस राजनैतिक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एक होना है, कोई दो राय नहीं है। जो समस्या हमारे सामने है, वह समस्या पैदा कैसे हुई, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो अपील की है, राजस्थान के विकास के लिए, सहयोग देने की। हमने

(श्री हरिदेव जोशी)

कभी इसमें कोताही नहीं की। मैं समझता हूं कि राजस्थान इस कदर पिछड़ा हुआ है, उसमें सबका मिला-जुला प्रयत्न होगा तभी यह आगे बढ़ सकेगा। मगर कह देना एक बात है, अपील कर देना एक बात है और सहयोग लेना-देना दूसरी बात है।

आज जब हम इस देश की पालिटिकल सिच्युएशन की बात करते हैं तब यह देखना जरूरी है कि यह राजनीतिक परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? आज से 11 महीने पहले जब लोक सभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस के खिलाफ एक प्रकार का कैम्पेन शुरू किया गया, विषवमन किया गया और यह कोशिश की गई कि कांग्रेस कमजोर हो जाय, उसके नेता के खिलाफ बेबुनियाद बातें उछाली गई, मैं तो यह कहूंगा कि एक षड़यन्त्र रचा गया कि राजीव जी का व्यक्तित्व कमजोर हो ताकि कांग्रेस पराजित हो। राजीव के शासन भार ग्रहण करने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस हत्या ने देश में एक प्रकार का तनाव पैदा किया, वह तनाव इस देश को एक दिशा के अन्दर खींच कर ले गया। उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां यह पैदा हुई कि सामान्य स्थिति न रहकर के सब लोग कांग्रेस के खिलाफ एक हो जायं और कांग्रेस को पराजित कर दें। हमने देखा कि कोई देश में पालिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जो अकेली कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो सके लड़ सके और जीत सके। सब इकट्ठे हुए तो हमने कहा था कि बहुत बड़ा धोखा है जो देश को दिया जा रहा है, यह लोग एक नहीं रह सकेंगे। पहले भी एक होने की कोशिश कर रहे थे, स्वर्गीय श्री जयप्रकाशजी जैसे महान व्यक्तित्व के होते हुए यह लोग एक नहीं रह सके और उनकी सरकार टूटी उनकी पार्टी टूटी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार फिर नये नारे के साथ, एक नये प्रोग्राम के तहत, नयी ढंग की परिस्थितियों के अन्दर लोग-बाग एक हुए। इस सब के बावजूद 540 के सदन के अन्दर कांग्रेस को 195 सीट्स मिलीं, जो जनता दल इकट्ठा हुआ था और जिसके प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह थे वह जीत सके 140 सीट्स, भारतीय जनता पार्टी को 86 सीट्स मिलीं और दूसरे लोगों को उससे भी कम मिलीं। मायने पूरे भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर कोई एक राष्ट्रीय पार्टी थी तो कांग्रेस थी। उस समय जो सरकार बनी वह एक प्रकार की राजनीतिक रूप से ही नहीं व्यक्तिगत शत्रुता रखती हो उस प्रकार से उसका आचरण बना। राजनीतिक विरोध एक बात होती है और व्यक्तिगत शत्रुता दूसरी बात होती है। वह सरकार व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर सामने आई। संसार के देशों ने देखा कि जैसे किसी को घेरे में डालकर और हत्या करने की कोशिश की जाती है वैसे राजनीतिक तौर पर प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के अन्दर एक प्रकार की कड़वाहट पैदा हुई। उस समय चुनाव से पहले एक प्रकार का सिनारियो था, मुझे क्षमा करेंगे मैं किसी को अपमानित करने तथा किसी पर मोटिव इम्पुट करने की बात नहीं करता मगर श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी नेता थे वह खुले आम कहते थे कि मुझे बी.जे. पी.

(श्री हरिदेव जोशी)

से कोई वास्ता नहीं है, मैं उसे साम्प्रदायिक संगठन मानता हूं, माई लाईकिंग इज फोर लेकटिस्ट, माई नेचुअरल एलाइज आर लेफटिस्ट मगर उनका और यों कहें कि देश का दुर्भाग्य था कि उनको इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला और जिसको वह अपना दुश्मन समझते थे, विरोधी समझते थे वह भारतीय जनता पार्टी, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे जोंक चिपक जाती है किसी जानवर के थनों में वैसे जाकर चिपक गई। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उस सरकार से शक्ति ग्रहण करती गई। उसने एक प्रोग्राम बनाया कि वह अपने कार्यक्रमों और लक्ष्यों की पूर्ति करे।

जो भारतीय जनता पार्टी पहले जनता पार्टी थी और जिसका लक्ष्य गांधीवादी समाजवाद इस देश में लाने का था उसका स्वरूप बदल गया, लिबरल ढंग के जो नेता थे श्री अटल बिहारी बाजपेयी जैसे उनको कोने में धकेल दिया गया और जो हिन्दू फण्डामेंटलिस्ट हैं वह आगे आये, उन्होंने एक प्रकार का कार्यक्रम बनाया। इस देश के अन्दर हिन्दुत्व का और आपने देखा कि उसके प्रतिफल स्वरूप देश के अन्दर गरमी आई। जो लोग साथ में बैठ कर काम करना चाहते थे, एक साथ रह कर और कुछ देश के लिए करना चाहते थे वह सब भूल गये और हिन्दू फ़ण्डामेंटलिज्म के कारण मुस्लिम फण्डामेंटलिज्म भी पनपा। देश के अन्दर एक प्रकार से शासन का नहीं, विकास का नहीं दूसरे प्रकार का वातावरण बन गया और 6 महीने में ही स्थिति यह हो गई कि आज यहां दंगे, आज वहां दंगे, आज वहां यह स्थिति है, आज वहां यह स्थिति है।

आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा था दुर्भाग्यवश जयपुर के अन्दर दंगे हुए। पहले लोक सभा के चुनाव के समय में, यह जयपुर ऐसा शहर है, 1947 के अन्दर जब भारत का विभाजन हुआ था तब भी वहां ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। यहां पर सौहार्द्रता थी, एकता थी। कभी-कभी कोई छुट-पुट घटना हो जाए मगर यह बहुत ही शान्तिप्रिय स्थान रहा। परन्तु लोक सभा के चुनावों के तुरन्त बाद आपने देखा यहां भयंकर उत्पात हुआ, जन धन की हानि हुई और जन धन की हानि कैसे हुई, क्यों हुई, किन लोगों ने की इसकी गहराई में जाने की जरूरत है।

आज यह नया प्रश्न नहीं है। देश के सामने दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो समन्वयकारी शक्तियां, जो इस मुल्क के अन्दर अनेकों प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं उनके अन्दर समन्वय बैठाकर के उनको अपने साथ ले चलने की कोशिश करने वाली, कांग्रेस उसमें मुख्य है और दूसरी प्रकार की शक्तियां हैं वो जो अपने आपको बहुमत की जो सरकार है, बहुमत जिनका है देश में उनकी बात रहें, उनका प्रोग्राम चले, इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब केन्द्र में कमजोर सरकार होती है तो देश कमजोर होता है। जब केन्द्र मजबूत होता तब विभाजनकारी शक्तियों को सिर उठाने का अवसर नहीं मिलता।

(श्री हरिदेव जोशी)

दुर्भाग्यवश केन्द्र में कमजोर सरकार आई और उस कमजोर सरकार के कारण से देश की शान्ति और व्यवस्था भंग हो गई, लोगों की नींद हराम हो गई लोग परेशान हो गए और ऐसा समझा जाने लगा अब इस देश के अन्दर भी जैसे पाकिस्तान ने अपने मुल्क में किया वैसा ही हिन्दुस्तान में भी होगा। कई प्रकार के प्रोग्राम्स बने और उन प्रोग्राम्स के अन्दर साफ-साफ दिखाई देने लगा कि कमजोर विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। लोग जब हम कुछ कहते थे तो हंसते थे हमारे उपर। हमने कहा तुम हंस लो मगर वो दिन दूर नहीं है जब इन सारी स्थितियों का जायजा देश को करना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिन्दू परिषद के साथ मिलकर के अपना संगठन बनाने की कोशिश की। अपने आपको ताकत में लाने की कोशिश की। अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने लोगों को बतला दिया कि अगर इस देश में मुसलमानों को रहना है तो जैसा हम कहते हैं वैसे रहना होगा, नारे लगाये जाने लगे। शक्ति का उपयोग किया गया, सरकार का उपयोग किया गया और यह हालत हो गई कि देश में जैसे सूली के उपर चढ़ा हुआ कोई आदमी तनाव में होता है वैसे ही तनाव में आ गया।

आज हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। राष्ट्रीयता पहली चीज है मगर राष्ट्रीयता राष्ट्र के लोगों को माइनस करने के बाद में कोई राष्ट्रीयता नहीं रह गई है। दुर्भाग्यवश भारत में अनेक धर्मों के लोग हैं अगर वे अल्पसंख्यक लोग यह सोचते हैं कि बहुसंख्यक लोगों के हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारी स्थिति सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से वे सुरक्षित रहने के लिए अपनी ताकत बढ़ायेंगे और नाजायज बाजमर्तबा हरकतें भी करेंगे। मैं यहां किसी का पक्ष लेकर के कोई के बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मगर स्थितियों का एप्रीसिएशन करने की बात है कि अगर आप मुझे डराने की कोशिश करोगे तो मैं कितना ही सहिष्णु होऊं फिर मुझे उनको वो करना होगा। (व्यवधान)

देश के अन्दर स्थितियां ये हो गई कि आज हम सोचें, हमने स्वीकार कर लिया कि आज हम कश्मीर के अन्दर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए बार बार टाइम बढ़ाते हैं। पंजाब के अन्दर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए बार-बार टाइम बढ़ाते हैं। हरियाणा में हमने एक नया विकल्प दिया, एक नये संस्कार और नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ "जिसकी लाठी उसकी भैंस" का। आसाम और पूर्वोत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वहां जाने का और रहने का मौका मिला है। आज वहां आदमी जिन्दा है तो इसलिए कि उसको किसी ने मारा नहीं है, सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया हो, ऐसी बात नहीं है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज इस प्रकार के

(श्री हरिदेव जोशी)

हालात के अन्दर चल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि विकास के कामों की जरूरत नहीं है अथवा बिजली की जरूरत नहीं है अथवा बिजली का विकास नहीं होना चाहिए। मगर इस देश के अन्दर इश्यूज, नोन इश्यूज हो गए और नोन इश्यूज इश्यूज हो गए। आज तत्काल जिसकी जरूरत थी वो तो आज आंखों से ओझल हो गया।

जिस चीज को कल कर सकते थे उसको आज लेकर बैठ गये। 40 वर्ष हो गये आजादी को, राम जन्म भूमि का मसला चला आ रहा है। उस समय तात्कालिक जरूरत का नहीं था। आज यह हो गया खाना खायेंगे तो काम करेंगे, नहीं खायेंगे तो नहीं होगा। इतना अहम मसला हो गया। मैं यह नहीं कहता कि भगवान राम का मन्दिर नहीं बनना चाहिए मगर जब 40 वर्षों तक नहीं बन सका, उससे पहले नहीं बन सका तो आज क्या था? उसके बाद परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति यह होती है कि हम उसको हवा देते हैं। इस प्रकार की चीज को हवा देते हैं जो विश्वनाथ प्रतापसिंह बी. जे. पी. के कहने से उठते थे, वह बी. जे. पी. के कहने से बैठते थे, वह बी. जे. पी. उनसे नाराज हो गयी तो क्यों? आदमी में कुछ कर सकने की सीमायें होती हैं आप अगर किसी आदमी को उस सीमा से परे ले जाओ तो वह अपनी स्थिति को देखता है। इस देश की राजनीति के अन्दर बी. जे. पी. ने पिछले वर्षों में जो रोल प्ले किया है उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज अखबारों में आती है, हम उसको देखते हैं और पढ़ते हैं मगर तकलीफ की बात यह है कि ऊँचे स्थानों पर बैठे हुये लोग भी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और और अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाते। भैरोंसिंह जी आप और हम 40 साल से विधान सभा में साथ-साथ बैठते हैं और हमारे लोगों में आपके बाबत चर्चा है। आप एक लिबरल माइण्डेड व्यक्ति हैं।

साम्प्रदायिकता का उतना पुट आप में नहीं है। यही बात हमारे लोग अटलबिहारी जी वाजपेयी के बारे में सोचते हैं। मगर आज जब जयपुर में फिर दंगा हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है और यह कहना पड़ता है कि जो कुछ हुआ उससे आपको भी चैन नहीं मिलता होगा। आखिर क्यों? इसलिए कि आपकी पार्टी के लोग, आपके साथी आपका कहना नहीं मानते। मैं बहुत ही तकलीफ के साथ कहता हूं जब मुझे कोई आपके बारे में पूछता है तो मैं कहता हूं कि वही एक आदमी है जो उदारतापूर्वक सोचते हैं, देखते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। मगर आप हार गये। मेरा मन यह कहता है कि आप हार गये। आज इस देश के अन्दर वे लोग हावी हो रहे हैं जिनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि देश रहे अथवा टूटे, इन-टैक्ट रहे अथवा नहीं रहे मगर उनकी बात चलनी चाहिए। आज इस जयपुर के अन्दर स्त्रियों के कपड़ों को उतार कर के उनके ऊपर घासलेट डालकर, पैट्रोल डालकर जिन्दा जला दिया जाता है और भैरोंसिंहजी आप और मैं दोनों बैठे हुये हैं यहां पर। छोटे बच्चों को आग में जैसे भुट्टा सेकते हैं उस तरह से सेक कर फेंक दिया जाता है और आप और हम इसको देख रहे हैं। जब हम वहां जाने की बात करते हैं, देखने की बात करते हैं तो आपकी सरकार हमको रोकती है। आपकी सर-

(श्री हरिदेव जोशी)

कार कहती है कि **हम** आपको नहीं जाने देंगे। सुरक्षा का सवाल है। क्या हो जायेगा मेरे जैसे आदमी जायेंगे तो ? आपके जैसे दो चार देश में हों, हमारी भावना की क्या कीमत रह गयी है ? आज यह सरकार है इसके लिए हम गौरव कर सकते हैं। कोई बर्थ नेम कार्य हमारा हुआ है, इस देश में एक गांधी था जिसने अपने आपको झोंक दिया उसके अन्दर। आज देश में दूसरा गांधी तो है नहीं जिनकी तरफ आंख उठा कर के देश का गरीब तबका देख सके, आश्वस्त हो सके। मैं आपको क्या समझाऊं, क्या बताऊं, आज अगर हिन्दू फण्डामेंटलिज्म इस देश में पनपे तो संसार के जितने भी देश हैं एक हो कर इस देश का विनाश करने के लिए उतारु हो जायेंगे। (व्यवधान)

मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सा इसको देखिये, थोड़ा सा इसको समझियें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारा स्वार्थ हमारा हित, हमारी स्टेज क्या है इसको समझो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इतने जड़वती है कि 1977 के अन्दर मैं हरिद्वार गया था, ऋषिकेश गया था, एक कैम्प के अन्दर। उस कैम्प में मैंने अपना नाम जाहिर नहीं किया था। दूसरी जगह के लोग पहचान नहीं पाये थे मगर राजस्थान के आर- एस. एस. के जो भाई थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझसे कहा कि आप हरिदेव जोशी हो, मैने कहा हां। उन्होंने कहा मैं भी राजस्थान का हूं आपसे बात करनी है। सारे दिन भर का प्रोग्राम होता था। मेरा खाना मेरे कमरे में आ जाता था। मैंने कहा उस समय आ जाओ, बात करेंगे, आपका खाना भी मंगवा लेते हैं और मेरा भी मंगवा लेते हैं। उसने कुछ सवाल किया मैंने जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि राष्ट्र भाषा के बारे में आपके क्या विचार है। मैंने कहा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। मैं संस्कृत को मानता हूं। संस्कृत बहुत ही रिच और हिन्दुस्तान के लिए अत्यन्त महत्व की भाषा है। भारत को समझने के लिए संस्कृत को समझना चाहिए, जानना चाहिए। मगर अधिकांश लोग उसको समझते नहीं है। इसलिए राष्ट्र भाषा नहीं हो सकती है। मेरे से इतना तन गये कि कुछ मत पूछो। उसके बाद अब यहां, जहां पर बन्द दरवाजे हो उसका क्या होगा ?

जब तक मैं वहां रहा उन्होंने मुझसे बात नहीं की वरना रोज प्रणाम और नमस्कार हो जाया करती थी। अब यह जो स्थितियां हैं, एक जगह बैठ कर फैसला कर लिया और जहां यह भी स्वाधीनता नहीं हो और किसी से एक बात करें तो डिफरेंस आया ओपीनियन अपनी रख सकते हैं सामने लेकिन यह भी जहां नहीं हो तो वहां पर देश कैसे विकास करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा ?

मुख्यमंत्रीजी अभी आपने अपने साथियों को रिच ट्रिब्यूट पे किए, जो आपके साथ काम काम कर रहे थे और जिनके कारण प्रशासन के अन्दर बहुत सहयोग आपको मिला मगर स्थिति क्या है

(श्री हरिदेव जोशी)

कि इसको दूसरे ढंग से क्यों नहीं देखते हैं? आपको याद होगा, 24 जुलाई को यह हाउस एडजोर्न हुआ था। उस समय बिजली का सवाल आया था। एक आर्डर बिजली बोर्ड ने निकाला था, उस आर्डर के अनुसार जो तरीका कांग्रेस की सरकार ने कायम किया था पिछले वर्षों के अनुभवों से उसको बदल दिया गया। उसके बाद उसकी तह-रीक बदल दी गयी। जो लोगों को प्रायोरिटी देने की बात थी वह भी बदल दी गयी। इस आधार पर संरचना की गयी थी कि इतनी बिजली मिलेगी वह भी बदल दी गई। जब 24 तारीख को मैंने आपसे प्रार्थना की तो आपने इस कमरे में कहा कि मैं जाते ही इस आर्डर को विथड्रा कर लूंगा। भैरोंसिहजी, आज का दिन है और कल की घड़ी है। मैंने दो नया पैसा बढ़ाया था रेट के अन्दर आर. एस. ई. बी. की कमजोर आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए टेरिफ में। दो पैसा किसानों के ऊपर ज्यादा लिया जायेगा, यह बढ़ाया था। आपने और नाथूराम जी ने मिलकर इस प्रदेश के अन्दर आन्दोलन चलाया था। 1 लाख 20 हजार लोगों को आपने जेल में भेजा और मेरी सुमित्रा बहिन ने झुन्झुनू के अन्दर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन का उनको याद होगा कि उस प्रदर्शन के अन्दर कलेक्टर के घर में घुसने वाली थी यह। उन्होंने आंसू गैस छोड़ करके ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसका मतलब यह है। जुडीशियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट पढ़िये आप। आप मर्जी आये जो बोल रहे हैं खड़े होकर।

श्री हरिदेव जोशी :....गोली एक आदमी को लगी। वह आदमी मारा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि काफी बड़ा तनाव आया झुंझुनूं के अन्दर। आज ऐसा मौका आया कि आपने भी पावर डिपार्टमेंट सुमित्रा बहिन को दे दिया। जब सुमित्रा बहिन पावर मिनिस्टर बनीं और लोग शिकायतें लेकर गये तो इन्होंने कहा कि चेयरमैन आर. एस. ई. बी. मेरा कहना नहीं मानता....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं मानता था तो सही कह रही हूं।

श्री हरिदेव जोशी : यह व्यवस्था ऐसी थी कि किसी का सैक्रेट्री उसका कहना नहीं मानता। किसी मिनिस्टर का हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट कहना नहीं मानता। किसी का चेयरमैन कहना नहीं मानता। आखिर क्या शासन है यह? या तो आप लोगों ने कह रखा होगा कि कहना मत मानो। अब यह हो सकता है। यह कहते हैं मैं तो नहीं कहता। इम्पासीबल। मैंने राजस्थान के अन्दर रह कर प्रशासन के अन्दर कई लोगों को कहने में और करने में देखा है। कई आदमी आब्सीनेट होते हैं। यह आदमी भी आब्सीनेट हो सकता है मगर आप यह समझो कि मिनिस्टर चाहे या चीफ मिनिस्टर चाहे और वह कहना नहीं मानें, उसको रहना कहां है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अमेरिका रहना है और कहां रहना है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्षजी, देश के अन्दर आज इस मुल्क में खाने के लिए अनाज तो है मगर उसकी कीमत क्या है? जिस समय यह गवर्नमेंट बनी थी तब लोगों से कहा गया कि कांग्रेस की सरकार तो निकम्मी सरकार है, बड़ी

(श्री हरिदेव जोशी)

महंगाई आ गयी है। आज कांग्रेस की सरकार को हटे 11 महीने हो गये हैं। हमने जब दिल्ली का बजट आया था केन्द्र का उस समय कहा था यह बजट महंगाई बढ़ायेगा। आपने बजट पेश किया था तो मुझसे पूछा था कि बजट कैसा लगा। मैंने आपसे कहा था कि किसी क्लर्क का बनाया था मुनीम का बनाया हुआ हो मुझे ऐसा लगता है। इसके पीछे पालिटिकल गाइडेन्स नही है और यह बात सही साबित हुई कि उस बजट के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे लोगों में उत्साह पैदा हो। न आप सामान खरीदते हैं अपनी गृहस्थी का बाजार में जाकर और न मैं खरीदता हूं। आप और हम देखें कि चीजों के दाम क्या हो गये हैं वह नहीं जानते हैं और परिस्थिति यह है कि पहले के मुकाबले में 40 परसेण्ट दाम बढ गये हैं और किसी के 100 परसेण्ट भी बढ़ गये होंगे मैं नहीं जानता हूं। आज इस महंगाई के मारे आदमी का जीवन दूभर हो गया है। आदमी की जिन्दगी खराब हो गयी है, बेहाल हो गयी है और फिर भी हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं।

कर्जा माफी का जिक्र किया है आपने और आपने उसको एक बहुत बड़ा एचीवमेंट माना है। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। जिस दिन मैंने कर्जा माफी की बात कही थी तो आपने कहा था कि जोशी जी तो खजाना खानी करके जा रहे हैं। आपने उसको एप्रिशियेट नहीं किया था और अपने मन से इस काम को नहीं किया था। आपने किया था दबाव से।

आज मैं देख रहा हूं कि कर्जा माफी का क्या परिणाम है। बड़े-बड़े ट्रैक्टर वाले, बड़े-बड़े पैट्रोल पम्प वाले, बड़े-बड़े हैसियत वाले लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं और गरीब की हालत खराब है, उसका बतूरा कोई नहीं। आखिर यह कैसे हुआ ? इसको आप ही देख सकते हैं। आपको देखना चाहिये। गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं हो रहा है. पैसे वाले का कर्जा माफ हो रहा। पैसे वाले में गुण होते हैं, गुर होते हैं। वे अफसरों की पगचम्पी कर सकते हैं और उनको खुश करके उनसे लाभ ले सकते हैं। वैसे यों तो आपके सारे सरकारी एडवाइजर तो हैं ही मगर रिटायर्ड आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर्स को भी आपने अपनी पार्टी में लिया है और वे आपको सलाह दे सकते हैं कि कैसी जमात है।

उपाध्यक्ष महोदय, पावर प्रोडक्शन के बगैर पावर का वितरण कोई मायने नहीं रखता है। आज आपने यह कानून बना दिया है कि प्रायोरिटी उसको दी जायेगी जो ट्रांसफार्मर खरीद कर या उसका पैसा दे दें। अगर गलत हो तो आपके पावर सैक्रेटरी यहां बैठे हुए हैं, उनको पूछकर के बतला दीजिये। ट्रांसफार्मर किसान खरीद कर के देगा। सोचा तो यह था कि जमीन के ऊपर खड़ा हुआ आदमी खड़ा होकर के और कुछ कर सकेगा, कुछ पा सकेगा।

एक बात मैं यह कह रहा हूं आपको यह है कि डेमोक्रेसी में पोलिटिशियन्स का इण्टरफियरेंस चलता है एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर। मगर थोड़े ही अर्से में जो राजस्थान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो इण्टरफियरेन्स हुआ है, उसने सारी

(श्री हरिदेव जोशी)

सीमायें लांघ दी हैं। आपकी पार्टी के लोग कलक्टर के दफ्तरों में बैठकर के यह अपेक्षा करते हैं कि जैसा वह कहते हैं वैसा किया जाय। जयपुर शहर के अन्दर पुलिस आफिसर जहां होम मिनिस्टर रहता है, जहां चीफ मिनिस्टर रहता है जहां डी. जी. पी. रहता है, उनकी तरफ नहीं देखते कहीं और देखते हैं। कहीं और देखने के कारण से प्रशासन पंगु हो गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन कराने की बात जो कही, वह सही है। हम लोग पिछले वर्षों से यह कोशिश करते आ रहे हैं कि जितना भी इसमें परिवर्तन हो सकेगा उतना हमको लाभ मिलेगा। हमको उसमें परिवर्तन लाना चाहिये।

मैं एक बात और कहता हूं। क्या कारण है कि अफसर लोग गरीब तबके को सताते हैं? सांगानेर के पास में, हवाई अड्डे के पास में गोली चली और लोग दुखी हुए। और कहीं गोली चली तो हरिजन पर और कहीं पर कोई मरा तो गरीब आदमी। कारण क्या है? उसको जरा भी भय नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सुनेगा तो बुरा मानेगा।

हम आपसे आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं इसलिये कि प्रजातंत्र के अन्दर यह जरूरी है कि मेलजोल से, मिल बैठकर के सलाह-मशविरा करके फैसले लिये जायं। मैं, भैरोंसिहजी, क्या आपके यहां दरख्वास्त देकर आऊं कि हम आपको सलाह देना चाहते हैं, बैठ जाओ और थोड़ा मशविरा करो। इसके लिए तो आपको स्थितियां पैदा करनी होगी कि आप और हम बैठें। हमें कहने का फोरम विधान सभा का हो, और भी कुछ हो, यह बात जरूरी है। लोकतंत्र में आखिर गिव-एण्ड-टेक करना होता है। आज रोडवेज की हड़ताल को कितने दिन हो गये? इसको कितने दिन और होना चाहिये? या तो सरकार को फेल करवाओ अथवा इनसे समझौता करो। जो कुछ भी करना है, वह करो मगर लोगों की कठिनाई दूर होनी चाहिये। आज आप देखिये, जहां बांसवाड़ा से यहां आने के लिये 70 रुपये शायद लगते थे, आज 120 रुपये वसूल करते हैं। इतनी लुटाई, इतनी ठगाई उसमें चल रही है कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। आपके दोस्त लोग कहते होंगे, बड़ी तारीफ हो रही है हमारी। हैड आफ डिपार्टमेंट खाते होंगे और कहते होंगे कि साहब, वाह; कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बताऊं। मगर आपको मालूम है, एक पूरा वर्ष निकल गया, बच्चों की पढ़ाई का। जो स्कूल खुल जाने चाहिये थे, कालेजज में में नई भर्ती हो जानी चाहिये थी, उसमें आज तक बी. ए. फाइनल के रिजल्ट तक नहीं निकले हैं। अब आप सोचो कैसे काम चलेगा। आज तो एक-एक दिन भारी पड़ रहा है और आप यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आज एक-एक वर्ष के लिए लोग अपनी सी. आर देखते हैं, रिपोर्टस् को देखते हैं और सोचते यह है कि साल निकल गया, आगे क्या होगा?

मुख्य मंत्री जी, आप पब्लिक लाइफ में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और आपने देखा है कि विकास के मायने कोई

(श्री हरिदेव जोशी)

भारत सरकार पैसा दे दे और वह हो जाए ऐसा नहीं है। विकास के मायने है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के जो परिणाम आएंगे, विकास होगा। आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन से दूर भागते हैं। आपकी योजनायें बनती है कि यहां पर हम लोगों को रोजगार देंगे। आज कितने अध्यापकों की पोस्ट खाली पड़ी है। रोजगार के मायने क्या है? जब आप अनफिल्ड वेकेन्सीज को भरेंगे नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा? कितने लम्बे अरसे से कोई पोस्ट भरी नहीं गई है? फिर उनकी आवश्यकता क्या है प्लान में रखने की? काट दीजिए 2 साल तक जो पोस्ट भरी नहीं गई है उसको। चतुर्वेदी जी को आपने कमेटी का काम सौंपा था। चतुर्वेदी जी आपके बहुत नजदीक के साथियों में से है, आपके शुभचिन्तक हैं। आपकी सरकार को नेकनामी मिले यह चाहते हैं। आखिर उन्होंने क्या किया? उसका परिणाम क्या आया? जब तक गांवों के अन्दर शिक्षा नहीं फैलती है तब तक हमारे ताऊ चाहे कितना ही कर लें गांव के किसानों का भला होने वाला नहीं है। हम स्कूलें खोल देते हैं और टीचर्स नहीं देते। नए सब्जेक्ट्स खोल देते हैं और सब्जेक्ट टीचर नहीं जाते हैं। हास्पिटल, डिस्पेन्सरी खोल देते हैं और एक भी स्टाफ का आदमी नहीं पहुँचता है। परिणाम क्या होगा ऐसे खोलने से? लेकिन खुश हो जाते हैं, यहां पर आपको बधाई दे देते हैं धन्यवाद दे देते हैं और वहां जाकर देखते हैं तब कोरमकोरा मामला है।

कोई भी शासन ट्रांसफर से बच नहीं सकता और कोई कैसा ही मुख्य मन्त्री हो अथवा दूसरा मन्त्री हो, व प्रभाव में नहीं आता हो और ट्रांसफर कैंसिल नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं है। आप और हम सब पीड़ित हैं इससे, मगर थोड़ी भी देखने की कोशिश की जाए। इन ट्रांसफर्स के कारण से कितने करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आज देश धू-धू करके जल रहा है। मैं जो आपसे बार-बार कहता हूं वह इसलिए कहता हूं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर एक हैसियत है। हमको खुशी इस बात की है कि कुछ किया जाए और देश को जो गड्ढे में गिराए जाने की कोशिश की जा रही है उसको रोकिए।

आपने देखा होगा कि जो अन्तिम वार्ता आपके और आपके पूर्व प्रधान मंत्रीजी के हुई उसका कारण क्या था? कारण यह था कि वे आपकी उस अप्रोच से सहमत नहीं थे, बाकी मिलावट है तो दूध में पानी और पानी में दूध की बात आप जानें। उन्होंने कहा यह कैसा धर्म है कि जिसमें भगवान की जगह अडवाणी जी रथ में और फूल की जगह फूल का निशान, चुनाव का निशान। सारे देश को आपने मिसमेराइज करने की कोशिश की और यह प्रयत्न किया कि देश इससे आगे बढ़ जाए।

देखिए हमारी अप्रोच बहुत साफ है। देश के अन्दर चुनाव आते हैं और जाते रहते हैं। हम चुनाव से भय नहीं खाते। मगर हमने जो आपका विरोध किया वह इसलिए कि आपका लक्ष्य था तत्काल चुनाव कराना और हम समझते थे तत्काल चुनाव कराने के मायने देश के अन्दर रक्तपात। देश के अन्दर खून की नदियां बहती, बही हैं और बहती। इसलिए हमने इसको मतभेद का विषय बनाया और

(श्री हरिदेव जोशी)

आप भी अकेले में बात करेंगे तो आप मानेंगे कि देश के अन्दर की खून की होली नहीं खेली जा सकती। पंजाब में चुनाव क्यों टाले गये? केवल इसलिए नहीं कि निष्पक्ष चुनाव का वातावरण नहीं था। आप इसकी मदद के लिए गए थे आगे। अब कल के बाद में रात की घटना हुई, उसके बारे में कहना फिजूल है। मगर मोहम्मद अली जिन्ना जो नुकसान नहीं कर सके इस देश का वह विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया है। आज इस देश के अन्दर पहला अवसर है जब 15-15 और 17-17 वर्ष के लड़के अपने शरीर के ऊपर घासलेट छिड़क कर और पैट्रोल छिड़क कर मर गए और जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे उनके द्वारा एक शब्द नहीं निकला, सिसकारी नहीं निकली। उनके मुंह से इससे अधिक हृदयहीनता और क्या हो सकती है?

मैं कहता हूं कि जिसको हृदयहीन कहते हैं उसका हृदय भी कांप गया होगा। आपके पास में तो रिसोर्सेज है। इण्डिया टुडे का 15 अक्टूबर का आपने देखा होगा। उसको आप देख सकें तो मैं कह सकता हूं कि आप आदमी हैं। कोई दिलदार आदमी उसको पूरा नहीं देख सकता। हमारे देश की बच्चियों को पुलिस के सिपाही किस तरह से उनकी निर्मम पिटाई की। आज मैं भी भागीदार रहा हूं और आप भी भागीदार रहे हैं हम सरकारों में [illegible] हुए हैं। यह क्या हो रहा है? आदमी [illegible] को पत्थर समझकर उसके साथ [illegible]

मैं आपकी बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे दिमाग के अन्दर एक प्रकार की तकलीफ भरी पड़ी है, उस व्यथा को, अवसर मिला, इसलिये उडेल रहा हूं आपके सामने। यह कैसे होगा? जो पुलिस के अन्दर अकेले आदमी हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं है, उनको कोई नेतृत्व नहीं है इन्सान से कैसे व्यवहार करें। आज युग पलट गया है। मीडिया स्ट्रोंग हो रहे है। पत्र लिखने के ऊपर भी अरुण शौरी जैसे आदमियों को निकाल दिया जा सकता है। इसको हम आजादी कहते हैं? इसको हम स्वाधीनता कहते हैं जिसके लिए हम लड़े? इसके लिये जेलों में गये थे? इसको लाने के लिये हमने तकलीफ उठाई थी? क्या सोचते हैं आप? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आयेगा कि नहीं आयेगा? और अगर नहीं आयेगा तो श्री जयनारायण जी व्यास ने एक गीत लिखा था प्रलय गीत—प्रलय कब होगा हे भगवान! उन्होंने प्रलय का आह्वान किया था और कहा था कि यह सब देखने के पहले प्रलय हो जाये, सब कुछ डूब जाये। यह देखना मैं ज्यादा पसन्द करूंगा। मुझे भी मन में यूं होता है, जिन्दगी के इतने वर्ष निकाल दिये। अब फिर न जाने पुनर्जन्म होगा तो कहां होगा कैसे होगा, क्या स्थितियां होंगी। मगर हमने यह जो कुछ किया यह देखने के लिये किया, चालीस साल के बाद यही आजादी है?

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी चीज से आपके मन में ऐसा लग रहा हो मैंने कोई कड़वी बात कही है तो मुझे आप क्षमा करेंगे। मगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि कुछ कीजिए जिसमे

(श्री हरिदेव जोशी)

गरीब की तकदीर बदले, गरीब की अस्मत बचे, गरीब की हालत में फर्क आये। चाहे वह जवाहर योजना हो, या अन्त्योदय योजना हो, मुझे इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है अन्त्योदय शब्द से, कीजिये मगर परिणाम लाइये। आपकी टीम बदली है अब आप नये लोगों को करेंगे, कौन ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हैं? आप सब को जानते है। मैं यह कह रहा हूं कि लोग जैसा समझते हैं कि हम इस चुनाव के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत बनाना चाहते थे और वह नहीं बनी, इसलिये हमारे दिमाग में कहीं कोई गुस्सा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि जब इस बारे में चर्चा हुई तो मैंने कांग्रेस हाई कमान को बहुत साफ कह दिया

We would not try for Chair.

कोई चेन्ज हमारे में आयेगा यह इनके आपस में होगा, हम इसके अन्दर कहीं नहीं होंगे। मैंने अपने साथियों को भी कह दिया था और मुझे आपको यह कहते हुए खुशी है कि मुझे इन 50 लोगों के ऊपर गर्व है कि इनमें से कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ। किसी के दिल के अन्दर कोई मलाल नहीं था। सारे लोग इस बात के लिये सनद थे कि बाहर रह कर के जो भी मदद दिला सकेंगे गरीब को मदद दिलायेंगे। मुझे गबीब आदमी को मदद दिलाने के लिये किसी के भी दरवाजे पर जाना पड़े, इसके लिए कतई संकोच नहीं करूंगा।

मैं एक शिकायत और करता हूं मैंने आपको कई चिट्ठियां लिखी। उन चिट्ठियों के एक्नालेजमेंट तो आये मगर उनका ठीक तरह से परिपालन होने की मुझे कोई इत्तला नहीं है। हम लोग कैसे संसार की कल्पना करते हैं? अभी यहां सर्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था। एक महान साधू थे, उन्होंने एक वेद का एक मन्त्र पढ़ा—

ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यम करवावहे, तेजस्विनां वधीमस्तु मा विद्वषा महे।

साथ रहें, साथ खायें, साथ काम करें, लड़ें नहीं और एश्वर्य को प्राप्त करें एक साथ काम करके। इस तरफ हमारा प्रयत्न होना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने गरीब के कल्याण की बात की। भैरोंसिंह जी का शासन सन् 1977 में भी आया था और तब भी गांव और गरीब व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि कोई हमारा रहनुमा, गरीबों का उद्धार करने वाली कोई सरकार आई है और वह भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, वही समय था जब गरीब किसान का असिंचित भूमि का 12 बीघा का लगान माफ किया गया था। गरीब लोगों को पेन्शन के लिये तैयार किया गया, उनको पेन्शन दी गई। लोगों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित प
के लोगों को कर्जा देना
गांव के लोगों ने पहले

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कि गांव का विकास कैसे होता है। फूड फार वर्क के अन्तर्गत तब कई लोग यह अनुमान भैरोंसिंह जी शेखावत के बारे में सोचने लगे थे कि गरीब और गांव का उद्धार करेगा तो भैरोंसिंह शेखावत करेगा। सौभाग्य से फिर से उनकी सरकार बनी और मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रदेश का योजनाबद्ध विकास किये जाने की तैयारी की जा रही है।

अनेक वर्षों से विकास की योजनायें बन रही है किन्तु हमारा प्रदेश अधोगति की ओर जा रहा है। ऊपर से नहीं वल्कि नीचे से प्राथमिकता है और इसका कारण यही रहा कि अरबों रुपये विकास की योजनाओं में लगने के बाद भी योजनाबद्ध तरीके से विकास की योजनायें नहीं बनी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मटके में ऊपर से पानी भरा जाय और नीचे छेद हो तो पानी ठहरता नहीं। इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ था कि विकास योजनायें सफल नहीं हो सकी।

माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट की। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को एक्टिव किया और स्वयं को लोकायुक्त की जांच की परिधि में लाने का यहां बिल पेश किया। फिर जो बड़े-बड़े अधिकारी थे, जिनका ए. सी. डी. चालान करना चाहता था, कांग्रेस सरकार जिनके चालान की अनुमति नहीं दे रही थी; ऐसे सब लोगों के खिलाफ न केवल चालान की अनुमति दी गई बल्कि कुछ ही समय में 90 लोग रैड-हैण्डेड पकड़े गये। आई. ए. एस., आर. ए. एस. आफीसर्स के खिलाफ चालान हुए। पाठ्य पुस्तक मण्डल पर छापा ए. सी. डी. द्वारा मारा गया। आर. ए. एस. की परीक्षाओं में अनियमितता की रिपोर्ट दर्ज हो गई। यानि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, यदि उसने अनियमितता की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

एक माननीय सदस्य : और जो डीजल के अन्दर कालाबाजारी हो रही है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह सारी परम्परा डाल गये आप, उनको तोड़ने में समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जिनको सजा देनी होती थी, उन्ही आफीसर्स को भेजा जाता था। किन्तु आज सरकार की विल क्या है? आज सरकार चाहती है ए. सी. डी. में अच्छे रेपुटेड लोग जायें और बेइमानों को पकड़ें।

तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट की इस सरकार ने और फिर गरीबों की ओर ध्यान दिया। गांव के गरीबों का आधार खेती है। आज हमारे यहां 16 जिले ऐसे हैं जिनमें वहां के निवासियों के लिए खाने को अनाज पैदा नहीं होता, दूसरी जगह से जाता है। इतने सालों की विकास योजना के चलते हुए भी आज यह स्थिति दिखाई देती है क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं हुआ। नहरें कहीं पर करोड़ों की बन रहीं हैं।

कोई नहर पांच करोड़ की लागत की थी वह आज तक पूरी नहीं हो पाई जब कि उस पर 95 करोड़ लग गये। यह कमी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नहीं सोचा कि सारे जिलों का विकास कैसे हो। राजस्थान में केवल पांच जिले ऐसे थे जिनमें सिंचाई विभाग का आधे से अधिक खर्च लगता था और आधा बजट बाकी के सारे जिलों को दिया जाता था किन्तु अब योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से यह सोचा गया कि जिन जिलों में नदी-नाले नहीं हैं वहां भू-जल का उपयोग किया जाय। किसानों के लिए कुओं की बीमा योजना शुरू की गई, ट्यूब वैल्स की व्यवस्था की गई और कम से कम पानी में कौनसी फसल पैदा की जा सकती है इसके लिए फव्वारों से खेती की योजना बन रही है। ऐसे जिलों में जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां पैसे को इन्वेस्ट करके सिंचाई का विकास हो इस दृष्टि से यह योजना बन रही है। इसके लिए विश्व बैंक से पैसा लाये हैं और इस योजना के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक ब्लाक को एक-एक करोड़ मिलने वाले हैं। जहां सिंचाई के लिए जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनसे सिंचाई का विकास किया जा रहा है।

किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद कम कीमत पर मिले, इसका प्रयास है। पिछली साल बाजरा 12 रुपये किलो था इस बार 8 रुपये किलो, गेहूं चार रुपये किलो, मक्का 6 की बजाय 3 रुपये किलो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सस्ता और अच्छा बीज और खाद किसानों को मिलेगा तो उनका उत्पादन बढ़ेगा।

रासायनिक खाद पिछली बार उपलब्ध नहीं हुई। कुछ बड़े लोगों के पास ही लाईसेन्स था, इस बार सरकार ने तय किया है कि कम से कम खाद बेचने वालों को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इससे गांव-गांव में किसान को अच्छी खाद उपलब्ध होगी। इसी कारण खाद की समन्वित योजना 470 करोड़ की सरकार ने बनाई है। जब किसान सम्पन्न होगा तभी प्रदेश सम्पन्न होगा और खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था से ही किसान सम्पन्न होगा। यह योजनाबद्ध तरीका है। इसमें डिटेल तो मेरे पास बहुत है। फल विकास की दृष्टि से पिछली बार 20 लाख रुपये रखे गये थे इस बार दो करोड़ दिये गये हैं जिससे सभी पंचायत समितियों में फलदार वृक्ष लगाये जा रहे हैं और मण्डी निर्माण की योजना है ताकि फलों के खरीददार वहां पहुंच सकें।

ऐसे ही जल संसाधनों के विकास के लिए अलग से डाइरेक्टरेट की योजना बन रही है।

कर्जा किसानों को माफ किये जाने के बारे में माननीय जोशी जी कह रहे थे कि इस पर मेरा अहसान मानना चाहिए। क्या उनके चुनाव घोषणा पत्र में कर्जा माफी की योजना थी? वह तो जब देखा कि पार्लियामेंट जा रही है और चुनाव हार रहे हैं तो अपने आपको ट्रस्टी समझ कर घोषणा कर दी 15 हजार तक के कर्जे माफ करने की लेकिन सरकार ने आदेश नहीं निकाला। एक फ्रांड किसानों के सामने खेलना चाहते थे लेकिन आज सरकार ने जो वादा किया था 10 हजार तक का कर्जा माफ करने का उसके अन्तर्गत 329 करोड़ का कर्जा माफ होगा। सहकारी बैंकों में जो गरीब कर्जा चुकाने वाले हैं उनको राहत मिलेगी, ऋण से मुक्त होंगे

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

और अपनी पूंजी खेत में लगाएंगे। तो कर्जा माफी की केवल घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि उसकी क्रियान्विति भी की है।

आपने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा। पहली बार माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार ने सोचा है और आज डेली वेज जो आपने 14 रुपये किये थे, इस सरकार ने 14 की बजाय 22 रुपये डेली वेज के किये हैं।

70 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए सौ रुपये की पेंशन की योजना इस सरकार ने बनाई, जो चयनित परिवार हैं उनके लिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 34 रुपये किलो सरसों का तेल भी सरकार बिकवा रही है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सरसों का तेल बिक रहा है या नहीं, आप किसान हो या नहीं हो ? किसान हो क्या ? किसानों की बहबूदी की बात करने वाला ऐसी बात नहीं करता, यह याद रखिये आप। आप किसान विरोधी हैं।

श्री हरि सिंह (महुआ) मैं उपभोक्ता भी हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप उपभोक्ता भी हैं तो उपभोक्ता के लिए सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गरीब आदमी को सस्ता मिलेगा।

श्री जगतसिंह दायमा : किसानों को पैसा दिया जा रहा है उचित मूल्य का।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गरीबों को तो रुपये की पेंशन किसने शुरू की ? आज गरीब की बात करने वालों से मैं यह जानना चाहता हूं कि, इन्दिरा आवासीय योजना का कितना उपयोग हो रहा है ? यह जो इन्दिरा आवासीय योजना बनी है वह खड़ी भी है या ढह गई है ? यदि वह बन गई है तो उनमें कोई रह रहा है क्या ? यह संवेदनशील सरकार का ही काम था कि सरकार ने यह तय कर दिया कि इन्दिरा आवासीय योजना एक ही स्थान पर बनाना जरूरी नहीं है। गरीब किसान का जिस जगह प्लाट है वह अपने प्लाट पर, खेत में मकान बना सकता है, जहां वह रह सकता है वहां इन्दिरा आवासीय योजना अन्तर्गत वह अपना मकान बना सकता है। यह सरकार की संवेदनशीलता का एक उदाहरण है। ऐसे ही जो योजनायें विकास की चल रही है, आज चयनित परिवारों में अन्त्योदय योजना को फिर से लागू किया गया। अन्त्योदय योजना के नाम पर किसान और गरीब प्रसन्न होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ही योजना दो सरकार चलाये, एक सफल होती है, एक असफल होती है और उसका कारण क्या होता है कि सरकार की विल क्या है यह बात देखी जाती है। पिछले भैरोंसिंह जी के शासन में भी अन्त्योदय योजना को जो सफलता मिली वह आज चयनित परिवारों को नहीं मिल रही है। मैंने देखा है,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उपाध्यक्ष महोदय, कि चयनित परिवारों में सरपंच साहब के साहबजादे, उनके भाई, उनकी पत्नी, पिताजी, इन सबके चयन हो रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि भैरोंसिंह की सरकार में समर्थन इसलिए व्यक्त किया जाय कि आज गरीब और गांव दोनों यह अनुभव करते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचने वाला है। मजदूर की 14 रुपये से 22 रुपये रेट हुई। मजदूर आज प्रसन्न है कि सरकार ने मजदूरों की तरफ ध्यान दिया।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : नहीं दे रहे हैं रुपये 22 आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : सरकार से पूछिए, नहीं दे रहे हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं इसको, मैं कह रहा हूं कि नहीं दे रहे हैं। आप रिकार्ड कर लीजिए, सरकार से पूछिए।

श्री मदन लाल सैनी : 22 रुपए शुरू हो गई।

श्री देवेन्द्र सिंह : आज जे. आर. वाई. में 14 रुपये दे रहे हैं, 22 रुपये नहीं दे रहे हैं। सरकार से कहलवाइये, आप तो समझते ही नहीं हैं, आप क्या समझते हैं? उनसे कहलाओ न, बैठे हैं जो।

श्री मदनलाल सैनी : जो उद्योगपति मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और आपको नहीं मिला है तो पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट में इसकी व्यवस्था है ...

एक माननीय सदस्य : दे रहे हैं, आपको लेना हो तो बोलिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : 22 रुपये दे रहे हैं तो बोलिये न। आप खड़े होकर बोलिये कि 22 रुपये दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कागजों में दे रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि कहीं नहीं दे रहे हैं, सरकार के आदेश के बाद, तो वह गलती कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप सरकार से निवेदन कीजिए।

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं दे रहे हैं आप। दे रहे हैं तो बोलिये न।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पर अब नहीं दे रहे हैं किसी विभाग में, तो अब दे देंगे। पर आपको इस बात का अफसोस है कि नहीं कि आपने अपने राज में क्यों नहीं दिये?

श्री देवेन्द्र सिंह : हमें इस बात का अफसोस है कि आप यहां असत्य बोल रहे हैं।

श्री मदन लाल सैनी : राजस्थान में सब जगह 22 रुपये न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को मिल रही है ...

श्री देवेन्द्र सिंह : सरासर नहीं मिल रही है।

श्री मदनलाल सैनी : और जहां इस प्रकार की शिकायतें आई हैं वहां पेमेन्ट आॅफ वेजेज में मालिकों के खिलाफ, मजदूरी नहीं देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है। सरकार और सब विभाग इस बारे में पूरी मुस्तैदी के साथ उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे है जो 22 रुपये नहीं दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप हो क्या बीमारी ? सरकार के मंत्री को बोलने दो। मंत्री महोदय कहें कि 22 रुपये दे रहे हैं तो मान लूंगा। बोलिये। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : जो मजदूरी कर रहे हैं उनको तो मजदूरी मिल रही है, जो नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है।

एक माननीय सदस्य : आप क्यों फिक्र करते हैं ? जो नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है।

श्री मदन लाल सैनी : मजदूरी तो आप भी नहीं कर रहे हो, आपको भी पता नहीं है। आप भी 22 रुपये ले लो, कहीं मस्टर पर जाना, बोलो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सैनी साहब, जे. आर. वाई. में 22 रुपये नहीं दिये जा रहे हैं। यह सही कह रहे हैं। आप एक भी जगह का उदाहरण बता दो कि जे आर. वाई. में 22 रुपये दिये जा रहे हों। जो सही बात है उसको तो मानिये। अभी उसकी स्वीकृति नहीं निकली है। कैसे दे देंगे 22 रुपये ? एक भी जगह 22 रुपये नहीं दिये गये हैं जे. आर. वाई. में।

श्री मदनलाल सैनी : यह जो मिनिमम वेज बढ़ा है उसका गजट नोटिफिकेशन देख लीजिए माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री चम्पालाल बांठिया : आप जे. आर. वाई. की बात कर रहे हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने जे. आर. वाई. का ही सवाल उठाया है, प्राइवेट फैक्ट्रियों में तो देंगे ही। मिनिमम वेज तो देना ही पड़ेगा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन लाल सैनी : न्यूनतम मजदूरी उनको मिलती है जो गजट नोटिफिकेशन में . (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : आप काहे को बात कर रहे हैं ? आप इनको कहने दो न।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, अब जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य। समय निकलता जा रहा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आॅफिसर्स में राजनीतिक दखलन्दाजी की बात आई। मैं भी कई आॅफिसर्स से मिलता हूं, आई. ए. एस., आर. ए. एस., आई पी. एस., सब एक स्वर में कहते है कि राजनीतिक दखलन्दाजी इस राज में बिल्कुल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय जोशीजी किस राजनीतिक दखलन्दाजी की बात कर रहे थे, स्थानान्तरण की बात कर रहे थे कि स्थानान्तरण बहुत किये जा

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रहे हैं। शिक्षा विभाग में दस प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण नहीं हुए और यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले स्थानान्तरण कराने के लिए जो कर्मचारी राजनीतिज्ञों के यहां पड़े रहते थे, उनकी चम्पी किया करते थे, स्थानांतरण नीति बनने के कारण भयमुक्त हो गये हैं। किसी का अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यह पॉलिसी के अन्तर्गत तय हो गया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेडिकल में कितने हुए माननीय सदस्य, वह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेडिकल के लिए भी, माननीय सदस्य, नीति के विरुद्ध एक भी ट्रांसफर हो तो माननीय मंत्रीजी से मिल लीजिए। वह बहुत सख्त है इस मामले में ...... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : दूरस्थ जिलों में भेज दिया जाय, सीमावर्ती जिलों में भेज दिया जाय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, यह इन्टरफियर कर रहे हैं। कई लोगों को तकलीफ इसलिए है, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफरों में लोगों का जो धन्धा चलता था, कई लोग जो बाहर पड़े रहते थे, वह धन्धा बन्द हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां एक दिन में दो-दो सौ जी. ओ. निकलते थे ट्रांसफर के शिक्षा विभाग में, इस वर्ष एक भी जी. ओ. ट्रांसफर का नहीं निकला है। यह हमारे लिए एक उदाहरण है। स्कूलें खाली पड़े रहने की बात थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, रेशनलाइजेशन में चार हजार अध्यापक ऐसे हैं जो बिना पद के लगे हुए थे, जी. ओ. होते थे, शहरों में जाइये, जगह नहीं है, वहां पड़े हैं। चार हजार एक्स्ट्रा अध्यापक हैं जो स्वीकृत पद के अतिरिक्त थे। आज उनके आदेश निकाल दिये गये हैं, लगभग अस्सी प्रतिशत स्थान भर गये हैं, बीस प्रतिशत के लिए आदेश हो गये हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब आप बार-बार डिस्टर्ब करते हो, इनका नम्बर भी ले लेना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आये तब बोल लीजियेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता था कि राज्य प्रशासन में भय नहीं रहे स्थानान्तरण का, इसके लिए नीति बनाई गई। मैंने एक उदाहरण थोड़ा सा क्रॉप का दिया कि योजनाबद्ध तरीके से विकास की क्या रूपरेखा बनी है, ऐसे ही सभी विभाग—चाहे वह उद्योग हो, चाहे कोई और विभाग हो, सब ने अपनी अपनी नीतियां बनाई है। नीतियों की क्रियान्विति में थोड़ा समय लगता है क्योंकि

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

योजनाबद्ध विकास में हेफेजर्ड-वे में काम नहीं हो सकता। उसकी योजना बनती है, उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है। जहां कुछ नहीं करना है, रुपया नहीं देना है, केवल 15-15 हजार की घोषणा करनी है वहां कोई देर नहीं लगती है। विभाग योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के विकास में लगे हुए हैं।

मैं इसलिए भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने जो विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि नगरपालिकाओं के चुनाव में यह विश्वास व्यक्त हो चुका है। आज गांव और गरीब लोगों से पूछिए, वह गरीबों और किसानों की हितैषी सरकार मानता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार में अपना विश्वास व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (नेता, जनता दल) : उपाध्यक्ष महोदय, 4 मार्च, 1990 से 26 अक्टूबर, 1990 तक मुख्यमंत्रीजी के साथ मंत्रिमण्डल में काम करने के पश्चात् और जैसा उन्होंने कहा है सौहार्द्रपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में काम करने के बाद पूरी आजादी के साथ अपने विचारों को हर तरह से रखने के साथ और अपने काम में किसी तरह की रुकावट न महसूस करने के बाद आज मैं मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के मंत्रिमण्डल में जो विश्वास का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्यों?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अन्याय तो मत करो।

श्री नत्थीसिंह : मैं आपके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं करूंगा बल्कि जिस अन्याय के शिकार आप हो रहे हैं उसका त्राण करने की कोशिश करूंगा। आप घबराओ मत।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नत्थीसिंहजी, एक बात ईमानदारी से कह देना, आपको आजादी थी क्या काम करने की या नहीं थी?

श्री नत्थीसिंह : थी और नत्थीसिंह वह आदमी है, जहां आजादी नहीं होगी वहां काम नहीं करेगा। ठुकरा देगा मंत्री पद को। यह कमजोरी नहीं है। मुझे आजादी थी। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी आजादी पर अंकुश लग रहा है।

हमने विधान सभा के चुनाव के समय, हमने लोकसभा के चुनाव के समय चुनाव मिलकर लड़े, सीटों का तालमेल किया। क्यों? इस देश में जो एकाधिकार की प्रवृत्ति, लोकतंत्रात्मक मूल्यों का हनन और देश में एक खतरा पैदा हो गया, सारा समाज कहीं पर तिरोहित न हो जाय। गांधीजी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी वह सारे मूल्य अप्रासंगिक न हो जाय। इसलिए हमने लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनावों में इस बात के लिए चुनाव लड़ा, इस बात को कहकर चुनाव लड़ा कि इस देश में जो गरीब हैं, जो मेहनतकश हैं जो शोषित हैं जो पद दलित हैं जिनको इस जमाने में न्याय नहीं मिला, वह न्याय उनको दिलाया जाय। हमने यह बात उठायी कि 80 प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं, जो सबसे ज्यादा इस देश को देते हैं, अन्न के रूप में, मेहनत के रूप में उसको उसका जो उपयुक्त भाग मिलना

(श्री नत्थीसिंह)

चाहिए वह नहीं मिलता है । इसलिए हमारा इरादा था, हमने फैसला किया था कि इस देश के खजाने में से, इसके बजट में से 50 फीसदी भाग हम गांव और देहात के किसानों पर खर्च करेंगे और मुझे खुशी है । यह बात कहते हुए कि राजस्थान की सरकार जिसमें हम शामिल थे उसने 60 फीसदी खर्च करने का फैसला किया । इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि चाहे कर्ज माफी का सवाल था, यह बात सही है. मुख्य मंत्रीजी भी जानते हैं और सब जानते हैं, इसमें कुछ मतभेद थे । हम लोग मानते थे कि कर्ज माफी हर एक की हो, लेकिन यह बात सही कि वित्तीय सीमाओं के कारण जो फैसला हुआ वह सही मायने में जनता के हित का फैसला था ।

जो कार्यक्रम किये गये उसमें दो राय नहीं हैं । बुड्ढों को पेंशन की बात कही, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, कम से कम 65 वर्ष तक के लोगों को मिले पर कोई बात नहीं एक निर्णय हुआ, 70 साल तक जो गरीबी की सीमा रेखा में रह रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उन सबको पेंशन देंगे । बेरोजगारी की समस्या मुंह बाये खड़ी थी । हम चाहते थे उस समस्या का भी समाधान करें । इन सारी बातों पर जब हम विचार करते थे तो हमारी गांवों की जो संस्था है जिसको हम पंचायत राज संस्था कहते हैं, सहकारी संस्था कहते हैं उसको मजबूत और सुदृढ़ कैसे बनायें । जब हम विचार कर रहे थे—आज कहा गया, मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, विश्वनाथ प्रताप सिंह मोहम्मद अली जिन्ना से भी गये बीते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह में कोई कमी हो सकती है लेकिन उसमें यह गुण है और वह यह है कि सिद्वांत के लिए सत्ता को ठुकराने में वह कभी पीछे नहीं रहे । इसके साथ में दूसरी बात कहना चाहता हूं इस देश में जो लोग पिछड़े हैं उनको भी उसका हक मिले उसके लिए जिस तरीके से किया गया, देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई यह बात सही है लेकिन नीति कोई गलत नहीं थी ।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस सब के होते हुए क्या कारण हुए कि हमने मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र दिया, अपना समर्थन वापस लिया । मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, यह जो समस्यायें थी, मुझे याद है चार मार्च को मंत्रिमण्डल द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद हमारे सचिवालय के सचिवों और विभागाध्यक्षों की पहली मीटिंग हुई । उसमें मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र हैं उसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर आये हैं हम इन चुनाव घोषणा पत्रों को क्रियान्वित करेंगे, आप वह घोषणा पत्र देखिए और क्रियान्वित करिए, उन्हें पढ़िए और सोचिए कि क्रियान्विति कैसे की जाय और कोई कठिनाई हो तो बतायें । लेकिन मुझे दुख है अभी यह कहा गया, यह बात सही है सदन में मैंने भी कहा था और मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि हम जनादेश लेकर आये हैं, लोगों ने हम में विश्वास जताया था और वह विश्वास था कि पूरे पांच वर्ष तक आप लोग आपने जो घोषणा की है, उनको पूरा करने के लिए एकताबद्ध होकर काम करेंगे ।

(श्री नत्थीसिंह)

मुझे दुख होता है, मुझे खेद है और मुझे क्षोभ भी है कि भाजपा ने वह स्थितियां पैदा कीं और उन्होंने केन्द्र में अपना समर्थन वापस लिया, जनता दल की सरकार से, विश्वनाथ प्रतापसिंह की सरकार से। क्यों लिया, इसको भी देखिए। हमारे चुनाव घोषणा पत्र, हमारे संकल्प जनता के सामने हैं। हमारे वायदों में कहीं राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का प्रश्न नहीं था। उस समय सभी सभाओं में मुझे याद नहीं पड़ता माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी ने यह कहा कि अयोध्या में रामजी का मन्दिर नहीं बनेगा तो हम यह सरकार नहीं चलने देंगे। उन्होंने कर्जे की बात कही, पेन्सन की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, कर्जे माफी की बात कही लेकिन यह बात नहीं कही गयी। जिसके लिए सरकार से समर्थन वापस लिया है कि अयोध्या में भगवान राम का मन्दिर उसी जगह बनना चाहिए जहां बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा है। इस देश में यह कोई इश्यू नहीं था। क्यों बनाया गया यह इश्यू? मुझे मालूम है हमारी हर राजनैतिक पार्टी ने यह संकल्प दिया और घोषणा की है, चुनाव आयोग के सामने कि भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र के जो आधारभूत सिद्धान्त हैं उनमें हम विश्वास करते हैं और विश्वास की परिणीत के बाद ही हर एक राजनैतिक पार्टी को यह मौका मिला है कि वह देश की राजनीति में हिस्सा ले सके।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि भाजपा ने सात महीने या आठ महीने के अन्दर अपने उन करारों को, अपने उन वचनों को भुला दिया और देश में राजनैतिक फायदे के लिए, भावनाओं के राजनैतिक शोषण के लिए, साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए और विश्व हिन्दू परिषद और दूसरे लोग इस विवाद को चला रहे थे। भगवान राम सब के हैं, हमारी भी उनमें भी आस्था है। अयोध्या में उनका जन्म माना जाता है। अयोध्या में उनका मंदिर बने किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं है लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक सम्प्रदाय की मस्जिद वहां खड़ी है, उसको तोड़कर या हटाकर फिर मन्दिर बनाया जाय। यह भारत के संविधान के विपरीत है और जो संविधान के विपरीत कार्य करे उसके लिए हम एक बार नहीं सौ बार सत्ता को ठुकराकर संघर्ष के रास्ते पर जायेंगे और इस लिए हमने यह रास्ता अपनाया। मैं जानता हूं आप थू-थू मत करो (व्यवधान)

मुझे मालूम है हमारे मुख्य मन्त्री जी और उनके दूसरे साथी चिंतित थे इस बात से कि यह स्थिति पैदा न हो, कोशिश भी की थी। जैसा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, चली नहीं। उनकी क्यों नहीं चली? काबू से बाहर हो गये। मुख्य मंत्री जी, लोग आपके काबू से बाहर हो गये हैं। मुख्य मंत्री जी जो लोग आपके पीछे हैं वह आपके बस के नहीं हैं, फिर आपको मोह किस बात का हो रहा है? इस देश को बचाना है या कुर्सी को बचाना है। यह बात आज हमको सोचनी है।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत लेट समझ में आयी।

श्री नत्थीसिंह : मेरी तुरन्त समझ में आई आपको अब भी समझ नहीं आई। आपको कुर्सी समझ में आई ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 40–43 वर्षों से हम आजाद हैं। यह उन्माद 1947 में भी पैदा हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था। तब साम्प्रदायिक दंगे भड़के थे। हिन्दू और मुसलमानों के बीच खून-खराबा हुआ था और उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता, हमारी आजादी के महान नेता महात्मा गांधी की कुर्बानी ली गई थी, 30 जनवरी 1948 को। हम समझते थे उसके बाद लोगों के दिल और दिमाग बदलेंगे और इस देश में कभी साम्प्रदायिक उन्माद नहीं फैलेगा। लेकिन हमें खेद है कि रथयात्रा के नाम पर, रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पर इस उन्माद को उभारा गया। उसके पीछे धार्मिक भावना नहीं, उसके पीछे क्षुद्र राजनीतिक शोषण की भावना थी। अगर नहीं थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस रथयात्रा के ऊपर झण्डा कौनसा था ? कमल के फूल का निशान रामजी के साथ-साथ, यह इस देश में चलेगा ? इस देश के संविधान में इस बात की वर्जना है कि धर्म को राजनीति में मिलाकर नहीं चला जा सकता। धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है। हमें अधिकार है कि हम अपनी आस्था के अनुसार पूजा, सेवा करें लेकिन धर्म के नाम पर हम देश को नहीं बांट सकते। जब आप यह बात कहते हो तो मुझे मालूम है कि थोड़ा सा झुककर ही विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी सरकार बचा सकते थे लेकिन उन्होंने झुकना मन्जूर नहीं किया। इसलिए यदि देश को बचाना है तो धर्म के आधार पर राजनीति को चलाने की बात करेंगे। अयोध्या में राम मन्दिर बनाइये लेकिन मस्जिद तोड़कर, काशी में शिव मन्दिर बनाइये मस्जिद तोड़कर, मथुरा में कृष्ण मन्दिर बनाइये मस्जिद तोड़कर ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में चार हजार मस्जिदों के बारे में विवाद है। केवल मस्जिदों के नाम पर क्या हम इस देश में अराजक दौड़ लाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : वह अराजक दौड़ इस देश में नहीं आये इसलिए जो यह प्रवृत्ति पैदा की गई इस देश में, इस प्रवृत्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना समर्थन वापस लिया, उसके सामने विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं झुके, इसके वह हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

श्री अमृतलाल परमार : वह अडियल थे।

श्री नत्थी सिंह : नहीं, वे सिद्धान्तों के प्रति अडिग थे। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन घोषणाओं और सिद्धान्तों के आधार पर चुनाव लड़ा था उनके पालन और क्रियान्विति करने के लिए जो स्थिति देश में पैदा की जा रही थी, उन सबको पीछे फेंककर उन सबको भुला दिया। गांवों में 60 फीसदी पैसा लगाना है, कर्जा माफी का काम पूरा करना है, बिजली, पानी देना है, पेन्शन योजना की क्रियान्विति

[redacted]

(श्री नत्थी सिंह)

करनी है आदि को भुला दिया। अभी तक तो राजस्थान में हमारे सामने समस्या थी कि रोजगार नहीं दे सकते लेकिन रोजगार के बजाय कितने लोग सरप्लस हों इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। इस समस्या का समाधान कैसे हो इस समस्या का हम कैसे हल निकालें? इस प्रकार जब हम जुटे हुए थे तो सारी बातों को गर्त में फेंक दिया गया और सामने लाया गया राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना समर्थन वापस लिया, मैं मानता हूं इस बात को, यह समर्थन विश्वासघात था और जनादेश की अवमानना थी। यह जो जनादेश की अवमानना ...

श्री देवीसिंह भाटी : आप क्या कह रहे हैं?

श्री नत्थीसिंह : अभी बताता हूं और इसीलिए आज हमने अपना समर्थन वापस लिया। हमारी आस्था है कि इस देश को बचाना है, मेहनतकश को उसकी मेहनत का फल देना होगा, आर्थिक समस्याओं से उसका ध्यान बंटाना नहीं होगा। मण्डल आयोग की यहां भी बात हुई, मंत्रीमण्डल में भी बात हुई. लेकिन फैसला नहीं हुआ लेकिन सारी समस्याओं को पीछे पटक दो, सारी आर्थिक समस्याओं से देश का ध्यान बंटा दो, देश किसी बात पर नहीं सोचे और यह उन्माद देश में उभरे और केवल साम्प्रदायिकता के नाम पर हमारा देश बंटे, इससे देश बचेगा नहीं। इसलिए एक बात मानी जाती तो कश्मीर का क्या होगा, खालिस्तान का क्या होता और नागालैंड में ईसाई राज्य का क्या होता? आप ध्यान से अपने दिल पर हाथ रख कर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्दिर बनाने में खालिस्तान की बात। एक मंदिर बनाने में अपनी सारी अकर्मण्यताओं, असमर्थताओं को इस तरह थोप सकते हैं? शर्म आनी चाहिए।

श्री नत्थी सिंह : 26 तारीख की सफलताओं, असफलताओं में हम साझी हैं, उससे हम इन्कार नहीं करते। हम साझी हैं भागीदार हैं लेकिन.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय नत्थीसिंह जी साहब, आपकी पार्टी के तीन इधर क्यों आये? क्यों छोड़ा उन्होंने? आप हमें बताइये।

एक माननीय सदस्य : जो पार्टी में + + + थे वह चले गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ बोल रहे थे। थोड़ी देर पहले तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य भी बोले थे। मुझे याद आती है, 25 तारीख अक्टूबर की। दिल्ली में हमारे जनता दल के अध्यक्ष

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

एस. ग्रार. बोम्मई का घर ग्रौर हमारी मीटिंग ग्रौर यह बात सही है हमने कहा था थोड़ा इन्तजार करो, सिचुएशन को देखने दो लेकिन हमारे दो माननीय सदस्य, एक बानसूर से ग्राने वाले ग्रौर दूसरे तिजारा से ग्राने वाले हैं, एक क्षण के लिए भी साम्प्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठना पाप है, गुनाह है। (व्यवधान) ग्रौर यह पाप ग्रौर गुनाह की रटना लगाने वाले लोग ग्राज यह कहते हैं कि हम इसलिए माननीय भैरोंसिहजी के मंत्रिमण्डल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जनादेश पांच साल को मिला है।

जनादेश 5 साल का मिला है, विधान भंग नहीं हो जाय, मंत्रिमण्डल टूट नहीं जाय इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। 25 तारीख ग्रक्टूबर की ग्रौर 2 तारीख नवम्बर की, जब हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई तो यह दोनों ही नहीं ग्रौर भी बड़े जोर से गरज रहे थे कि इस भारतीय जनता पार्टी को 8 तारीख को खाना है इसमें एक मत है, एक मत से विश्वास लेकिन कांग्रेस के साथ गठ-बन्धन मत करो यह कहा था....

श्री देवीसिंह भाटी : यह भाषण भी तो ग्रापने यहां खड़े होकर दिया था कि 5 साल तक यह सरकार नहीं हिलेगी, भैरोंसिंह शेखावत की सरकार काम करेगी, यह विश्वास से कहा था। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : भाटीजी क्यों दर्द हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : मैंने शुरू में ही यह बात कह दी थी कि मैंने भी कहा था

श्री जगतसिंह दायमा : ग्राप भी चाहते थे मुख्य मंत्री बनना, क्या हुग्रा आपके समझौते का ?

श्री नत्थीसिंह : दोनों ने कहा था लेकिन मैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके द्वारा मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि 2 और 6, 4 दिन का ग्रन्तर, 2 तारीख को कहा हुग्रा 6 तारीख को भूल जाय, वह 4 साल-5 साल निभायेंगे। इन बैसाखियों का ध्यान कर लेना कि यह बैसाखियां कैसी हैं इन पर ध्यान रखना....

श्री जगतसिंह दायमा : कल 40 को कह रहे थे, कल हमको भी मंत्री बना रहे थे।

श्री नत्थीसिंह : यह लोग सत्ता कैसे पास में ग्राये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ग्रापका नाम है....

श्री सम्पतसिंह : यह जो दो का ग्रापने उदाहरण दिया है इन्होंने बर्नार्ड शा की डेफिनेशन पढ़ ली—बेस्ट डिप्लोमेट इज वन, बाहर सर सब्जबाग है ग्रौर वहां ग्रंधेरे में ले जाकर ढकेल दिया।

श्री नत्थीसिंह : मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि नगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि हमारी ललक थी सर सब्जबाग की ग्रोर, ग्रंधेरे में कैसे कैसे रह जायं ? वहां सर-सब्जबाग दिख रहा था, ग्राम टपक रहे थे दिखते हुए, ग्रंगूर दिख रहे थे, खाने को ललक रहे थे।

(श्री नत्थीसिंह)

यह बात सुन लें एक-एक फिर बात करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोतीलाल मीणा : +++

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, हमारा आधार था अपने समर्थन वापस लेने का। समर्थन वापस लेने का दूसरा आधार था कि हमने कहा था, हमने जो राज्यपाल महोदय को लिखित में दिया था सर्व-सम्मति से फैसला भी हमारे, मेरी बगल में बैठे हुए उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य कह आये थे कि हम तो कांग्रेस के साथ नहीं जायेंगे। कोई गुप-चुप कांग्रेस की बात कर रहे थे उन्हें मालूम है, मैं समझता हूं कि उन्हें पूरी बात कहनी चाहिए अधूरी नहीं। बोम्मई साहब ने फैसला किया था कि कांग्रेस के साथ जाने का कोई हमारा निर्णय नहीं है। हम 8 तारीख को दूसरी परिस्थितियों के अनुसार देश में आगे क्या होगा वह करेंगे और उन्होंने साफ तौर से संसद की मीटिंग में कहा कि हम कांग्रेस के साथ और बी. जे. पी. के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : इनको कहते हैं सफेद असत्य।

श्री नत्थीसिंह : उसके बाद बहाना तलाश करते हैं वही लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ नहीं कहूंगा, मौका आवेगा तब, पहले इनको ही बुलवा लूंगा। मैं राजस्थान और हिन्दुस्तान के बारे में बात कह रहा हूं...

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान और हिन्दुस्तान के साथ-साथ यू. एन. ओ. की भी कर दो।

श्री नत्थीसिंह : हां, सुन लो, मैं यह भी करूंगा। मैंने मंत्रीजी को कहा कि इस्तीफा दे दो, मैंने फोन किया तो कहा कि बीमार हो रहा हूं, अस्थमा हो रहा है, आज ही इस्तीफा भेज दूंगा, तो मैंने कहा कि मेरे पास भी भेज देना मैसेंजर से (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ना मैंने इस्तीफा भेजा और ना मैं इस्तीफा दूंगा। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : वह आपको अपना नेता ही नहीं मानते हैं तो इस्तीफा क्या देंगे ?

श्री नत्थीसिंह : दूसरे दिन अखबारों में पढ़ा, इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि मैं अपने नेता माननीय कालवी साहब और चन्द्रशेखर जी जब कहेंगे तब दूंगा। मैंने फिर फोन किया 28 तारीख को तो कहा कि डाक से भेज दिया। अखबारों में बयान दे रहे हैं। मैंने कहा कि मैसेंजर से मेरे पास भी भेज दें तो कहा कि भेज रहा हूं लेकिन पता नहीं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नत्थीसिंह)

डाक कहां रुक गई, मुख्य मंत्रीजी को मिल गई हो तो पता नहीं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सम्भाल कर रखना न तो इस्तीफा दिया है और आगे ना ही दूंगा। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने न तो इस्तीफा दिया और ना ही देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं शेखावत मंत्रिमण्डल का सदस्य हूं और रहूंगा।

श्री नत्थीसिंह : यह मंत्रिमण्डल के सदस्य है और रहेंगे। इसलिए इनका केवल एक हक है कि कुर्सी से चिपको, जनता से वायदा भूलो, विश्वासघात करो। जनता समझेगी ...

श्री देवीसिंह भाटी : कुर्सी आपकी मेहरबानी से नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान : कैसे कैसे मंत्री आपने बैठा रखे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपकी मेहरबानी से मंत्री नहीं बना था, मेरा आला कमान है चन्द्रशेखर, वह जो आदेश मेरे को देंगे वही मैं करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : क्या चन्द्रशेखरजी ने कहा कि इस्तीफा मत देओ, हिम्मत हो तो कहो।

श्री देवीसिंह भाटी : आप होते कौन हैं ? आप तो पूर्व नेता थे कभी।

श्री नत्थीसिंह : अपनी सीमित धारणा और संकुचित सहानुभूति के लिए काहे कभी चन्द्रशेखरजी का, कभी श्री विश्वनाथ प्रतापसिंहजी का, काहे उन पर लांछन लगाते हो। कटोरे का मक्खन खाया है अभी चट्ट करना है तब तक नहीं छोड़ेंगे यह कहो सीधी सी बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने जो दूसरे मुद्दे उठाये थे हमारा समर्थन वापस लेने का, दूसरा मुद्दा था उसमें हमारे मंत्रि महोदय भी शामिल थे लेकिन

(4.36 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेते समय भारत बन्द का आह्वान दिया था। भारत बन्द का जब आह्वान दिया, मुख्य मंत्रीजी भी बी. जे. पी. के ही हैं, हम भी यहां मंत्रिमण्डल में थे। हमने कहा, भारत बन्द के आह्वान के एक दिन पहले कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाय, बड़े आफिसर्स भी मौजूद थे। मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि यह तो शांतिपूर्ण आन्दोलन है, कोई झगड़ा नहीं होगा, सब शान्ति से निपट जायेगा। मुख्य मंत्रीजी को पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था कि षड़यन्त्र को चलाने वाले लोग उनको अंधेरे में रखकर, सुनियोजित तरीके से लोगों का नरसंहार करने में लगे रहे।

श्री देवीसिंह भाटी : गृह मंत्री श्री

(श्री देवीसिंह भाटी)

सम्पतरामजी थे, अगर ऐतराज था तो मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र ले लेते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : हमने त्याग पत्र दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, कृपया आपस में बात नहीं करें। आप सुनिए। समय बहुत हो गया इसलिए समय का ध्यान रखिये, इन्टरप्रिटेशन मत करिए। आप सुन लीजिए उनको पूरा। (व्यवधान)

माननीय नत्थीसिंहजी एक मिनट। आज हमारी विधानसभा में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी आये हैं मैं आप सब लोगों की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत और श्री जसवन्तसिंह जी कोशिश कर हार गए, लाख सर पटक कर रह गए लेकिन जो कठोर फण्डामेंटलिस्ट हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया और यह स्थिति पैदा की। इसलिए भैरोंसिहजी साहब को मैं कहता हूं कि 23 तारीख को ज्ञान नहीं था कि कल दंगा हो जायेगा, इतमिनान था कि कुछ नहीं होगा, सब शान्ति से हो जायेगा लेकिन आपके पीछे जो फौज है पता नहीं वहनेकर पहनती है या साफा, मुझे नहीं मालूम लेकिन उस फौज ने नरसंहार किया राजस्थान में और जयपुर में इतना भयंकर मामला हुआ कि सब का सर शर्म से झुक जाता है। वह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान में नर संहार करवाया तो कांग्रेस ने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + आप ही इसके जिम्मेवार हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर लीज। (व्यवधान)

विराजिए आप विराजिए। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री प्यारेलाल परिड़वाल : बी. जे. पी. ने करवाया दंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप। माननीय प्यारसीलाल जी बिराजिए।

श्री राजेन्द पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने प्रिवेटिव क्या एक्शन लिये ? दंगे होने से पूर्व जो असामाजिक तत्व थे क्या उनको अरेस्ट किया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप विराजिए। (व्यवधान)

विराजिए आप। अब आप जल्दी समाप्त करिये। पैंतीस मिनट हो गए।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : इतने उत्तेजित मत होइए आप। मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री नत्थी सिंह : अब दो चार मिनट और बोलूंगा मैं, और समय मैं अपनी पार्टी के साथियों को दूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको सात घण्टे से ज्यादा की छूट नहीं दी है। आप अपनी पार्टी का टाइम कन्जूम कर रहे हैं। बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट कल रात को 11 बजे तक चली है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में मांग की कि हमारे सिद्धांत नैतिकता और संविधान को मद्दे नजर रखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वे उसी दिन अल्पमत में आ गए, अतः तुरन्त इस्तीफा दें। उनके उपाध्यक्ष हैं हमारे मुख्य मंत्री महोदय।

कौनसी ऐसी अड़चन आ गई, अपनी पार्टी के उद्घोषक, जो आपके सारे सिद्धांत हैं उनको छोड़कर आपने जब हमने समर्थन आपसे वापस ले लिया तब आपने कैसे राज्यपाल महोदय को कहा कि मुझे तो विश्वास का मत प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिए सदन में। एक तरफ आपका मोह दिल्ली में और दूसरी तरफ मोह जयपुर में। कौनसा मोह ठीक है, आप बता दीजिए।

एक बात और कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय मुख्य मंत्री जी से, आप देश में नैतिकता के बहुत बड़े हामी हैं। दल-बदल नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यह आपकी उदघोषणा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो दल बदल यहां कराया गया है गैर कानूनी, असंवैधानिक....(व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : कोई दल बदल नहीं है। (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : यह कोई दल बदल नहीं है यह जनादेश की पालना की जा रही।

श्री जगतसिंह दायमा : हमने कोई दल बदल नहीं किया हैं हमने नेता बदल दिया है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दल बदल को क्यों बदनाम करते हो यह तो दिल बदल गया है।

श्री जगतसिंह दायमा : हम आपको नेता नहीं मानते अपना।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह दल बदल नहीं था यह तो मूल्यों की राजनीति थी ?

श्री जगतसिंह दायमा : हमने कोई दल बदल नहीं किया, आप कर रहे थे। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस के साथ दोस्ती कब से हो गयी ? (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : वो तो गए। उन्होंने कुर्सी देखी है। (व्यवधान)

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि इस दल बदल कराने में एक एम. एल. ए. पहले ...

श्री देवीसिंह भाटी : दल बदल नहीं हुआ है। दल बदल गया, दिन बदल गये और दिल भी बदल गए। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : यह दल बदल की जो स्थिति है और जिसको प्रोत्साहन दिया गया है वह सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे के पूरे सिद्धान्तों की धज्जियां उड़ाते हैं। यह तो हमने देखें हैं। रोज यहां क्या बोलते थे? शरणागत गच्छामि होते जा रहे हैं... (व्यवधान)

आज यह विश्वासघात करके काम करवाना चाहे, इसे हम बरदाश्त नहीं करेंगे (व्यवधान) नैतिकता को अलापते और नोन-इश्यूज के आधार पर संविधान की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में एक साम्प्रदायिक उन्माद का एक वातावरण पैदा किया, उसे दूर करने के लिए हमने अपना समर्थन वापस लिया है और हम हमेशा इसी तरह सिद्धान्तों पर अडिग रहेंगे। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि इन बैसाखियों के सहारे कहां तक चलोगे? (व्यवधान)

ये पार नहीं करायेंगी। ये बैशाखियां मझधार में डुबोएगी। इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं और सबसे कह रहा हूं जिनकी अन्तरात्मा जाग जाए वे विश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ रहें .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री जगमाल सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विश्वास मत प्राप्त होने के निर्णय तक बढ़ाया जावे।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय विश्वास मत प्राप्त होने के निर्णय तक बढ़ाया गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ग्रुप के लीडर का पहले भाषण नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष : वह तो उनकी मर्जी है। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं, आप जैसी मर्जी आए, अपने-अपने हिसाब से बोलिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सहजता में हमने प्रत्येक सदस्य को सुना है जनता विधायक दल, (दिग्विजय सिंह) के सदस्यों को उनकी तरफ से जो मैं अपने भाव प्रकट कर रहा हूं, उसको सुनने का (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जैसे दायमा जी ने रखा वैसे ही रखें।

(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है हमारा देश। देश में राजनैतिक उथल-पुथल, देश में सामाजिक व्यवस्था सारी बिगड़ी। ऐसे वर्ग संघर्ष की स्थिति आई। इन परिस्थितियों में केन्द्र में अल्पमत की सरकार (व्यवधान) जिसको हमको पहले ही मालूम था कि हमारी 141 की संख्या है शायद ज्यादा दिन यह सरकार नहीं चले। (व्यवधान) मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार के गिरने के क्या कारण थे, क्या नहीं थे। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जन-जन को मालूम है। सदन के माननीय सदस्यों को भी मालूम है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय चन्द्रभान जी सुन लीजिए थोड़ा सा। (व्यवधान) आप यदि एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं डिबेट समाप्त करूं। सुनना चाहते हैं तो शांति से सुनिये। प्लीज। आप इस तरह से आपस में बातचीत करेंगे व माननीय सदस्य इण्टरप्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह कोई परम्परा भी नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डिबेट समाप्त होने से पहले यह तय किया जाये कि साम्प्रदायिकता के समर्थक कितने लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : इस सदन की परम्परा को रखते हुये शांति से विचार करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : सदन में बड़े जोर-शोर से चर्चा की गयी। भारतीय जनता पार्टी जिसके कल तक हम सदस्य थे कम्यूनल होने के चार्ज लगाये गये। दिल्ली में अगर बी. जे. पी. को साम्प्रदायिक पार्टी बताया जाये मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन खेद मुझे इस बात का है कि... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सुन लीजिए क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय पारीक जी प्लीज। सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि पारीक साहब को रोकिये।

श्री जगमालसिंह यादव : आपको यह वहम है कि मैं किसी का पक्ष लूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मैं उन चोरों को बेनकाब करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य को रोकिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको रोकूंगा, आप उनको रोकिये।

श्री चन्दनमल वैद : तिजारा से जो माननीय सदस्य आये हैं वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तो साम्प्र-

(श्री चन्दनमल वैद)

दायिक है और यहां साम्प्रदायिक नहीं है। अटलबिहारी वाजपेयी साम्प्रदायिक है और भैरोंसिंह जी साहब साम्प्रदायिक नहीं है। इसलिए हमको उठना पड़ता है इस पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनकी तरफ से आप ही बोल लेंगे तो वह क्या बोलेंगे? उनको बोलने दीजिए आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेम्बर नहीं हूं। जो मेरी राय होगी वह मैं स्पष्ट रूप से रखूंगा। सुनने का माद्दा तो रखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 15 जून 1990 को इन्होंने सदन में भाषण दिया शपथ ग्रहण के समय, उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, आप इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं देता। आप बिराजिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ क्या निकाला, पता नहीं या गलती से कुछ निकल गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही लोग जो हिन्दुस्तान और राजस्थान में बी. जे. पी. पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं, यह सही है या गलत, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता? लेकिन खास तौर से उन लोगों को बे-नकाब करना चाहता हूं जिनको एक सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में साम्प्रदायिकता की बू आने लगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में साम्प्रदायिकता की बात को लेकर हरिदेव जोशी ने सदन में विचार रखे। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह साम्प्रयिकता का माहौल, क्या यह सदन और आप इस बात को मानते हैं कि अचानक बन गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में साम्प्रदायिकता का जुनून कैसे बढ़ा और कैसे अपनी चरम सीमा पर पहुंचा इस बात की जानकारी के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में राजनीति के लिए जो भिण्डरवाला का उदय किया गया। इस राजनैतिक पूर्ति के लिए पंजाब राज्य में प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए भिन्डरवाला को बढ़ाने-चढ़ाने का काम कांग्रेस के भूतपूर्व नेता माननीय इन्दिरा गांधी ने किया। इस देश में हमेशा-हमेशा साम्प्रदायिकता का बीज बोने की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आज जो राम मन्दिर का विरोध कर रहे हैं। हरिदेव जी जोशी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे लोग कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भारत में पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे 10 दिन चुनाव होने को शेष थे तो 9 तारीख को राम मन्दिर का शिलान्यास किसने कराया था। यह जो साम्प्रदायिकता का विरोध करते हैं यह वही राजीव गांधी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वही नारायण दत्त तिवाड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे जिन्होंने केवल हिन्दुओं के वोट लेने के लिए....(व्यवधान)

Page No. 102

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चुप रहिये। आप बैठ कर सुने।

श्री जगमाल सिंह यादव : जिसको यह बाबरी मस्जिद कहते हैं उसी के अहाते में राम मन्दिर का शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस ही है। आज आपको कोई अधिकार नहीं है कि बी. जे. पी. पर आप साम्प्रदायिकता का आरोप लगा सकें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हजारों लोगों को मारने के बाद भी क्या यह साम्प्रदायिक नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : इस तरह का तनाव पैदा करने की बात चाहे वह कश्मीर का मामला हो, चाहे वह आसाम के उग्रवादियों का आन्दोलन हो, चाहे राम मन्दिर में बाबरी मस्जिद के अहाते का मामला हो, राम जन्म स्थल का हो, वहां पर शिलान्यास करने का काम भी इस कांग्रेस ने चालीस सालों में राजनैतिक शोषण के लिए किया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो आप नहीं कर सकते वह कांग्रेस ने किया था। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधान मंत्री माननीय वी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। बी. जे. पी. ने उसका विरोध किया लेकिन स्पष्ट तरीके से दोनों मुख्य मंत्रियों ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन्दौर में राजीव गांधी कहते हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी। इलाहबाद में कुलीन लोग हैं.. (व्यवधान) तो कहते हैं कि लागू नहीं होगी और जब बिहार में जाते हैं जहां बैंकवर्ड लोग हैं वहां कहते हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। जनता दल ने जो प्रोग्राम दिया, मैं वी. पी. सिंह को बधाई देता हूं और कम से कम बी. जे. पी. के लोगों का मन और नीयत जो थी वह साफ रही। यही मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, राम मन्दिर और बाबरी मस्जिद का रहा। राजीव गांधी, जो इनकी पार्टी के नेता हैं राम मन्दिर बनाने की ताइद की तो किसी जगह अल्प संख्यकों के वोट लेने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के ढांचे को नहीं छेड़ने और राम मन्दिर नहीं बनाने देने की वकालत की। देश में चालीस साल से भ्रष्टाचार, चालीस साल में साम्प्रदायिकता बढ़ी वह केवल ग्यारह महीने के पीरियड में, भैरोंसिंह जी के नौ महीने के समय में आप क्या समझते हैं कि साम्प्रदायिकता बढ़ गयी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि यह मुझे इन्ट्रप्ट करेंगे। मैं दो सवाल केवल अपने दल के भूतपूर्व नेता तथाकथित विधायक नेता से करना चाहता हूं। इन्होंने मेरे सन्दर्भ में कहा कि बोम्बई साहब की यहां मीटिंग हुई। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोम्मई को कम्युनल पार्टी बताया यह बिल्कुल गलत है। अपने स्वार्थों के लिए आप क्या बताते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

Page No. 103

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी दृष्टि से मेरे ऊपर बहुत जल्दी चली जाती है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए जाती है कि आप भी बोलने वाले हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : उस मीटिंग का जब जिक्र आया है तो इस सदन में आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। हमारे दल के नेता, जो उस वक्त थे, गिड़गिड़ा रहे थे माननीय बोम्मई साहब के सामने कि सात तारीख तक कार, झंडे, कोठी हमारे पास रहने दी जाये। सात तारीख तक समर्थन वापस नहीं लिया जाये। इनके मन में यह भावना थी। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : गलत बयानी कर रहे हैं आप। आपने सीखा होगा, मैंने तो टक्कर लेना सीखा है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर रहे थे मर जायेंगे कांग्रेस के साथ सत्ता नहीं बनायेंगे। यह भूलने लग जाते हैं अपने स्वार्थों के साथ।

.. किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे। माननीय वी. पी. सिंह जी का अगर समझौता हो जाता है तब तुम्हारी कुर्सी बरकरार रह जायेगी तुम्हारी यह राजनैतिक स्वार्थपूर्ति हो जायेगी और कोई खेल नहीं था। एक छोटा सा सवाल आपकी मार्फत करना चाहता हूं। जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए 24 तारीख को। बोम्मई के यहां मीटिंग हुई 26 तारीख को। 26 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी को आप कम्युनल पार्टी नहीं मान रहे थे और आप कह रहे थे कि मंत्रिमण्डल से इस्तीफा नहीं दिया जाये और दुबारा आपने इस सदन में कहा कि माननीय भैरोंसिंह जी ने जनता दल के किसी मंत्री पर ऐसा प्रभाव नहीं रखा, भैरोंसिंह जी ने किसी मंत्री के काम में रोड़ा नहीं अटकाया और उनको पूर्ण आजादी दी अपना काम करने की तो आप भी विधायक दल के सदस्य हैं जो कल के गृह मंत्री थे माननीय सम्पतराम जी वह आपके सामने बोम्मई साहब से कह रहे थे कि भैरोंसिंह जी ने मुझे कहीं इन्टरप्ट नहीं किया। सारा ला एण्ड आर्डर मैंने देखा और यहां तक कहा कि मैंने हुकम दिया पुलिस को कि मस्जिद में पूरी पुलिस लगा दो। अगर मस्जिद के पास से एक भी हिन्दु निकल जाये तो चाहे हजार हिन्दु मर जाये मस्जिद को हाथ नहीं लगेगा। इसका मतलब लॉ एण्ड आर्डर माननीय भैरोंसिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री हैं उनके हाथ में नहीं था। पुलिस का सारा कमान आपके हाथ में था और इसकी सारी देखरेख आप कर रहे थे। इसलिए मैं यह कहता हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार साम्प्रदायिक है या नहीं यह मुद्दा अगर छोड़ भी दें....

एक माननीय सदस्य : वंध कौनसी पार्टी का था ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ....आप जो नत्थीसिंह जी के नेतृत्व में जनता दल बैठा है वह कम्युनल है और वह साम्प्रदायिकता की बात करता है। आपको ध्यान आया आपने मेरे लिए कहा कि मैंने आपका मंत्रि-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पद छिनाया। हां मैंने छिनवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात रखी थी बोम्मई साहब के सामने। मैंने एक ही बात कही थी...

श्री नत्थीसिंह : हमने जो ठुकराया। आप कौन होते हो...

श्री अध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी आप बहुत पुराने बुजुर्ग नेता हैं। आपने कई दुनियां देखी है। कई अनुभव लिये हैं। आप भी शांत रहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव :... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग जब 7 तारीख को गिड़गिड़ा रहे थे मैंने माननीय बोम्मई साहब को अपना एक सुझाव रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नीति का सवाल है, यह आपको फैसला करना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी राजस्थान की जनता विधायक दल कब तक समर्थन देगी। आपके मंत्रियों को शामिल रहने की आवश्यकता है या नहीं। हमारे गाल बजवाने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। यह नीति प्रसंग प्रश्न है। इसको बैठकर आपको तय करना पड़ेगा और मुझे खुशी है और खासकर नत्थीसिंह जी को और भूतपूर्व मंत्रियों को दुख है। 5 बजे इनको बुलाया गया और इनको फर्रा थमाया गया कि जाइये सारे मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। वह सीन भी मुझे याद है जब इनको निकालने के लिए कहा जा रहा था लेकिन इनको एक एक घण्टे के लिए गाड़ी, झन्डी, बंगला, कार, कोठी और प्रोटोकोल की अपनी सुविधा थी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार में इन मुद्दों के अलग नहीं, मैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें दिग्विजयसिंह जी शामिल नहीं हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य गलत बयानी यह कर रहे हैं कि मैंने बोम्मई साहब के सामने यह कहा था और मुझे परमिट किया जाये मैं इस्तीफा देना चाहती हूं। कोई इस्तीफा दे या न दें आप कुछ भी फैसला करें मेरा फैसला है मुझे परमिट करें इस्तीफा देने के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं सुमित्रा जी की इस बात के लिए ताईद करता हूं कि दिग्विजयसिंह जी और सुमित्रा जी दोनों इस राय के थे कि इस्तीफा दे दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : सभी लोग इस राय के थे कि इस्तीफा देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव :... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कानून और व्यवस्था और साम्प्रदायिक दंगों की बाबत जिक्र हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव रखा है माननीय भैरोंसिंह जी के मंत्रि मण्डल में विश्वास व्यक्त किया जाये—मैं इन आधारों पर उनके मंत्रि मण्डल में विश्वास व्यक्त करने की बात ताईद नहीं कर रहा हूं, वकालत नहीं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस राजस्थान की जनता ने जब हमको मेन्डेट

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दिया, कांग्रेस के खिलाफ दिया । किन्हीं दो पार्टियों में अगर मतभेद नहीं है, उनके सारे इलेक्शन मेनिफेस्टो अगर मिलते हों तो वह दो पार्टियां ही नहीं और फिर दो पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है । अगर शत प्रतिशत प्रोग्राम राजनैतिक और आर्थिक मिलते हों तो फिर वह पार्टियां एक होती हैं । आज जो दिग्विजयसिंह जी का दल है जिसकी तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं, हमारे कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो मिनिमम आर्थिक प्रोग्राम है जिनको माननीय भैरोंसिंह जी और उनकी सरकार लेकर चल रही है इस राजस्थान में माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार जिन मुद्दों को लेकर चल रही है मैं उनका समर्थन कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आर्थिक मुद्दों को दल के नेता ने अभी आपके सामने कहा माननीय नत्थीसिंह जी ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि भैरोंसिंह जी के नेतृत्व संभालने के बाद राजस्थान के विकास में गति आई है, राजस्थान के लोगों को राहत मिली है । आप इस बात का विरोध नहीं कर सकते । माननीय जोशी जी बयान दे रहे थे । माननीय जोशी जी दिल्ली गये ।

माननीय जोशी जी ने प्रस्ताव रखा कि हम समर्थन देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाइये । हमारे भूतपूर्व दल के नेता मंत्रि मंडल का गठन कर चुके, विभाग बांट लिए । 41 मंत्री और 14 बोर्ड के चेयरमैन । ठुकरा दिया हमने इस बात को । आप कहते हैं सिद्धांतों की बात । जिस कांग्रेस के खिलाफ मेन्डेट मिला उस कांग्रेस से हाथ मिलाने में तो आपको गुरेज नहीं और जिसका हाथ बंटाने के लिए जनता ने मेन्डेट दिया उस दल के साथ बैठने में गुरेज होता है ? माननीय नत्थीसिंह जी मैं निवेदन करता हूं कि आप भैरोंसिंह जी की जो चाहे जितनी चापलूसी करें समय निकल गया, स्टेशन से गाड़ी छूट गयी और आप रह गये ।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट हो गए हैं । माननीय सदस्य आप समाप्त करें । और भी बोलने वाले हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भैरोंसिंह जी के मंत्रिमण्डल में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इन आधारों पर विश्वास व्यक्त करता हूं कि भैरोंसिंह जी ने इस राजस्थान के दलित और पीड़ितों की डेली वेजेज 14 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की । मैं इस आधार पर समर्थन करता हूं इस प्रस्ताव का कि भैरोंसिंह जी ने पहली बार इस तरह का प्रयोग किया है और चाहे गलीचा बनाने वाले हों, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भैरोंसिंह जी की सरकार में विश्वास व्यक्त करता हूं केवल इसलिए नहीं कि मैं इनका समर्थक हूं । मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि उन वृद्धों को पेन्शन दी है जिन्होंने भैरोंसिंह जी को अपना बेटा मानकर इस राजस्थान का नेतृत्व सौंपा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भैरोंसिंह जी की सरकार में विश्वास व्यक्त करता हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार इस राजस्थान में पहली सरकार है जिसने राजस्थान के बजट

(श्री जगमाल सिंह यादव)

का 60 प्रतिशत गांव की तरफ ले गयी है, किसानों की तरफ ले गयी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भैरोंसिंह जी की सरकार में विश्वास व्यक्त करता हूं इसलिए कि भैरोंसिंह जी ही एक व्यक्तित्व हैं जिनके नेतृत्व में... (व्यवधान)... मंत्रि मण्डल मेरा पक्का है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में यह विश्वास व्यक्त करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल अंत में निवेदन करता हूं कि भैरोंसिंह जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में आज राजस्थान विकास की ओर बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, शोषित और पीड़ित किसानों का उद्धार कर सकता है । यही विचार व्यक्त करते हुए और अपने दल की भावनाओं से अवगत कराते हुए भैरोंसिंह जी के मंत्रि मण्डल में विश्वास व्यक्त करता हूं । जयहिन्द ।

श्री डूंगर राम पंवार : और कांग्रेस के साथ मिलकर बना लेते तो विनाश की ओर बढ़ जाते ।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत ।

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो प्रस्ताव हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पारीक साहब ... आर्डर प्लीज, आर्डर । सुनिये, शांति रखिये ।

श्री टीकमचन्द कांत : यह प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा कि आंधी दिल्ली में चली और उसकी हवा के झोंके थोड़े इस राज्य में भी लगे ...

थोड़े झटके यहां भी लगे । अभी बात हो रही थी इस देश के जनादेश की । लेकिन जन भावनाओं की तरफ माननीय सदस्यों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा । आपकी जन भावना क्या है ? आपकी जन भावना इस अन्त्योदय की क्या है ? आपकी जन भावना जिसकी कर्ज माफी हुई है उनकी क्या है ? उस किसान की जन भावना क्या है जिसको योजनाबद्ध एक कार्यक्रम मिला है ? उस ग्रामीण की जनभावना क्या है जिसको 60 प्रतिशत बजट राजस्थान का उसके पास पहुंच रहा है । उस आदिवासी की जनभावना क्या है जिसके छोटे-छोटे मुकदमे हटाए जाएंगे ? उस दलित की जनभावनाएं क्या हैं उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा । तब कहीं जाकर जनादेश का ध्यान कर पाएंगे । यह निर्णय जो कुछ भी हो जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि भैरोंसिंह जी की सरकार के अन्दर अपना विश्वास व्यक्त करें । अगर वो विश्वास नहीं देते तो विश्वासघाती के रूप में होंगे । गांवों के अन्दर जनता कहती है कि तुम विश्वासघाती हो । हमने तो 5 साल के लिए भेजा था, कांग्रेस के विरुद्ध भेजा था और अब तुम लौटकर आए । इसलिए मैं उन सारे लोगो को धन्यवाद देता हूं जो इस सदन के अंदर भैरोंसिंह जी की सरकार में, उनके मंत्रीपरिषद में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं ।

कांग्रेसवाद और गैर कांग्रेसवाद । अगर कांग्रेसवाद नहीं पनपा होता तो बुरी हालत के अंदर इस देश को नहीं पहुंचाय

(श्री जगपाल सिंह यादव)

होता, तो इस गैर कांग्रेसवाद को वोट नहीं मिलता। मत नहीं मिलता। इस गैर कांग्रेसवाद को 5 साल तक इस परीक्षा पर कसौटी पर कसा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भैरोंसिंह का नेतृत्व उस गैर कांग्रेसवाद को इस राजस्थान के अंदर पार लगायेंगे। इसलिए आवश्यक है कि यह मंत्रिपरिषद के अंदर अपना विश्वास व्यक्त करें। माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। कुछ प्रश्न हमारे लिए मना है तो हम नहीं करेंगे। संवेदनशीलता की बात है। 2० तारीख को हमको बुलाकर माननीय भैरोंसिंह ने कहा, हम यहां आए हुए थे। उन्होंने कहा 20 तारीख को कोई दिन है कोई निर्णय होने वाला है। अपने क्षेत्र में पहुंचो। एक भी अल्पसंख्यक, एक भी भारत माता का लाल जो अपने आपको अल्पसंख्यक कहता है हमको उसकी सुरक्षा करनी है। अपने क्षेत्र में पहुंच जावो, गांव-गांव पहुंच जावो। किसी का बाल बांका न होने पाए। यह आदेश दिया। (व्यवधान)

मेरी बात मानें, जो मुझे कहा गया था। मैं उसकी बात बता रहा हूं जो मुझे आदेश दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आपने तो पारीक जी मान लिया था, सीकर में तो शांति रही ना। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कांत : भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता को ध्यान है। जो कुछ लोग लाशें बिछाकर वोट गिनना चाहते हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस के पहरे के अन्दर बैठना पड़ा तो बैठ जाए और सिरोही का यह हाल है कि वहां के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, एक-एक कार्यकर्ता सारे पुलिस थानों के अंदर बंद कर दिये थे। एक बात उनके दिमाग में थी कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी बाल बांका नहीं हो। (व्यवधान)

हम लोग गए थे उस समय। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं। कांग्रेस की कल्चर ने अनुसूचित जाति और मुस्लिम को कहां से कहां ले जाकर रख दिया। मैंने, आज से 18 वर्ष पूर्व जब जनसंघ का पार्ट हुआ था, तब मुझे समझ में आया था कि अगर वास्तविक कोई पार्टी है, पूरे राष्ट्र का चिन्तन रखती तो यह पार्टी है और भैरोंसिंह उसके उदाहरण हैं। आज इस प्रकार के हमको आदेश देकर कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह सकता हूं मेरे अल्पसंख्यक भाइयों से कि भैरोंसिंह की सरकार में पूरी सुरक्षा मिलेगी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये कांड नहीं दोहराए जायेंगे जो काण्ड मां और बेटे के बीच हुए यहां कांग्रेस के राज में। मां पर बेटे को बलात्कार करने के लिए कह दिया। इस भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं दोहराए जायेंगे।

दिल्ली के अंदर जिस प्रकार के दंगे हुए। इन्दिरा जी गईं, उनकी हत्या से बड़ा दुःख हुआ, लेकिन उसके बाद जो 4000

(श्री टीकम चन्द कांत)

लाश बिछाई गई छोटे बच्चों की, वगैरह की। किस कौम के लोगों को खत्म कर दिया। वैसा काण्ड इस राज में नहीं दोहराया जायगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : दिल्ली बहुत दूर है। जयपुर में किस कारण से दंगे हुए ? कौन है ऐसे लाशों के व्यापारी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। हो गया, अब बैठिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष जी, वो तो सीकर को जयपुर बनाने जा रहे थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर सुरक्षित है। वहां कांग्रेस का विधायक है। वहां बी. जे. पी. का विधायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, बैठिए। शांति से बैठिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहते हुए एक निवेदन करता हूं और पूरे सदन से यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली के अंदर अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात आई, मत व्यक्त करने की बात आई। मैं आज भी कहता हूं कि इस राज्य की सुरक्षा के लिए इस राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए, इसको सुदृढ़ सरकार देने के लिए, इसको स्थिर सरकार देने के लिए, उसका कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए, लोगों के अन्दर विश्वास पैदा करने के लिए आप सभी लोग इस मंत्रिपरिषद के अंदर विश्वास व्यक्त करने हेतु मत दें। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, आज जब यह प्रस्ताव रखा जा रहा था....

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : 50 की संख्या है, पहले नम्बर हमारा आना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, इनके ग्रुप को केवल आपने 20 मिनट दिए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने 45 मिनट दिए हैं। 45 मिनट में अभी 15 मिनट बोले हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, सबको नम्बर बारी-बारी से दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने बी. जे. पी. को 5 मिनट दिए। (व्यवधान)

वो दे रहे हैं, अपना टाइम बोलिए सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज यहां सदन में जब विश्वास का प्रस्ताव रखा गया तो एक चर्चा चली कि भैरोंसिंह शेखावत की तकदीर का फैसला हो रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आज भैरोंसिंह शेखावत एक व्यक्ति की हैसियत से राजस्थान विधान सभा में...

एक माननीय सदस्य : ज्यादा + + + मत करना।

श्री सम्पत सिंह : यह हमारी आदत नहीं है, आप जानते हैं। जैसा विधान सभा में यह पूछा जा रहा है यह सवाल नहीं किया जा रहा कि एक शख्स की तकदीर का फैसला किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्रों को और मेरे नेताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, इन्सानों की तकदीर में तकदीर कहां। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज यही परेशानी, यही मुश्किल है, यही त्रासदी है, हमने अपनी कौम को हमने अपने देश को हमने अपने राष्ट्र को अपनी-अपनी राजनैतिक जमातों से अपनी-अपनी राजनैतिक पार्टियों से ऊंचा नहीं तो बराबर का दर्जा देने का दुःसाहस किया है। लाख-लाख कोशिशे की हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी पीड़ा से सुन रहा था। मैं समझता हूं कि जितनी विपक्ष के नेता को पीड़ा है आज के वातावरण से, उतनी नहीं तो उनसे कुछ कम होगी, हमारे जैसे साधारण सदस्यों को भी आज मुल्क के हालात से पीड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इसी मुल्क में रामप्रसाद बिस्मिल की बहन को जब एक पत्रकार ने लकड़ी बेचते देखा, तब करोड़ों लोगों के दिल पर क्या गुजरी ? जो लोग कुर्बान हुए भारत माता की अस्मत के लिये, जिन लोगों ने 16-18 साल की उम्र में इन जज्बातों के साथ अपने प्राण न्यौछावर किये थे हिन्दुस्तान की आजादी के लिये, भारत माता की आजादी के लिये गांधीजी ने एक सपना देखा था। आज जैसे पूरा सदन चिन्तित है, उसी तरह देश का एक से एक बुद्धिजीवी से लेकर बड़े से बड़े नेता से लेकर जन साधारण तक चिन्तित है। ये हालात क्यों बने ? एक रण बांकुरे आजादी के वरिष्ठ नेता जो हारावल के रास्ते जब अपनी जान न्यौछावर करने जा रहा था, जान न्यौछावर कर दी, सैंकड़ों शहीद हुए, हजारों-करोड़ों शहीद हुए, उनकी मां-बहनें देश में लकड़ी बेचेंगी और जो लोग देशद्रोही थे, जो लोग अंग्रेजों से मिलते थे, जो लोग जयचन्द मीर जाफर थे, उन लोगों ने क्या नहीं किया राजनीति के नाम पर, उन लोगों ने क्या नहीं किया शासन के नाम पर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता, मेरे मित्रों को क्यों पीड़ा हो रही है। मैं पूरे देश के और पूरे प्रान्त के परिप्रेक्ष्य में कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ होती है जब देश में साम्प्रदायिकता जैसे संवेदनशील विषय पर बहस होती है। अध्यक्ष महोदय, किसने चलाया ? जब इस देश में राष्ट्रपति से लेकर, केन्द्र के मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक बड़े से बड़ा नेता, बुद्धिजीवी देवरहा बाबा से पैर रखवा रहा है अपने सिर पर। एक धर्म को वे तवज्जो दे रहे हैं, दूसरे धर्म को वे तवज्जो दे रहे हैं जिनको पता नहीं कुरान की आयातें क्या हैं ? जो महज अपने वोट को तराशने के लिये, अपने वोट को सजाने-संवारने के लिये अजमेर के दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाने जाते हैं और साधन होते हैं सर-

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सम्पत सिंह)

कारी। अध्यक्ष महोदय, इस देश में बड़ी भूल हुई, सरकार के पक्ष पर में, देश के पक्ष पर धर्म को पालने की कोशिश की गई। इस देश में सर्व-धर्म सद्भाव का यह अर्थ लगाया गया कि जिस राजनेता की जो मर्जी हो, जिस बुद्धिजीवी की जो मर्जी हो, जिस धर्म की, जिस मजहब की बांह पकड़ना चाहे, पकड़े और जिस आदमी को दूध पीने को नहीं है, राजनीति हालात इस देश के, 40-42 साल में यह हुए कि आजादी के रणबांकुरे के परिवार वालों को लकड़ी बेचनी पड़ी। तो आर्थिक आधार पर इस देश का अगर चित्रण किया जाय तो, अध्यक्ष महोदय, आज दूध बेचने वाला क्या कहता है, जब मालिक यह कहता है कि आपने आज तो दूध में पानी बहुत मिलाया कि क्षमा करना बहनजी, आज तो पानी में दूध मिलाना भूल गया। आज मिलावट का यह स्तर आ गया है कि दूध जैसी जरूरी चीजों के लिये सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, एक से एक बड़े मतदाता पर इस देश की राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया।

अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को केन्द्र के हमारे जनता दल के मंत्रीजी यहां आये। आरक्षण का वातावरण था। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में यहां आम सभा होनी थी और इस जयपुर शहर में सुबह से लेकर शाम तक समाज कंटकों ने कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई। हमने अपने एक मंत्री से, उस वक्त जो वरिष्ठ मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, गृहमंत्री थे, हमने कहा, आपकी अदालत, आपकी रहनुमाई में यह क्या हो रहा है। कोई अमीर आदमी, कोई गरीब आदमी, जान सबकी एक होती है। कम से कम राजस्थान प्रांत के नागरिकों की जान माल और सरकारी दफ्तरों/कार्यालयों की तो आन सम्पत्ति की रक्षा करते। लेकिन नहीं। अध्यक्ष महोदय, बागवाने आग भी जब आशियाने को घेरे, जिन पर तकिया था वे ही हवा देने लगे, जिन पर यह एतबार किया गया था, विश्वास किया गया था कि आम नागरिक की अस्मत को, आम नागरिक की जान और माल की रक्षा करेंगे, जब वह नहीं कर सके और आज छोड़ के जा रहे हैं राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया था। आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है। आपसे यह यकीन मांगा था, आपने यह विश्वास व्यक्त किया था, राजस्थान के मतदाता ने कि आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के मिले जुले समझौते पर वोट लेकर जा रहे हैं और कम से कम 5 साल तक हमारे जनजीवन, हमारे रहने-करने की व्यवस्था से खिलवाड़ मत करना और इतिहास के उन पन्नों को मत दोहराना कि बीच में हमारे पर इतने संकट आ पड़े कि दुबारा चुनाव हो। अध्यक्ष महोदय, उसी जनादेश की कद्र करते हुए, उसी जनादेश की पालना करते हुए यह तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, उस महान मतदाता की (व्यवधान)

दिल्ली की बात भी मैं दो मिनट में निवेदन करूंगा।

... कि राजस्थान के महान मतदाता ने जो जनादेश दिया था कि जो अपने वायदे किये थे चुनावों में, वृद्धावस्था के लिये पेंशन, कर्ज माफी के लिये, दूसरे तमाम अपने जो अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जो बजट में किये, उस सब को बीच में अधर में छोड़कर जाने के लिये आप अपने स्वयं कलेजे पर रखकर देखिये

(श्री सम्पत सिंह)

कि बीच मझधार अगर विधानसभा भंग कराते हैं अगर आप कराते तो हम भी आपसे पीछे नहीं हैं लेकिन इस गरीब मतदाता के एहतमात का क्या होगा। दिल्ली में आपने यह तर्क दिया है कि हम चन्द्रशेखर की सरकार को, हम जनता दल के एक विघटित धड़े को इसलिये समर्थन देंगे क्योंकि आज देश में रक्तपात का अंदेशा है. आज देश का यह वातावरण है कि खून-खराबा हो सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि साल-दो साल, वर्ष भर आम चुनाव टाला जाय। एक मारुति से खींचा जायेगा 30 टन का ट्रक। यह अजूबा होगा आज इस देश में। (व्यवधान)

वह मारुति जिसका आपने उत्पादन शुरू किया था और उत्पादन कर नहीं पाये।

श्री डूंगरराम पंवार : मारुति के एक्सीडेंट होने के बाद बचा नहीं। "मां-रोती" रह जायेगी, वही मारुति।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने शुरू में निवेदन किया था, आज हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की इस राजनीति की त्रासदी बन गई है। बड़े से बड़ा नेता आज इस देश को त्रासदी से उबारने के लिये अपने आप को बौना महसूस करता है। कहीं धर्म के आगे घुटने टेक रखे हैं, कहीं भाषा के नाम पर घुटने टेक रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम इस विवाद में फंसेंगे, इस्लाम के नाम पर अगर हमने एक राष्ट्र को बनाने की कोशिश की, हमारे ही पड़ोस में दो टुकड़े हुए पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने, हमारे आजादी के नेताओं ने तय किया था संविधान में जिस भावना से धर्म-निरपेक्षता का, कहा गया था कि उसको अक्षरशः हम लागू करेंगे।

हम उस चीज को टालते रहे। इसके लिये आज देश के, प्रान्त के सभी नेताओं के बुद्धिकौशल की परीक्षा है और न सिर्फ परीक्षा है वरना अग्नि परीक्षा है। आप अपने मन में मग्न-मग्न हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मन में मग्न-मग्न हो रहे हैं, जनता दल के नेता, कम्युनिस्ट के नेता। इस मुल्क की त्रासदी है, अध्यक्ष महोदय, अभी हमको व्यंग्य बाणों को सहन करना पड़ रहा है सुबह से। आज इस मुल्क में कौनसी पार्टी है जो नहीं टूटी है? आज अकेले कम्युनिस्ट आधा दर्जन इस देश में हैं। कांग्रेस के कहां गये संजीव रेड्डी, कामराज ? कितने टूटन हुए और इस देश में, कहा जाता है, दूसरी किसी पार्टी का कोई मजहब नहीं, कोई राजनीति की विशिष्ट दिशा नहीं, कांग्रेस अपने आप में ग्रेटेस्ट अलाइंस है।

इस कांग्रेस जैसी बड़ी जमात में यह मैं मानता हूं कि 100 साल से गौरवशाली इतिहास का फायदा मेरे जैसे बौने-बौने कार्यकर्ता ले रहे हैं। आज वह वक्त आ गया है कि निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिये। हमारे नेताओं को विचार करना चाहिये, इस देश की महान जनता को विचार करना चाहिए और कम से कम जब वोट के वक्त, जब आप चुनावों के (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) वक्त जो आम और उस महान् मतदाता को हम

(श्री सम्पत सिंह)

विश्वास दे करके आते हैं उस विश्वास पर खरा उतरने के लिये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने पहले फैसला किया था कि उनके पांच साल तक सरकार में सांझी रहेंगे, उनके साथ इस राजस्थान के मतदाता की सेवा करेंगे। उसी विश्वास को यथावत बनाये रखने के लिए मैं आज जो प्रस्ताव किया गया है उसका दृढ़ता से पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और इस सरकार के लिए पूरे पांच वर्ष के लिये राजस्थान की जनता से यह मांग भी करते हैं इस सदन की मार्फत इस सरकार को पांच वर्ष के लिये अपना काम करने के लिये मौका दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, लगभग चार घन्टे से माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर हम यहां पर विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपने प्रस्ताव रखे और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इन आठ महीनों में जो उनकी सरकारी उपलब्धि हुई है उस पर भी कुछ चर्चा की। विपक्ष के माननीय नेता ने भी देश की आज की परिस्थिति पर अपने विचार रखते हुई अपनी बात यहां पर कही। उसके पश्चात् वैसे कुछ नहीं रह जाता जो मुझे यहां पर कहना पड़े, लेकिन अध्यक्ष महोदय, देश की वर्तमान परिस्थिति पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो यहां पर विचार रखे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति किस कारण से बनी। बार-बार यहां पर कहा गया कि जनादेश की पालना करनी चाहिये हमें पांच वर्ष के लिए जनादेश मिला है। कांग्रेस के खिलाफ जनादेश मिला है और उस वक्त की सभी विपक्षी पार्टियां उनमें से आज कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में हैं, विपक्ष के रूप में भी है लेकिन उन पार्टियों को मिलजुल कर जनता ने जनादेश दिया था कि सबको मिलकर के इस देश को पांच साल के लिये चलाना है।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा और मैं समझता हूं इस सदन के माननीय सदस्यों को भी स्मरण होगा अब हम बजट सैशन के अन्दर री-एप्रोप्रियेशन बिल पर विवाद कर रहे थे तब मैंने एक बात निवेदन की थी कि देश की जनता ने कांग्रेस के विरोध में जनादेश नहीं दिया है, इस देश की जनता ने आप सब की लुभावनी बातों में आकर के जनादेश दिया है। आपने अपने चुनाव प्रचारों में भी कभी भी कांग्रेस के किये हुए कामों की आलोचना नहीं की। चुनाव प्रचारों में कभी भी कांग्रेस की कमियों की ओर कभी आपने ध्यान आकर्षित नहीं किया। केवल आपने लोगों से कहा कि हम महंगाई को रोकेंगे। आपने लोगों से कहा हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। आपने नौजवानों से कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आपने इस तरह के कई लुभावने वायदे करके लोगों के मनों के अन्दर एक लोभ उत्पन्न किया और उस बात में आ करके लोगों ने आपके सामने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह जनादेश दिया है इसलिये नहीं कि आपने कांग्रेस के खिलाफ कोई बात की थी। आपने जरूर कोशिश की थी कांग्रेस के नेता राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का नाम ले करके आपने कहा था ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : कर्जे माफ करने के लिये तो आपने भी कहा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अपने स्थान से बोलें....

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) मन्त्री जी क्यों बोल रहे हो।

श्री अध्यक्ष : यह काम मेरा है कि आपका ? मैं उनको बैठा रहा हूं, और आप बीच में खड़े हो रहे हैं। मेरा काम मुझे करने दीजिये। Let me do. I wi l do.

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन बिन्दुओं पर हम विचार करते हैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो 8 महीने की अपनी प्रोग्रेस दी जो उपलब्धियां बताई हैं मैं समझता हूं उनमें से एक भी उपलब्धि आज तक नहीं हुई और राजस्थान में क्या कोई प्रशासन चल रहा है, 8 महीने से जनता ने अनुभव नहीं किया कि राजस्थान में कोई किसी प्रकार का प्रशासन चल रहा हो। एक-एक बिन्दु आप लें। कर्जे के बारे में अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हमने 177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और अब कर्जा माफी की बात आई तो हमने देखा 170 करोड़ से कर्जा माफ नहीं हो सकता। 300 करोड़ रुपये का उनको प्रावधान करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, दस हजार रुपये तक के कर्जे माफी के लिये सर्वे करवाया था, 700 करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं नहीं समझ सकता कि इन 300 करोड़ रुपये के अन्दर 700 करोड़ रुपये का कर्जा कैसे माफ हो जायेगा। कर्जा माफी की आपने घोषणा की है। आपने अभियान भी चलाये। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कैसा कर्जा माफ किया है आपने ? मैंने अपने क्षेत्र में देखा है आपके कर्जा माफी के अभियान में उन काश्तकारों का कर्जा आपने करने की बात की, कर्जा माफ नहीं किया अध्यक्ष महोदय, केवल उन काश्तकारों को जिनके डिफाल्ट होने के कारण, किसी कारण से डिफाल्टर हुए, उनके ऊपर जो किश्तें चढ़ गई थीं, केवल मात्र वह किश्तें माफ की गई हैं और उन किश्तों पर ब्याज लिया गया है। पहले जब ब्याज वसूल कर लिया गया, ब्याज की रसीद प्राप्त हो गई तब वह किश्तें माफ की गई हैं। आगे आने वाली किश्तें ज्यों की त्यों उनको चुकानी पड़ेंगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने कहा था कि किसका कर्जा माफ हुआ है, उन बड़े बड़े लोगों का जो इस बात को जानते हैं कि सरकार से लिया हुआ कर्जा कभी चुकाने की जरूरत नहीं होती, जानबूझ कर डिफाल्टर बनते हैं, अपनी किश्तें चढ़ा देते है, उनका कर्जा तो माफ किया, और उस ईमानदार गरीब

(श्री हीरालाल देवपुरा)

काश्तकार ने, जिसने समय पर अपनी भूख बरदाश्त करके, किश्तें जमा करा दीं उसने क्या दोष किया था जो आपने उसका कर्जा माफ नहीं किया ? जो डिफाल्टर बन गया, केवल डिफाल्ट वाली किश्तें माफ करके यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर हमने दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, उस कर्जे माफी की बात हमने कर ली। यह है आपकी उपलब्धि।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बिजली की बात यहां पर कही और यह कहा कि बिजली की कुछ योजनायें स्वीकार करके हम लाये हैं। मैं मानता हूं मुख्य मन्त्री जी, आपकी कार्यक्षमता के ऊपर, आपकी दक्षता के ऊपर चैलेंन्ज करना नहीं चाहता, मैं जानता हूं आप इसमें दक्ष हैं, कार्य कुशल हैं लेकिन योजनायें तो हमेशा बनती आई हैं और योजनाओं की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। एक समय आता है कि वह प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति में होती है और किस्मत से वह आपको समय मिल गया, जब वह योजनायें पूरी होने की स्थिति में आ रही थीं और आप उसकी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। कॉमन बात है। राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया शुरू कर दी थी कांग्रेस राज ने, उसको तो स्वीकार कीजिए। कार्यवाही चलती आ रही थी, और आपके समय में, वह समय अगर आपका नहीं होता, किसी दूसरे की सरकार का होता, वह समय अगर कांग्रेस का भी होता तो घटी हुई चीज थी वह आने वाली थी, वह तो आती, उसमें कहां रुकावट थी। मैं समझता हूं कि यह आपकी उपलब्धि में नहीं गिना जा सकता। ठीक इसी तरह महंगाई की बात आपने की कि महंगाई की रुकावट के बारे में आप विचार करेंगे और लोगों ने यह समझा था कि उस वक्त जो महंगाई बढ़ गई है उस महंगाई पर आप निश्चित रूप से रोक लगायेंगे लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हिन्दुस्तान के गांवों की जनता जानती है, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य जानते हैं कि महंगाई कम हुई है कि दिन प्रति दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है यह तो द्रोपदी के चीर की तरह हो गया जिसका कहीं अन्त ही नजर नहीं आता और महंगाई आज रोज की रोज बढ़ती जा रही है। किसानों की बात आप करते हैं आप पैट्रोल पम्प, डीजल पम्प पर जाकर देखिये कि किसानों की वहां डीजल लेने के लिये कितनी लाइनें लगी हुई है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपके बोये हुए बीज हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : कहां है डीजल क्यों नहीं किसानों को मिल रहा है। आप सस्ते ईंधन देने वाली बात करते हैं, आज डीजल के पैसे कितने बढ़ा दिये गये हैं। जो जहां महंगाई का सवाल है, वहां न तो महंगाई रुकी और न लोगों को, जो आवश्यक चीजें हैं, आज जो चीजें उपलब्ध होने जा रही हैं यह स्थिति आज सारे राजस्थान की बनी ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, शिक्षा की बात पर विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी कि आज क्या हाल हो गई है। मुझे याद है जुलाई में शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि 31 जुलाई तक जितनी भी अध्यापकों की कमी है, उनको पूरा कर दिया जाएगा लेकिन आज नवम्बर का महीना चल रहा है कोई पूर्ति नहीं की गई है और स्कूलें खाली पड़ी हैं। कौन सी उपलब्धि गिनाना चाहते हैं। अन्त्योदय की बात, यह कोई नई योजना नहीं है। नाम कुछ दे दें चाहे नीचे वाले लोगों को पहल का नाम दे दें चाहे जवाहर योजना दे दें। वह योजना जो पहले से चलती आ रही थी गरीबी की रेखा से नीचे वालों को प्राथमिकता देकर उनके लिये काम करना है यह 1977 से पहले ही शुरू कर दी थी नाम जरूर आपने बदल दिया लेकिन योजना वही है। जवाहर योजना की बात आप करते हैं। गये साल उस पर कांग्रेस सरकार ने कितने रुपये खर्च किये। आपने स्वयं ने पंचायत समितियों को जवाहर योजना का पैसा 60% कम दिया है। जो वहां काम प्रारम्भ थे वह आज पूरे नहीं हो पा रहे हैं यह स्थिति है।

राजस्थान में मार्च महीने में नई सरकार बनी उसके बाद आज तक कोई नया काम प्रारम्भ नहीं हुआ। हमारी सरकार को विकास के कामों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाया। क्या करें, कई ऐसी प्राब्लम्स आ गईं, दंगे हो गये और सरकार का ध्यान उसमें चला गया।

मैंने निवेदन किया था कि वह गठबन्धन लम्बा चलने वाला नहीं है बहुत जल्द टूटेगा और मुझे खुशी है माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को समझ गये और इसी योजना में लगे हुए थे कि कहीं सरकार टूट न जाय और नतीजा यह निकला कि सरकार टूटने के कगार पर आ गई। ठीक है आपने किसी तरह से बचाने की कोशिश की और बच भी जाएगी लेकिन फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं यह गठबन्धन सिद्धान्तों के और जनादेश के आधार पर नहीं है केवल स्वार्थों की पूर्ति के आधार पर किया गया है जो ज्यादा चलने वाला नहीं है। अभी माननीय सम्पत सिंह जी स्वयं कह रहे थे कि एक साल का हमने टाइम दिया है। इस वक्त मौजूं समय नहीं है गांवों में जाने का। यह गठबन्धन में शामिल है इसलिए यह गठबन्धन चलने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय श्री देवपुरा जी, मैंने कहा है-साल, दो साल, पांच साल।

श्री हीरालाल देवपुरा : हमें उम्मीद थी आपसे, आशा करते थे कि राजस्थान के लिए आप कुछ करेंगे। जैसी भावनाएं विपक्ष के नेता ने प्रकट की आपके प्रति, मैं भी वह भावना रखता हूं लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भावना थी वह कहां चली गई।

साम्प्रदायिक तनाव के बारे में कई बातें कही गईं, कई आरोप लगाये गये। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि 12 अक्टूबर को जब रथ यात्रा जयपुर आयी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माननीय मुख्य मन्त्री जी शायद भूल गये कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी हैं। उस रथ यात्रा के स्टैण्ड पर जहां अडवाणी जी का भाषा हुआ मुख्य मन्त्री जी ने उस वक्त भारत के गृह मन्त्री जी को चैलेन्ज किया था कि अगर अडवाणी जी को गिरफ्तार कर सकते हो तो राजस्थान में आकर देखो। मैं देखता हूं कैसे रोकते हो। मुख्य मन्त्री जी सम्भवतः उस वक्त भूल गये कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी है। मैं जानता हूं इतना विवेक माननीय भैरोंसिंह जी में है कि मुख्य मन्त्री की कुर्सी के क्या अधिकार हैं और उनको किस तरह से आचरण करना चाहिए लेकिन उस जनता के समूह को देख कर उनको सम्भवतः यह लगा कि अब तो समय आ गया है इसलिए जो चाहें बोल दें उस वक्त भूल गये कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी हैं। वह उत्तेजनात्मक भाषण नहीं तो क्या था। इसका साफ मतलब था कि आप उस स्थिति में हैं हिन्दुस्तान की सरकार भी कुछ करेगी तो आप उसकी परवाह नहीं करते। यह स्थिति आपने पैदा की।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 23 तारीख की चर्चा पर आता हूं जब अडवाणी जी को बिहार, समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया उस वक्त मुख्य मन्त्री जी दिल्ली में थे लेकिन आप शाम को वहां पर आये और पार्टी आफिस में गये और वह बात आपके द्वारा ही कही गई जो अखबारों में छपी, उसका खण्डन आपने नहीं किया कि कल का बन्द किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी उस वक्त भूल गये कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। वह भूल गये कि उनके ऊपर राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का दायित्व है और अपने आपको बी. जे. पी. का बहुत बड़ा नेता मान कर बी. जे. पी. ने जो एलान किया उसी की मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा कर दी। वह भूल गये कि मेरी घोषणा का क्या असर होगा।

जब मुख्य मन्त्री जी यह कहें कि बन्द किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं लोकल पुलिस से कि वह दुकानें बन्द कराने वालों को रोकेगी। यह कैसे उम्मीद की जा सकती है और यह स्थिति पैदा हुई। क्या यह स्थिति इसलिए बन गई कि राजनैतिक पार्टियां केवल उखाड़ पछाड़ के लिए है, अपने शासन को कायम रखने के लिए है। किस के बल पर आप कायम रहना चाहते हो, किस के ऊपर शासन करना चाहते हो। आखिर राजस्थान की जनता को भून दोगे, खून-खराबा कर दोगे तो किस जनता पर शासन करोगे। किसके सामने मुंह लेकर जा पाओगे? अध्यक्ष महोदय, तारीख 24 और 25 का नजारा जो जयपुर का था वह बताता था कि जयपुर में किसी प्रकार का प्रशासन है ही नहीं। उस वक्त के गृह मन्त्री सम्पतराम जी, जो आज इस्तीफा देकर के इधर बैठे हैं उन्होंने यह बात कही कि वह चाहते थे उनके ऊपर कुछ करने के लिए लेकिन उनको अधिकार नहीं थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उनके आदेश नहीं माने जाते थे। दिल्ली से लौटने के बाद सम्पतराम जी ने खुद ने अखबारों में यह बात कही है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, कुछ अरसे पहले चित्तौड़ के मण्डावरी में कंजरों के ऊपर काण्ड हुआ जिसकी चर्चा इस सदन में भी हुई। माननीय सम्पतराम जी उस वक्त भी भैरोंसिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य थे और उन्होंने स्वयं ने इस बात को कहा था कि इसमें पुलिस दोषी है। पुलिस के एस. आई. के सामने सब बातें हुई हैं। उसने लोगों को इकट्ठा करके सारा काण्ड करवाया है। आज तक पुलिस कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, न मेरी इस प्रकार की बात हुई, न मैंने किसी से कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो आपने नवभारत टाइम्स में वक्तव्य दिया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप कुछ भी कहें लेकिन यह तो जुलाई के सेशन में इस सदन में बात हुई है। आप भी सदन में बैठे थे आज तो आप नकार रहे हैं, उस वक्त तो नकारा नहीं। तो आज किस तरह का शासन है, राजस्थान की जनता यह विश्वास करके चले कि राजस्थान में कोई शासन चल रहा है और उसमें उनके जान-माल की सुरक्षा हो सकती है, कहां है यह? इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में न किसी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था है न कोई और बात है और न विकास की ओर ध्यान है। विकास ठप्प सा पड़ा तो इस सरकार को इस सदन में विश्वास देने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही पार्टी की सरकार बनी रहेगी सरकारें डेमोक्रेसी में बदलती रहती है। कभी इस पक्ष में बैठेंगे तो कभी उस पक्ष में बैठेंगे लेकिन जब इस सदन में आये हैं तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हम इस बात को देखें कि राजस्थान में जान माल की हिफाजत की जा रही है, विकास हो रहा है यह देखना हमारा दायित्व है लेकिन आज इस दायित्व को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।

यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता चाहता हूं। यहां पर अभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में कई बातें कही गयीं, जनादेश कैसे मिला उसके बारे में बातें कही गयीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां पर आज कि जनादेश अगर आप यह मानते हैं कि यह मिला है तो दिल्ली के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल से अपना हाथ क्यों खींच लिया? यहां तो आप कहते हैं कि हमको साथ काम करने का जनादेश मिला है, पहल किसने की? जनता दल के साथ से किसने हाथ खींचा? जनता दल का शासन चल जाता दिल्ली में, किसने हाथ खींचा? किसने जनादेश को गिराने की बात की वहां पर शुरूआत की? वह शुरूआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई जब उन्होंने अपना विश्वास, अपना समर्थन वापस लिया तब यह स्थिति आज बनी और यहां पर हम यह कहते हैं कि नहीं, हम तो इसलिए इनके साथ मिलना चाहते हैं कि हमको जनादेश साथ काम करने का मिला है। साथ काम करने का जनादेश तो पार्लियामेंट में भी मिला था, वहां पर साथ काम करते आप चले जा रहे थे, क्या स्थिति बन गई, क्यों नहीं वहां पर साथ काम करने के लिए बैठे? लेकिन नहीं, वहां की स्थिति दूसरी और यहां की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्थिति दूसरी। आज आप क्या जनता को मुंह दिखाने के लायक रखना चाहते हैं, इस राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं ? आज पार्टियां टूट रही है, टूट कर केवल एक दूसरी पार्टी पार्टी को मदद करने की दृष्टि से, अपने छोटे-छोटे स्वार्थों की पूर्ति की दृष्टि से हम टूट कर के मिल जाते हैं और सरकार को कायम रखने की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जनता हमसे जवाब तलब करेगी, जनता हमसे पूछेगी कि तुम किस पार्टी के नाम पर गये थे और वहां जाकर तुमने क्या किया ? जनता पूछेगी कि क्या वायदे आपने किये थे और कौन-कौन से वायदे को आपने पूरा किया ? गठ-बन्धन की बात मत करो, बात करो कार्यक्रम की, बात करो अपने विकास की, बात अपने घोषणा-पत्र में कही गई बातों को पूरा करने की। आज घोषणा-पत्र में कही गई बातों को पूरा नहीं किया गया, उनकी ओर आगे बढ़ने तक की कोशिश नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, यह नौ महीने निकल गये, समय निकलते देर नहीं लगती। जनता इस बात को भूलेगी नहीं। लेकिन यह सब चीजें नहीं होंगी तो आप और हम टिकेंगे कहां, इस देश की राजनीति टिकेगी कहां, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को ? विपक्ष के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बात, आज जो स्थिति देश की बनी है, जयपुर का जो माहौल आपने और हमने देखा है, यहां की स्थिति देखकर अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश के अन्दर कितने लोग मरे हैं, किस आधार पर आज जवान बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं, किसको चिन्ता लगी हुई है इस बात की, कोई चिन्ता नहीं है, कोई इस बात की ओर देखता नहीं। देश के टुकड़े होने की सम्भावना हो रही है। हमने देश की एकता और अखण्डता की सौगन्ध खाई है लेकिन क्या किसी का ध्यान है उस ओर, कि देश की एकता और अखण्डता बनी रहे ?

हम राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले लोग केवल तोड़-फोड़ के अन्दर आ गये और अपने-अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए इधर मिल कर के किसी सरकार को बचाने की बात करने लग गये, लेकिन किसी को यह चिन्ता नहीं कि देश के अन्दर जो आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कोई कोशिश करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के ऊपर जब गौर करते हैं, देखते हैं तो हमें लगता है कि राजस्थान के अन्दर आज प्रशासन जैसी कोई चीज ही नहीं है, राजस्थान के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति लागू नहीं की जा सकती, राजस्थान के अन्दर आज अराजकता की स्थिति कैसी हुई है और यह सरकार अगर रहती है, जो कि मुझे मालूम है–रहेगी क्योंकि आपने आठ तारीख लेकर के, यह समय लेकर के अपना रास्ता निकाल लिया, मगर जिस दिन वहां की जनता पार्टी ने। ..

श्री सम्पत सिंह : गुजरात में भी तो आपने चुनाव टाले हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जिस दिन जनता दल ने आपसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था, ईमानदारी की बात थी और मैं अपेक्षा करता था माननीय मुख्य मंत्रीजी, उनके जैसे व्यक्तित्व से मैं अपेक्षा करता था कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं राज्य-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पाल महोदय के पास जाकर कह देंगे कि अब सदन में मेरा बहुमत नहीं रहा है, मेरा अब इस्तीफा लीजिए। जयपुर में आग लग रही थी, स्थिति खराब हो रही थी उस वक्त भी आप कह देते कि इस्तीफा ले लीजिए, क्या अधिकार है आपको ? इतना खून बहाने के बाद कुर्सी से चिपके रहने का मोह क्या है आपको ? आप बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कहते थे। कभी कोई दंगा हो जाता, कभी कोई फायरिंग हो जाती, कांग्रेस राज में एक गोली लग जाती, मर जाता तो कहते कि यह हत्यारी सरकार है, इस सरकार को यहां कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इस सरकार को यहां से चले जाना चाहिए, शर्मनाक बात है, शर्म नहीं आती मुख्य मंत्रीजी को, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज क्या हो गया ? यह प्लीड करने वाले, यह दुहाई देने वाले, यह शिक्षा देने वाले मुख्य मंत्रीजी, आज जब जयपुर में हालात इतने खराब हो गये तो आपको क्या हो गया ? आप बेबस थे, आपके होम मिनिस्टर सम्पतराम जी बेबस थे, आपकी सरकार बेबस थी, आपकी पुलिस बेबस थी, आपने फौज को यहां पर बुलवा कर खड़ा कर दिया, फ्लैग मार्च करवा दिया फिर भी स्थिति काबू में नहीं आई। उस सारी स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि जिस दिन जनता दल ने आपसे समर्थन विथ-ड्रा किया था उस वक्त आप जाकर कह देते कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए, आपने वह नहीं किया। अब मैं कैसे कहूं, मैं नहीं कहना चाहता, हत्यारी सरकार का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता ....

श्री अध्यक्ष : मैंने तीसरी घंटी बजा दी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी के शब्दों में, आपके शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, अब किस अधिकार से, किस हिसाब से आप इस सदन से विश्वास मत प्राप्त कर रहे हैं ? नैतिकता के आधार पर आपको स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए था, विश्वास और अविश्वास की क्या बात होती है ? अगर इतना है तो कर देना चाहिए था, फिर चुनाव हो जाते, देखते कि क्या होता है ? लेकिन यह नहीं किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को, मौजूदा सरकार को जिस प्रकार का प्रशासन आज चल रहा है, जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान की बनी हुई है, उस स्थिति में इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। विश्वास मत आप प्राप्त कर लेंगे बहुमत के आधार पर लेकिन मुख्य मंत्रीजी, नैतिकता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप त्याग-पत्र दीजिए और राजस्थान के अन्दर एक उदाहरण कायम कीजिए कि जो स्थितियां राजस्थान के अन्दर बनी है उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए जनता से कहिये कि जनता क्या चाहती है ? वह फैसला कर लेगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री केदारजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले रामकिशनजी बोलेंगे, अगर समय बचा तो मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी, बोलिये।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं और मेरे विरोध के कारण हैं। शायद आप समझ पायेंगे कि आज देश की हालत क्या है? आज हिन्दुस्तान जिस प्रकार के संकट में फंस रहा है मैं समझता हूं ऐसी खराब हालत हिन्दुस्तान की पिछले तीन सौ चार सौ, साल से कभी नहीं हुई। देश में लग रही है आग, सुनिये, पंजाब में हो रहे हैं दंगे, कश्मीर जल रहा है, अलगाववाद की आग सुलग रही है और इसके साथ इस देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और दंगे नहीं हो रहे हैं बल्कि देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, जिन दंगों की सम्भावना है, मुझे लगता है कि यह देश इतना विशाल है, शायद यह लेबनान नहीं बने लेकिन यह देश बरबाद होने की तरफ जा रहा है। आखिर इस सारी स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं अभी किसी दल की बात नहीं करूंगा, मैं किसी संगठन की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस देश को बचाने की आपके पास तरकीब क्या है? अगर आप इसी रास्ते पर चले, मेरा आग्रह एक रहा, आपका आग्रह दूसरा रहा तो आज इस हिन्दुस्तान को बचाने के लिए तरकीब है? हम लड़ रहे हैं दूसरे झंझटों में, आज हमारी हालत यह है कि हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार समाप्त हो गया है लेकिन आज यह जो अविश्वास और विश्वास का प्रस्ताव है उसके यह मुद्दे नहीं हैं। न कोई आर्थिक मुद्दा है, न अनाज के बदले काम की योजना का मुद्दा है, न वह कोई सर्वोदय का मुद्दा है, सीधा मुद्दा यह है कि आज जो हमारे देश की हालत पैदा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने गैर कांग्रेसवाद का दर्शन दिया डॉक्टर राममनोहर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी इस राय के थे कि कांग्रेस ने जो इस देश की हालत खराब कर दी थी उसको एक बार सत्ता से हटाया जाये। हमने सत्ता से हटाया। सन् 67 में कांग्रेस पराजित हुई। हम लोग मिले और मिलने के बाद हम दस महीने में बिखर गये, हम सरकार नहीं चला सके और उस समय हमने यह तर्क दिया था कि हम अलग-अलग दल के लोग थे, हमारी अलग-अलग विचारधाराएं थी, हमने संविदों को बनाया था, कांग्रेस के लोग टूट कर आ गये थे इसलिए संविद सरकार नहीं चली। अब हम एक पार्टी बनाकर कांग्रेस को हटायेंगे और देश को क्रांति के रास्ते पर ले जायेंगे। सन् 77 आया, हमने एक पार्टी बनाई। सोशलिस्ट मिले, जनसंघ मिला, स्वतन्त्र पार्टी मिली, सारी पार्टियां मिल कर जनता पार्टी चली और वह सरकार भी दो-ढाई साल में बिखर गई। इसके बाद तीसरा मौका आया, जब यह सरकार बिखर गई तो हमने कहा कि हम अलग-अलग विचारधारा के लोग थे, अलग-अलग तरह के लोग थे, अब की सीटों का एडजस्टमेंट करेंगे और बाहर से एक-दूसरे का समर्थन करेंगे, यह प्रयोग भी हमने किया और वह प्रयोग भी फेल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपके सामने चौथा प्रयोग कौन सा बचा है? आज हमारे सामने स्थिति यह है कि

Page No. 121

(श्री रामकिशन)

पाकिस्तान में हुए चुनाव और वहां आ गये अनुदार लोग।

हमारे देश की भीतर हालत का मैंने आपसे जिक्र कर दिया, अगर चुनाव हुए और यही रिजल्ट आये, कुछ बी. जे. पी. सीटें ले गई, कुछ जनता दल सीटें ले गया और कांग्रेस अल्पमत में रह गई तो क्या इस अस्थिरता को हिन्दुस्तान बर्दाश्त करेगा? क्या यह अस्थिरता हिन्दुस्तान के लिए लाभदायक हो सकेगी? मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वह दुराग्रह छोड़ें, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाना छोड़ें। लेकिन सबसे पहले यह सोचें कि इस देश को बचाने का रास्ता क्या है? आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई? मैं लम्बी बात में नहीं जाकर आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि बी. जे. पी. ने केन्द्रीय सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यही तो सीधी सी बात थी। उन्होंने वहां वापस लिया हम लोग यहां ले रहे हैं। न इनके पीछे कोई साम्प्रदायिकता, न कोई अलगाव। लेकिन असल बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था, वह उससे मुकर गये। क्या आपने वायदा किया था कि हम सरकार चलायेंगे तो राम जन्मभूमि और बाबरी मजिस्द का विवाद हम इस तरह से हल करेंगे? मैं समझता हूं कि यह आपका वायदा नहीं था। जब यह आपका वायदा नहीं था तो आपने इसको तोड़ा है और तोड़ने के बाद यह स्थितियां पैदा हुई। आज की स्थिति में हम किसको गाली दें और किसको दोष दें।

श्री हरिसिंह : आपको भी तोड़ दिया।

श्री रामकिशन : मैं तो बहुत टूटा हूं। मैंने बहुत दलों को श्रद्धांजलियां दी हैं, आप जानते हो लेकिन आप जरा समझिये आज कांग्रेस टूटी, इस देश में कम्युनिस्ट टूटे, सोशलिस्ट टूटे, डी. एम. के. टूटी, ए. डी. एम. के. टूटी, अकाली टूटी और जनसंघ टूटा। इस देश में कौनसा नहीं टूटा इसलिए इस चक्कर में मुझे मत डालो, मैं जानता हूं क्या होता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय बहुत गम्भीर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिन कारणों से आप कहते हो कि हम राम का मन्दिर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम राम भक्त नहीं, हम राम के विरोधी नहीं हैं और राम, कृष्ण और शिव नहीं हैं तो हिन्दुस्तान में है क्या? अगर हम तीनों को हटा दें, इन तीनों की व्याख्याएं अलग कर दें तो हिन्दुस्तान एक गुलाम और पराजित देश के अलावा कुछ नहीं है।

जिसका इतिहास केवल गुलामी और पराजय का है लेकिन आज राम के नाम पर जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं मेहरबानी करके जरा सोचिये मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूं क्योंकि आप तो पढ़े-लिखे हिन्दू होंगे, मेरा बाप तो किसान था। हमारे घर में तो रामायण से ही हमने सारी जिन्दगी शुरू की है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम पौराणिक पुरुष थे या ऐतिहासिक पुरुष। जरा बताइये राम कौनसे पुरुष थे। राम थे पौराणिक पुरुष और राम का जन्म हुआ था त्रेता में। आज त्रेता को

(श्री रामकिशन)

कितने साल हो गये। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। यह द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलियुग तो काल विभाजन को अगर हम देखें तो आज त्रेता को कितने साल हो गये और त्रेता में पैदा हुए राम और निश्चित तौर पर राम पैदा हुए थे, इसमें कोई बहस नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अगर हम राम को पौराणिक पुरुष मानते हैं तो निश्चित तौर पर राम पैदा हुए थे और वहां राम का मन्दिर बनाना चाहिये, इसमें विवाद किस बात का है लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी राजनीति ने राम को बाबर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया बाबर एक आक्रमणकारी था, एक विदेशी था, एक लुटेरा था। अकबर, औरंगजेब देशी थे लेकिन बाबर लुटेरा था, लूटने वाला था लेकिन हमारी राजनीति ने राम को बाबर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और आज इसका नतीजा यह है कि देश में दंगे हो रहे हैं देश में खून-खराबा हो रहा है और खून-खराबा इस तरह का नहीं जब गुजरात असैंबली में भाषण हुए तो सुना हम काशी, मथुरा में मन्दिर बनायेंगे।

काशी, मथुरा और अयोध्या यह तीनों की गंगा जमुना का क्षेत्र है और जो इतिहास जानते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब गंगा, जमुना के क्षेत्रों में अशांति होती है तब यह देश या तो टूटता है या देश पर विदेशियों का कब्जा होता है, यह हमारा हजारों साल का इतिहास है। हम चाहेंगे राम, कृष्ण और शिव के मन्दिर बनें लेकिन यह सब चीज बातचीत और सद्भाव से ही पैदा की जा सकती है, दूसरी तरह से इनको नहीं किया जा सकता और यह बात नहीं होती है तो हम समझते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। एक निवेदन और करना है। मैंने सुना है आपके नेता राम की बात तो करते हैं लेकिन कौनसे राम की? अगर आप राम की बात करो तो सीताराम की करो। अगर राम की बात की तो औरत का अन्याय रह जायेगा। कृष्ण की बात करो तो राधाकृष्ण की करो और शिव की करो तो गौरीशंकर की करो। अगर आप अधूरे कंजरवेटिव हो गये और पूरी स्थिति को नहीं समझा तो औरतों के प्रति अन्याय का उपचार नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राम का मन्दिर बनाओ तो जनकपुरी को भी याद रखो। कृष्ण का मन्दिर बनाते हो तो बरसाने को याद रखो लेकिन आपकी दृष्टि यह नहीं है। न आपकी दृष्टि राम है और न कृष्ण व न ही शिव। आपकी दृष्टि है केवल झण्डा लगाकर चुनाव में ले जाना। मैं पूछना चाहता हूं आप राम के रथ को लेकर गये थे तो राम क्या बी. जे. पी. सदस्य हैं? राम थे जब बी. जे. पी. नहीं थी और बी. जे. पी है तब राम नहीं है। तो झण्डा किस बात का? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका दोस्त हूं, दुश्मन नहीं हूं लेकिन हिन्दुस्तान कैसे बचे हमें इसके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी।

मुझे एक निवेदन और करना है आज हम जिस स्थिति में पहुँच गये हैं वहां हिन्दू और मुस्लिम का अलगाव इतना व्यापक हो गया कि अगर उस अलगाव को नहीं टाला तो यह देश टूट जायेगा, लेबनान बन जायेगा। आप मानते हो आज दस

(श्री रामकिशन)

करोड़ मुसलमान हैं। आप इन्हें भगा सकते हो, कत्ल कर सकते हो? मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेहरवानी करके सोचो कि तुम इन हिन्दुओं से क्यों लड़ते हो। तुम भी तो आज से तीन-चार सौ साल पहले हिन्दू थे। तुम्हारे पुरखा हिन्दू होंगे चाहे तुमने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम तुम्हारा धर्म है लेकिन राम और कृष्ण भी तुम्हारे पुरखे हैं, तो हिन्दू और मुसलमानों आज जिस तरह से देश को ले जाना चाह रहे हो उससे देश जुड़ेगा नहीं, टूटेगा। इस देश को तीन शक्तियों ने जोड़ा था। हमें अशोक, अकबर और महात्मा गांधी को याद करना पड़ेगा। इसके अलावा देश में तोड़ने वाली शक्तियां निरन्तर हो रही हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के माननीय सदस्यों से और माननीय नेताओं से कि आप मेहरबानी करके यह सारे काम करो तो लोगों की सहमति से करो, समझाकर करो। मुसलमानों और हिन्दुओं की कट्टरता इस देश को तोड़ देगी। एक निवेदन खास तौर पर मुसलमान भाइयों से करना है कि आप घबराना मत। हिन्दू कभी भी कट्टर नहीं हो सकता क्योंकि उसके 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 33 करोड़ देवता हैं तो उसका दिमाग तो बहुत बंटा हुआ है। वह उदार और आज उदारता की मिसाल देखिये, अपने धर्म भाइयों पर ही गोलियां चला रहे हैं तो मुसलमानों तुम किस बात से घबरा रहे हो? हिन्दू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हो सकता है हिन्दू में कुछ लोग कट्टर हो लेकिन हिन्दू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिन्दू की कट्टरता से घबराकर आप इस्लामिक कट्टरता की तरफ बढ़ते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप नहीं समझोगे। सीकर की मण्डी का मामला नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं सदन की मार्फत मुसलमान भाइयों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों की कट्टरता से नहीं घबरायें और फिर बी. जे. पी. से भी नहीं घबरायें। बी. जे. पी. की भी दो धाराएं हैं, उदारवादी और अनुदारवादी। उदार और अनुदार का संघर्ष सारी दुनिया में चल रहा है। यूरोप, एशिया और हिन्दुस्तान में भी चला है। तो मैं यह समझता हूं कि अगर अनुदार लोगों ने ज्यादा गड़बड़ की तो फिर उदार लोग आयेंगे और फिर एक स्थिति वह आ जायेगी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। मुझे एक निवेदन और करना है, माननीय भैरोंसिंह ने यह बात कही कि दंगे हुए।

मुझे इस बात की खुशी है और मैं समझता हूं कि शायद यह पहले मुख्यमन्त्री रहे हैं, जिन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, मैं इस बात की ताईद करता हूं, तारीफ करता हूं। लेकिन रोग की चर्चा करने से रोग का इलाज नहीं होगा, रोग की चर्चा तो कर दी लेकिन रोग का इलाज क्या है और रोग का जो इलाज है उस सम्बन्ध में आप कहां तक जाने को

(श्री रामकिशन)

तैयार हैं। हमें इतिहास में, पुराण में, हमें व्यवहार में यह साबित करना होगा कि राज के मामले में हिन्दू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। यह सारी चीजें हमें करनी है। इस सारी चीज को हमें करना चाहिए। मुझे इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना है। मैंने एक बार इस सदन में भी कहा था। इस देश में यह भ्रम निरन्तर फैलाया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के सारे मुसलमान साम्प्रदायिक हैं। हम जिन्ना को निश्चित तौर पर साम्प्रदायिक बता सकते हैं लेकिन साम्प्रदायिक कब बना? इतिहास को जानते हैं वह जानते हैं कि वह कांग्रेस का सदस्य था, कांग्रेस में था, कुछ मुसलमानों के सवाल थे उसमें हमने गड़बड़ की और वह जिन्ना जो राष्ट्रवादी था वह भारत विभाजन का अपराधी बन गया, देशद्रोही बन गया, देश को तोड़ने वाला बन गया। इसलिए निवेदन करूंगा उदारवादी मुसलमानों से कि वह सारी बी. जे. पी. को अनुदारों का संगठन न समझे। यह अनुदारों का संगठन है, इसमें अनुदार लोग हैं और वह अनुदार केवल मुसलमानों के मामले में ही नहीं है। अनुदार है तो बहुत से मामलों में है। जब यहां जमींदारी का कानून बना, जिस समय सीलिंग का कानून बना उस समय के जनसंघ ने उसका विरोध किया। सब जानते हैं कि हिन्दू को फायदा होने वाला था, जागीरदार की जमीन जा रही थी, जमींदार की जमीन जा रही थी, हरिजन को मिलने वाली थी, काश्तकार को मिलने वाली थी। सम्पत्ति के मामले में निश्चित तौर पर उस समय का जनसंघ अनुदार था। जब हिन्दू कोड बिल आया ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा, समझता हूं ...

श्री रामकिशन : सीलिंग में तो यह स्थिति थी कि मैंने कहा 30 एकड़, तो हाउस ने कहा नहीं 60 एकड़। मैं कहना चाहता हूं कि यह निश्चित तौर पर सम्पत्ति के मामले में अनुदार है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब राजाओं के प्रिविपर्स बंद हुए थे तो उनका वोट कहां था? तो मैं मानता हूं कि यह सम्पत्ति के मामले में अनुदार हैं।

श्री अध्यक्ष : जो समय दिया हुआ है उससे ज्यादा नहीं दूंगा। यदि और लोग न बोलना चाहें तो आप बोलिए, मुझे आपत्ति नही है।

श्री रामकिशन : नही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं बोलेगा? 10 मिनट बाकी है। आप 10 मिनिट लेंगे तो और किसी का नम्बर नहीं आयेगा।

श्री नत्थी सिंह : श्री मोहम्मद माहिर आजाद बोलेंगे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्पत्ति के मामले में यह पार्टी अनुदार रही है। जब हिन्दू कोड बिल आया और लड़कियों को सम्पत्ति का अधिकार देने की बात कही तो विरोध किया और आप देखें लोक भाषा के मामले में, लोक भाषा के प्रकाण्ड पण्डित इस सदन में बैठे हैं, मैं उनकी तरफ इशारा करना चाहूंगा, यह देश के लिए हिन्दी की बात करते थे जब अंग्रेजी की बात आयी तो कुछ लोगों ने अंग्रेजी की वकालत की।

(श्री रामकिशन)

तो भाषा के मामले में, औरतों के मामले में, सम्पत्ति के मामले में, आप में से कुछ लोग अनुदार हैं लेकिन राष्ट्र की सीमाओं के मामले में आप देश भक्त हैं लेकिन और मामलों में आप अनुदार हैं। तो उदार और अनुदार का जो संघर्ष चल रहा है इसमें हिन्दू अनुदारता और मुसलमान अनुदारता दोनों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। मैं उदारवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हिन्दू अनुदारवादियों के खिलाफ तो लड़ते हैं लेकिन मुस्लिम कट्टरता के सामने सर झुका देते हैं जिससे हिन्दुओं की अनुदारता बढ़ रही है। उनकी अनुदारता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अगर मुसलमान उदार लोग इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष करते तो आज हिन्दुओं में रिएक्शन पैदा नहीं होता। उन्हें परिवार नियोजन के मामले में सोचना पड़ेगा, उन्हें एक कानून के मामले में सोचना पड़ेगा अगर मुसलमान दोनों बातें नहीं करेंगे तो देश में लाभ उठाने की कोशिश की जायेगी। मुझे निवेदन करना है इस सम्बन्ध में यह सारे सवाल है, इन सारे सवालों पर, मुख्य मन्त्रीजी, आपको चिन्तन करना पडेगा। आपने दुःख प्रकट किया हम इसके लिए आपकी तारीफ करते हैं लेकिन रोग का इलाज करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्दर उदारता की धारा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, भैरोंसिह शेखावत और जसवन्त सिंह हैं। यह मुझे पता नहीं कि वह बैठे हैं या नहीं मैं उनको नहीं पहचानता हूं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि उदारता की धारा रही है लेकिन उदारों को ज़रा साहसी बनना पड़ेगा, अनुदारता के सामने सरेण्डर नहीं करना पड़ेगा, सिद्धान्त के लिए लड़ना होगा। अगर इस देश को बचा सकती है तो उदारता ही बचा सकती है, अनुदारता नहीं बचा सकती है। अनुदारता का जन्म हुआ था जर्मनी में, वह विभाजित हो गया अनुदारता पैदा हुई थी कम्युनिज्म में, वह खत्म हो गया तो हिन्दू अनुदार हो गया तो हिन्दू भी समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार मुझे मुसलमानों से कहना है वह कट्टरता के खिलाफ संघर्ष करें। जब-जब मुस्लिम कट्टरता आयी है तब-तब उसके धर्म में कमी आयी है...

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी, पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री रामकिशन : अकबर के समय में उनका धर्म बढ़ा-चढ़ा था औरंगजेब के समय उनका धर्म सिकुड़ गया था। आज समय का अभाव है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय नहीं मिलेगा। आई एम हैल्पलेस। मैंने जो समय दिया हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, यह बता देता हूं। यह आपका समय ले रहे हैं, इनको रोकिए।

श्री रामकिशन : मैं आज समय के अभाव में व्यक्तिगत कहना चाहता हूं, साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का जो मैंने विरोध किया है उसके पीछे यह भावना है कि आप अपने आपको सुधारें अन्यथा टूट का कारण यह दल बनेगा और टूट का कारण दल बना तो राष्ट्र माफ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी। पांच मिनट हैं आपके।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, पहली तो मेरी प्रार्थना यह है कि यह जो डिस्टरबेन्स हो रहा है यह मेरे समय में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई डिस्टरबेन्स नहीं हो रहा है। पड़ोसी ही कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे दोनों ही पड़ोसी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर एक निवेदन मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी सेय ह करना चाहूंगा कि मेरा भी जी करता है जो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सुनहरी सपना दिखाया है और आज से पांच-छः महीने पहले राजस्थान में जो भावना पैदा की है उसको देखते हुए मुझे समझ में नहीं आया जो सपना राजस्थान में ले रहे हैं उसकी जड़ें इन्होंने दिल्ली में काट दीं। दिल्ली और देश में कांग्रेस के खिलाफ जो वातावरण बना और उससे सरकार बनी उन्होंने फिर वह स्थिति पैदा कर दीं, अनजाने में, लालच में, वोटों के लालच में कि दुबारा राजीव गांधी और उनकी कांग्रेस सरकार सेन्टर में आने की तैयारी कर रही है। दुबारा वह स्थिति देश में पैदा हो गयी है कि आज-देश का प्रधान मन्त्री वह बन रहा है जिसको राजीव गांधी चाहते हैं। इसलिए आप कितने ही वोट तोड़ लो, 35 और तोड़ लो लेकिन हालत वही होने वाली है जो सन् 77 में आपके साथ थी ...

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे उन्होंने दल तोड़ा, 35 सदस्य और तोड़ लेंगे। यह नहीं कह सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जनता दल के दो टुकड़े हुए हों पर मैं किसी हालत में कांग्रेस (आई) से हाथ नहीं मिला सकती हूं क्योंकि यही सरकार थी जिसने राजा मानसिंह की हत्या की थी। मैं यह भी कहती हूं कि हम लोग किसी हालत में आप लोगों के साथ नहीं होंगे। यह नहीं सोचें कि हम दिल्ली के डर से आप लोगों के साथ होंगे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह इण्टरप्शन बन्द करिये।

श्री अध्यक्ष : महिलाओं के प्रति उदारता बरतिए अभी पण्डितजी कह गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के अन्दर राज्य के अन्दर, इस प्रदेश की जनता का विश्वास तभी कायम रह सकता है जब इस तरह की जो प्रवृत्तियां देश में पैदा हुई उनको रोक सकें। मैं समझता हूं कि आपने बड़े दुःख के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि जो कुछ वहां हुआ है वह गलत है। यहां राजस्थान के अभी के मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी बड़े रो रहे थे। उन्होंने रोते हुए शब्दों में हृदय से यह बात कही कि भाजपा साम्प्रदायिक है, भाजपा सत्यानाश कर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रही है, देश को बरबाद कर रही है परन्तु मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि दुबारा वहां मौका किसने दिया ? सेण्टर में वह आपने दिया वी. पी. की सरकार को गिराने की बात करके। आपने और भाजपा दोनों ने इकट्ठे होकर वोट दिया और चन्द्रशेखर को प्यार किया। क्या आप समझते हैं कि जो भाजपा का विरोध करते थे, जो उनके साथ मजबूती से लड़े उसको गिराने वाले आप हैं ? भाजपा के खिलाफ लड़ने वाला चन्द्रशेखर नहीं, देवीलाल नहीं, वी पी. सिंह है उसको आपने गिरा दिया। ऐसे हथियार तैयार किये कि आपने उसके खिलाफ वोट दिया। दोनों ने इक्ट्ठे वोट दिया। भैरोंसिंहजी और माननीय हरिदेवजी की पार्टी ने, दोनों ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ वोट दिया, यह कल की घटना है। इसलिए यह जो आज दोनों रो रहे हैं उसको क्या कहूं ?

माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपके राज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आपने जिस बात को स्वीकार किया है, आप मुख्य मंत्री हैं, आप भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, शायद किसी गरीब आदमी ने आपको बताया नहीं कि जयपुर, जोधपुर और ब्यावर में क्या हुआ, मैं जयपुर के उन बाजारों में गया हूं, उन गलियों में गया हूं और जो कुछ लोगों ने बताया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि राज हुकूमत को छोड़ो इन्सानियत नाम की चीज हमारे पास नहीं रही। मेरे पास यह तस्वीरें हैं, आपने देखी हैं, मेरे पास वह गोलियां हैं जो मैं तीन घरों से लेकर आया हूं। मैं आपसे निवेदन करूं कि 5-5 साल के बच्चे ने मुझे बताया कि मेरे सामने एक आदमी को सिलण्डर पर बांधा और उसके बाद आग लगाकर छोड़ दिया। मेरे सामने दो साल की बच्ची की एक टांग एक आदमी ने पकड़ ली, एक टांग दूसरे ने पकड़ ली और उसको चीर दिया। एक जवान लड़की ने मुझे बताया कि मेरे सामने मेरे पति को काटा गया मैं खड़ी रही और देखती रही उन्हें धीरे-धीरे काटा गया। यह घटनाएं हुई, करोड़ों रुपये लूट लिए गए, लुटेरे दुकानों से सामान निकाल-निकाल कर ले गए, हफ्ते भर तक ले जाते रहे। अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारी आर. ए. सी. भी शामिल है, इसमें हमारी पुलिस का सहयोग भी था। आर. ए. सी. के जवानों ने भी उन गरीब बस्तियों में जाकर हमला किया, बन्दूकों से लोगों को मारा और इस तरह से लूटा ···

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। ··· हो गया। यह ऐसा विषय है जिस पर घण्टों बोल सकते हैं।

श्री जुबेर खान : बोलिए आप। शुरू करिए। (व्यवधान) बोलिए। ···

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको तकलीफ किस बात की हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : बोलिए आप। आपका टाइम जा रहा है।····

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : इन्हें बैठाइये साहब।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। बोलिए आप। आप शुरू करिए। आपका टाइम हो गया। आपको नहीं बोलने दूंगा। नो, नो, टाइम इज ओवर। आप बोलिए। श्री जुबेर खान आप बोल रहे हैं? शुरू करिए आप।.... इनका नोट नहीं किया जाय। आपका बिलकुल दर्ज नहीं हो। आप बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : XXXX

श्री जुबेर खान : यह जो प्रस्ताव रखा गया है सदन के नेता आदरणीय मुख्य मंत्रीजी में विश्वास इस सदन को रखना है, मैं इसके विरोध में बोलना चाहता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझे समय कम देंगे इसलिए चन्द बातें ही इस सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस हत्यारी सरकार के टाइम में क्या-क्या हुआ है? माननीय मुख्य मन्त्रीजी के बारे में राजस्थान भर में यह चर्चा थी कि यह वह व्यक्ति हैं जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। सदन के नेताजी, आपसे गरीब लोग पूछेंगे जब आप दुबारा चुनाव में जायेंगे कि हमारा वोट इन जल्लादों के लिए लेकर गये थे जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर अल्पसंख्यक और गरीब लोगों की हत्याएं की हैं, जलाया है और उनको चीरा-फाड़ा है।

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, मुझे याद है जब मैं चुनाव में जाता था तो लोगों से कहता था कि तुम भैरोंसिंह शेखावत के पक्ष में क्यों वोट डालते हो तो वह कहते थे कि हम भैरोंसिंह को वोट दे रहे हैं, बी. जे पी. को नहीं दे रहे हैं। पहले भी लोग जानते थे कि बी. जे. पी. में कैसे कैसे लोग हैं? लेकिन लोगों ने वोट दिए थे आपको और जनता दल के लोगों को जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, सेक्यूलेरिज्म के लिए, प्रजातन्त्र के लिए वोट मांगे थे लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जब आप की कुर्सी डगमगाई, जब अडवानी जी की वहां से रथ यात्रा आयी, जिनका राम से कुछ लेना-देना नहीं था, बाहर से चलकर आये थे। जब देखते थे कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के बगैर मेरा पोस्टर अधूरा रहता है, मुझे लोग नहीं मान रहे हैं, तो मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाऊं।

वह रथ यात्रा लेकर चले, भारतीय जनता पार्टी का झण्डा लेकर चले, कमल का फूल लगाकर चले और अब राजस्थान में घुसे तो आपके मन्त्रिमण्डल के सहयोगी आदरणीय ललित जी उनके साथ बैठ गये, आप जिन दिनों व्यस्त थे मीटिंगों में, आपने देखा कि कहीं ललित जी करीब ना आ जायं और मेरी कुर्सी नहीं डगमगा जाय। आपने भाषण दिये जनसमुदाय को देखकर। आपने तो गरिमा भी गिरा दी कि केन्द्रीय गृह मन्त्री के खिलाफ भी बोल गये। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य मंत्री जी। आप तो राज के मुख्य मंत्री हैं, यह तो मैं भी कहता हूं कि मेरे गांव में आकर दिखा दीजिए मैं आपको घुस जाने भी दूं तो। यह बात आपको शोभा नहीं देती थी। आपने बात कहीं संवेदनशीलता की।

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जुबेर खान)

आपके समय में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? मंडावरी काण्ड ले लीजिए, सतबाड़ी काण्ड ले लीजिए, सांगानेर के दंगे ले लीजिए, लेकिन हमेशा आपने पुलिस को बचाया है। पुलिस में भी दरोगाओं को बचाया है। मैं यह नहीं जानता कि दरोगाओं और आपका क्या रिश्ता है ? क्योंकि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, उनसे लोगों को मरवाते हैं।

आपने कहा था कि किसानों की सरकार है। जिस तरह से किसानों के मार्च 1990 से मार्च 1991 तक के बिजली के कनेक्शन दिये जाने थे, आज तक खम्भे नहीं पहुँचाए, आप बिजली क्या देंगे ? यह आपकी किसानों के प्रति संवेदनशीलता है ? आपने तो यहां तक कहा कि आप सेक्यूलर हैं। आपने जो मेवात विकास बोर्ड के नाम से एक संस्था थी, एक क्षेत्र के विकास में थी, पूछिए तमाम धर्मों के लोगों से जो वहां से एम. एल. ए. चुनकर आये हैं, मैं सिर्फ एक मुसलमान आया हूं, आपने वह सिर्फ इसलिए बन्द कर दी कि कहीं इससे मुसलमानों का तो भला नहीं होता है। आपने मेवात विकास बोर्ड को अनुदान देना बन्द कर दिया। सारे विकास के काम रुक गये। सारे इस बात के गवाह हैं कि जो भी लोग वहां से आते हैं नगर, तिजारा, अलवर, खैरथल, लक्ष्मणगढ़ और कामां से आने वाले सभी माननीय सदस्य इस बात के गवाह हैं कि आपने वहां की जनता के साथ कितना बुरा अत्याचार किया है और सिर्फ यही एक भावना रख कर कि कहीं इससे अल्प संख्यकों का फायदा न हो जाय। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रामचन्द्र जी की कसम खाते हैं और जो हमें बाबर की औलाद कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का समय एक घण्टा चालीस मिनट था, एक घण्टा 12 मिनट जोशीजी ने लिया, 25 मिनट देवपुराजी ने लिए, एक घण्टा 37 मिनट, और 5 मिनट आप। एक घण्टा बियालीस मिनट पूरा हो चुका है, इसको आप ध्यान में रखिये। (व्यवधान) मेरी दृष्टि कम्युनल नहीं है।

श्री जुबेर खान : पण्डित श्री रामकिशन जी कह रहे थे, भरतपुर से आये हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, राणा सांगा के साथ बयाना में हसन खां मेवात ही लड़ा था बाबर के खिलाफ। और आज बड़े दुःख की बात है कि आप वोट के लिए मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हो। आपको डूब कर मर जाना चाहिए। यह भैरोंसिह शेखावत को शेखावत नाम कहां से मिला ? और इनके शेखावत के भाई जो गये आज वह कायमखानी मुसलमान जाने जाते हैं। आज यह बड़े दुःख की बात है कि आप अपने भाइयों को बाबर की औलाद कहते हो। यह कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपना लिया लोगों ने, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाबर की औलाद हो गई। मुसलमान हमेशा इस देश के लिए लड़ा है। आजादी के बाद में जितने भी गद्दार और जासूस जिन्होंने नक्शे बेचे देश के, हथियारों के सिक्रेट्स बेचे, वह लिस्ट उठा कर देख लीजिए

(श्री जुबेर खान)

अगर एक भी मुसलमान का नाम आ जाय तो जो भी सजा आप देंगे वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन। आपका लिखना बन्द।

श्री जुबेर खना : ++++

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।
(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री मौहम्मद माहिर आजाद। आपका लिखना बन्द कर दिया, नोट नहीं होगा।

श्री जुबेर खान : ++++

श्री अध्यक्ष : श्री मौहम्मद माहिर आजाद।

श्री मो० माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विश्वास का प्रस्ताव रखा है मैं उसके विपक्ष में बोल रहा हूं....

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, जो अच्छा बोलते हैं उनको आप रोक देते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता महोदय ने इस सदन के सम्मुख विश्वास का प्रस्ताव पारित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने काम गिनाये जिसमें अन्त्योदय योजना और मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने नगर परिषद और स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनावों में पुनः जनादेश प्राप्त किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी नगर परिषदों के चुनाव हुए? आधी से ज्यादा पर तो स्टे आ गया था। गांवों में देश की और प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी रहती है तो कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने विश्वास का मत प्राप्त किया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने प्रस्ताव में किसानों की ऋण मुक्ति की भी बात कही। यह बात सही है कि किसानों की ऋण माफी की गई। मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऋण माफ किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी मेरे साथ रहे विधायकों की ऋण मुक्ति की भी बात इस सदन को बता देते, क्योंकि जनता को उसकी भी जिज्ञासा है कि उनकी ऋण मुक्ति का क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी ..

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कल के माननीय साथी...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है। दिखा देना। सदन के पटल पर रखो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगमालसिंह यादव : यह सही है कि माहिर जी ने साइन किये थे।

(व्यवधान)

++++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उम्मेदसिंह : माहिर जी मिले थे ना मुख्य मंत्रीजी से ? आपने दोनों साथ मिले थे मुख्य मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष : समय थोड़ा है उनका। आप बोलिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सच्चाई बहुत कड़वी होती है।

श्री अध्यक्ष : हां आजाद साहब आप बोलें।

श्री जगमाल सिंह यादव : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां पाइण्ट ऑफ आर्डर बोलिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि हाउस में सदन के किसी सदस्य के खिलाफ यदि कोई चार्ज लगे तो उसको नोटिस देना चाहिए था और मैं यह चार्ज लगा रहा हूं कि मेरे पास माननीय सदस्य चार बार मेरे मकान पर और दिग्विजय सिंह जी के मकान पर आकर कहा कि भैरोंसिंह जी से मन्त्री पद पक्का करवा दें.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य, यह अगर एक बार भी साबित कर दें कि मैं इनके मकान पर गया या मैं इनका मकान जानता हूं तो मैं अभी स्तीफा दे दूंगा (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : यह तो साफ है मंत्री पद के सौदे कर रहे हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका गवाह हूं कि मेरे साथ गये थे ये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले लोकसभा और विधान सभा के दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को जनता ने संयुक्त रूप से जनादेश दिया था। लेकिन सबसे पहले केन्द्रीय सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेकर मतदाता के दिए हुए जनादेश की अवमानना की। मतदाता के साथ विश्वासघात किया। उसी की परिणति में राजस्थान से भी जनता दल को इस सरकार से विश्वास का मत वापिस लेना पड़ा।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जयपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगे का जिक्र किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि जयपुर में साम्प्रदायिक दंगा क्यों हुआ ? जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे किसने करवाए ? जयपुर के साम्प्रदायिक दंगे में कितने लोग मारे गए ? जयपुर के साम्प्रदायिक दंगे में कितनी जान माल की क्षति हुई, कितना राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं "तुम्हारा शहर है तुम्ही मुद्दई, तुम्हीं मुंसिफ, हमें फिर भी यकीं है कि कसूर हमारा निकलेगा"।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य जो अभी भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विगत 15 जून, 1990 को जब माननीय सदस्य ने सदन की सदस्यता ग्रहण की थी उस समय का भाषण निकालकर देखा जाय। इन्होंने उस समय यह कहा था कि बी. जे. पी. के प्रान्तीय महामन्त्री घनश्याम जी तिवाड़ी ने अलवर में प्रेस कान्फ्रेंन्स में यह कहा है कि जगमाल सिंह यादव को हम समर्थन नहीं देंगे भले ही पार्टी समझौते में सीट छोड़े। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इसमें इनको क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह नहीं कह रहा कि बी जे. पी. ने मेरी मदद की है। .

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दुःख और है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मेरे अजीज मित्र हैं, मेरे साथी हैं, कोलायत से आने वाले भी हमारे साथी हैं। राजस्थान सरकार के मन्त्री भी जयपुर में बात कर रहे हैं कि साहब, हमने मीटिंग में यह बात कही कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उसमें यह तय हुआ था कि न हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनायेंगे, न हम बी. जे. पी. को समर्थन देंगे। मुझे दुःख तो इस बात का है कि मेरे इन अजीज दोस्तों के आका चन्द्रशेखर, कल्याण सिंह जी कालवी जब कांग्रेस की तरफ जा कर के सरकार बना रहे हैं तब इनकी स्थिति क्या होगी ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं शामिल नहीं था। मेरे हाईकमान चन्द्रशेखर जी हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा माननीय मन्त्री जी कि मेरे हाई कमान चन्द्रशेखर जी हैं तो चन्द्रशेखर जी कांग्रेस में जाने की कहेंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य। कृपया प्रवोकेटिव भाषण मत दीजिए वरना आपका टाइम पूरा हो रहा है। भाषण में तथ्य की बात कहिए। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं मेरे समय में बात कह दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुल्क में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। मैं निश्चित रूप से आपको यह कहता हूं कि हमारे इस देश की सभ्यता और संस्कृति में भगवान राम का बाबर से कहीं ज्यादा महत्व है। यह बात मैं स्वयं कहता हूं। लेकिन क्या अयोध्या में जो मस्जिद है वह बाबर की मस्जिद है ? जिस तरीके से जयपुर में बिड़ला मन्दिर है वह क्या घनश्यामदास बिड़ला या आर. के. बिड़ला का है ? वो भी खुदा का घर है। मन्दिर बनाने का हम विरोध नहीं करते लेकिन मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाया जाय, यह कहाँ तक

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

उचित है। मुझको आज एक बात कहते हुए बड़ा अफसोस और दुःख हो रहा है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को दीपावली की मुबारकबाद देने गया था, माननीय अध्यक्ष जी ने भी उस वक्त यह विचार व्यक्त किए कि वहां मस्जिद तोड़कर मन्दिर नहीं बनाने देंगे तो इस देश के अन्दर कई गांवों और शहरों में उत्साहित भीड़ मस्जिदों का नामोनिशान बाकी नहीं रहने देगी। इस तरीके की बात जब हमारे आसन पर बैठने वाले व्यक्ति ने कही हो तो मैं आपको कैसे निवेदन करूं कि इस देश में हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सौहार्द बने, हम चाहते हैं कि राम जी का मन्दिर बने। भगवान राम हमारे लिए भी इतने ही आदरणीय हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिद ने क्या गुनाह किया था? मैं जानना चाहता हूं ऋषि गालब नगर की मस्जिद ने क्या गुनाह किया था? मैं जानना चाहता हूं कि जयपुर के जो बेकसूर मुसलमान मरे हैं, जो बेकसूर कोली मरे हैं उन्होंने क्या गुनाह किया था? क्या वो मन्दिर बनाने में आड़े आ रहे थे?

जब राजस्थान बन्द का आह्वान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उसका न जनता दल ने विरोध किया, उसका न कांग्रेस वालों ने विरोध किया, उसका न वामपंथी दलों ने विरोध किया, उसका न मुसलमान लोगों ने विरोध किया तो फिर आखिर यह हिंसा क्यों हुई? उसके बाद इतना जान और माल क्यों गया?

माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं भी चाहता था कि आपके पक्ष में मत देता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मुख्य मन्त्री जी बाबरी मस्जिद को तोड़े बिना मन्दिर निर्माण की घोषणा कर सकते हैं? क्या मुख्य मन्त्री जी जो लोग जिन्दा जलाए गए, जिसकी मां से उसका बेटा छीना गया उसको उसका बेटा लौटा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पहाड़ गंज में एक चार साल के बच्चे की खोपड़ी आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको घर से निकाल कर आर. ए. सी. के जवानों ने उसको दीवार से चपेटे मार-कर उस बच्चे को जिन्दा मार दिया और उसको आग लगाई। माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या उस बाबू कोली को जिसको मार कर के जिन्दा जलाया गया क्या उसको आप वापस लौटा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या ऋषि गालब नगर के अन्दर जो मिस्त्री की बीवी को उसके सामने टुकड़े करके जिन्दा जलाया गया क्या उसको उसकी बीवी लौटा सकते हैं? अगर यह सब उसको आप लौटाने में असमर्थ हैं तो माननीय मुख्य मन्त्री मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जब उसकी मां को उसका बेटा नहीं लौटाया जा सकता, जो सदियों से जयपुर में साम्प्रदायिक सौहार्द और भाईचारा चला आ रहा था उस भाई चारे को नहीं लौटाया जा सकता तो मैं आपके विपक्ष में मत दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं फिरकापरस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गुलाम मुस्तफा खां।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो इस उम्मीद में थे कि कभी न कभी तो जूता फटेगा मेरी जान का तब वह जरूर पूछेगी पता मेरी दुकान का।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सारी मर्यादाओं को लांघ कर इस बात को किस सन्दर्भ में तोड़मरोड़ कर यहां जो प्रिविलेज मिला हुआ है उसका नाजायज फायदा नहीं उठावें। माहिर आजाद ने मेरे नाम से जो बात कही है प्रसंग उन्होंने छोड़ दिया। प्रसंग यह चल रहा था कि हिन्दू मुस्लिम झगड़ा नहीं होना चाहिए और यदि यह झगड़ा हुआ तो हजारों मस्जिदें तोड़ी जायेंगी। प्रसंग यह था। प्रसंग यह नहीं था कि बाबरी मस्जिद तोड़ दीजिए नहीं तो हजारों टूट जायेंगी। यह प्रसंग नहीं था। तोड़ मरोड़ कर प्राइवेट बात का उल्लेख करते समय या तो सप्रसंग बात कहिये अन्यथा उसको जैसे आप अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर आक्षेप लगाने की सीमा तक जा सकते हैं, मैं समझता हूं, यह सामान्य मर्यादा नहीं है। इस प्रकार के भाषण कृपया देने से परहेज करें। क्योंकि आखिर यह सदन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी है। यहां प्राइवेट बातों को तोड़ मरोड़ कर, सरकार पर जो चाहे कहिए मैं किसी को रोकता नहीं हूं। लेकिन व्यक्तिगत बातों को लेकर एक दूसरे को प्रवोक मत करिये। धन्यवाद।

गुश्री लाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् भैरोंसिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं।

"हिम्मत को सराहो मेरे हमराह, चलो मैंने एक शमां जलाई है हवाओं के खिलाफ।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : जहां तक आज कल के जिन हालात के अन्दर मुल्क और प्रदेश जल रहा है उसको देख कर हमें खून के आंसू आते हैं। यह सारी जिम्मेदारी किस पार्टी की है? इस पर सोचने में समय गंवाना नहीं है। जो भी हालात अभी हुये हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अकेले दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। हमें बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि" (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : फिर तो आप भी शामिल हो जाओ।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी बहुत फ्ल्युयेन्ट स्वीकार नहीं है उनको शान्ति से सुनिये। दया करिये। पुराने लोग बैठे हुये हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : बाबरी मस्जिद का 1986 के अन्दर फैसला होने के दिन ही जिस पार्टी ने ताला तुड़वाया वह पार्टी कांग्रेस ही थी और आज के जो हालात बने हैं इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

पार्टी है। 1979 के अन्दर जब उस मस्जिद का ताला तुड़वाया उस समय यह लोग सरकार के अन्दर थे। इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस मस्जिद की हिफाजत करते। मुहूर्त भी इन लोगों ने ही निकलवाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर प्लीज। आप लोग अपना समय समाप्त कर रहे हैं। मैं जो सात घण्टे का समय दिया उसके आगे नहीं जाऊंगा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : इस समय जो राज्य के अन्दर हालात है उनको देखते हुए मैंने जोधपुर, जयपुर, ब्यावर, चौमूं सभी जगहों का दौरा किया है और वहां पर मैंने यह पाया कि किसी भी पार्टी के लोगों द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी विरोधी, किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं गया है। निर्दोष को बख्शा गया है। जहां तक हमारे इन दिनों के अन्दर जो हालात हो रहे हैं उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि मुल्क के अन्दर जो हालात हुए हैं उसके लिए दोषी कांग्रेस पार्टी है। 1969 में अहमदाबाद के अन्दर 350 मुसलमानों का कत्ल हुआ था, 1979 में भागलपुर के अन्दर एक हजार से ज्यादा मुसलमान मरे थे, भिवंडी के अन्दर मुसलमानों का कतल हुआ था। उस वक्त कांग्रेस सरकार ही थी। इसलिए हमें पार्टी लेवल से ऊपर उठ कर राम किशन जी ने जो बयान दिये हैं उसकी तरफ देखना होगा और आने वाले हालात को समझने के लिए मुल्क के अन्दर ऐसे हालात पैदा करने होंगे ताकि हिन्दू और मुसलमान भाइचारे के साथ रह सकें और यही परिस्थितियां देख कर हमने श्री भैरोंसिंह जी की सरकार को समर्थन दिया है। इस वक्त राजस्थान के अन्दर एक भैरोंसिंह जी ही ऐसे व्यक्ति है, जो राजस्थान के अन्दर हिन्दू मुस्लिम एकता को कायम कर सकते हैं, आने वाले हालात को सुधार सकते हैं।

हमारे सामने जो पूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं। लाडनूं, मकराना, कोटा के अन्दर जो हालात हुए थे उनको कभी कन्ट्रोल नहीं किया। वहां पर आज तक जितने व्यक्ति मरे थे उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया लेकिन हमारी सरकार जो मौजूदा है पिछले दस दिनों से मैं देख रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है और वह लोग, आकड़े देख कर मैं बता सकता हूं जोधपुर के अन्दर, जयपुर, ब्यावर के अन्दर सभी समुदायों के लोग बराबरी के अन्दर बन्द है। इसलिए खास तौर से इस सदन के मार्फत मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि कांग्रेस के बहकावे में नहीं आवे। वह लोग अपने साथ इसलिए ले जाना चाहते हैं कि जो झगड़े इन्होंने कराये थे उसे आगे कर सके। हिन्दुस्तान के अन्दर अगर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है तो हमारे भैरोंसिंह जी के अन्दर विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा। भैरोंसिंह जी पर विश्वास करने पर ही हमारे समाज के मुसलमानों की सम्पत्ति, धर्म और जान की रक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि जो दोषी व्यक्ति हैं चाहे

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

किसी भी सम्प्रदाय के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी पार्टी के हों भैरोंसिंह जी उनको हर सूरत में गिरफ्तार करायेंगे और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून के हवाले करेंगे चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो। यही बात समझ कर, इन्हीं गुणों के कारण हमारे लोगों ने भैरोंसिंह जी का साथ दिया है। इसमें हमने कोई गलती नहीं की है। हमने चुनाव लड़ा और उसमें भी बी. जे. पी. के साथ मिल कर लड़ा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : हमें जो जनादेश मिला था वह यह है कि बी. जे. पी. के साथ मिल कर सरकार बनायेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो काम करती है और करेगी चार साल और काम करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस राज्य में हिन्दू, मुस्लिम एकता का एक नया प्रमाण पेश करेंगे, जिसे दुनिया देखेगी। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपके 15 मिनट हैं, दो बोलने वाले हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी के मन्त्रि-मण्डल में विश्वास व्यक्त करता हूं इसलिए कि हम मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह जी से बहुत आशाएं रखते हैं। जहां तक गांव और किसानों और गरीबों का सवाल है मुख्य मंत्री जी 8 गांव से जुड़े हुए हैं। गांव की समस्यायें मुख्य मन्त्री जी से कोई छुपी हुई नहीं है। हमें बहुत से मसले हल करने हैं। पिछले पन्द्रह सालों में कांग्रेस सरकार के कारण। (व्यवधान)

कांग्रेस के गलत नियमों के कारण राजस्थान का किसान दुखी है। पिछले 15 सालों से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कई दफा आन्दोलन किया था। हम भैरोंसिंह जी से यह आशा रखते हैं कि जो वायदे इन्होंने किये हैं, वह सारे के सारे इन चार सालों में पूरे करेंगे। (व्यवधान)

चार साल बाकी हैं। आप चिन्ता करिये। अब तो नो एन्ट्री है। हाउस फुल हो गया है। आप पिछले द्वार से आओ तो आ जाना।

हमारे जिले के अन्दर पक्के खालों की समस्या है जिसके लिए मुख्य मंत्री जी ने पक्का मन बना लिया है कि पक्के खालों के पैसे माफ कर दिये जायेंगे। इसके अलावा पिछले तीस सालों से सीमकी समस्या भयंकर है। हमारे वहां का किसान आस लगाये बैठा है और कांग्रेस वालों को तो पिछले 15 सालों में बराबर जाकर निवेदन कर लिया, आन्दोलन कर लिया परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वहां का किसान मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह की तरफ आस लगाये बैठा है। हमारी रजिस्ट्रियों पर पाबन्दी लगाई हुई है वह हटेगी।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हटेगी। आप हटाने वाले होते तो पिछले पन्द्रह सालों में कहां गये थे ? आपके ही तो किये हुए करम हैं यह सारे। आपने ही तो बेड़ा गर्क किया था और अभी आप कह रहे थे कि साम्प्रदायिक दंगे भारतीय जनता पार्टी की वजह से भड़क रहे हैं। आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। माननीय सदस्यों ने जिस तरह के उत्तेजित भाषण दिये हैं इससे दंगे और भड़केंगे। मैं यह समझता हूं कि माहिर साहब ने जो खोपड़ी की हड्डी पेश की है उससे हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में और घाव होंगे। इससे साम्प्रदायिक दंगे और भड़केंगे और आप जिम्मेदार सदस्य हैं इस तरह के उत्तेजित भाषण आपको सदन में नहीं देने चाहिए।

श्री डूंगरराम पंवार : खोपड़ी पेश करने से कांग्रेस वालों की खोपड़ी खराब हो सकती है।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं पुनः भैरोंसिंह जी के मंत्रिमण्डल में आज पूरा विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह सरकार चार साल तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।
(बोलने खड़े नहीं हुए)

मैं आपसे एक गाइडेन्स चाहता हूं। जनता दल और कांग्रेस का समय समाप्त होकर उससे ज्यादा समय हो गया है और जो नाम मेरे पास हैं, अभी नाम बहुत हैं। अब मैं क्या बताऊं। समय की सारी व्यवस्था मैंने सारी पार्टी के नेताओं और सचेतकों से मिलकर की है। मैंने अपने आप नहीं की ...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था कल पार्लियामेंट में भी हुई। वहां का समय 7 बजे तक का था ...

श्री अध्यक्ष : अच्छा ! श्री लाल चन्द डूडी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आज का समय कुछ निर्धारित लोगों के लिए दिखता है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अपना समय दे दिया, श्री कालीचरण सराफ ने अपना समय दे दिया, श्री हीरासिंह चौहान ने अपना समय दे दिया, मैं क्या करूं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। जिसको आइडेन्टीफाई करना है, जिसको बुलवाना है वही बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप भी किसी से समय मांग लीजिए। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : गहलोत साहब, आपको तो आनन्द आ रहा होगा।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो यहां गवर्नर के डायरेक्टिव पर विश्वास प्रस्ताव रखा उसी प्रस्ताव के पक्ष में मुझे दो शब्द कहने हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय सुबह बोल रहे थे। बड़े सेन्टीमेण्टल थे। उसके बाद भी कुछ लोगों ने

(श्री लालचन्द डूडी)

यहां के दंगों के बारे में जिक्र किया । मैं भी उस बात को लेकर वाकई चिन्तित हूं । अध्यक्ष महोदय, किसका कितना कसूर है यह अगर हम अब कहने लग जायेंगे, बताने लग जायेंगे तो उसका बहुत जल्दी से कोई नतीजा आने का नहीं है । विपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद राजस्थान के अन्दर इस तरह के दंगे हुए । अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी पार्टी को आज की जो राजनैतिक पार्टियां हैं उनमें किसी भी राजनैतिक पार्टी को इस आरोप से बरी नहीं कर सकता । 40 साल के अन्दर कांग्रेस ने इस देश को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया । और माननीय जोशीजी कह रहे थे कि आज तो गांधी नहीं है । (व्यवधान) ...आप बात सुनिये । आपको सुनना पड़ेगा

एक माननीय सदस्य : पढ़ लो उन बयानों को । रथ यात्रा के पहले दो बयान दिये थे आपने ।

श्री लालचन्द डूडी : आपको सुनना पड़ेगा । उन बयानों के ऊपर मैं भी उतना ही पाबन्द हूं, उतना ही टिक रहा हूं ...

एक माननीय सदस्य : उसके बाद आप समर्थन में बोल रहे हैं ।

श्री लालचन्द डूडी : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया 40 साल के कांग्रेस के शासन ने इस देश को और बारूद के ऊपर तीली डालने का काम सारी राजनैतिक पार्टियों ने किया है । इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता । सब राजनैतिक पार्टियों ने उस बारूद में आग लगाने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, हम सेक्युलेरिज्म की बात करते हैं । हमारे बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं शिवाजी और औरंगजेब का इतिहास और उसमें पढ़ाने वाले अपने-अपने हिसाब से जिस तरह से इन्टरप्रेट करते हैं जिस तरह से उस बालक के मन में वह संस्कार पैदा करते हैं, वह संस्कार आखिर में आकर इस तरह का रिजल्ट लाते हैं कि जो आपके सामने हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की स्थिति दूसरे देशों से भिन्न है । दूसरे देशों में चाइना में, रूस में, इंगलैण्ड में, फ्रांस में अगर समस्या है वहां तो वह आर्थिक समस्या होगी, राजनैतिक समस्या होगी । हमारा देश कितनी ही समस्याओं से घिरा हुआ है । जातिवाद की समस्या, भाषा की समस्या, धर्म की समस्या, क्षेत्रवाद की समस्या–इस स्थिति में आकर आज हमारा देश खड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के सामने जिस समय प्रश्न आया यूनियन के टूटने का टेक्सास से जो सीनेटर्स थे उनकी हालत क्या हुई थी । और इस देश के अन्दर जिस वक्त हिन्दुस्तान में राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल आया उस समय केन्द्र के दो मंत्री उसका विरोध कर रहे थे । इर तरह के हालात हमारे देश में पैदा हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का जो कट्टरवाद इस सारे देश के अन्दर है और यह वोट की राजनीति का जो एक कम्पीटिशन हो गया, वोट को प्राप्त करने के लिए कौन पार्टी कितनी नीची जाये यह एक तरह का कम्पीटिशन आज इस

(श्री लालचन्द डूडी)

देश के अन्दर पैदा हो गया है उससे अछूती न कांग्रेस है और न भारतीय जनता पार्टी है और न जनता दल है। यह भी मैं कहूंगा। क्योंकि जिस तरह से मण्डल आयोग को फेंका, जिन हालात के अन्दर मण्डल आयोग को फेंका वह कोई तरीका नहीं था। उसके पीछे यह बात नहीं थी कि हमें किसी जाति का सुझाव लेना था। केवल वोट की राजनीति थी। 27 पर्सेन्ट आरक्षण देकर केन्द्र सरकार ने जहां केवल एक लाख, सवा लाख के करीब लोगों को नौकरी देने के लिए किया, क्या 80 करोड़ जनता का इससे उद्धार करना चाहते हैं? यह स्थिति आज हुई कि इस राम मन्दिर की बात हमारे सामने आई। हमारे कांग्रेस के लोगों ने एक बात कही कि 40 साल से यह मामला चल रहा था। आप क्यों इसको लम्बा टालते रहे? इसको किस तरह से आपने लाकर खड़ा किया?....

आज आंसू बहा रहे हैं साम्प्रदायिक दंगों पर। अध्यक्ष महोदय, क्या मुरादाबाद के दंगे याद नहीं? क्या मुजफ्फर नगर के दंगे हमें याद नहीं? क्या इस शासन के बदलने से पहले जो दंगे हुए थे, वे हमें याद नहीं? क्या कोटा के दंगे हमें याद नहीं? माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी के जिले के अन्दर जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे क्या वह याद नहीं? और इस चुनाव के तुरन्त बाद जयपुर के अन्दर जो दंगे हुए, लोक सभा के चुनाव के बाद, क्या वह हमें याद नहीं? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : किसने करवाये?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, ये दंगे उन लोगों ने किये थे जिनके अन्दर वोट लेने के लिये दंगे कराने के अलावा और कोई क्वालिटी नहीं थी। इस वास्ते ये दंगे हुए थे। (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : अब किसने करवाये। अब तो सरकार हमारी नहीं है। अब बताओ किसने करवाये।

श्री डूंगरराम पंवार : दंगे वे कराते हैं जिस पार्टी में + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : तब आप पैदा नहीं हुए थे। आपके बैठे हैं ये सनातन, जिन्होंने दंगे करवाये थे, जिन्होंने पैट्रोल सप्लाई किया और जिन्होंने गोलियां चलाई। इनसे पूछिये कि इन्होंने क्या हत्याएं की हैं? + + + (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, आज के दंगे तो इन्होंने करवाये हैं। इस शासन के बदलने से पहले जो दंगे हुए थे, वे किसने करवाये। अपने गिरेबान के अन्दर ढूंढ़कर देखिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आज की बात करें। आज के दंगे किसने करवाये?

श्री लाल चन्द डूडी : इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी को इस मामले में बरी कर रहा हूं। इक्वली दोषी सारे हैं।

(6.59 सायं)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लालचन्द डूडी)

आज स्थिति आती है कि विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट क्यों दें ? मैं यह बात आपको बता देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मुझे बड़ा अफसोस है कि जिन लोगों ने इस राजस्थान को इस तरह से सम्भाला है 40 साल तक, उनका लेवल केवल यह रह गया कि वे इस बारे में यह सोचते हैं कि मैं इस मामले में क्यों पक्ष में बोल रहा हूं। मैं समझता हूं उस बात को कि हमारा लेवल इतना नीचा था और उसका नतीजा है कि आज यह राष्ट्र इन साम्प्रदायिक दंगों के अन्दर उलझा रहा।

यह आपका सोचने का तरीका था, उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह के दंगे हमारे सामने, इस देश के अन्दर फैल गये हैं अगर आज हम इस सरकार का समर्थन करते हैं, यह मेनडेट जनता ने इसको दिया था कि तुम्हें पांच साल तक शासन को रखना है, मैं शायद पांच साल के लिये तो तैयार नहीं हूं लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि आज अगर इस राजस्थान को कहीं चुनाव के अन्दर झोंक दिया, उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव नहीं होगा, खून-खराबा होगा, कत्लेआम होगा। किस तरह की बातें आज पैदा हो रही हैं। आरक्षण मण्डल के विरोध में आन्दोलन चल रहा है, वोट किसी को नहीं डालने देंगे और आज चाहे राम जन्मभूमि के नाम पर, किसी भी नाम पर जो साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, वे दंगे...(व्यवधान)

डा. साहब, मुझे वह दिन याद है। मुझसे छिपा हुआ नहीं है। आप तो मत बोलो। अब बहुत से लोग जो यह बात कर रहे हैं, वह सारी मुझे याद है। मेहरबानी करके आप तो मत बोलो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : श्री भैरोंसिंह जी, और डा. हरिसिंह जी पहचानते हैं सारे मामले।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति को टालने के लिये आज श्री राजीव गांधी श्री चन्द्र शेखर को एक होना पड़ा, देश को चुनाव में नहीं धकेलना, वह व्यक्ति जिसको आप अपना आका मानते हैं, श्री राजीव गांधी, आज श्री चन्द्रशेखर का समर्थन करने का फैसला केवल इस बात पर किया है कि देश दुबारा चुनाव के अन्दर नहीं पड़ जाय। (व्यवधान)

चुनाव में हार-जीत का डर नहीं है। बहुत दफा हारे हैं, बहुत दफा जीते हैं। हार-जीत का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या आज चुनाव कराकर इस देश के अन्दर खून-खराबा कराना चाहते है ? क्या पोलिंग बूथ पर बैलेट डालने के बजाय बुलेट डलवाना चाहते हैं ? क्या आप वहां खून बहाना चाहते हैं ?(व्यवधान) डा. साहब, आपको तो मैंने कह दिया। तो इस स्थिति के अन्दर इस देश के अंदर खून खराबा नहीं हो ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : इनके लिए राजनीति और नौटंकी एक ही बात है।

श्री डूंगरराम पंवार : चुनाव कोई शासन नहीं चाहता। वे जो बैठे हैं, वे दुशासन चाहते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम हमारे वे मन्त्री जो कल तक श्री भैरोंसिंह की सरकार में थे, वे तो कोई कमेंट नहीं करें। पता नहीं, कैबिनेट में जाने के लिए कितने-कितने पापड़ बेले थे। (व्यवधान)

आप तो मेहरबानी करके मत बोलो। न तो आपका हाई-कमान है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि आपके हाई-कमान के किन-किन के पास कमान है और किन-किन के हाथ में तीर है। आपके हाई-कमान को मालूम नहीं तीर किसके हाथ में है, कमान किसके हाथ में हैं। किसके हाई कमान की बात कह रहे हो। आपका वो हाई कमान फट कर चला गया।

श्री ईश्वर लाल सैनी : लाल चन्द जी, प्रेस स्टेटमेंट यहां न दो। उन पर बोलो।

श्री लालचन्द डूडी : मैं उस स्टेटमेंट पर बिल्कुल कायम हूं। उस स्टेटमेंट पर मैं आज भी उस बात पर कायम हूं। मैं आज भी यह कहता हूं कि बी. जे. पी. का पार्टी के नाम पर उस रथ यात्रा के साथ रहना देश के संविधान के विपरीत बात थी। मैं आज भी यह कह रहा हूं कि धर्म के मामले में किसी राजनीतिक पार्टी को साथ जुड़ना गलत है। मैं उसको आज भी कण्डेम करता हूं। जो स्टेट्टमेंस मैंने पहले दिये थे, मैं उन पर आज भी कायम हूं। लेकिन आज स्थिति यह नहीं है। हम इस विश्वास प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं, बस उससे कहीं...(व्यवधान)

डा. साहब, यह मजाक करने की बात नहीं है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : बना बनाया काम मत बिगाड़ो।

श्री लालचन्द डूडी : आपको बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। आज इसको सन् 1977 मत समझिये। सन् 1977 में और आज में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डा. साहब, आप बहुत बीच-बीच में बोल रहे हैं। मेझे वह दिन भी याद है, आप मेरे साथ खड़े हुए थे और लालचन्द जी आपकी आलोचना कर रहे थे।

श्री लालचन्द डूडी : मैंने यह कह दिया, सर और इशारों में डा. साहब को समझ जाना चाहिये था। समझे नहीं कोई तो मेरे पास क्या इलाज है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : ओ जड़े डकटोर होदे हैं वो समझदार हैं बीच-बीच नहीं खब पाटे। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : आपने मेरा नाम लिया, इसलिए एक सेन्टेंस बोलना जरूरी है। श्री भैरोंसिंहजी ने भ्रष्टाचार को खतम करने की शुरूआत इस हाउस में इन लोगों को भ्रष्ट करके कर दी। जय हो श्री भैरोंसिंह की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भ्रष्टाचार करता तो आप भी इधर मिलते। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : एक क्या हजारों भैरोंसिंह जी पैदा हो जाये तो मेरे को क्या भ्रष्ट करोगे आप। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस तरह के ओछे आरोप रखते हैं उसका मैं कोई नोटिस नहीं लेता और यह अपने मन में जानते हैं कि क्यों यह कह रहे हैं जो जैसा इनका लेवल है उस हिसाब किताब से बात कर रहे हैं। आई डोंट टेक नोटिस आफ दीज पेटी थिंग्स।

श्री उपायक्ष : That is good precedent.

श्री लालचन्द डूडी : मैं बात कह रहा रहा था, अभी कांग्रेस के सदस्य माननीय देवपुरा जी और कांग्रेस के माननीय विपक्ष के नेता हरिदेव जोशी ने भी एक बात कही थी कि बी.जे.पी. का मामला है तो बी.जे.पी. के अन्दर, हमारे आज हाउस के नेता मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिह जी शेखावत और इनका एक गुण जो इतना हिन्दू कट्टरवाद के अन्दर विश्वास नहीं रखता जो कि सेक्यूलर है यह बात चारों तरफ से आई है और हम चुनाव को टालना चाहते हैं, तो फिर इनके हाथ में दे दें, कांग्रेस के हाथ में राज दे दे ? कांग्रेस के हाथ में देने के बाद क्या होगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता दे देगी।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : जनता ने आपको जनादेश दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : बड़े रसगुल्ले फूटे थे, बड़ी मिठाइयां बंटी थीं, दिल्ली में जाकर नेताओं से समझौते कर रहे थे कि मिल गया हमारा राज। जनता दल के लोग हमारे साथ मिल कर शासन करेंगे राजस्थान का शासन दुबारा हमारे हाथ में आ जायेगा, वही ऐशो आराम करेंगे जो पहले करते थे, यह बड़ी उम्मीद थी और उस बात पर बड़े रसगुल्ले फूटे थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : राजस्थान के लोगों ने जब यह फैसला कर लिया कि हम कांग्रेस के लोगों की तरह से दिल्ली के नेतृत्व के गुलाम नहीं हैं, हम राजस्थान का फैसला राजस्थान के लोग यहां बैठकर करेंगे और उनके आदेशों की अवहेलना करके जो हमने फैसला किया है कि हमारी यह सरकार चले, ताकि जो हमने वायदे किये थे इस देश की जनता के सामने, इस देश के लोगों के सामने, कर्जे माफ करने का, आज 300 करोड़ रुपये का कर्जा माफ होना है 140 करोड़ रुपये का हम कर चुके। क्या हम बात को छोड़ दें कांग्रेस के हाथ में कि बाकी के कर्जे माफ न हों क्योंकि इन्होंने तो करने नहीं हैं, अभी दलील दे रहे थे कि नहीं हो सकते। न पहले करना चाहते थे।

श्री चन्दनमल बैद : कर्जे माफी की बात आपको जरूर करनी चाहिये।

श्री लालचन्द डूडी : आज इन्होंने एक बात कही। श्री देवपुरा जी बात कर रहे थे कि भैरोंसिह जी वह टाईम था टाइम से वहां से योजनायें स्वीकृत हो गई, बाकी कोई विशेष कुशलता वाली और कोई असर की बात नहीं है। श्री देवपुरा जी, मैं थोड़ी सी एक बात बतला दूं। यह सिद्धमुख की नहर कितने साल से थी,

(श्री लालचन्द डूडी)

चन्दन मल जी । आप 1952 में गये थे जिस वक्त चुनाव में उस वक्त आपने चुनाव में जाकर वायदा किया था कि हमें वोट दीजिये हम सिद्धमुख नहर लायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आप बिल्कुल गलतबयानी कर रहे है। मैंने कोई वायदा नहीं किया। आप कर्जे मुक्ति की बात करो, और कोई बात मत करो आप। आर्थिक आधार की बात करो।

श्री लालचन्द डूडी : आपका व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, आपकी पार्टी ने कहा था। I am sorry.

श्री डूंगरराम पंवार : वह नहर ला करके भागीरथ बनना चाहते थे लेकिन ला नहीं सके।

श्री चन्दनमल बैद : बनिये भागीरथ। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : 5 अक्टूबर 1986 को श्री राजीव गांधी को ले गये भाखरा और सिद्धमुख कैनाल का हम उद्घाटन करेंगे। पत्थर लगाया और राजीव गांधी के उद्घाटन करने के बावजूद भी आप प्लानिंग कमीशन से उसको एप्रूव नहीं करा सके और यों कहते हो कि वह तो टाइम की बात है। कार्य कुशलता कोई विशेष आप में नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : अब तो बहुत काम हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे मालूम है, आप सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : आप अब समाप्त करें, आपको आधा घंटा हो गया है।

श्री लालचन्द डूडी : तो इस स्थिति में हमें आज इस प्रदेश को इस मिड टर्म पोल से बचाना है जो कि इनके नेता राजीव गांधी भी चाहते है। इस प्रदेशके अन्दर जो इस राज केशुरू होने के पहले हमने चुनाव के अन्दर घोषणा पत्र दिया था उन घोषणाओं की हमें क्रियान्विति करनी है।...

एक माननीय सदस्य : एक की भी नहीं की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डूडी साहब ने अपना वायदा निभा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री लालचन्द डूडी : राजस्थान की जनता चाहती है कि हमने जिनको चुनकर भेजा है वह पूरे पांच साल प्रशासन चलायें। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिये हम आज भैरोंसिह जी की सरकार का समर्थन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनमोहन सिंघल। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री मदनमोहन सिंघल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

Page No. 144

(144)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। उनका नाम पहले है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, बाद में सही।

श्री मदनमोहन सिंघल (कामां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्दलीय सदस्य के रूप में दलगत भावनाओं से परे होकर अपने क्षेत्र की जन भावनाओं का आदर करते हुए माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की जनता ने अभी चुनावों में कांग्रेस के कुशासन से बचाने के लिये इस सदन से तीन चौथाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के लोगों को वोट देकर कामयाबी हासिल कराई। कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिये और इस राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने के लिये इस राजस्थान की जनता ने हमें यहां इस सदन में भेजा है। (व्यवधान)

दल बदलू तो, भैया, आप ही हो। यहां तो अन्तर आत्मा की आवाज से बात करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनमोहन सिंघल : सही बात तो यह है कि इस देश को यदि साम्प्रदायिकता की आग में यदि झोंका है तो कांग्रेस ने ही झोंका है। यह साम्प्रदायिक दंगे जो पूरे देश में हो रहे हैं यह कोई अचानक नहीं हुए। कांग्रेस के चालीस साल के शासन में जो बीज साम्प्रदायिकता का बोया गया उसी का यह परिणाम है कि आज हर जगह जातिवाद का ताण्डव नृत्य हो रहा है कांग्रेस ने अपने शासन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भी हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया और इस देश को जातिवाद की ओर धकेला अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे मेवात क्षेत्र की चर्चा की। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिन्दू और मुसलमान भाई बड़े प्रेम से रहते है लेकिन वहां कोई भी झगड़ा साम्प्रदायिकता के नाम पर नहीं हुआ। लेकिन वहां भी जो मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की गई वह कांग्रेस के शासन में की गई और वहां की जन भावना यह थी कि हमारे इस शांतिपूर्ण इलाके में कोई ऐसी बात मत पैदा कीजिये, मेवात के नाम से हमारा विकास मत कीजिये, हमारा विकास करना है तो विकास के नाम पर कीजिये, उपेक्षित क्षेत्र के नाम पर कीजिये लेकिन वहां भी कांग्रेस के वोटों के सौदागरों ने अपनी राजनीति चलाकर हमारे क्षेत्र के विकास को मेवात विकास बोर्ड की स्थापना से जोड़ा। क्षेत्र के लोगों ने उस वक्त भी वहां पर मेवात क्षेत्र में और बृज के क्षेत्र में उस विकास बोर्ड को वृहद् मेवात विकास बोर्ड के नाम से स्थापना की मांग की लेकिन उसको दर किनार किया गया और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी शासन में थी उन्होंने वोटों का सौदा करने के लिये वहां पर हमारे बीच विष का बीज बोना चाहा। मैं पुनः एक बार निर्दलीय सदस्य के रूप में अपना विश्वास श्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार

(श्री मदन मोहन सिंघल)

में व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन जहां मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत को इस सदन में विश्वास प्राप्त करने आना पड़ा इसका क्या कारण है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर आज से 11 महीने पहले इस देश की राजनैतिक पार्टियों ने जिस ढंग से गठजोड़ किया। एक तरफ लेफटीस्ट पार्टियां, एक तरफ रिएक्शनरी और साम्प्रदायिक पार्टियां और एक तरफ किसानों की मसीहा-बनने वाली पार्टियों ने गठबन्धन करके चुनाव के मैदान में आयीं। उस समय एक नारा दिया था कि कांग्रेस के अन्दर हमारे श्री राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी इन सारे मोर्चों पर विफल रही है। हमारी सत्ता आने के बाद हम सारे काम पूरे कर सकेंगे। चाहे जो महंगाई का मामला हो, चाहे कर्जा माफी का मामला हो और चाहे देश में प्रशासनिक स्थिति को सुधारने का मामला हो। लेकिन एक नारा हमारे देश के नेता श्री राजीव गांधी के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर जिस प्रकार का नारा देकर इस देश की जनता को जिस प्रकार गुमराह किया जो 11 महीने के अन्दर साफ हो गया। आज वही पार्टी जिसने गठजोड़ करके इस देश में सत्ता हथियाई थी उनको भी मालूम पड़ गया, बी. जे. पी. के लोगों को भी और उन्होंने इस देश के अन्दर श्री वी. पी. सिंह का समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार पूरे देश में उथल-पुथल मची। कहीं जनता दल समर्थन वापस ले रहा है, कहीं बी जे. पी. समर्थन वापस ले रही है।

मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह निवेदन करता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, यह दिन कौन लाए? कांग्रेस पार्टी उसके अन्दर कोई दोषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने जो मेनडेट दिया। हमारे नेता श्री राजीव गांधी विरोध में जाकर बैठ गए। हमने कोई गठजोड़ नहीं किया। राजस्थान की कांग्रेस के अन्दर जो 50 लोग आए वे एक तरफ बैठ गए कि हम शिरोधार्य मानते हैं राजस्थान की जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गठजोड़ की राजनीति जिन लोगों ने की है उनको कुकर्मों का फल है आज, देश के अन्दर पार्टियों के बंटवारे हो रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व लूटा जा रहा है। देश की राजनैतिक पार्टियों का चरित्र हनन का काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी राजनैतिक हालात में जिस चरित्र हनन की राजनीति इस राजस्थान और हिन्दुस्तान के प्रदेशों में चालू हो रही है उसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से आज हम उस स्थिति में पहुँचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े सिद्धान्तों की बात ये कर रहे हैं लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

में समर्थन वापस लेती है तो एक तरफ जनता पार्टी ने यह फैसला किया उसके मंत्रियों ने यह फैसला किया कि हम साम्प्रदायिक पार्टी हैं हम इससे समर्थन विथड्रा करते हैं। मालूम नहीं किस तरह से अन्तरात्मा जग गई और 11 दिन के अन्दर क्या आत्मा जग गई हमें इसका मालुम नहीं लेकिन नैतिक मूल्यों की राजनीति करने वालों को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। जिस ढंग से चरित्र हनन की कार्यवाही में इस राजस्थान विधान सभा के सदस्य जुड़े है वहीं हम जनता के सामने गए थे। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की बात करने गए थे। जनता पार्टी के लोग जनता दल की बात करने गए थे। बी. जे. पी. के लोग बी. जे. पी. की बात करने गए थे। आज उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की हालत हो रही है आने वाले समय में अभी थोड़ा सा मोह हो सकता है, कि श्री भैरोंसिंह के राज को बचाने का मोह हो सकता है, कुछ का हिस्सेदारी का मोह हो सकता है। कुछ दिनों के मंत्री पद के हिस्सेदार बनने का मोह हो सकता है और क्या-क्या हुआ होगा उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इस बात को माफ नहीं करेगी कि जिनके चोखटे, जिनकी शक्लें चुनाव के अन्दर जिन मुद्दों को लेकर चली थी आज राजस्थान के अन्दर वो काम क्या होने जा रहे हैं? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं बी. जे. पी. के नेता श्री भैरोंसिह जी को जिन्होंने राजस्थान में पहले गद्दी पर बैठते ही एक बात कही थी मेरे बनते ही राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान की जनता तो अच्छी तरह से जान गई है कितना भ्रष्टाचार 11 महीने में समाप्त हुआ है। और अब राजस्थान का भ्रष्टाचार तो समाप्त नहीं हुआ, जब इस असेम्बली के गलियारे में भ्रष्टाचार की बातें लोग करते हैं तो हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। इस हालत के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस भैरोंसिह जी की सरकार ने हर बार चाहे वो विरोधी दल के अन्दर बैठे हों, चाहें वो विरोधी पक्ष में बैठे हों, मोहन लाल सुखाड़िया, जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे; इस सदन के कई लोग यहां बैठे हैं जो इस सदन के सदस्य हुआ करते थे, मैं तो उस समय सदन में नहीं था लेकिन लोग कहते हैं कि जिस प्रकार उस समय गोलीकाण्ड हुआ कुछ लोग मारे गए, इन्हीं श्री भैरोंसिह जी ने कहा था कि यह सरकार हत्यारी है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है; श्री मोहन लाल सुखाड़िया खून से रंगा हुआ है, इसे स्तीफा दे देना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं आज बी. जे. पी. के सदस्य खून से रंगे हुए हैं, इस जयपुर के अन्दर कितने लोग मारे गये और कई लोग तिलक लगा-लगाकर यहां पर आये।"

श्री डूंगरराम पंवार : अगर आप रामलीला में परशुराम का पार्ट करें तो बड़ा जंचेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : राजस्थान में जिस प्रकार खून-खराबा हुआ मुझे ऐसा लगता है कि विजय श्री मनाने के लिए खून-खराबा के ऊपर आज तिलक

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

लगा-लगाकर इस विधान सभा में आये हैं। हमने पूछा कि ये तिलक किस बात के निकाले हैं। ये तिलक मालूम नहीं किस खून से रंगे हुए हैं। जयपुर के अन्दर 23 तारीख की रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यहां के विधायक, यहां के पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार उत्तेजनात्मक भाषण दिए उसी का कारण है कि आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार से साम्प्रदायिक दंगे यहां पर हुए। जिस भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष इस प्रकार से भाषण दें, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, एम. पी. और एम. एल. ए. जिस प्रकार भाषण दें उसी का कारण है कि राजस्थान के जयपुर शहर में दंगे भड़के। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और जिस प्रकार से हालत हुए, जिस दिन बन्द का आह्वान हुआ, माफ कीजिएगा श्री भैरोंसिह जी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, उनके मुकाबले में कोई आदमी नहीं है, लेकिन जयपुर शहर के अंदर जिस प्रकार का खुला नंगा नाच हुआ, यहां के विधायक, जो राजस्थान सरकार के नम्बर टू मंत्री हैं, श्री भंवरलाल शर्मा, आज मंत्री होते हुए वहां दुकानें जल रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें लुट रही हैं, मां-बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं। उन्हीं की सरकार के मंत्री, उन्हीं के एम. एल. ए. जयपुर शहर में नंगे नाच को देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिए, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कलंक नहीं हो सकता। आज सरकार के अन्दर बैठे हैं उस सरकार को शर्म के मारे अभी सदन में आने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ये अपने-आपको राजनीतिज्ञ समझते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अडवाणी जी मध्यावधि चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। अगर आपको मध्यावधि चुनाव का डर नहीं है और मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं तो राजस्थान में आप क्यों डर रहे हैं। क्यों नहीं श्री भैरोंसिह जी चुनाव कराने की घोषणा करते। क्यों इस प्रकार की कार्यवाही इस राजस्थान के अंदर की? मुझे माफ करना, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार जौहरी बाजार में, जिस प्रकार रामगंज बाजार में, पहाड़गंज में, गालबऋषि बस्ती के अंदर जिस प्रकार की हालत हुई, पुरानी बस्ती की नीमड़ी पुलिस चौकी के पास जाकर नीलगरों की मस्जिद के पास जिस प्रकार की हालत वह जयपुर हुई में छुपी नहीं है। जो नागरिक चाहे हिन्दू या मुसलमान हैं अगर पुलिस के सामने प्रोटेक्शन मांग ले तो वहां पर फायरिंग हुई। आज यहां पर इनके आर. एस. एस., बजरंग दल के लोग, और विश्व हिन्दू परिषद के लोग मन्दिर को खुद तुड़वा रहे हैं। रात के अंधेरे में और उधर सवेरे मस्जिद तुड़वा रहे हैं। ये दोनों मिले-जुले काम इनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जयपुर शहर में जिस प्रकार के पोस्टर्स लगाये गये जिस प्रकार बेनर्स लगाये गये, एक तरफ भड़कीला वातारण बनाने के लिए इनकी पार्टी दोषी है। मैं सोचता हूं इस सरकार को एक मिनट भी इस गद्दी पर

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो नैतिक मूल्यों की बात करते थे? बड़े सिद्धान्तों की बात करते थे और नैतिक सिद्धान्तों की बात करते थे, आज कहां गये उनके नैतिक सिद्धान्त, कहां गई उनकी सब बातें जिनका ज़िक्र किया करते थे। राजस्थान की जनता के साथ जिस ढंग से विश्वासघात आप करते हैं, वह जनता जानती है। आज आप विश्वासघात कर सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता के पास दुबारा आप जाएंगे तो जनता आपके मुंह पर कालिख पोतेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अपने आका श्री राजीव गांधी को पूछिये क्या हालत है, राजस्थान की जनता के सामने जाना नहीं चाह रहे। शर्म आती है, घूंघट निकाल रखा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डॉ. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद स्थिति है कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में विश्वास मत पर प्रस्ताव रखा है और हम सब लोग कर्फ्यू में बैठ कर इस पर बहस कर रहे हैं। यह स्टेट आफ कर्फ्यू क्यों, इसकी वजह है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। वह सही बात है कि हमने माननीय श्री भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में सरकार में काम किया। उनकी ओर से हमारे काम काज में कोई दखलन्दाजी नहीं रही हमको उनका विश्वास और स्नेह भी हम को मिलता रहा लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमने ईमानदारी और मेहनत के साथ उनके साथ प्रदेश की समस्याओं के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया। लेकिन यह कर्फ्यू की स्थिति क्यों आई? यह बात भी सही है कि जनता दल और बी. जे. पी. ने मिलकर न केवल पिछला चुनाव लड़ा बल्कि पिछले 10–12 साल से जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, हमेशा विपक्षी दलों के मिल कर काम किया। कांग्रेस (आई) के कुशासन को हटाने के लिए, कांग्रेस (आई) के भ्रष्टाचार से प्रदेश और देश की जनता को निजात दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। माननीय श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एक हुआ। कांग्रेस को शासन से हटाया गया लेकिन उस समय मुद्दे बदल गये। जो इश्यू थे उनको नॉन इश्यू कर दिया गया और नये-नये इश्यू खड़े कर दिये गये जिनकी वजह से कर्फ्यू लगा। हमको जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना था। बेकारी, महंगाई, गैर-बराबरी, सद्भाव, भाईचारा, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करना था लेकिन इसके बीच में राम मंदिर आ गया। मंदिर बनना चाहिए। मैं पं. रामकिशन जी का भाषण सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन मंदिर मस्जिद टूटकर नहीं बनना चाहिए। इसको हम मंजूर नहीं करेंगे। हमारे नेता ने साफ कहा है। बी. जे. पी. के मेरे सभी साथी और विधायकों से मेरा निवेदन है कि यह चीज हमें कहां ले जाएगी। हम लोगों ने सोचा था कि मिल कर काम करेंगे और देश की जनता को समस्याओं से समाधान दिलाएंगे।

माननीय श्री वी. पी. सिंह ने हमारे घोषणा पत्र को पूरा करने का काम शुरू

(डा. चन्द्रभान)

किया। मण्डल कमीशन जिसके विरोध की कई लोग चर्चा करते हैं। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कोई भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ साफ खड़ा होकर क्यों नहीं कहता। कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं था जिसने अपने घोषणा पत्र में और लोक सभा में यह नहीं हो कि कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। समाज के जो शोषित, पिछड़े और दलित लोग हैं उनके समाज के अन्य लोगों के समक्ष लाने के लिए बहुत पहले शुरूआत की जानी चाहिए थी लेकिन यह कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ। हमारे महानेता चौ. चरणसिंह ने मण्डल कमीशन का गठन किया और मण्डल कमीशन ने रिपोर्ट दी। आरक्षण के बारे में तरह-तरह की चर्चा हुई लेकिन मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब तक इस मुल्क में जाति की व्यवस्था रहेगी, जाति को आरक्षण का आधार माना जाना चाहिए। जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी उस दिन जातीय आधार नहीं रहेगा।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो लोग आर्थिक स्थिति की बात करते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। एल. एम. बी. का सेठ जो करोड़पति है लेकिन मुझ जैसा एक किसान का लड़का एक किसान का लड़का है। हम दोनों लोग जब जौहरी बाजार में खड़े हैं तो मेरी हैसियत एल. एम. बी. के सेठ से ज्यादा है। जो लोग गरीब तबके के लोग ही उनको सामाजिक सम्मान देने के लिए माननीय वी. पी. सिंह ने यह शुरुआत की तो चारों तरफ बौखलाहट फैल गई और इसके बाद राम-जन्म भूमि बाबरी-मस्जिद का इश्यू आया और उसके बाद क्या हुआ यह हम जानते हैं। हमारे राजस्थान से भी लोग गये। उन्होंने नारा दिया। "रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे"। हम मना नहीं करते। मंदिर वहीं बनना चाहिए। अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा लेकिन मंदिर वहीं बनना चाहिए यह सम्भव नहीं है। कार सेवकों के गोली लगने से मौतें हुई उसका हमको भी दुःख है, क्षोभ हैं लेकिन एक उठावणी ग्यारस, 30 अक्टूबर को चुना गया और उसके बाद दो नवम्बर को कार्तिक स्नान होता है इन दो दिनों में ज्यादा केजुअलटी हुई है हमको भी ज्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए। राजनीति और धर्म को मिलाकर नहीं चलना चाहिए। बी. जे पी. के हमारे नेता पंजाब के हालात पर कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सब लोगों की अपनी-अपनी आस्थाएं हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन यह बात जरूर है कि धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए लेकिन आज के दिन यह बन रहा है और इस सवाल पर हिन्दुस्तान की सरकार चली गई। हमारे नेता श्री वी पी. सिंह ने कहा कि कानून और संविधान के ऊपर कोई नहीं है। कानून, संविधान और धर्म निरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा के लिए एक ही नहीं सैंकड़ों सरकारें भी चली जांये तो हमें चिन्ता नहीं है। अभी यह बात कही गई थी कि बी. जे. पी. जनता दल मिल कर रहें, जनता ने संयुक्त जनादेश दिया था लेकिन अब की बार हमने विश्वासघात नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं बी. जे. पी. के नेताओं से कि आप लोगों ने केन्द्र

(डा. चन्द्रभान)

क्यों समर्थन वापिस लिया। पांच साल सरकार चलनी चाहिए यह हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं लेकिन अब के शुरुआत किस की ओर से हुई। आप लोग पहले ही कहने लग गये थे तभी हमें शंका हो गई थी कि जनता दल वाले तीन-तेरह हो जाएंगे सरकार के टूटने की वजह यह होगी। जनता दल टूटा यह मैं मानता हूं लेकिन जनता दल जब टूटा है जब आपने पहले समर्थन लिया है और आपने समर्थन वहां लिया इसलिए हमने समर्थन यहां ले लिया। कई हमारे मित्र लोग कहते हैं कि हम राजस्थान के बारे में फैसला करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं हम कौन से दल के सदस्य हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं जिसके एस. आर बोम्मई अध्यक्ष हैं जिसके लोक सभा में श्री वी. पी. सिंह नेता हैं जिस वी. पी. सिंह की फोटो लेकर हम चुनाव जीत कर यहां सदन में बैठे हैं और आज वही श्री वी. पी. सिंह इस मुल्क को संकट से बचाना चाहते थे, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे उनके साथ दंगा करें, यह हमारे लिए संभव नहीं है। यहां कर्फ्यू की स्थिति है। मैं सरकार की बात नहीं कहता। मैं भी सरकार में रहा हूं। माननीय श्री भैरोंसिंह जी एक अच्छे नेता हैं और मैं मानता हूं उनकी नीयत पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए और मंत्रियों की नीयत पर भी शंका नहीं करते लेकिन जो बन्द था वह बी. जे. पी. का बन्द था इसलिए बी. जे. पी. की नैतिक जिम्मेदारी है। जो मौतें हुई हैं वह उनके खाते में लिखी जाएंगी यदि बन्द और किसी के नाम पर होता तो उसके खाते में यह मौतें लिखी जातीं।

क्योंकि समय कम है, एक बात जरूर कहना चाहूंगा अन्त में। यहां मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। यदि वह होते तो और भी अच्छा होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से थोड़ा पूछना चाहूंगा कल एक बयान हमने पढ़ा, राजस्थान पत्रिका और कई अखबारों में छपा। हो सकता है वह सही है या गलत हैं इसका जवाब तो मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों होते तो जनता दल में एक भी विधायक नहीं टिकता श्री भैरोंसिंह जी जैसे महान नेता से हमें यह उम्मीद नहीं थी। आज हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : दिल दूर हुए, दिमाग दूर हुए, राज भी दूर हुए हैं ...

श्री जगत सिंह दायमा : मण्डल आयोग की बात करते हैं, मण्डल आयोग को आप लोगों ने लागू होने दिया राजस्थान में मैं बार-बार कहता था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। आपने कभी भी नहीं सुनी। इसके लिए आप दोषी हैं।

डा. चन्द्रभान : अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री भैरोंसिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं जो इस सदन के नेता हैं और मुख्य मंत्री भी हैं ...

श्री किशना राम नाई : और रहेंगे।

डा. चन्द्रभान : रहेंगे या नहीं इसका थोड़ी देर बाद फैसला होगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हमने चौ. चरण सिंह के

(डा. चन्द्रभान)

चरणों में बैठ कर राजनीति शुरू की है। अधिकारी लोग यहां पर बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं। साढ़े सात महीने तक इनकी सरकार में काम किया है यदि एक पाई का भी हमारे पर इल्जाम हो तो माननीय श्री शेखावत साहब हम को कह सकते हैं। यदि हम को लाखों, करोड़ों में खरीद सकते, यदि हमको इस हैसियत का आदमी मानते हैं तो मेरे जैसे नौजवान को राजनीति के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा।

और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे नवजवानों को राजनीति में दुबारा सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह की राजनीति कर रहा हूं और किन लोगों के साथ राजनीति कर रहा हूं। जनता दल में....

एक माननीय सदस्य : तो आपको खरीदते कौन हैं, कीमत रही नहीं, कीमत ज्यादा गिर गई है ...

श्री कालीचरण सराफ : नत्थी सिंह ने कहा है ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायें कि कहां यह वक्तव्य छपा है? कहां पढ़ा है, आोथन्टिसिटी क्या है? रोंग आल टूगेदर।

एक माननीय सदस्य : कल के अखबार में है। आपको पढ़ा दिया जायेगा।

डा. चन्द्रभान : राजस्थान पत्रिका में यह बयान पढ़ा है और माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह देंगे कि यह गलत है तो मैं उसे मान लूंगा। कल के राजस्थान पत्रिका में मैंने इस बयान को पढ़ा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : विपक्ष के नेता श्रीमान हरिदेवजी जोशी और नत्थी सिंह जी ने यह चार्ज लगाया था कि हार्स ट्रेडिंग की जा रही है, उस पर माननीय शेखावत साहब ने यह बात कही है।

श्री डूंगरराम पंवार : यह बात गलत है, कोई साबित नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कर दीजिए।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता था कि माननीय शेखावत साहब भी यहां पर आ गये हैं, यदि माननीय शेखावत साहब यह कह देंगे कि यह बयान नहीं दिया तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना है और यदि वह मानते हैं कि हमारे जैसे लोग इस तरह के लोग हैं तो शेखावत साहब कह दें, शेखावत साहब अपने मुंह से कह दें, शेखावत साहब जो सजा दें वह सजा हम भुगतने को तैयार हैं। यह मंत्री पद और विधान सभा की सदस्यता क्या, मेरे जैसे नौजवानों को राजनीति करने के बारे में दुबारा सोचना पड़ेगा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के इस विश्वास मत का मैं विरोध करता हूं और मेरा दल इसका विरोध करता है क्योंकि आज मुल्क के जो हालात बन गये हैं इन हालातों में जिस स्तर पर केन्द्र की सरकार गई है, हमारे नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने

(डा. चन्द्रभान)

सिद्धान्तों की, आदर्शों की, नीतियों की और कार्यक्रमों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी और सरकार को तिलांजलि दी है। मैं शेखावत साहब से अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक राष्ट्रीय दल के सदस्य थे, आपके टेस्टेड लोग थे और आपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मुहिम भी चलाई और ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन आप लोग दल छोड़ कर गये, चाहे वह किसी भी काम से गये हों, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता लेकिन जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनके कोई सिद्धान्त नहीं हैं, जिनका कोई कार्यक्रम नहीं है, जिनका कोई नेता नहीं है उनके साथ बैठ कर आपको नहीं करना चाहिए। यही कह कर मैं विश्वास मत के खिलाफ वोट देता हूं... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उस टाइम कहां गये थे, आपको इस्तीफा देना चाहिए था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्रीमती तारा भण्डारी (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री डूंगरराम पंवार : उनके प्रति आस्था होनी चाहिए थी, आपको इस्तीफा देना चाहिए था, सत्ता से क्यों चिपके रहे, जिनके नाम से आप जीत कर आये थे चौधरी साहब के नाम से, किन आदर्शों का नाम लेते हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : हम श्री वी पी. सिंह के नाम पर जीत कर आये थे, आपके नाम पर जीत कर नहीं आये। चौधरी देवीलाल और अजीतसिंह के फोटो ढूंढ़ रहे थे, आज आप किसी को नहीं मानते हो।

श्री डूंगरराम पंवार : पार्टी के वफादार बनते हो, दूसरों से क्यों तकलीफ होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं माननीय पूर्व मंत्री महोदय से एक छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं होगा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसे कौन से हालात थे जिससे रोडवेज जैसी हड़ताल इतने दिनों से चली आ रही हैं

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसका कोई अन्त नहीं होगा। श्रीमती तारा भण्डारी (अनुपस्थित) (व्यवधान)

माननीय सदस्य, इसका कोई अन्त नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : जिस वक्त चौधरी साहब को हटाया गया उस वक्त आप कहां चले गये थे ? जिनके नाम से आप जीत कर आये थे, उसी वक्त आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय पूर्व मंत्री महोदय जानकारी दें सदन को इस बात की कि ''

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई) माननीय श्री परसराम मदेरणा (अनुपस्थित) ;

बहस का समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : ाननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट बोलूंगा । एक बात कहनी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दो की बात नहीं सुनूंगा, एक कहें । आपको क्या कहना है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि आपको दस मिनट बोलने का मौका दिया जायेगा, आप कृपया मुझे यह मौका दें ।

श्री डूंगरराम पंवार : अब बोल कर क्या करोगे, यहां कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है आपको ।

(7.43 सांय)
(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए एक मिनट । माननीय सदस्य शांति रखें । अब इसको कनक्लूड करने के पहले मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कुछ अपना समय छोड़ें और कांग्रेस की तरफ से श्री परसरामजी मदेरणा और कल्लाजी दस मिनट बोलेंगे, दो को बोलना है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो मिनट मैं बोलूंगा । दो बात कहनी है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : कल्लाजी बोल रहे हैं, श्री कल्लाजी । आप शुरू करिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार विधान सभा कर्फ्यू के अन्तर्गत चल रही है और यह निश्चित बात है कि पूरे राजस्थान का अमनो-अमान बिगड़ा है और इसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है । 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने बन्द का आव्हान किया और उस बन्द के आह्वान के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में काफी खून-खराबा हुआ । अध्यक्ष महोदय, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिन्दी है हम, वतन है हिन्दुस्तां हमारा । इस देश में राम, रहीम, कृष्ण, गौतम, महावीर सभी हुए हैं और उनका सन्देश देश की एकता और अखण्डता, देश में प्रेम, भाईचारा और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अमन-शांति का सन्देश न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को देता है। लेकिन यह बात पूरा सदन जानता है कि पिछले दिनों में राजस्थान के अमन और चैन को निश्चित रूप से ठेस पहुँची है और इस सदन के प्रत्येक सदस्य का यह कहना है कि अमन चैन और भाई-चारे को फिर से कायम रखने के लिए हम काम करें। कानून और व्यवस्था बनाये रखने का काम सरकार का है और सरकार इसको बनाये रखने में पूरे तौर पर नाकाम रही है। आसन जिलेलाव की घटनाओं को लेकर और कई छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर यहां जिलाधीश और एस. पी. तक के सस्पेन्शन हुए हैं लेकिन जयपुर में 149 से अधिक आदमी अलग-अलग सूचनाओं के आधार पर मारे गये और कुछ एजेन्सियों के अनुसार 300 से अधिक लोग मारे गये। क्या आपने इसकी कोई न्यायिक जांच बैठाई ? इसके लिए कौन दोषी है ? किन-किन अधिकारियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया ? बी. जे. पी. के लोग खुले आम दंगे कराने में लगे हुए थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सब जगह दंगों की राजनीति केवल कांग्रेस की है। जितने भी दंगे हिन्दुस्तान में हुए हैं चाहे वह मुरादाबाद का हुआ हो, अलीगढ़ में हुआ हो, टोंक में हुआ हो, मकराना में हुआ हो, सारे दंगे कांग्रेस ने करवाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्यों ने करवाये हैं। कालीचरण सराफ ने कराये, उजला अरोड़ा ने कराये, मंत्री भंवर लाल शर्मा ने कराये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम लेते हो, मैंने मान सिंह को नहीं मरवाया था, मैंने तकी के लड़के से नहीं कहा था गोली चलाओ, मैंने सईद से नहीं कहा था कि गोली चलाओ। सड़क पर खड़े होकर गोली चलाई है फिर मुझसे पूछते हो कि दंगे कराये हैं। कांग्रेस के लोगों ने दंगे कराये हैं ...

श्री अध्यक्ष : बैठिये थोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर मुझसे पूछते हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उजलाजी, आप बैठिये।

श्री जुबेर खान : आपको शर्म आनी चाहिए ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इन्होंने राजा मान सिंह को मारा है, इन्होंने सरदारों को भूना है, इन्होंने कौम पर अत्याचार किए, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके मुंह पर कालिख पुती हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, प्लीज सिट डाउन।

श्री डूंगरराम पंवार : इन दंगों-फंगों की नींव इन्होंने डाली थी ...

श्री जुबेर खान : दंगे मंत्री श्री भंवर लाल जी शर्मा ने कराये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जुबेर खां जी, बैठिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप जरा ऐसी बात मत कहिये जिससे यह जगह छोड़ें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत सी दुहाइयां दी गई लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक शायर ने कहा है कि एक मयखाना है और एक सनमखाना है, रिंद और शेखजी में बड़ा फर्क है, क्या मुहिम है कि में दोनों बनती नहीं ? एक इधर जायेगा एक उधर जायेगा। राजनैतिक क्षेत्र में जो नैतिक मूल्यों की बात करते थे उनक क्या फर्क हुआ है यह मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की जनता यहां सदन में नहीं जब फिर से चुनाव होगा उस समय इन चेहरों के ऊपर जिन्होंने निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों में गिरावट को प्रोत्साहन दिया है, उनको निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जवाब देगी।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव घोषणा पत्र में तीन वायदे किये गये कि हम वृद्धावस्था पेन्शन देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और सबसे बड़ी बात किसानों का कर्जा माफ करेंगे। न तो पूरी तौर से किसानों का कर्जा माफ हुआ। 70 वर्ष से अधिक के लोगों को पेन्शन देने की बात कही गयी जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष होती है। वृद्धावस्था पेन्शन इनको कम से कम 60 वर्ष के लोगों को देनी चाहिये थी। नौजवानों के साथ इस सरकार ने धोखा किया और एक भी नौजवान आठ महीने में यदि राजस्थान की सरकार ने रोजगार दिया है तो मैं समझता हूं कि वह अपनी उपलब्धियों में बतायें कि उन्होंने राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार दिया। भागीरथ योजना इस सरकार ने चालू की लेकिन वह भागीरथ योजना केवल मात्र कुछ ·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, भागीरथ योजना केवल मात्र कागजों में है। उसकी क्रियान्विति नहीं हुई और उसका कोई लाभ भी राजस्थान की जनता को नहीं मिला। इसी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही। मैं समझता हूं कि आज के दिन राजनैतिक भ्रष्टाचार जो राजस्थान में पनपा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार कौन है, यह निश्चित रूप से आने वाला समय बतायेगा। जहां तक भ्रष्टाचार की····

[समय समाप्ति सूचक घण्टी]

राजस्थान के लोग जो हैं, वह पटवारी, पुलिस के अफसर, थानेदार, आर. टी. ओ. इन लोगों से सम्बन्धित होते हैं और मैं सम-

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

भता हूं कि राजस्थान में वर्तमान सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। जहां तक महंगाई का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा गांवों में गुड़ और चीनी तो महंगा बिका ही है, तेल के भाव भी आसमान छूने लगे। दाल, धान और बाजरे की कीमत बढ़ी और कीमतें इस गति से बढ़ी हैं, वह निश्चित रूप से गरीब आदमी को जीने का जो अधिकार है, वह गरीब आदमी आज महंगाई की मार से पीड़ित और त्रस्त है, शोषित है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर राजस्थान में जो अमन और चैन खत्म हुआ है उसको कायम करने में सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री महिपाल यादव। पांच मिनट बोलेंगे। (अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह दस मिनट बोलेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, आज जो प्रस्ताव आया, उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो पूर्व वक्ताओं ने सारे देश की परिस्थिति के आधार पर, कौनसी परिस्थितियों में यह घड़ी आई उन पर न जाता हुआ कुछ मुख्य मुद्दे की बातें सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने यह सुना और अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की बात करी। मैं यह जानना चाहूंगा कि आज के परिपेक्ष्य में आप कौनसी वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की बात करने जा रहे हैं। वह वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स का जो एक्सपेरिमेण्ट था और जो वे वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की बात कर रहे थे वह गौण है। आज वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स आपको तो दिखेगा नहीं क्योंकि आपने यही काम किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले पण्डित रामकिशनजी का भाषण सुना और निश्चित रूप से हमें इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आखिर यह देश कहां जा रहा है और अगर हम जातिवाद के अन्दर बंट गये, तो निश्चित रूप से देश के टुकड़े हो जायेंगे इसलिए इस परिप्रेक्ष्य के ऊपर भी सब राजनैतिक दलों को वह चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे जनता दल और कांग्रेस के हों परन्तु एक दफा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, इस देश से ऊपर उठकर इस देश के हित में सोचना पड़ेगा। हमें इस देश को नव निर्माण की ओर ले जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था, करौली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने इस बात को बड़े जोर से कहा कि जब चुनाव हुए थे और उन चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और हमने इन चुनावों के दौरान बोफोर्स की बड़े जोर शोर से चर्चा की थी और उन्होंने यह आरोप और आक्षेप भी लगाया कि बोफोर्स का क्या हुआ और कहां गये बोफोर्स के नाम? निश्चित रूप से उनको कहने का मौका है। मैं उनको अभी ताजा घटना की याद दिलाना चाहता

(श्री दिग्विजय सिंह)

हूं कि आप बोफोर्स के नाम की बात कह-कर यह कहना चाहते हो कि आपने बड़ी बात की, यह वैल्यू कहां गई ?

मैं आपको अभी पूछना चाहता हूं कि अभी पालियामेण्ट के अन्दर इस बारे में चर्चा, हमारे दल के अन्दर जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने मेरे ख्याल से कोई भी सभा नहीं छोड़ी होगी जिसमें बोफोर्स का जिक्र नहीं किया हो। अभी कल जब श्री वी. पी. सिंहजी की सरकार का पतन हुआ, आज शायद नयी सरकार का गठन होने जा रहा है और उस नयी सरकार के अन्दर जो पूर्व जन्ता दल था, उसका एक घटक माननीय श्री चन्द्रशेखरजी के नेतृत्व में जिसका निर्माण हुआ, आज उसको समर्थन कौन देगा। वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की बात कौन कर रहा है? आज बोफोर्स का नाम लेने वाले, बोफोर्स का जिक्र करने वाले, आज में यह जानना चाहूंगा कि आज बोफोर्स के नाम पर जिन लोगों ने यहां चर्चा की, जिन नेताओं ने यहां जिक्र किया था, आज उनको समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं? वो कहां गये आपके मूल्य, वो कहां गई आपकी नैतिकता इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, हम घटनाओं को भी याद रखें और अपने गिरेबान में भी देखें कि आज वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस बात के लिए निःसंकोच कह सकता हूं। आज जो कुछ हो रहा है मैरिज आफ कन्वीनेन्स। जिसमें आपको सुविधा हो रही है, वह काम आप कर रहे हैं। आप वैल्यू-बेस्ड पालिटिक्स का कहते हैं जिस वक्त दिल्ली में यह निर्णय लिया गया हमारे पूर्व अध्यक्ष बोम्मई साहब द्वारा कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, हम भाजपा का भी समर्थन लेंगे, उधर तो वह निर्णय हो रहा है और इधर आप गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अन्दर हमारे जनता दल के जो श्री चिमनभाई पटेल मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस का समर्थन ले लिया। हमारे डाक्टर साहब मेरे साथी रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि उस वक्त आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बोम्मई साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिये थे श्री चिमनभाई पटेल के खिलाफ?

क्यों नहीं चिमन भाई को निष्कासित किया? कहां गयी आपकी नैतिकता और कहां गयी बोम्मई साहब की हिम्मत? समय देख रहे थे कि सात तारीख तक पालियामेण्ट में क्या होता है। शायद कोई टेक्टिस काम आकर के हो सकता है कोई जीवन दान फिर मिल जाये। एक व्यक्ति जरूर है, मैं निःसंकोच कहता हूं माननीय श्री वी. पी. सिंह साहब जो वैल्यूबेस्ड पालिटिक्स करते हैं बाकी सब अपाचु-निस्ट्स हैं। किसी को सिद्धांत की परवाह नहीं है बाकी सब कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं केवल मात्र वही व्यक्ति है जिसने कुर्सी नहीं बचायी। हमारे यहां पर भी टूट क्यों हुयी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्यों टूटे?

श्री दिग्विजय सिंह : सुनिए मैं आपको भी बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि बड़े जोर-शोर से यहां बात कही गयी आखिर कार जनता दल में यह टूट हुई क्यों हुई? तोड़...

(श्री दिग्विजय सिंह)

क्यों गया ? उसके कारण मैं जानना चाहूंगा और थोड़ी जानकारी सदन को दिलाना चाहूंगा कि हम भी निर्णय करना चाहते थे, हम भी चाहते थे कि राजस्थान के अन्दर जनता दल एक दल रहे, एक होकर रहे किन इसके पीछे कारण रहे, कुछ कारण मेरे साथियों ने बताये हैं। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि हमने साफ कह दिया था, मैंने पहले भी कहा था हम इस बात को साफ कह रहे हैं, दिल्ली में भी साफ कह दिया था कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनायेंगे क्योंकि हमें जो जनादेश मिला था वह विपक्ष के नाते मिला था। कांग्रेस के साथ जाने का जनादेश नहीं मिला था इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। आज आप यह चार्ज लगा दो कि मुख्य मंत्री जी ने इतने लाख रुपये दिए। जो सात दिन पहले आपके साथ बैठा हुआ था तब हम साहूकार थे आज निर्णय अपने विवेक से ले लिया तो उनको शक की दृष्टि से देखने लग गये। मैं बहुत अदब से कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, माननीय नत्थीसिंह ने स्वयं ने अखबारों के अन्दर इस बात का आरोप लगाया कि तीन से चार लाख तक में बिके मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप खुद ही इस बात को देख लें···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब क्या भाव चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यहां का भाव गुजरात के भाव से अच्छा है।

श्री दिग्विजय सिंह : भाव तो आपको मालूम होगा। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि जो सारे देश में और खास तौर से जनता दल में टूट हुयी उसके पीछे मुख्य कारण रहा जिस प्रकार से सामंजस्य होना चाहिए था वह नहीं रहा और कुछ व्यक्ति संगठन पर वर्चस्व रखना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हुआ इस बात को कहते हुए कि आज हमारे साथी महज इसलिए हम को कोस रहे हैं कि हमने कोई एक फैसला ले लिया और हमने निर्णय लिया उसके लिए मैं कोई संकोच नहीं करता हूं हमने निर्णय लिया है राजस्थान के हित में कि राजस्थान की जनता ने हम को वोट दिया था वह दिया था संयुक्त विपक्ष के लिए आप मिलजुल कर इकट्ठे होकर वोट लो और पार्लियामेंट के चुनावों में भी कहा था सुमित्राजी आप खुद जानती हैं कि पार्लियामेंट के चुनावों में भी कहा था कि अगर आप एक होकर आयेंगे तो हम आपको जिताकर लायेंगे। सुमित्राजी आप खुद जानती है कि दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई जब टिकटों का एग्रीमेन्ट हो रहा था तो बीच में एक दफा यह स्थिति आ गयी थी कि समझौता टूट रहा था तब भी आपने और सब लोगों ने कहा था कि समझौता होना चाहिए। भाजपा से समझौता करिए, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे अगर विपक्ष की सरकार बनानी है तो मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान के अन्दर हम मिलजुली साझा सरकार बना पायेंगे और इस कांग्रेस को हरा देंगे। अध्यक्ष महोदय, उस समय आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के साथ बैठने की कल्पना शुरू कर दी, जो कल तक यह बात कह रहे थे उन्होंने कांग्रेस के साथ बैठने की कल्पना शुरु कर दी कि कांग्रेस के साथ हम सरकार बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष

(श्री दिग्विजय सिंह)

महोदय, अब एक स्थिति और हो गयी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जनता दल के पूर्व नेता हमारी स्थिति है आज ग्रुप के रूप में हैं हम ने स्पष्ट कह दिया था किसी भी नेता से दिल्ली में हमारा एफीलिएशन नहीं है और दिल्ली के अन्दर आज भी कांग्रेस उस छोटे ग्रुप को समर्थन देकर केन्द्र सरकार में पदासीन कर रही है जिसको अभी बैशाखी कह रहे थे अब आप कांग्रेस वाले भी बैशाखी लगाकर खरड़े हेंगे और कांग्रेस भी बैशाखी बन गयी है जिसका उपयोग आप हमारे लिए करते थे.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करता हुआ एक बात निवेदन करना चाहूंगा और वह यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम ने जो कुछ फैसला किया, हम सब विधायकों ने, जो इस ग्रुप में शामिल हुए हमने काफी विचार करके, काफी सोचकर, निर्णय करके सब सम्भावनाओं को मुद्दे नजर रखकर यह तय किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज, के घटनाचक्र में हम को स्वयं को निर्णय करना होगा कि राजस्थान के हित में और हमारे स्वयं के हित में कौन सा कदम ठीक है। हम ने बहुत दिनों तक देख लिया हमारे हाईकमान को, हमारे कन्धे के ऊपर रखकर बंदूक चलाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जयपुर में आदमी बैठता है उसमें तो कम अकल है और दिल्ली बैठ गया तो ज्यादा अकल आ गयी। मैं पुन: विधायकों को, मेरे सभी साथियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विवेक से निर्णय किया और इस ग्रुप का अलग से गठन किया वे इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और अन्त में आपसे भी सभी सदस्यों से भी यह निवेदन करूंगा कि समय रहते आ जायें तो हमारे को आपत्ति नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मेरे ग्रुप का पूर्ण समर्थन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने मंत्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने और पार्टियों ने अपना दृष्टिकोण सिद्धांत, दल के अनुशासन से अपने आपको दूर रखते हुए की। कांग्रेस पर भी आरोप और प्रत्यारोप लगाये और यह आभास देने की इस सदन में कोशिश की गयी है कि येन-केन प्रकारेण यह राजनैतिक पार्टियों का विभाजन करना चाहती है। यह बात तो साफ है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर दिया ना।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो देखिए दो चार महीनों में क्या होता है? मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। जन भावनाओं की आपने धज्जियां उड़ायी हैं इसलिए जनता आपसे सवाल करना चाहेगी जब आप वहां जाओगे। इस सदन में बैठकर तो मालिक बन गये मतदाताओं के लेकिन जब मतदाताओं के पास जाओगे जिनकी संख्या ढ़ाई करोड से ऊपर है....

श्री देवीसिंह भाटी : जन भावनाओं का आदर किया है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता ने उनके मन्त्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करने के लिए बहुत सी विकास योजनाओं का उल्लेख किया और यह भी कोशिश की कि इस सदन को प्रभावित करने के लिए वह योजनाएं आरम्भ कर दी गयी हैं। और उनका भविष्य में ही परिणाम आने वाला है जिन योजनाओं को कांग्रेसी सरकारें अपने प्रभाव को प्रयोग में नहीं ला सकी, असर नहीं डाल सकी भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन और इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटीज पर उसमें वह कामयाब रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर, अध्यक्ष महोदय, बाद में चर्चा करूंगा लेकिन आज जिस मसले को लेकर देश में उत्तेजना है पूरी जनता में और इस मंत्रिमण्डल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की और सदन को विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? वह इसलिए पड़ी कि जुलाई महीने से लेकर इस देश के अन्दर जो राजनीतिक घटना क्रम जिस तेजी से चला है उसका परिणाम है कि केन्द्रीय सरकार कल विश्वास प्राप्त नहीं कर सकी और केन्द्र में दूसरी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपतिजी किस को इन्वाइट कर रहे हैं उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन वह फैसला भी एक-दो दिन में हो जायेगा। लेकिन इस देश के अन्दर, जब मैं कुछ बातें कहूंगा उनमें कुछ कड़वी बातें भी हैं जो धैर्य के साथ माननीय सदस्य सुनने का प्रयत्न करेंगे।

आज देश में जो वातावरण है वह साम्प्रदायिक वातावरण है, पूरा देश उससे झंझना रहा है। बी. जे. पी. जिसके समर्थन में यहां बहुत सी बातें माननीय सदस्यों कहीं, अभी जो दूसरा ग्रुप बनाया है और बी. जे. पी. दल के लोग हैं उन्होंने बहुत सी बातें यहां पर कहीं हैं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विवेचन किया कि बी. जे. पी. के अन्दर दो तरह के लोग हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, नीति वाले हैं, एक उदार लोग हैं और दूसरे कट्टर पन्थी हैं, लेकिन बी. जे. पी., जनसंघ जन्म से लेकर और श्यामाप्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व से लेकर और, उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व से लेकर देखेंगे तो पहले यह यूनिटेरी ह्यूमेनिज्म की बात कह रहे थे, गांधीजी को सोशलिज्म आया और अब दोनों की मिली-जुली खिचड़ी, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धान्त बताते हैं। लेकिन इस देश के अन्दर बी. जे. पी. हमेशा यह पार्टी तो कम्युनल है लेकिन क्योंकि कल तक वाजपेयी जी जैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे और दूसरे जो कट्टर पन्थी पेरोशियल आउट लुक के जो मंच हैं, आर. एस. एस. हो चाहे वह शिव सेना हो, चाहे बजरंग दल हो इसके लिए नैतिक समर्थन पीछे से दे रहे थे. हालांकि वोट की रोटियां तो सेकना चाहते थे लेकिन कहते यह थे कि हमारा नैतिक समर्थन हैं और बैकग्राउण्ड में सब खेल रहे थे। लेकिन चौधरी देवीलालजी इस्तीफा देने के बाद और मण्डल कमीशन की रिकमंडेशन्स सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर की उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह अच्छी तरह से आभास हो गया कि उनकी कास्टीट्यूएन्सी, उनका वोट बैंक है वह छीन लिया गया है इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर बाद में यह निर्णय लिया कि इस देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक वातावरण है उसको गर्म करना चाहिए।

(श्री परसराम मदेरणा)

उस समय गर्म करके हिन्दू वोट का जो लास हमारा हुआ है, जैसा वह सोचते थे, जैसा उनका आंकलन व विवेचन था उसकी पूर्ति के लिए खुले मैदान में आए। राम जन्म भूमि का मामला जो आज नहीं पिछले 2 सालों से यह मसला राष्ट्र के सामने है और इस मामले को लेकर जन-भावनाओं को उभारा गया। उभारा ही नहीं गया, लोक सभा के चुनावों में जालौर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सी बातें कह रहे थे लेकिन जालौर के लोक सभा चुनाव में यह सब जानते हैं, यह सदन जानता है कि वहां पर साधुओं को घुमाया गया था और इसलिए आपने...

श्री चम्पालाल बांठिया : नकली साधु भी आये थे।

श्री परसराम मदेरणा : राम जन्म भूमि के मामले को लेकर, मैं तो यहां तक कहूंगा कि संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कल आपने बी. जे. पी. के साथ में वोट किया है बी. जे. पी. के साथ में वोट नहीं किया है, जिस तरह से हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा था हमारा अलग प्रस्ताव था और इस क्लाइमेक्स के लिए, इस स्थिति के लिए जो आज इस देश में घटी है। भारत के प्रधान मंत्री तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उनके प्रधान मंत्रित्वकाल में देश की स्थिति चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आसाम हो और चाहे वह तमिलनाडु हो लेकिन उन्होंने इन समस्याओं के समाधान में वह विफल रहे। आपको तो मालूम होगा चुनाव लड़ रहे थे लोक सभा का उस समय, अखबारों में पढ़ा होगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आगरा गये थे वहां पब्लिक मीटिंग में बी. जे. पी. के मंच पर नहीं आये (व्यवधान)

मथुरा के पास था और आगरा जिले में भी था, मंच दूसरा बनवाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद में चुनाव समाप्त होते ही बी. जे. पी. के समर्थन देने की बात तय की तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और आपके बीच में गुप्त समभौता हुआ था क्या कि आप तो हिन्दुओं के वोट ले लो और हम मुसलमानों के वोट प्राप्त कर लेते हैं और मिल मिलाकर केन्द्रीय सरकार बना लेंगे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने क्या समभौता किया ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने चन्द्र-शेखर जी से क्या समभौता किया ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : श्री वाजपेयी जी ने अहमदाबाद की मीटिंग में, अक्टूबर के महीने में 24-25 तारीख को वहां शायद गए थे भारत बन्द के रोज उन्होंने अहमदाबाद की पब्लिक मीटिंग में उल्लेख किया कि हमारे बीच में सीक्रेट समभौता हुआ था....

श्री जगमाल सिंह यादव : उसका खण्डन भी कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली में खण्डन कर दिया था कि जो आर्डिनेन्स निकाला जिसमें पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद, राम मन्दिर और उसके आस-पास

(श्री परसराम मदेरणा)

की जमीन भारत सरकार ने एक्वीजीशन कर अपने हाथ में ले ली। बी. जे. पी. की प्रतिक्रिया थी कि हमको यह स्वीकार नहीं है। दुसरी प्रतिक्रिया उसी दिन यह जारी कर दी गई कि सही दिशा में कदम है। श्री वाजपेयीजी ने स्वयं और अडवानीजी ने कहा कि यह सकारात्मक कदम है। कुछ न कुछ समझौता आप बीच में बैठकर कर रहे थे और इसलिए प्रारम्भ से ही ऐसी-ऐसी बैशाखी पर टिके हुए थे जो साम्प्रदायिक बैशाखी थी। बाहर से समर्थन केवल उस हद तक ही वह देना चाहते थे कि उनकी कान्स्टीट्यूएंसी और बेस बढ़ जाता है तो उसके बाद में उस बैशाखी को हम खीच लेंगे। श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह जी जो यह कह रहे हैं कि बी. जे. पी. हिपोक्रेटिक स्टेट्स स्थापित करना चाहती है और हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं इसलिए हम सिद्धान्तों के ऊपर सरकार को दाव पर लगाते हैं। अगर यह स्थिति तो उस रथ को वहां नहीं रोकना था उस रथ को सोमनाथ मन्दिर के पास ही रोक देना था। अब यह कहेंगे और यह कहते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जहां-जहां से अडवानी जी का रथ निकला, अडवानी जी की रथ यात्रा के वक्त में कही साम्प्रदायिक दंगा फसाद नहीं हुआ। (व्यवधान)

साम्प्रदायिक विषाद उस वक्त नहीं होता। जो वातावरण आपने गरम किया था उसका प्रभाव, पूरे देश के अन्दर हुआ। कौनसा ऐसा प्रान्त है तीन चार प्रान्तों को छोड़कर के और यह बात नहीं थी यह रथ जो है राम के नाम पर अपना वोट का भुट्टा सेंकने के लिए आप इसका प्रयोग करना चाहते थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। राम का मन्दिर बने, राम के भक्त सभी हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है या दूसरे लोगों का प्रश्न है हम लोग गांवों में रहने वाले हैं।...

श्री अध्यक्ष : आप तो स्वयं राम हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं स्वयं तो राम का भक्त हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हम जब किसी को सम्मान प्रकट करते हैं या मिलते हैं तो जय मातादी या जय राम जी की कुछ नहीं करते। राम-राम सा करते हैं और माला भी राम की फेरते हैं। आज गांवों के अन्दर शाम को भोजन करने से पहले जो माला फेरते हैं वो राम की फेरते हैं। आज जितने बैठे हो राम के रथ के पीछे कमल लिए दौड़ रहे थे। अगर आज उच्चारण कराया जाय और राम की रट लगाई जाय तो मेरी जितनी तेज रफ्तार है उतनी आप में से किसी की भी नहीं है क्योंकि हम प्रारम्भ से ही यही माला जप रहे थे। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस राम मन्दिर ने इस देश में नफरत की दीवारों को खड़ा किया। यह राम रथ नहीं यह दंगारथ था। जब यह प्रारम्भ हुआ तो इस देश के अन्दर कम्युनल फ्रेंजी इस तरह से फैलती गई। इसका फ्लेअर आउट होने के बाद सैंकड़ों लोग मरे। पूरा देश जला है अशान्ति और अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है।

जहां तक जयपुर का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस रथ यात्रा को लेकर के जो साम्प्रदायिक धुआं फैलाया गया या साम्प्रदायिक धुआं वोट का भुट्टा सेंकने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

था और उसमें आप कामयाब हुए कि नहीं हुए, मुझे इसमें शंका है। यह जो आज बात कही जा रही है केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार बहुत सी देश की नीति है वह केन्द्र सरकार निर्धारित करती है और उनका इम्प्लीमेन्टेशन राज्य सरकार करती है। केन्द्र की सरकार हरेक फ्रन्ट के ऊपर फेल हुई है। उसकी विफलता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बी जे. पी. वाले, श्री अडवाणी जी और यही कह रहे हैं। हमारा एक मुद्दा था यह तो लेकिन बाकी सरकार सभी फ्रंट से फेल हो गयी है और विफल हो गयी है इसलिए हमने उनसे समर्थन विथड्रा किया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर रथ आया और रथ आने के बाद में 12 तारीख को यहां पर जो भाषण दिए गए क्या वो भाषण जयपुर जैसे शहर में जिसकी एक परम्परा रही है। दिसम्बर 1989 में एक दफा झगड़ा हुआ था। यहां पर किसी वक्त भी कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं रहा। जयपुर में इस प्रकार के भाषण दिये गये, 23 तारीख की रात को छोटी चौपड़ पर श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि हिन्दुओं को अपमानित करना धर्म निरपेक्षता है और हिन्दुओं की बात करना साम्प्रदायिकता है तो मैं आज भी साम्प्रदायिक हूं और उन्होंने कहा कि हम पाखण्डी धर्म निरपेक्षता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि समुन्द्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं होता। आप बराबर पूरी रथ यात्रा के अन्दर धमकियां दे रहे थे। भारत सरकार को दे रहे थे। सरकार का पूरा तन्त्र बी. जे. पी. के हवाले कर दिया गया। श्री सम्पतराम जी नाम मात्र के होम मिनिस्टर थे। अब वो खड़े होकर के सब इन्सपेक्टर के बारे में उसका प्रतिकार कर सकते हैं।

मैंने बहुत कोशिश की 24 तारीख को आपसे मिलने की, टेलीफोन पर बात करने की। आप वहां नहीं मिले। जब मुझे मालूम हुआ कि आप सिविल लाइन्स गये हैं, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से शाम को मिला था। लेकिन कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जो आपकी थी। आप न मालूम कहाँ थे इसकी मुझे मालूम नहीं है। जयपुर जल रहा था राजस्थान के गृह मन्त्री न मालूम कहां थे मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनके बारे में।

[समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी]

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब श्री अडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई बिहार में समस्तीपुर में न मालूम कहां पर और भारत बन्द का जब आह्वान किया गया तो जो लोग इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे के ऊपर अगर आह्वान करते हैं पूरे बन्द का देश भर के अन्दर और वहां से 23 तारीख को मुख्य मन्त्री जी यहां भी आये। बी. जे. पी. के दफ्तर में उन्होंने बातचीत करके कम्पलीट बन्द करने की एक योजना बनाई। मेरे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने जो यह बात कही है कि जिस सरकार का मुख्य मन्त्री स्वयं बन्द कराने में सम्मिलित हो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उनके हवाले कर दी गयी हो तो निश्चित तौर पर

(श्री परसराम मदेरणा)

24 और 25 को यहां पर ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। पूरा जयपुर जल रहा था। अनाप-शनाप जन और धन की हानि हुई यहां पर और जोधपुर में भी इसी तरीके का दंगा हुआ। अलवर में भी हुआ, ब्यावर में भी हुआ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अलवर में कुछ नहीं हुआ।

श्री जुबेर खान : अलवर में हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जुबेर खान प्लीज। आपके नेता बोल रहे हैं। जवाब दे सकते हैं। you are not speaking.

श्री ईश्वर लाल सैनी : वो कैसे बोल रहे हैं? उनको भी मना कीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। देखिए पांच मिनिट बाकी हैं लेट हिम स्पीक।

श्री परसराम मदेरणा : अगर भारतीय जनता पार्टी ने बन्द का आह्वान किया था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उस बन्द को शांति पूर्वक और सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को निभाते। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कोई भी प्रिवेन्टिव स्टेप नहीं लिया। दंगों के लिए कोई प्रिकाशनरी मेजर्स नहीं लिए। दंगों के वक्त में ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना खेल-खेलते हैं, उनको किसी को अरेस्ट नहीं किया। एक घटना के बाद में दूसरा घटनाक्रम के अन्दर साम्प्रदायिकता का अध्याय जुड़ता गया। इसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। वर्तमान सरकार अब यह कहती है कि बहुत से लोगों ने यह कहा कि जहां तक श्री भैरोंसिंह जी का प्रश्न है वो तो "

एक माननीय सदस्य : लिबरल हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लिबरल आइड्योलाजी के हैं लेकिन प्रशासक तो हैं। मुख्य मन्त्री के नाते फोर्स भी आयी, भारत के गृह मन्त्री यहां पर आये।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू में भारत का गृह मंत्री अगर देखकर आता है कि कितना डेमेज हुआ है, क्या बात है, लोग तो घरों में बन्द थे 25 तारीख को, मुख्य मन्त्री जी स्वयं जानते हैं मैंने भी जाने की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने मुझे जाने की परमीशन भी दी थी और हम गये भी थे। लोग तो घरों में थे और बाहर साम्प्रदायिक तनाव आने की कोई बात ही नहीं थी वहां पर। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी यहां पर दंगे-फसाद हुए यह साम्प्रदायिक उन्माद की वजह से हुए और राजस्थान की सरकार जान-माल की रक्षा में पूरी तरह विफल रही है। ऐसी विफल सरकार का जो प्रस्ताव है कैसे उसका समर्थन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें जो रंग दिया गया है धार्मिक उन्माद, धार्मिक उन्माद के लिए फ्रेंजी डवलप की गयी। शुरू से ही विश्व हिन्दू परिषद के कार्यों का विरोध करने वाले ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द कहते हैं कि कार सेवा के लिए यह शुभ

(श्री परसराम मदेरणा)

मुहुर्त नहीं है। अगले वैशाख में शुभ मुहुर्त की सम्भावना है। उनका आरोप है कि काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने की भांति अयोध्या की ओर मुंह करके घंटा घड़ियाल और शंख बजाना यह इस्लामिक संस्कृति है। वह कहते हैं। दूसरे शंकराचार्य और बातें कहते हैं। वह यह कह रहे हैं कि गवर्धन पीठ पुरी जगतगुरु शंकराचार्य, निरंजन स्वामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए धर्म के नाम पर हिन्दू भावनाओं का शोषण कर रही हैं। श्री शंकराचार्य ने जारी अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद वास्तव में हिन्दुओं के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री अशोक सिंघल, श्री महंत अवैधनाथ, श्री नृत्य गोपाल दास, श्री दाऊदयाल खन्ना सहित भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद को कुछ समय पहले आश्वासन दिया था कि हिंसात्मक गतिविधियां शामिल नहीं होंगी और बाबरी मस्जिद गिराये बिना उसके पास श्री राम मन्दिर बनायेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि आश्वासन देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद इतनी हाय तोबा क्यों मचा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो धार्मिक कवी है उनका यह मानना है कि जो कुछ भी किया गया राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया और उसका परिणाम यह है कि देश की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ गयी है और देश टूटने की कगार पर है।

कोई भी सरकार आयेगी इस वर्तमान वातावरण को ठीक करने के लिए चार-पांच साल से कम समय नहीं लगेगा। मुख्य मंत्री जी मैं दो-तीन सवाल कहना चाहता हूं विकास के सम्बन्ध में ...

[समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी]

श्री अध्यक्ष : कितना समय लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : पांच मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बातें तो बहुत सी कही हैं लेकिन जब बजट आयेगा उस वक्त उन पर अपने विचार रखूंगा लेकिन ग्रामीण योजना की और राहत योजना की जो बात कही। मुख्य मंत्री जी जो कर्जा माफी की योजना भारत सरकार ने भेजी है मैंने पिछली कई दफा सदन में 20 जुलाई को यह बात कही थी कि आप 170 रुपये की बात कर रहे हैं और उसमें 90 लाख सहकारी सदस्यों को लाभान्वित करना चाहते हैं लेकिन आप मौन रहे उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह अमाउण्ट जो साढ़े तीन सौ करोड़, सात लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित नहीं होंगे। यह योजना तीन सौ करोड़ की हो गयी। भारत सरकार ने जो राहत योजना भेजी है। इस योजना के अन्दर 10 हजार रुपये तक के लोन पर किसी तरह का ब्याज लेने के लिए कोई आदेश नहीं दिये हैं। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य को-आपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं। जब एक साल अकाल पड़ता

(श्री परसराम मदेरणा)

है तो लोन जो शार्ट टर्म लोन है वह मीडियम टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अकाल पड़ जाता है दो साल निकल जाते हैं तो फिर वह रिफेंजिग होता है और रिफेजिंग के दो-तीन साल निकलने के बाद फिर भी अकाल है तो फिर इसमें लांग टर्म लोन के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन कन्वर्जन रिफेंजिग का जो अमाउण्ट है उनकी किश्त ड्यू हो गयी थी दो अक्टूबर, 89 को केवल वह माफ की जा रही है। ब्याज पूरा लिया जा रहा है और ब्याज भारत सरकार की योजना के खिलाफ लिया जा रहा है। ब्याज का जो अमाउण्ट बनेगा कम से कम 100 करोड़ का।

यह राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजना के विपरीत उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं और यह भी कहते हैं कि 2 अक्टूबर, 1989 से पहले की थी व लोन जो कन्वर्ट हुआ है या रिफेंजिग हुआ है वह तो इसलिए हुआ है कि लगातार अकाल पड़ता गया इसलिए आप माफ करें पूरा लोन माफ नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारत सरकार की यह मन्शा नहीं थी इस पर आप विचार करें। राजस्थान में श्री भैरोंसिंह जी की सरकार आने केबाद दो बड़ी प्राकृतिक आपदायें इस राजस्थान में हुईं। अकाल में करीबन 19-20 हजार गांव और बाढ़ से बहुत बड़ी क्षति और तबाही हुई है लेकिन दो बड़ी आपदाओं में सरकार को जिस तरह की राहत देनी चाहिए वह समुचित राहत नहीं दी है। ग्रामीण विकास के अन्दर जवाहर योजना बिल्कुल ठप्प कर दी गयी है। श्री भैरोंसिंह जी यह बात कह रहे थे कि मैं अब अन्त्योदय योजना लागू कर रहा हूं। अब वह परिवार का चयन करेंगे। 8 महीने तो निकल गये परिवार के चयनीकरण में भी मैं समझता हूं कि दो तीन महीने और निकल जायेंगे। आर. एल ई. जी. पी., एन. आर. ई जी. और जवाहर योजना का कोई विकास नहीं हुआ टोटली इट हैज कम टू ए ग्राइण्डिग हाल्ट। यह सरकार की उपलब्धि है और यही नहीं इस सरकार में एक तरफ तो मुख्य मंत्री कह रहे थे कि शिक्षा के मामले में और साक्षरता में हम लास्ट बट वन हमारा प्रतिशत है। फिर देश के अन्दर राज्यों की तुलनात्मक दृष्टि से स्कूल तो खुले हुए थे। पिछले तीन साल में शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा को आपने बन्द किया है। आप इसका अन्दाज लगाइये, अध्यक्ष महोदय, इसमें आज हजारों लड़के पढ़ते थे वह पूरी स्कूल प्राइमरी होने से वह जा नहीं सकते थे इसलिए इन केन्द्रों की स्थापना की गयी थी। उनकी पढ़ाई बन्द हो गयी है। वह जीवन भर हिन्दुस्तान के अनपढ़ नागरिक रहेंगे और यहां पर बहुत बड़ा प्रचार किया गया गृह निर्माण सोसायटीज बनी है उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जायेगा मेरी जानकारी ऐसी है...

[समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी]

अभी तो, अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी नजर घड़ी पर नहीं है। मेरी नजर है।

श्री परसराम मदेरणा : जो भ्रष्ट गतिविधियां इन सोसायटीज में थीं उनकी तरफ आंख मूंद ली हुई दिखती है। मैं समझता हूं कि सरकार की छवि पर प्रश्न चिन्ह है।

(श्री परसराम मदेरणा) :

इन्होंने कमेटियां तो जरूर बनाई हैं। पिछले बजट सत्र में जांच करने के लिए कुछ मामले थे। वह काम तो मुख्य मंत्री जी ने किया। आप यह बताइये कि आपने ऐलान किया था कि जो उद्योग नीति हम यहां लाना चाहते हैं कृषि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण किया है जो नीति रखी थी लेकिन वह निरस्त कर दी। उसे विचार करके निर्णय नहीं ले सके वह राज्य की बदनीयती है। प्रदूषण के रख रखाव के लिए जो नीति बनाई है रोजगार की नीति का कोई प्रश्न नहीं है। अभी रोजगार ठप्प कर रखे हैं और विद्युतीकरण की जो नीती बनाई है मैं समझता हूं राजस्थान में एनाल्स आफ हिस्ट्री में काश्तकारों के खिलाफ बिजली कनेक्शन और एग्रीकल्चर कनेक्शन देने की नीति बनी है।

और, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक बात निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के संबंध में मैंने पहले भी दो दफा मुख्य मंत्री जी से कुछ निवेदन किया था पर मेरी ऐसी मान्यता है कि दो मुद्दों के अन्दर मुख्य मंत्री जी आपके और मेरे बीच में अप्रोच के अन्दर, उसके आकलन के अन्दर और उसके इम्प्लीमेन्टेशन के अन्दर बिलकुल मतभेद है और प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे लेकिन मैं अपना दायित्व समझता हूं कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। एक तो अन्त्योदय योजना जिसका आप इतना जिक्र कर रहे हैं और कभी जापान का नाम ले रहे हैं और कभी भारत सरकार का नाम ले रहे हैं। मैंने 1978 में भी यह बात इसी सदन में यहां पर कही है कि अन्त्योदय योजना फ्लाप है और न इसका कोई बेनिफिट हुआ है और न इसके कोई असेट्स कायम हुए हैं। एज चेयरमैन की बात मैंने पहले भी बताई थी। उसका मैंने आकलन कराया था, सर्वे कराया था, री-इवेल्यूएशन कराया था और उसमें किसी के पास भी कोई असेट्स नहीं हैं और भगवान के लिए राजस्थान की जनता पर मेहरबानी करके इस योजना को जो कि गांवों में आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं चाहे नाम उसका अन्त्योदय ही रख रहे हों लेकिन पिछली दफा इस योजना के नीचे पूरी पोल थी और वह पोल यों की यों रखी तो यह बीच वाले खा जायेंगे और उस गरीब आदमी के लिए जिसको आप चाहते हैं कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठे वह नहीं होगा और वह भी रसातल को जायेगा।

दूसरे भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यह निवेदन कर दूं कि एक आप कलेक्टर को पकड़ने से आप समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है तो मुख्य मंत्री जी जिस वक्त 1977 में आप मुख्य मंत्री बने थे तो पहले पांच छः महीने में इसका थोड़ा सा भय था सरकारी तंत्र में कि सरकार कुछ कारगर और इफेक्टिव कदम उठाना चाहती है इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लेकिन इस वक्त न कोई भय है और न कोई बात है–ऐसा मैं मानकर चलता हूं। 4 मार्च को जिस दिन आप और आपकी सरकार ने शपथ ली थी उसके बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जस्ट टु से असेन्शिअल कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी हैं बेतहाशा, उसी तरह से यह भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसलिए आप अपनी पूरी मशीनरी और पूरी पार्टी के लोगों को इस बात की री वैल्यूएशन कराइये और इसकी

(श्री परसराम मदेरणा)

जांच कराइये कि वास्तव में भ्रष्टाचार के अन्दर कोई कमी आई है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री परसराम मदेरणा : अब गाडगिल फार्मूले के ऊपर आता हूं, अध्यक्ष महोदय यह बहुत इम्पार्टेन्ट मैटर है। अभी गाडगिल फार्मूला पेश हुआ है। गाडगिल फार्मूला में मुख्य मंत्री जी मैंने अखबार में पढ़ा है कि गाडगिल फार्मूला आया था और आपने जो मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया है नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल के अन्दर जो आपका भाषण हुआ हैं उसको भी मैंने मंगवाया है। गाडगिल फार्मूले के अन्दर जो भी आपने मुद्दे उठाये हैं उसमें सिवाय बैंकवर्डनैस के एक पाइन्ट को लेकर आप सब में मात खा गये और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने अपने मेमोरेन्डम में बात कही है वह बात यह कही है कि फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को तरजीह दी जानी चाहिए और टैक्स एफट्स को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। आपने कहा इस संबंध में मेरा यह मत है कि कर प्रयत्न श्रम में राज्यों का वित्तीय प्रबंध का सही सूचक नहीं है। यदि राज्य सरकार प्रस्तावित संशोधन पर सहमत है। मतलब यह है कि आपने फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को चाहते हैं। यह पता नहीं है कि साल्वे कमीशन ने इस बात के लिए राजस्थान की तारीफ की है कि टैक्स कलेक्शन जो हुआ है राजस्थान के अन्दर सेविन्थ प्लान के अन्दर वह हिन्दुस्तान में हाइएस्ट हुआ है और फिसकल मैनेजमेन्ट की बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यह तो वह स्टेज है कि आमदनी बहुत है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इनका फिसकल मैनेजमेन्ट ठीक है और उनका केपीटल एक्सपेन्डीचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर कम है, तो उनकी इनकम भी ज्यादा है। इसलिए इस पाइन्ट पर भी आप मात खा गये और बैकवर्डनैस के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। मेरा धीरज भी जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा । बैकवर्डनैस की मांग इन्होंने नहीं की है कई राज्यों ने की है। पापूलेशन पाइन्ट पर भी आप चले गये, परकेपिटा में भी चले गए और आप टैक्स एफर्ट्स पर भी मात खा गये और एक बैंकवर्डनैस का पाइन्ट रहा है इसमें मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, मैंने मुख्य मंत्री जी को देखा कि चुपचाप बैठे हुए थे और वह अपना असर नहीं डाल सके और गाडगिल फार्मूला जो अभी नया तय हुआ है यह राजस्थान के लिए बहुत बरबादी का कारण बनेगा एक तो निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष :

सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : हो गया। मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग 1·55 बजे दीर्घा से चार व्यक्तियों ने जिनके नाम व अन्य विवरण नीचे अंकित हैं, ने नारे लगाये कि दंगों की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी

(श्री अध्यक्ष)

की सरकार इस्तीफा दे एवं साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच हो।

(1) श्री पंकज बासोतिया पिता का नाम श्री लक्ष्मी चन्द शर्मा, उम्र 19½ वर्ष, निवास स्थान सी–3, मधुबन कालोनी, टोंक फाटक, जयपुर। व्यवसाय–राजस्थान कालेज में तृतीय वर्ष में अध्ययनरत।

(2) श्री हितेन्द्र उपाध्याय पिता का नाम श्री लक्ष्मी नारायण जाति ब्राह्मण, व्यवसाय–प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एम. ए. पास, निवास स्थान–68 कल्याण कालोनी, टोंक फाटक जयपुर। उम्र 25 वर्ष।

(3) श्री श्यामसुन्दर व्यास पिता का नाम शम्भू नारायण पारीक आयु 25 वर्ष, निवास स्थान–68, कल्याण कालोनी, टोंक फाटक जयपुर। व्यवसाय–तृतीय वर्ष एल. एल. बी. का विद्यार्थी।

(4) श्री प्रवीण कुमार पारीक पिता का नाम अमर चन्द पारीक, उम्र 22 वर्ष, निवासी–मंगला मार्ग शुक्लपुरी, 164–ए ब्रह्मपुरी, जयपुर। व्यवसाय–बारदाना खरीदना व बेचना।

उक्त चारों व्यक्तियों को आसन की आज्ञा से वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त ही अपनी सुरक्षा में ले लिया तथा उनको अध्यक्ष के चैम्बर में प्रस्तुत किया गया। इन चारों व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व इनके बयान भी अलग-अलग अभिलिखित किये गये। चारों ही व्यक्तियों ने उनके उक्त लिखित नारों से सदन की अवमानना होने की जानकारी से अनभिज्ञता प्रकट की और उक्त जानकारी करवाये जाने पर बिना छल-छद्म के अपने कृत्य पर खेद प्रकट किया है।

मैं चाहूंगा कि सदन इस मामले में उचित निर्णय लें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सदन संकल्प करता है कि आप निर्णय करें। आप निर्णय के लिए अधिकृत हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन इस बात के लिए सहमत है कि इनको माफ किया जाये ?

(स्वीकृत)

माफ किया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

मंत्री परिषद में विश्वास का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सिट डाउन, I am on my legs.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने प्रस्ताव के ऊपर बोलते हुए इस कल्पना से अपने विचार व्यक्त किये हैं कि इस सरकार को विश्वास मत प्राप्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा और भविष्य में इस सरकार को इस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिए। आपके इस समर्थन के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ..

अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा इस बात की की गई कि भारतीय जनता पार्टी एक साम्प्रदायिक संस्था है. कट्टरवादियों की संस्था है, देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करना चाहती है और हिन्दू-मुस्लिम दंगे करवाकर अपने वोटों की राजनीति खेल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1951 में भारतीय जनसंघ का सदस्य बना था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस संस्था का गठन किया और संस्था बनने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनसंघ पर यह आरोप लगाना आरम्भ कर दिया कि यह पार्टी साम्प्रदायिक है। 1947 से लेकर आज तक इस देश में कुछ समय को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक दल था, कांग्रेस का पिछले 40 वर्षों से देश में शासन रहा, तो इस बात की जानकारी रहते हुए पिछले 40 वर्षों में साम्प्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करने के लिये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ? मैं समझता हूं कि यदि गम्भीरता से हम विचार करें तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नाम दिखाकर और भय दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों का शोषण किया, राजनीतिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया। कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों को अपनी पूंजी मानकर चलती रही कि जब तक यह पूंजी हमारे हाथ में है, जब तक यह वोट बैंक हमारे हाथ में है, हमें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता और हिन्दुस्तान में राज करने का एकाधिकार हमारा बना रहे।

इसका एक दूसरा पहलू है। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले 40 वर्षों में हिन्दू और मुसलमान में भेद पैदा करने के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के सम्बन्ध में या अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में, आर्थिक विकास इनका किस प्रकार हो सके, इसकी कभी भी कोई चिन्ता नहीं की। आज अल्पसंख्यक समुदायों में गरीबी है, वे भूखे हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 40 वर्षों में कोई अटैम्प्ट किया गया हो केवल एक ही अटैम्प्ट किया गया कि यदि कांग्रेस चली गई तो तुम्हारा नाश होगा, तुम नहीं बच सकते। केवल एक प्रचा के अतिरिक्त न तो साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने की कोशिश की गई न उनके आर्थिक विकास की कोई योजना बनाई गई और न हिन्दू और मुसलमान में सद्भावना पैदा हो, उस बात का को प्रयत्न किया गया। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में जो तनाव बढ़ा हैं, वह रथ यात्रा के कारण बढ़ा है, देश में तनाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी तत्वों के कारण से बढ़ा। मैं आज आपको एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथी पार्टी नहीं है, यह फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं है। मैं न हिन्दू कट्टरवाद का पक्षपाती हूं, न अल्पसंख्यक वर्ग में किसी तरह का कट्टरवाद चले, मैं इसका पक्षपाती हूं। इसके अतिरिक्त मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं और सदन के बाहर भी कह चुका हूं कि धर्म किसी व्यक्ति का हो सकता है, धर्म किसी वर्ग का हो सकता है, लेकिन मुख्य मन्त्री का कोई धर्म नहीं। मुख्यमन्त्री का केवल धर्म यह है कि जनत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के अनुरूप आचरण करे और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराये, भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा के कारण से दंगे हुए, और दंगे हुए इसलिए नैतिकता के नाते मुझे त्याग पत्र देना चाहिये, और इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में नहीं लाना चाहिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि अहमदाबाद में जो दंगे हुए, लगभग 500 आदमी मारे गये, 200-250 जिन्दा आग के अन्दर फेंक दिये गये, क्या उस समय रथ यात्रा निकल रही थी, क्या राम की जन्मभूमि का कोई विवाद था, क्या उस समय इस प्रकार का प्रसंग आ रहा था कि बाबरी मस्जिद को उठाकर फेंक दिया जायेगा और राम मन्दिर का निर्माण किया जायेगा ? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या भारतीय जन संघ की सरकार थी ? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं आप लोगों से जानकारी करना चाहता हूं कि जहां 400-500 आदमियों को मार दिया गया, हत्या हुई, जिन्दा जला दिया गया, क्या किसी कांग्रेस के मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र देकर इस नैतिकता का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया ? क्या उस नैतिकता का कोई मापदण्ड प्रस्तुत किया है ? आज कहते हैं नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भिवंडी में जो रक्तपात हुआ, क्या किसी मुख्य मन्त्री ने यागपत्र दिया ? भागलपुर में जहां 500 के करीब हत्याएं हुई, क्या वहां बिहार के मुख्य मन्त्री से आपने त्यागपत्र दिलवाया ? मेरठ में दंगे हुए, क्या उस समय त्यागपत्र दिलाया ? मैं समझता हूं कि उस समय त्यागपत्र नहीं दिया, न त्यागपत्र दिलाया। मैं आज कहना चाहता हूं कि कोटा में 18 आदमियों की हत्याएं हुई, क्या शिवचरणजी माथुर ने त्यागपत्र दिया था ? [व्यवधान]

श्री चन्दनमल बैद : हमसे पूछ रहे हैं, इसलिये जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह स्टाइल है बोलने की। पूछ नहीं रहे हैं आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप जवाब देना चाहे तो दे दें। कोटा में 18 आदमियों की जो हत्याएं हुई, क्या शिवचरण माथुर ने त्यागपत्र दिया था ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी सरकार तो माइनोरिटी में आ गई, इसलिये बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर सैनीजी, सीमा होती है। आपके अध्यक्ष बोल रहे थे, मैंने किसी को इण्ट्रप्ट नहीं करने दिया। आप जरा शालीनता से सुनें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं,नहीं उनको रेस्ट देने के लिये हमको कह रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब मैं इशारा करूं तब खड़े हो जाना।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, आज त्यागपत्र मांगना आसान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है लेकिन आप लोगों ने या आपकी पार्टी ने कहीं भी इस प्रकार का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया होता तो मैं समझता हूं कि त्यागपत्र मांगने की आप में नैतिकता आ जाती। आज तो नैतिकता का अभाव है। उस अभाव में आप त्यागपत्र मांग रहे हैं और केवल इसीलिये मांग रहे हैं कि जयपुर में दंगे हुए। [व्यवधान]

श्री जुबेर खान :···मरवाया, इसलिए हम मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जुबेर खान, फिर आप खड़े हो गये। देखिये, Don't Compel me। अब आप शान्ति से सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मेरा त्यागपत्र मांग रहे हैं और दूसरी तरफ गुजरात के अन्दर 64 हत्याएं हुई। एक दो नहीं हुई, 64 हत्यायें हुई। उन हत्याओं के बाद वहां की सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, यह दोहरा मापदण्ड किस प्रकार से चला रहे हैं। और इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे जब कहें, तब बोलना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के प्रचार से आज आप कहें कि राम रथ यात्रा का प्रश्न नया आया, एक माननीय सदस्य ने कहा कि 40 वर्ष तक यदि मन्दिर का निर्माण नहीं हुआ तो इतना तकाजा क्यों किया गया, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिस मामले को आप सैंसिटिव मानते हैं, जिस मामले को आप भावनात्मक मानते हैं, उस मामले का आपने 40 वर्ष तक निपटारा क्यों नहीं किया? क्या आपका दोष नहीं है? क्या केन्द्र सरकार का दोष नहीं है? क्या राज्य सरकारों का दोष नहीं है? क्या आपकी पार्टी का दोष नहीं है जब जानते थे कि यह मामला बहुत सैंसिटिव है? मैं समझता हूं कि कोई भी संवेदनशील सरकार या सजग सरकार इस मामले में विलम्ब नहीं करती और उसका शीघ्र ही निपटारा करवा देती। लेकिन आप लोग जानते थे कि इस मामले का निपटारा हो गया तो हिन्दू और मुसलमान के अन्दर भेद पैदा करने के लिये और कौन सा कारवा बचेगा इस कारण को जिन्दा रखने के लिये आपने मामला तय नहीं कराया। अध्यक्ष महोदय जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे मुझे याद है चुनाव में पराजित होने के पश्चात श्री बूटा सिंह जी ने कहा कि मै राम से लड़ गया और इसलिये पराजित हुआ। मैं आज आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जिस समय शिलान्यास हुआ, क्या उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या केन्द्र में वी. पी. सिंहजी की सरकार थी या चन्द्रशेखर जी और देवीलाल जी वहां नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने वहां शिलान्यास करवाया, कोई दूसरे ने नहीं करवाया। आपने शिलान्यास क्यों कराया, इसलिये नहीं कि आप शिलान्यास करवाना चाहते थे। जैसी बूटासिंह जी की हालत हुई, उसी प्रकार की बाकी के सदस्यों की अपने अपने क्षेत्रों में हालत हो रही थी। उससे बचने के लिये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस समय शिलान्यास करा दो और शिलान्यास नहीं हुआ तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारा सर्वनाश हो जायेगा। यह जो कुछ भी बचे हुए आये हैं, उस शिलान्यास के प्रभाव से बच कर आ गये हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, वही लोग जब आरोप लगायें, मैं सन् 1977 से 1980 तक मुख्य मन्त्री रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय कोई विशेष दंगे नहीं हुए और आज जब दंगे हुए हैं, तो मैं आपको इतना ही विश्वास से कह सकता हूं कि जितनी पीड़ा जोशी जी को है, जितनी पीड़ा देवपुरा जी को है, या जितनी पीड़ा अन्य माननीय सदस्यों को है, उस पीड़ा से कम पीड़ा मुझे नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी स्थिति में जहां तक कोई भेदभाव का प्रश्न आता हो, मैं पहले भी निवेदन कर चुका, सार्वजनिक रूप से भी मैं कह चुका हूं कि जो दंगा करने वाले हैं, न इनकी कोई जाति होती है, न इनका कोई धर्म होता है। दंगा करना और दंगे का माल लूटना और उसमें जो भी लाभ उठाया जाये, लाभ उठाना। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने दंगे के अन्दर अपने हाथ लाल किये हैं, या जिन लोगों ने दंगे का लाभ उठाकर अपना घर भरा है, जिन लोगों ने दंगा करवाया है उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां कई माननीय सदस्य बैठे हैं दंगे के दिनों में जब भी कभी उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, जहां पुलिस भेजनी थी, पुलिस भेजी, जहां अधिकारी भेजने थे, वहां अधिकारी भेजे, जहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था चाही गई थी उस प्रकार की व्यवस्था मैंने की। उसी आधार पर जब दंगा पीड़ितों को सहायता देने का प्रश्न आया तो पहले जो मापदण्ड 1987 में बने हुए थे, उसके पहले मापदण्ड 1982 में बने थे उन सारे मापदण्डों का उल्लंघन कर दंगों में मरने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की।

मैं समझता हूं आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में इतनी सहायता नहीं दी गई। राजस्थान में किसी को सहायता मिलने का प्रश्न ही क्या, किसी भी राज्य में इतनी सहायता नहीं दी गई। उसी प्रकार से दंगे के दौरान जो स्थायी तौर पर विकलांग हो गये, उनको बीस हजार रुपये की सहायता दी गई। जो व्यक्ति दंगों में अस्थायी विकलांग हुए, उन्हें पांच हजार रुपये देने की व्यवस्था की गई। गम्भीर चोटें खाने वाले को एक हजार रुपये तक की सहायता दी गई। जो व्यक्ति बेघर-बार हो गये, उनके घरों की मरम्मत कराने के लिये उस समय तत्काल रूप से लागू करने की दृष्टि से 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और आवश्यकता हुई तो इस धनराशि को बढ़ाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : एक छोटा सा निवेदन है··· आप किस एजेन्सी के माध्यम से वह राहत दिला रहे हैं? प्रशासन के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कार्य कर्ताओं के माध्यम से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सैनी जी, आप हाथ से क्या इशारा कर रहे हैं आप उनको हाथ से इशारा कर रहे हैं कि बोलते जाइये, भड़कते जाइये, मि. सैनी, आपको पूछ रहा हूं। आपने हाथ से क्या इशारा किया?

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भविष्य में ऐसा न करें। बैठें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सहायता किस माध्यम से दी जा रही है····

श्री अध्यक्ष : आप इशारा मत करिये। आप बैठ जायें। आपको इशारा नहीं करना चाहिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माइनोरिटी के एम. एल ए. हैं, साहब, इसलिये वह पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यहां सारे एम. एल. एज. हैं कोई माइनोरिटी मेजोरिटी नहीं है। आल एम. एल. एज. आर इक्वल।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि 77 से लेकर 1980 तक मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री रहा। मेरे दिमाग में और दिल में यदि अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना होती तो मैं समझता हूं, वर्षों से लम्बित मामलों का निपटारा नहीं होता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जौहरी बाजार की मस्जिद का मामला आज से नहीं पिछले तीस-चालीस वर्षों से सरकार के किसी न किसी स्तर के ऊपर लम्बित पड़ा रहा। कोई आदमी आपके विचार से यदि मुझे साम्प्रदायिक मान लेता तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वर्षों से लम्बित इस मामले का निपटारा मैं कर जाऊंगा, मैंने निपटारा किया और आज आम अल्पसंख्यक के दिमाग में यह बात छिपी हुई नहीं है कि वर्षों से जो मामला हो नहीं रहा था उस मामले का निपटारा किया।···

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्री जी, लोगों में यह भावना है, सही है जो बात आप कह रहे हैं आपके ऋणी हैं लेकिन आज आपके शासन में और मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, दुःख तो यह है। यह बात सही है कि आपके समय में मजिस्दें बनीं लेकिन यह भी सही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मिस्टर जुबेर खान, बैठ जायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कई माननीय सदस्य टौंक गये हैं और वर्षों से टौंक जाते रहे हैं। सुनहरी कोठी को भी देखा है और अरबी और फारसी के साहित्य को सड़ते हुए, कटते हुए, गुम होते हुए भी देखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि पूर्व सरकार मेरे आने से बहुत वर्षों पूर्व वहां इस प्रकार का शोध संस्थान स्थापित कर देती तो अरबी और फारसी का बहुमूल्य साहित्य राजस्थान से नहीं जाता। यह राजस्थान की एक धरोहर थी, उस धरोहर की आपने रक्षा नहीं की। मैंने शोध संस्थान कायम किया और मुझे आज इस बात की खुशी है केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान से नहीं खाड़ी के मुल्कों से आज विद्यार्थी अध्ययन करने यहां आते हैं, शोध करने के लिये आते हैं और शोध का काम करके कम से कम इस बात की तो सराहना करते हैं कि इस प्रकार का शोध संस्थान यहां पर कायम किया गया है।···

श्री हरिदेव जोशी : यह बिल्डिंग किस जमाने में बनी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्डिंग से क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : बिल्डिंग किसके जमाने में बनी ? बिल्डिंग किसने बनाई ?

एक माननीय सदस्य : क्या मतलब ?

श्री चन्दनमल बैद : मतलब साफ है कि यह बिल्डिंग हमने बनाई है। सारा श्रेय लिये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं आज कोई भी काम हो, किसी प्रकार का काम किया जाये, यदि उसका भवन नहीं है तो भवन बनाया जायेगा, भवन नहीं है तो भवन किराये पर लिया जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो केवल इतना सा पूछ रहा हूं आपने कहा, आपने शोध संस्थान बनाया, लेकिन शोध संस्थान के लिये बिल्डिंग किसने बनाई ?

श्री देवीसिंह भाटी : मजदूरों ने, कारीगरों ने।

श्री हरिदेव जोशी : शोध संस्थान मेरे जमाने में बना, बिल्डिंग बनी, उद्घाटन के लिये राष्ट्रपति जी नहीं आ सके, इसलिये नहीं हो सका, वरना यह पहले से ही हो चुका था।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार की पत्रावलियों में इस तरह का उल्लेख नहीं है जो जोशी जी ने कहा है और इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई रिसर्च सेन्टर, अगर मेरे दिमाग में किसी प्रकार की भी दुर्भावना होती अल्पसंख्यकों के प्रति, उर्दू के प्रति, अरबी और फारसी के प्रति तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं वहां इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती और न शोध संस्थान की स्थापना होती। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद पड़ता है, आज माननीय वाजपेयी जी वहां बैठे हैं। बांग्ला देश के भू. पू. राष्ट्रपति जी यहां अजमेर आये थे ख्वाजा साहब की दरगाह में और मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है राष्ट्रपति जी के सम्मान में जब भाषण हो रहे थे तो हैदराबाद के गवर्नर श्री अकबर अली खान ने 25,000 रुपये निकाल कर मुझे दिये और कहने लगे कि ख्वाजा साहब के नाम पर एक सूफी सीट कायम की जाये। मुझे गुस्सा भी आया कि राजस्थान को क्या इतना गरीब समझते हैं कि हैदराबाद के गवर्नर 25,000 रुपये देंगे तभी यहां सूफी विषय की सीट कायम होगी। मैंने उन्हें तो हाथ जोड़ कर उनकी धनराशि वापस दे दी और उस विषय की एक सीट वहां पर हाथ की हाथ ही कायम कर दी।

यहां पर कई बार प्रचार किया गया कि उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती लेकिन मुझे याद है 77 और 80 के बीच जहां-जहां से भी उर्दू अध्यापक मिल सकते थे, छात्रों की निर्धारित संख्या से मांग होती थी वहां तुरन्त अध्यापकों की नियुक्ति की गई।

जिस अन्त्योदय प्रोग्राम का जिक्र माननीय परसराम जी मदेरणा कर रहे थे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ओल्ड एज पेंशन के नाते मेरे आने से पहले किसी भी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

गरीब मुसलमान को पेंशन मिली-हो तो आप रिकार्ड देख कर बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हजारों मुसलमानों को मिली है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार यह अभियान शुरू हुआ। कई गरीब मुसलमानों को पेंशन मिली। अन्त्योदय योजना में शामिल कर उनको बैंक से कर्जा दिलवाया। मैं नहीं कहता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया लेकिन समाधान करने की दृष्टि से प्रयास किया गया, उसमें सफलता मिली और पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय में भावना पैदा हुई कि यह सरकार उनके आर्थिक हितों के संरक्षण की भी चिन्ता कर रही है।

यहां विश्वास प्रस्ताव पर कई प्रकार की चर्चाएं हुई। कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि यहां पर खरीद फरोख्त की गई। मैं समझता हूं उन आरोपों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सदन मुझे अच्छी तरह से जानता है। मैं शायद अपने आपको उतना नहीं जानता जितना इस सदन के माननीय सदस्य मुझे जानते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बड़े कंजूस हैं इस मामले में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खरीद फरोख्त करूं और खरीद फरोख्त भी एम. एल. एज. की करूं और उसमें भी उनकी करूं जो मेरे साथी रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं आज खरीद फरोख्त की बात कहना अपमान नहीं है, जो माननीय सदस्य मेरा साथ दे रहे हैं, उनका ही अपमान नहीं है, बल्कि इस पूरे सदन का अपमान है और सदन का अपमान होने के नाते आपको इस प्रश्न पर गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो हम कह रहे हैं कि सदन का अपमान किया है आपने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजिए आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें न तो कोई सच्चाई है, यह एक बेबुनियादी बात है लेकिन राजनैतिक कारणों से हम अपना अपमान स्वयं ही करें और जनता में विधायक को नीचा दिखाने की कोशिश करें। आज आपने मुझे नीचा दिखाया, किसी दूसरे को नीचा दिखाया लेकिन कभी समय आ सकता है कि जिस समय हम सब को नीचा देखना पड़े। जनता निपटाएगी इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। जनता ने आपको भी निपटाया है और मैं गलती करूंगा तो मुझे भी निपटा देगी। इस बात का धोखा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रसंग में यदि यह प्रसंग नहीं आता तो ज्यादा उचित होता। आज पार्टी में विभाजन हुआ उसके कारण से एक ग्रुप बन गया, एक दल बन गया।

श्री सम्पत सिंह : "तुलसी बुरा न मानिए, जो गंवार कहि जाय।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप यह बात पहले कह देते तो मैं यह प्रसंग लाता ही नहीं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर विधायक जीत कर आये हैं, लाखों लोगों से वोट लिये हैं, आज उनको यह धमकी देना कि आप जनता में जाना, मैं समझता हूं आप तय कर लीजिए, कहीं भी मैं जाने को तैयार हूं; कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आखिर लोग हमको भी जानते हैं, हमने भी राजस्थान में गांव-गांव देखा है। सभी व्यक्तियों से हम मिले हैं। समाज को भी अच्छी तरह से जानते हैं और जनता को भी अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री हरिसिंह : आपने अपने मिनिस्टर्स को जनता में जाने से रोक दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के इतिहास में माननीय परसराम जी मदेरणा मजाक उड़ा रहे थे कि कर्जा ज्यादा होगा। मैंने आंकड़े ज्यादा बताये थे। राजस्थान की सरकार ने उस समय केवल 170 करोड़ रुपये स्वीकार किये लेकिन यह हमारी ईमानदारी का परिचय है कि जिस समय हमने सर्वे कराया और पता लगा कि 170 करोड़ का कर्जा माफ करने से प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, इस राशि को बढ़ाना है और हमने राशि को बढ़ाया।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें ईमानदारी और बेईमानी की क्या बात है यह तो फैक्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फैक्ट्स ही रख रहा हूं और इन तथ्यों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक पैसा भी माफ किया है ? जो सरकार किसानों का 300 करोड़ का कर्जा माफ करेगी, उसको गांव में जाने की समस्या पैदा नहीं होगी। बल्कि उन लोगों को पैदा होगी जिन्होंने ब्याज लगा कर, किसानों को मुर्गा बना कर, मुसलमान किसानों के सिर पर पत्थर रख कर, उनका माल असबाब बेच कर, कुर्कियां करा कर किसानों को लूटा है। उनको गांव में जाने से डर लगेगा, हमको डर नहीं लगेगा।

श्री हरिदेव जोशी : क्या यह सही नहीं है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय जोशी जी, मैंने आपको बीच में कभी नहीं टोका।

श्री हरिदेव जोशी : मैं भी टोक नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टोक रहे हैं, मैंने कभी नहीं टोका।

श्री हरिदेव जोशी : मैं सिर्फ यह बात पूछना चाहता था कि जब हमने घोषणा की, केबिनेट में निर्णय किया तब आपने इसकी आलोचना की या नहीं की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है कि मैंने आलोचना की है। अब मैं बताऊं आपको कि आलोचना क्यों की। आपने तब घोषणा की जब कि लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पिट गई, कांग्रेस के 25 के 25 सदस्य हार गये, राज दूसरी पार्टी का बन गया और आपको चुनाव में जाना था, आपने उस समय घोषणा कर दी कि मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करूंगा : मैं ऐसा समझता हूं, माननीय जोशीजी, अगर आपका कार्यक्रम होता, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख होता, उसमें उल्लेख नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : हमने शुरू किया था, जिस तरह से जो वातावरण बना था उस वातावरण के अन्दर इस चीज को स्वीकार किया था, मंजूर किया था हमने, यह नई बात नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : वह 15 हजार की ढपोल शंखी घोषणा थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो जोशी जी कह रहे हैं कि मैंने 15 हजार रुपये का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी और दूसरी तरफ हीरालाल जी देवपुरा कह रहे हैं कि उस समय विपक्ष ने लुभावने नारे लगाये और जिसमें कर्जा माफ की बात कही तो मैं समझता हूं कि आपकी निन्दा आपके मंत्री जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं कि आपने उस समय ऐसे लुभावने नारे लगाये जिसकी कोई वास्तविकता नहीं थी। सीधा वोटर्स को अट्रेक्ट करके वोटर्स को भ्रमजाल में डाल कर कर्ज के नाम पर वोट लेने की आपकी व्यवस्था थी और इसीलिए मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं, यहां तो राजस्थान का सवाल है, कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया होता तो कर्नाटक में कर्जा माफ किया होता, यदि कांग्रेस पार्टी का निर्णय होता तो आंध्र प्रदेश में कर्जा माफ किया होता। वहां तो एक कौड़ी का कर्जा माफ नहीं किया और यहां कह रहे हैं कि हमने कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी थी। क्या राजस्थान की जनता जानती नहीं है, हरिदेव जी जोशी, क्या राजस्थान की जनता इस बात से अनभिज्ञ है कि आपके और शिवचरण जी माथुर के राज में चुनाव के दिनों में हजारों स्कूल, औषधालय खोले गये, फर्जी लोगों को नियुक्तियां दी गई, गांव में बिजली का कनेक्शन दिखा दिया और बिजली का एक लट्टू नहीं। इस तर का फर्जी काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके इस फर्जीवाड़े में जनता आई नहीं····(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पांच हजार स्कूल खोल दिये राजस्थान के अन्दर···

श्री डूंगर राम पंवार : स्कूलों में मास्टर एक ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : सारे फर्जी कनेक्शन बताये हैं, एक ही उदाहरण बता दीजिए आप। सारे स्कूल बंद कर दिये आपने····(व्यवधान)।

श्री डूंगरराम पंवार : सारे का सारा पाखण्ड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। जिस समय श्री जोशी जी ने श्री शिवचरण जी माथुर से चार्ज लिया था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज आठ महीने हो गये, एक भी कनेक्शन नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन को याद होगा कि जिस समय शिवचरण जी माथुर से जोशीजी ने चार्ज लिया उस समय उन्होंने एक बुकलेट निकाली थी और उस बुकलेट में इस बात का उल्लेख किया कि जितने स्कूल खोले गये, बजट में प्रावधान नहीं है। सड़कों की घोषणायें की गईं, बजट में प्रावधान नहीं है, स्कूल और औषधालय खोलने की घोषणा की गई, बजट में प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं, यह आपके दोनों ने ही ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने आठ महीनों में क्या किया ? एक कनेक्शन नहीं दिया, राजस्थान के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई मास्टर नहीं, सारे स्कूल खाली पड़े हैं। मास्टरों की नियुक्ति नहीं ..

एक माननीय सदस्य : आपने एक कौड़ी का ही काम नहीं किया।

श्री जुबेर खान : आपने तो महावीर जी के यहां यह घोषणा की थी कि हैण्ड पम्प दो महीनों में ठीक हो जायेंगे, आज नौ महीने हो गये एक भी हैण्ड पम्प ठीक हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि देवपुरा जी ने जो यह कहा कि लुभावने नारे लगा कर वोट लिए, आखिर राजस्थान की जनता अशिक्षित हो सकती है लेकिन राजस्थान की जनता की बुद्धि के ऊपर किसी प्रकार से लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने लांछन लगाया है कि लुभावने नारे लगाए इस कारण से जनता आकर्षित हो गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने जनता की बुद्धि पर लांछन नहीं लगाया। जनता इस बात को समझती है कि जब एक बात किसी पालिटिकल पार्टी ने कही है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कुछ अमल होगा। यह सोच कर उन्होंने आपको वोट दिया है लेकिन आज आप उस पर अमल करने में विफल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि जनता पालिटिकल पार्टीज को समझती नहीं है कि जो कह रहे हैं उस काम को पूरा नहीं करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले तीस-चालीस वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, देवपुराजी, आप राजस्थान की जनता को इस प्रकार से नासमझ समझते हैं कि जनता किसी भी प्रकार से वोट दे सकती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो आप हमेशा से कहते हैं। यह तो आपकी आदत रही है कैसे मिसइन्टरप्रेट करें, यह आप कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान की जनता ने पालिटिकल पार्टी के घोषणा-पत्र पर विश्वास करके, यह सोच कर कि यह राज आया तो जैसा कहा है वैसा करेंगे, वोट दिया है और उसमें आप विफल रहे हैं, जनता को धोखा आपसे हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इतना बता दीजिए कि कर्जा बांटने में आपनेात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कभी एक पैसे का कर्जा माफ किया नहीं, किया हो तो बता दो।

श्री हीरालाल देवपुरा : कांग्रेस ने कर्जा माफ करने की घोषणा नहीं की लेकिन जब-जब भी जैसा समय आया और उचित समझा तो कई लोगों के कर्जे माफ किये हैं, कई लोगों के रेमिशन किये हैं और कई लोगों के सस्पैण्ड किये हैं। यह बात तो बिल्कुल साफ है ? ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस राज में कभी कर्जे माफ ही नहीं हुए।

श्री रतनाराम चौधरी : कांग्रेस ने कुआं बीमा योजना लागू की (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : सात लाख रुपये माफ किये हैं…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जोशी जी और देवपुराजी में से मैं किसको सही मानूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : दोनों ही सही है, कोई मतभेद नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दोनों सही हैं, आप गलत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कह रहे हैं कि मैंने घोषणा नहीं की और एक कह रहे हैं कि मैंने 15 हजार रुपये के कर्जे को माफ करने की घोषणा की…(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह बात नहीं कही है। आपने कहा कि कभी कोई कांग्रेस ने कर्जा माफ किया, उस पर मैंने यह कहा है। यह जो आप बता रहे हैं यह तो नेशनल चुनावों के पहले की बात बता रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई नाराज होने का प्रश्न नहीं है। मैं आप दोनों को सही मान लेता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि कांग्रेस के चालीस वर्षों के शासन में क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों का एक पैसे का कर्जा माफ किया ? कभी नहीं किया।

श्री हीरालाल देवपुरा : किया है। यही तो कह रहे हैं। हमने इस तरह से घोषणा नहीं की है जैसे आपने की है लेकिन जब-जब भी जैसा वक्त आया, चाहे वह अकाल का समय आया हो, चाहे वह बाढ़ का समय आया हो, जैसी आवश्यकता समझी हमने उसको कभी सस्पैण्ड किया है, कभी बिल्कुल रेमिशन किया है…(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपने क्या किया, वह बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह बात तो मान गया…

एक माननीय सदस्य : उपलब्धि बताइये आप सरकार की (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मान गया… (व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा हो रहा है ? मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात निवेदन कर दूं कि जब यह नेता आपस में बोल रहे हैं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं तो आप लोग बीच में क्यों बोलते हो ? इन नेताओं को आपस में कहने दीजिए। आप लोग बीच में बोल रहे हैं, मैं चुप बैठा हूं तो आप भी चुप रहें।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल का जवाब देना पड़ता है, सवाल नहीं करें तो अपनी बात कह दें।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए कह रहा हूं कि आप बोल रहे हैं तो बीच में जब मैं ही नहीं बोल रहा हूं तो और क्यों बोल रहे हैं ? यह कह रहा हूं। आप बोलिये, आपको मैंने नहीं कहा, मैं चुप बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस ने चालीस वर्षों के शासन में गरीब किसानों का एक पैसे का कर्जा माफ नहीं किया, केवल मुल्तवी किया, इन्हीं के शब्दों में।

श्री हीरालाल देवपुरा : दोनों ही बात कही हैं, सस्पेण्ड भी कहा है, रेमिशन भी कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति में मैं इस सदन का वोट लेना चाहता हूं और केवल इसलिए वोट लेना चाहता हूं कि राजस्थान के गरीब किसानों का जहां तीन सौ करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने का प्रश्न आता है जिसमें 140 करोड़ का कर्जा हमने माफ कर दिया, लगभग 160 करोड़ से ज्यादा का कर्जा और माफ करना है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप भैरोंसिंह के विरोध में वोट दे रहे हैं या किसानों की कर्जा माफी के विरोध में वोट दे रहे हैं ? इस बात का आप फैसला कर लें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो जवाब एक नहीं, अपनी बातें मन से गढ़ ली और उनका जवाब खुद दे दिया।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने आठ महीनों में कुछ नहीं किया इसके विरोध में वोट दे रहे हैं हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, इस सदन में कई बार हमने इस बात की मांग की थी कि जो खालों की कीमत है वह राज्य सरकार वसूल न करे। मैं समझता हूं जिस समय हम मांग करते थे, आप उस मांग को मना करते थे और मना करने के साथ ही वसूली के सम्बन्ध में सख्ती करते थे। हमारे इस मंत्री मण्डल ने इस गम्भीर समस्या पर विचार किया और भारत सरकार से कहा कि जो कर्जा माफी की योजना है इसमें इसको शामिल किया जाये। वह कर्जा कामर्शियल बैंक्स ने दिया है और इस कारण से इस कर्जे की वसूली नहीं हो और मेरा विश्वास है कि यह कर्जा माफ होगा, उसके लिए प्रक्रिया चालू हो गई। अब आप फैसला कर लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आधा किया है, आधा भारत सरकार ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितना किया, वह तो किया। आधा किया, लिया तो नहीं। आधा भारत सरकार देगी, आधा अपन देंगे लेकिन लिया तो नहीं।

डा. चन्द्रभान : उस सरकार को ही गिरवा दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बिना कर्जा करने वाले आ गये। आपने जो सरकार से वायदा लिया था वह चली गई। यह आ गये जोशीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज किसानों की कर्जा माफी का प्रश्न आता है या खालों की कीमत का प्रश्न आता है, यह सदन इस बात का फैसला कर ले कि राजस्थान में अगर वर्तमान सरकार रहेगी तो यह कार्यक्रम निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां बाढ़ का भी जिक्र किया गया। मैं समझता हूं माननीय मदेरणा साहब जानते हैं कि इस प्राकृतिक विपदा में कई लोग पीड़ित रहे, कई लोग मारे गये, पशुधन भी नष्ट हुआ, मकान भी गिरे लेकिन विस्तार में जाने के बजाय माननीय मदेरणा साहब से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्षों में जब बाढ़ आयी और इसी प्रकार की स्थिति बनी, उस स्थिति में राज्य सरकार ने जो सहायता दी, उस सरकार से कहीं अधिक सहायता राजस्थान की वर्तमान सरकार ने दी है। अब हो सकता है कि सहायता देने में कहीं विलम्ब हो जाये, मैं इससे मना नहीं करता लेकिन हमने पूरा प्रयत्न किया कि जहां भी संभव हो सके जिस ताकीद के साथ वितरण किया जा सके, हमने इस प्रकार की सारी व्यवस्था की है। हमने अध्यक्ष महोदय,...

श्री जुबेर खान : अलवर जिले के बारे में मंत्रीजी क्या कहते हैं ? बाढ़ आयी है, कहना चाहिए ना। जो सही बात है उसको कहने दीजिए। अलवर की बाढ़ के बारे में क्या कहते हो ? आपके पास फाइल आयी उसके बारे में क्या किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी जिक्र किया गया कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हमने बहुत पहलेसे लिये हुए हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। इतना ही कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना का नाम बदलकर आई. आर. डी. पी किया गया। उसके बाद में कई कार्यक्रम चले। जवाहर योजना का भी जिक्र किया गया और माननीय मदेरणा साहब कहने लगे काम बन्द हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि काम कहां बन्द हो गया। एक काम जरूर बन्द हुआ है और वह मैंने राजीव गांधी के कहने से किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया। चुनाव में श्रीमान् राजीव गांधी आम तौर पर यह भाषण देते थे कि मैं गरीब के लिए जो धन भेजता हूं उसका 85 प्रतिशत रुपया लोग खा जाते हैं और गरीब तक केवल 15 प्रतिशत पहुंचता है। मैंने इस पर रोक लगाई है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति के अन्दर इन बातों की चर्चा करना यदि आप आवश्यक नहीं समझते तो मैं भी आवश्यक नहीं

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझता। अब रहा प्रश्न यह कि हमको जनादेश मिला। यह सही है कि हमको जनादेश मिला। इसमें कोई सन्देह नहीं और उस जनादेश की पूर्ति के लिए हम पुनः जनता में जायेंगे। चुनाव का अवसर आया तो निश्चित रूप से इसी कार्यक्रम को लेकर हम चुनाव में जायेंगे और आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आज चुनाव करा लो तो आज जो 50 बैठे हैं 10, 20 ही मिलेंगे और यदि चुनाव में थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो मैं कह नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कराकर देख लो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दो न। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : चुनाव कराइये, आज ही कर दो, घोषणा।

श्री डूंगरराम पंवार : सब्र कीजिए। झण्डे वाली कार चार साल नहीं मिलेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस मौके का फायदा उठाइये ना, 10, 12 ही आयेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : करा दीजिए घोषणा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम तैयार हैं इसके लिए। आप भंग कराइये।

श्री चन्दनमल बैद : कराइये, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : मुख्य मंत्री जी किसानों के 25 हजार कुंए के कनेक्शनों का क्या हुआ? 6 महीने में किसानों के 25 हजार कनेक्शन देने थे, उनमें से अब तक कितने दिये और भ्रष्टाचार...

श्री अध्यक्ष : माननीय सैनीजी, बिराजिये। (व्यवधान)

माननीय सैनीजी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चुनाव कराने की घोषणा की जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री जी आपने बड़ा बोल बोला है कि सब सीटें आपकी आयेंगी तो घोषणा हो जाये। हिन्दुस्तान में घोषणा हो जाये, राजस्थान में घोषणा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : कुछ मत लिखना। कुछ नोट मत करना। डोन्ट राइट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : × × ×

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कानून में एक बात लिखी हुई है कि किसी आदमी को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाला भी अपराधी होता है। मैं वह अपराधी नहीं बनना चाहता इसलिए आप चाहे बिना मन के मांग भी करें लेकिन मैं इनको आत्महत्या करने की

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छूट नहीं देना चाहता और न ही मैं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यहां यह कहा गया कि प्रशासनिक मशीनरी काम नहीं कर रही है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि मुझे इस बात का दुःख भी है चाहे हिन्दुस्तान हो या राजस्थान, पालिटिकल सिस्टम भी धीरे-धीरे कोलेप्स हो रहा है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे-धीरे कोलैप्स हो रहा है। इसमें आप मुझे दोष दें या यह कहें कि जोशीजी का इसमें बड़ा नियंत्रण था, शिवचरण जी माथुर का बड़ा नियन्त्रण था तो मैं समझता हूं यह आत्मश्लाघा होगा लेकिन हमें एक बात स्वीकार करके चलनी पड़ेगी कि हम सबने मिलकर इस बात की कोई कल्पना नहीं की कि जिस प्रकार का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ह्रास आ रहा है, जिस प्रकार का राजनैतिक सिस्टम में ह्रास आ रहा है। वह देश की बरबादी का कारण होगा और इसलिए आप इल्जाम लगाने के लिए कह दें कि प्रशासनिक तंत्र इनके कहने में नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि आप भी विचार कर लें प्रशासनिक तंत्र कौन और कितना किसके कहने में है। यहां पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया, मुझे इस बात की तो खुशी है कि न हमारे मंत्री जो छोड़कर गये हैं, न जो मंत्री अभी बैठे हैं, न जो विधायक हैं और न पार्टी के सदस्य हैं, किसी के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य आरोप लगाने का साहस नहीं कर सके।

श्री चन्दनमल बैद : हमारी आदत नहीं है आरोप लगाने की। सही बात कहते है। हमारी आदत नहीं है आपकी तरह आरोप लगाने की।

श्री दिग्विजय सिंह : अभी तो भाव पूछ रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि विश्वास का प्रस्ताव हो या अविश्वास का प्रस्ताव हो यह राजस्थान के इतिहास में पहला प्रस्ताव है जिसमें विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार का कोई चार्ज लगा नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : यह पैसों के लेनदेन की बात किसने कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात यह कही गयी कि भ्रष्टाचार की रोकथाम करने की जो कार्यवाही की जा रही है उसका पूरा इम्पेक्ट नहीं हुआ। मैं इसको कुछ अंशों में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं और मैं इसलिए तैयार नहीं हूं कि एक वातावरण बना है। मैंने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि शत-प्रतिशत भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। आखिर 40 वर्षों से यह बीमारी चली आ रही है वह एक इंजेक्शन से कम नहीं हो सकती है। चालीस वर्षों से बीमारी चली आ रही है उसकी रोकथाम के लिए एक उपचार, दूसरा उपचार कई उपचार करने होंगे लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो अभियान चलाया गया....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने जो प्रचार किया भ्रष्टाचार समाप्त करने का

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उनसे भयभीत हो करके रेट बढ़ गयी है क्योंकि खतरा बढ़ गया है। भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सावन के अन्धे को तो हरा ही हरा दिखना है यह मेरा दोष नहीं है। जो जिस वातावरण में रहा है उसको भाव बढ़े हुए या भाव घटे हुए हैं, सिर्फ भावों की ही चिन्ता रहती है, कोई और चिन्ता नहीं रहती है और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...

एक माननीय सदस्य : डीजल 10 रुपये लीटर मिल रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? कालाबाजारी हो रही है। केरोसीन 8 रुपये लीटर मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या जवाब है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कितना चाहिए मेरे से ले जाना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में यह निवेदन किया था कि माननीय सदस्यों को कोई भी भ्रष्टाचार को मामले के जानकारी हो तो मुझे देने की कृपा करें, मैं जांच कराऊंगा और दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने आपको कागजात दिये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मालूम है, जांच हो रही है। आपने दिया था उसकी जांच कर रहा हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देंगे तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हम, नेता महोदय, भ्रष्टाचार के मामले आपको दे सकते हैं लेकिन हमें इस बात का खतरा है कि जिसके लिए भ्रष्टाचार बतायेंगे उससे कहीं तालमेल नहीं बैठ जाये। इसलिए हम नहीं देते हैं।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले सदन में मैंने आपसे यह कहा था कि जिन-जिन लोगों के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लीजिए। आपकी मंशा हम अच्छी मान जायेंगे। आपने उस पर क्या एक्शन लिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें?

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, मैं समझता हूं उसमें कोई कमी नहीं आयेगी। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है और मैं समझता हूं कि उनका पूछना वाजिब भी है कि विधान सभा में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

रहकर मैंने जो आरोप लगाये उनके सम्बन्ध में कार्यवाही क्या की जा रही है और उन पर क्या हुआ ? मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोप भी मैंने लगाये, आरोप की जांच भी मैं कराऊं और आरोपी को सजा भी मैं दूं तो मेरे ऊपर चार्ज लग सकता है विण्डिक्टिवनेस का

श्री जुबेर खान : इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए जितने भी मामले मेरे ध्यान में हैं उन सब की मैंने पत्रावलियां तैयार करायीं है और वह सारे मामले जिन को मैंने उठाया था इन मामलों को एक समिति जिसके चेयर-मैन जस्टिस बेरी हैं और मंगल बिहारी सदस्य हैं और एक चीफ इंजीनियर कपूर इसके सदस्य हैं। उन को वह मामले दिये जा रहे हैं। चिन्ता करने की कोई बात नहीं, धीरे-धीरे छंटनी हो रही है और छटनी होने के बाद आपको पता लग जायेगा कि कितने आरोपों में किस प्रकार से कार्यवाही की गयी है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही हो रही है।

यहां महंगाई का जिक्र किया गया। माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित थे कि मंहगाई बढ़ गयी। चीजों के भाव बढ़ गये। लोगों के सामने समस्या पैदा हो गयी लेकिन आप क्या यह समझते हैं कि वी. पी सिंह ने कोई ऐसी गलत नीतियां बनायी जिसके कारण भाव बढ़ गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes, I can prove it if you can give me time.

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है आपने अपनी बात कह दी। मैं ऐसा नहीं समझता, अध्यक्ष महोदय, कि प्रधान मन्त्री ने कोई बजट में इस प्रकार की कार्यवाही की है, उस समय भी कहा था की आपने जितना डेफिसिट उस समय गये वर्ष के बजट में छोड़ा था उससे कम डेफिसिट छोड़ा है।

श्री चन्दनमल बैद : केपिटल अकाउण्ट के 10 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू अकाउण्ट में ले लिये हैं। मैंने उस समय भी कहा था आज फिर कहता हूं आप नहीं समझ सकते हैं तो मेरी मजबूरी है।

श्री डूंगरराम पंवार : आप लोग कैसे घबराते हैं। कोई फाइल खुलने वाली है क्या आपकी ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : चन्दनमल जी आपसे समझने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। केपिटल अकाउण्ट से रेवेन्यु अकाउण्ट में ट्रान्सफर करने की बात यहां पहली बार मैंने विधान सभा में उठायी थी और आज जहां भी यह धन्धा हो रहा है केपिटल अकाउण्ट से रेवेन्यू अकाउण्ट में मनी ट्रान्सफर होता है उससे मैं समझता हूं कि विकास के काम रुकते हैं। लेकिन आप यह कहें कि 8 महीने में वी. पी. सिंह के राज के कारण महंगाई बढ़ गयी। जब वी. पी. प्रधान मन्त्री बने उस समय चीनी का भाव क्या था, उस समय तेल का भाव क्या था, उस समय कपड़े के भाव क्या थे ...

श्री चन्दनमल बैद : तेल का भाव 23 रुपये था आज 35 रुपये है''''(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नेता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, कि वी. पी. सिंह के जमाने में कीमतें बढ़ीं, आप कहते हैं नहीं बढ़ीं इसका मतलब अडवाणी जी जो कह रहे हैं वह गलत है। वह कह रहे हैं कि हरेक मोर्चे पर फेल हो गये और आप कह रहे है हर मोर्चे पर वी. पी. सिंह की सरकार जीत गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह निवेदन कर रहा था आप बात को सुन लें ''

श्री चन्दनमल बैद : तेल का भाव मुझ से पूछ रहे थे। पहिले 23 रुपये था आज वी. पी. सिंह छोड़कर गये हैं तो 37 रुपये 38 रुपये हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह कह रहे हैं कि अडवाणी जी गलत बोलते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था पिछले चालीस वर्ष की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से, जो गलत आर्थिक नीतियां अपनायी उसका परिणाम है कि चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

इन नीतियों का परिणाम है कि महंगाई बढ़ गयी। एक बजट भाषण से महंगाई नहीं बढ़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : एक गलत कदम से महंगाई बढ़ जाती है। एक बजट भाषण ही नहीं बढ़ती।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको तो जिंसों के भाव बढ़ने से नाराजगी रहती है नाराजगी इसलिए रहती है कि गन्ने के भाव बढ़ते हैं तो आप नाराज होते हैं, तिलहन के भाव बढ़ते हैं तो आप नाराज होंगे, अनाज के भाव बढ़ेंगे तो आपको नाराजगी होगी। यह आपका किसान विरोधी रवैया है। यह मुख्य कारण है कि हर बार महंगाई का जिक्र करते हैं''''(व्यवधान)

खाद्य उत्पादन के भाव बढ़े तो किसानों को लाभ पहुँचा है। किसानों को लाभ पहुँचे इस बात से आपको बहुत नाराजगी है। मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन यह एक तथ्य है कि किसानों का इसमें अहित हुआ है। मैं मानता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का जिक्र किया गया कि रोडवेज की हड़ताल चल रही है। 50-51 दिनों से चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोड़वेज की हड़ताल चलने का कारण क्या है?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह भी हम ही हैं।

श्री जुबेर खान : आपको तो सपने में भी हम ही नजर आयेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : सब चीजों के कारण हम हैं तो आप कुर्सी छोड़ो हम ही हल करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के पहले बिना कारपोरेशन की मंजूरी के,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राज्य सरकार की बिना मंजूरी के वोट लेने के लिए जाते एक कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसा फैसला कर गये जिस फैसले को लागू कराने के लिए आज हड़ताल हो रही है। अब उसको मंजूर करें तो जो कारपोरेशन पहले ही चार पांच करोड़ के घाटे में है वह घाटा और बढ़ जायेगा। आपके जो कारनामे हैं वह कारनामे धीरे धीरे धरती के बाहर निकल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हड़ताल के पचास दिन हो गये। सारे राजस्थान के लोग परेशान हैं। इस हड़ताल के ऊपर आपका क्या विचार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज तक तो मेरे में ही अविश्वास का प्रस्ताव था (व्यवधान)

एक प्रकार से विश्वास का अभाव था आज आप मुझे वोट देंगे तो मैं निश्चित रूप से कल से इस काम में लग जाऊंगा ताकि इसका भी फैसला हो जाय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 25 करोड़ का नुकसान हो गया रोडवेज में और 23 हजार परिवार इस रोडवेज से जुड़े हुए हैं उनके भविष्य के बारे में क्या सोच रही है सरकार ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में जिक्र किया गया और यहां यह कहा गया कि अध्यापक नहीं हैं, कई स्थान रिक्त पड़े हैं। श्री विश्नोई साहब, आप तो अध्यक्ष रहे हैं, आपको याद होगा एक बार मैंने विधान सभा में कहा था कि राजस्थान के स्कूलों में 17 हजार अध्यापकों की कमी है, फिर प्रश्न का उत्तर आया उसमें भी स्वीकार किया गया। अब, अध्यक्ष महोदय, विचार यह करना पड़ेगा कि भर्ती की जाय उसके पहले इस बात की जानकारी की जाय कि कितने अध्यापक सरप्लस हैं किन अध्यापकों को कहां नियुक्त करना है, वहां तो जिस स्कूल में एक पोस्ट सैंक्शन है उसके अगेन्स्ट में 5--5, 6--6 अध्यापक लगे हुए हैं। आज ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि अध्यापक जल्दी से जल्दी पहुँचे, हमने उनकी भर्ती का कार्यक्रम शुरू कर दिया, निश्चय ही वह काम चालू हो जायेगा लेकिन आज, जनार्दन सिंह जी, मेरे सामने समस्या यह भी है कि पिछली सरकार ने स्कूलों को भी नहीं बख्शा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से सारे ऐजूकेशन डिपार्टमेंट का चेहरा काला कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक एक स्कूल में जहां क्राफ्ट मैन के कार्य की शिक्षा नहीं, 60--60, 70--70 लाख रुपये का सामान खरीद लिया, खरीदने में दुनिया भर की गड़बड़ हुई। आज मेरे सामने यह भी समस्या है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के कारण से जो शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार फैला है उस पर भी नियंत्रण करूं और जिन लोगों ने स्कूलों के नाम पर जनता और सरकार के पैसे खा लिए उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करूं, कार्यवाही आज चालू हो····

श्री चन्दनमल बैद : पकड़ो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मना तो आप काम के लिए करते ही नहीं। मैं इसलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन कर रहा था कि सारी स्थिति में आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो जो भी चर्चा है उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा।

यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि इकोनोमिक कमेटी में श्रीललित किशोर जी का नाम लेकर कहा गया कि आपने क्या किया ? मैं इतना ही कह सकता हूं कि कमेटी की सिफारिशों के ऊपर विचार हो रहा है और विचार करने के साथ-साथ कुछ लागू भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस कमेटी की सिफारिशों का पूरा अध्ययन कर इसे किस सीमा तक लागू किया जा सकता है, लागू करने की हम चेष्टा कर रहे हैं और मार्च में जिस समय बजट पेश होगा उस समय आपको इस बात का अहसास हो जायेगा कि प्रशासन में कितनी और किस प्रकार से मितव्ययता होती है। मैं ऐसा समझता हूं चन्दनमल जी, आप जानते हैं कि कौओं की बद्दुआ से ढोर नहीं मरते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं ..

श्री चन्दनमल बैद : बजट और ही कोई पेश करेगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, मुझे क्षमा करें। एक बार एक सांप ने एक मेंढ़क को पकड़ लिया, दांतों में मेंढ़क फंसा हुआ अच्छी तरह से मन में जानता था कि मैं पेट में जाने वाला हूं लेकिन प्रवृत्ति जिस प्रकार की थी, चन्दन मल जी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि उस सांप के चारों तरफ मच्छर आने लगे तो दांतों में फंसा हुआ मेंढ़क भी मच्छर खाने को लपका। मुझे ऐसा लगता है कि वह मच्छर तो पेट में आया या नहीं आया लेकिन मेंढ़क जरूर पेट में चला गया। इसलिए आप जो बात कहते हो कि जनता में जायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, यह नहीं करेंगे। आप तो हर आल्टरनेटिव ईयर्स में आते हैं, एक बार आप 5 वर्ष के लिए आ गये, दूसरी बार आपका 5 वर्ष के लिए हारना निश्चित है। आपने अपनी आल्टर-नेटिव क्लास लगा रखी है ...

श्रीमती सुमित्रासिंह : ऐसा हैं मुख्य मन्त्री जी जब यह मन्त्री होते हैं, तब ऐसा होता है, अब के मन्त्री नहीं हैं इसलिए नहीं हारेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आपको ज्ञान नहीं है कि 52, 57, 52 में आया था। आपको यह ज्ञान नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब एक साल में गिरे हैं तो 40 साल के लिए फिर आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो अपने कार्यक्रम को बदस्तूर रखें उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की जोश के कारण से आवश्यकता नहीं है, कार्यक्रम आपका यथावत चलना चाहिए अब के जीत गए तो अगली बार छुट्टी, उसके बाद में देखा जायेगा कि किस की क्या स्थिति होती है और क्या नहीं होती है ?

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जोशी जी ने एक शिकायत की मैं उसकी जांच कराउंगा कि आपके कोई पत्र आये, उन पत्रों की पहुँच तो पहुचां लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि जो कुछ भी आपके पत्र आये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं उन पत्रों में जो भी तथ्य आपने लिखे हैं उस आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन, जोशीजी, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले यदि आप स्वयं अपना आत्म-विलोचन कर लेते तो मेरे पास आपकी इतनी चिट्ठियां पड़ी हैं जो पहुंच ही पहुंच हैं उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं है, कोई कार्यवाही हुई है इस बात का कोई संकेत भी नहीं है। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आपने आरोप लगाया है, मैं उन आरोपों को गलत नहीं मानताहूं। हो सकता है कि उसमें तथ्य हों पर मैं निश्चित रूप से जांच करवा कर आपको उसकी जानकारी देऊंगा।

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि हमने यहां पर योजनाएं बनायीं और जब फल पकने वाला था उस समय खाने वाला दूसरा आ गया इसलिए पेड़ तो हमने लगाया। आप सही कहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है धौलपुर की योजना आपने बनायी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सूरतगढ़ की योजना आपने बनायी इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे आने के पहले जोधपुर में सौर ऊर्जा का काम एक योजना के रूप में चला, मुझे इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे यह आपत्ति जरूर है कि आपके शासन काल में जब ऊर्जा मन्त्रियों की कांफ्रेन्स हुई और उस कांफ्रेन्स में यह तय किया गया कि केवल थर्मल प्लान्ट कौल पिट हैड के ऊपर ही लगेंगे उस समय यह सारी योजनाएं ठप्प हो गई उन सारी ठप्प योजनाओं को सुमित्रा जी जानती हैं अच्छी तरह से कि हमने प्रयत्न करके वापस चालू किया और चालू करने के बाद में एक मंजूर हो गई और मेरा विश्वास है कि दूसरी भी शीघ्र ही मंजूर होगी।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप यह कहें कि यह योजनाएं हमने बनायी थीं, माथुरसाहब या जोशीजी, कौन थे, बरसिंगसर के मामले में नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से आपने समझौता किया था और समझौता यह किया कि एक रुपये छियानवे पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदने का, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में एक रुपया छियानवे पैसा प्रति यूनिट बिजली खरीदने वाला कोई है? आपने समझौता कर लिया पलाना, बरसिंगसर और गुढ़ा तीनों को एक प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। आज आप यह कहेंगे कि आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? हमने लागू नहीं किया। एक रुपया छियानवे पैसे प्रति यूनिट बिजली लेकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसको बेचेगा? क्या किसान को बेचेगा, क्या आम उपभोक्ता को बेचेगा, क्या किसी उद्योग पति को बेचेगा? कोई बेच नहीं सकता। और यदि नार्मल रेट्स के आधार पर, टैरिफ के आधार पर बिजली बेची जाय तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड निश्चित रूप से घाटा होगा। हमने उसमें परिवर्तन करवाया, मुझे सुमित्राजी करेक्ट करेंगी शायद एक रुपया चवालीस पैसे में"

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक रुपया सैंतालीस पैसे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक रुपया छियानवे पैसे घटाकर उसे एक रुपया सैंतालीस पैसे में समझौता किया (व्यवधान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब आप अन्दाज लगा लीजिए, आप इसके लिए भी बुराई कराना चाहें कि यह योजना हमने बनाई। मैं योजना की बात नहीं कहता, आपने समझौता किया, मैंने उस समझौते का उल्लंघन नहीं किया उस समझौते में सुधार किया और सुधार करने के बाद में बरसिंगसर में नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन जल्दी से जल्दी काम करे उस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार से लगातार सम्पर्क में हूं। मेरा विश्वास है कि जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान में बिजली की कमी है और मैं यह भी मानता हूं कि राजस्थान में जब तक विद्युत की उपलब्धि नहीं होगी, राजस्थान का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। राजस्थान को विद्युत उपलब्ध हो उस सम्बन्ध में हमने जितने भी प्रयत्न किये और कर रहे हैं और मुझे आशा है, परसरामजी बार-बार यह कहते हैं कि मैं हमेशा यह कहता हूं कि मैं केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालता हूं. दबाता हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : यह मेमोरेण्डम में अण्डरस्टेंडिग है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओहो, आप ऐसी तकनीकी बात पूछ रहे हैं मेरी सुनिए।

श्री परसराम मदेरणा : मेमोरेण्डम में अण्डरस्टेंडिग, एग्रीमेण्ट में तो काम निस्तारण हो जायेगा....आई थिंक अण्डरस्टेंडिग है मेमोरेण्डम में ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने एग्रीमेंट शब्द का नाम ही नहीं लिया। एग्रीमेंट तो आपने किया था 1984 में, याद होगा आपको। आप और माथुर साहब दिल्ली गये थे और इन्दिरा जी ने घुड़की पिलाई और घुड़की के सामने 10 मई, 1984 को समझौता कर राजस्थान की बिजली की योजनाएं आपने भारत सरकार को दे दीं। मैं समझता हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : एक सैकण्ड। 1984 के एग्रीमेंट के सम्बन्ध में पिछले बजट सत्र में भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपने आहूत किया है एक पर्टिकूलर परपज के लिए, कांन्फिडेंस सीक करने के लिए। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जब यह नैक्स्ट सदन मीट हो तो 1984 के एग्रीमेंट को सबसे पहले इस हाउस के अन्दर डिसकस किया जाये ताकि यह मालूम हो जाये सदन को कि वह एग्रीमेंट राजस्थान के हित में था या अहित में था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब माननीय परसराम जी स्वयं ही मानते हैं कि अगले सेशन में चर्चा की जाये तो आपके अप्रत्यक्ष समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अगले सत्र के लिए इसको पोस्टपोन करता हूं।

यहां पर बोफोर्स का जिक्र किया है, बोफोर्स की तोपों का जिक्र किया गया है ‥ (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कुओं के कनेक्शन्स का बता दो आप तो। कुओं के कनेक्शनों का क्या हो रहा है, श्रीमान ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तोपों की बात कर रहा हूं। आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप तो कनेक्शनों की बात कर रहे थे, 25 हजार कनेक्शनों की। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बोफोर्स के बारे में कहिये कुछ। वह तो देवीलाल जी ने कह दिया। आप बोफोर्स के बारे में शुरू हो जाइये। (व्यवधान)

बोफोर्स काण्ड शुरू करो आप, आरम्भ करो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स के नाम से ही चिढ़ आती है। कांग्रेस के माननीय सदस्य इतने चिढ़ते हैं...

श्री रतनाराम चौधरी : आपने विद्युत कनेक्शन देने की नई पालिसी बनाई है उसमें किसानों को मार दिया है। 15 हजार से लेकर 25 हजार तक के विद्युत कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस किसानों को भरने पड़ रहे हैं इसलिए किसान तो मर गये। (व्यवधान)

फसल बोने का समय जा रहा है। परन्तु अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिये 25 हजार रुपये जमा कराने के बावजूद भी। उनके बारे में ...

श्री प्रेमसिंह दहिया : उन किसानों को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये उनके बारे में आप सदन को अवगत करायें। यहां पर फ्लड के अन्दर जो बिजली के पोल गिर गये वह भी अभी तक खड़े नहीं हुए किसान क्या करेंगे ? कनेक्शन नहीं दिये, पैसे लेकर नहीं दिये। नयी स्कीम के अन्दर 170 फाइलों के पैसे जमा किये हैं आपने और कनेक्शन किसी एक को नहीं दिया। कब दिये जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार बिजली के 25 हजार कुओं के कनेक्शन देने की बात कही गयी। मैं समझता हूं कोशिश करेंगे कि 25 हजार नहीं 10 हजार उसमें और शामिल हों। (व्यवधान)

अब आप पहले सुनिये तो सही। मेरी समझ में नहीं आया मैं इतना जरूर कहता हूं कि (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सबसे बड़ा जो आबस्ट्रक्शन है, अवरोध है वह मैटीरियल की अवेलेबिलिटी है। मैटीरियल इसलिए नहीं आ रहा है कि आप हर आल्टरनेटिव डेज पर भारत बन्द कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा मेरे कारण से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप यूं ही बिजली का कनेक्शन चाहते हैं तो आपको सुनने की क्षमता चाहिए, मैं कनेक्शन भी लगा दूं। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि बिजली बोर्ड का घाटा कितना है उस घाटे का अनुमान लगा लें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नेता महोदय, आप बहुत ही चिन्तित थे और जब आज आपका जी सौरा है तो आप भाषण बहुत

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लम्बा कर रहे हैं। जो मुद्दे वाद-विवाद में उठे हैं उन तक ही सीमित रहिये बारह बजने को आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई साहब बुजुर्ग हैं, हमारे अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनकी एक ही बात का, बिजली के कनेक्शन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी कि वन पोल के पैसे इतने हो गये, यह हो गये उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि 30 मार्च को जो स्थिति थी उसी स्थिति के ऊपर यह सारी कार्यवाही होगी।

श्री हरिदेव जोशी : मतलब जो स्थिति पहले थी वह स्थिति आज है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बहुत देर से चुप बैठा हूं और अब इन्टरवीन करना चाहता हूं। हाउस में सदस्य अब धीरज खो रहे हैं इसलिए आप मेहरबानी करके इण्ट्रप्शन कम करें और यह स्पीच जल्दी समाप्त हो... (व्यवधान)

और आप यदि चाहें तो मैं आपको रूल्स पढ़कर सुना दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 30 मार्च को जो स्थिति थी उसको लाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वास प्राप्त करने के लिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह मैंने कोई मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं रखा, मैं कोई मुख्य मंत्री बना रहूं इस कारण से मैंने नहीं रखा। लेकिन हम सब लोगों ने जनहित के कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिये थे उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये यह प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव का समर्थन तो मिलेगा ही लेकिन कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप में जिस प्रकार का समर्थन उन्होंने दिया है वह प्रत्यक्ष रूप में समर्थन दें और इस प्रस्ताव का समर्थन कर मेरे पक्ष में एक विश्वास की भावना जगायें। मैं इतना ही निवेदन करते हुए माननीय सदस्य जिन्होंने समर्थन देने की घोषणा की है उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पुकार लेता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता। मत विभाजन कराइये।

श्री अध्यक्ष : ठीक। है मत विभाजन की घण्टी बजाई जाये।

(श्री अध्यक्ष)

(मत विभाजक घण्टी)

मैं पुनः पुकार लेता हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में विश्वास व्यक्त करता है ?

(ध्वनि मतदान)

हां पक्ष जीता

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : लाबीज में पधारिये।

(रात्रि 10-12)

[मत विभाजन]

हां पक्ष

क्र. सं. सदस्य का नाम

1. श्री अचला राम
2. ,, अनंग कुमार
3. ,, अब्दुल हादी
4. ,, अमृत लाल
5. ,, अर्जुन दास मदान
6. ,, डा. उजला अरोड़ा
7. श्री उम्मेद सिंह
8. ,, ओम प्रकाश गुप्ता
9. ,, कन्हैया लाल
10. ,, कालीचरण सराफ
11. ,, कालू लाल गूजर
12. ,, किशन गोपाल कोगटा
13. ,, किशना राम नाई
14. ,, कुंजी लाल

[मत विभाजन]

हां पक्ष

क्र. सं. सदस्य का नाम

15. श्री कुन्दन लाल
16. ,, कृष्ण कुमार गोयल
17. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर
18. श्री खंगार सिंह चौधरी
19. ,, गंगाराम चौधरी
20. ,, गणपतराम गाडेगावलिया
21. ,, गमीर लाल मीणा
22. ,, गुलाब सिंह
23. ,, गुलाम मुस्तुफा खान
24. ,, गोपीराम जाट
25. ,, गोविन्द सहाय
26. ,, चतभुंज
27. ,, चम्पालाल बांठिया
28. ,, चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण)
29. ,, चुन्नीलाल (खण्डार)
30. ,, चुन्नीलाल इन्दलिया
31. ,, चुन्नीलाल धाकड़
32. ,, छगनलाल
33. ,, जगजीत सिंह
34. ,, जगत सिंह दायमा
35. ,, जगन्नाथ
36. ,, जितेन्द्र सिंह
37. ,, जियालाल बंशीवाल
38. ,, जीतमल जैन
39. ,, जीवराम कटारा

[मत विभाजन]

हां पक्ष

क्र. सं. सदस्य का नाम

40. श्री जोगेश्वर गर्ग
41. ,, टीकम चन्द कान्त
42. ,, डूंगर राम पंवार
43. श्रीमती तारा भंडारी
44. श्री दिग्विजय सिंह
45. ,, देवी सिंह भाटी
46. ,, नफीस अहमद खान
47. ,, नवनीत लाल नीनामा
48. ,, नारायण लाल
49. सुश्री पुष्पा जैन
50. श्री प्रभुराम गरासिया
51. ,, फूल चन्द (नीमका थाना)
52. ,, फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)
53. ,, बंशीलाल पटवा
54. ,, बाबूलाल खांडा
55. ,, बाल चन्द
56. ,, बृज राज मीणा
57. ,, भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर)
58. ,, भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
59. ,, भूरा लाल
60. ,, भैरूंलाल बैरवा
61. ,, भैरोंसिंह शेखावत
62. ,, मदन दिलावर
63. ,, मदन लाल सैनी
64. ,, मदन मोहन सिंघल
65. ,, मनोहर सिंह (लाडनूं)

[मत विभाजन]

हां पक्ष

क्र. सं. सदस्य का नाम

66. श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़)
67. ,, महावीर प्रसाद
68. ,, मांगीलाल (गंगरार)
69. ,, मांगीलाल मेघवाल
70. ,, मानधाता सिंह
71. ,, मिश्रीलाल चौधरी
72. ,, मोहन मेघवाल
73. ,, रखब चन्द मीणा
74. ,, रघुवीर सिंह कौशल
75. डा. रतन लाल जाट
76. श्री रमजान खान
77. ,, रमाकान्त
78. ,, राजपाल सिंह शेखावत
79. ,, राजेन्द्र गहलोत
80. ,, राजेन्द्र राठौड़
81. ,, राम किशोर मीणा
82. ,, राम किशोर सैनी
83. ,, रामनारायण बैरवा
84. ,, राम नारायण विश्नोई
85. ,, राम प्रताप कासनिया
86. ,, रामस्वरूप (रायसिंह नगर)
87. ,, रामेश्वर
88. ,, रामेश्वर भारद्वाज
89. ,, ललित किशोर चतुर्वेदी
90. ,, लक्ष्मीचन्द मेहता
91. ,, लक्ष्मी नारायण दवे

[मत विभाजन]

हां पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
92.	श्री लाल चन्द डूडी
93.	,, विजय सिंह झाला
94.	श्रीमती विद्या पाठक
95.	श्री शम्भू दयाल बडगूजर
96.	,, शांति लाल (राजसमन्द)
97.	,, शांति लाल चपलोत (मावली)
98.	,, शिव किशोर सनाढ्य
99.	,, शिवदान सिंह
100.	,, श्रीकिशन सोनगरा
101.	,, श्रीचन्द कृपलानी
102.	,, सम्पतसिंह
103.	,, सांवर लाल
104.	,, सुरेन्द्र गोयल
105.	श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास
106.	श्री हजारी लाल
107.	,, हरलाल सिंह खर्रा
108.	,, हरि कुमार औदिच्य
109.	,, हरिश चन्द्र
110.	,, हरीश झामनानी
111.	,, हीरालाल आर्य
112.	,, हीरासिंह चौहान
113.	,, हुक्माराम मेघवाल
114.	,, हेमराज
115.	,, जगमाल सिंह यादव
116.	,, नन्द किशोर शर्मा

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अजय सिंह
2.	,, अमीन खांन
3.	,, इन्द्र सिंह पूनिया
4.	,, ईश्वर लाल सैनी
5.	श्रीमती कमला भील
6.	श्री कमलेन्द्र सिंह
7.	,, कुबेर सिंह
8.	प्रो. केदार नाथ शर्मा
9.	श्री गोपाल सिंह (आहोर)
10.	,, गोपाल सिंह (खण्डेला)
11.	,, गोविन्द सिंह गुर्जर
12.	,, घासीराम यादव
13.	,, घासी लाल
14.	,, चन्दनमल बैद
15.	डा. चन्द्रभान
16.	श्री चम्पालाल जैन
17.	,, जगन्नाथ पहाड़िया
18.	,, जनार्दन सिंह गहलोत
19.	,, जुबेर खान
20.	,, दयाराम परमार
21.	,, दलजीत सिंह
22.	,, दिलसुखराय
23.	,, देवेन्द्र सिंह
24.	,, नत्थी सिंह
25.	,, नाथूराम अहारी
26.	,, निर्भय लाल
27.	,, परसराम मदेरणा

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
28.	श्री परसराम मोरदिया
29.	,, परसादी लाल मीणा
30.	,, पूनमचन्द विश्नोई
31.	,, प्रकाशचन्द्र बैरवा
32.	,, प्रद्युम्न सिंह
33.	,, प्रभुलाल
34.	,, प्रेमसिंह दहिया
35	,, फतेह सिंह
36.	,, बहादुर सिंह
37.	,, बिरधा राम चौधरी
38.	,, बुलाकी दास कल्ला
39.	,, भरोसी लाल
40.	,, भंवर लाल (सुजानगढ़)
41.	,, भंवर सिंह
42.	श्रीमती मदन कौर
43.	श्री मनीराम
44.	,, महीपाल यादव
45.	,, महेन्द्र कुमार परमार
46.	,, मोतीलाल
47.	,, मोहनलाल चित्तौड़िया
48.	,, मोहनलाल (परबतसर)
49.	,, मोहनलाल (जायल)
50.	,, मोहम्मद माहिर आजाद
51.	,, यदुनाथ सिंह
52.	,, रतना राम चौधरी
53.	श्रीमती रमा पायलट
54.	श्री राजेन्द्र पारीक

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
55.	श्री रामकरण
56.	,, रामकरण सिंह
57.	,, रामकिशन
58.	,, रामनारायण वर्मा
59.	,, रामप्रसाद
60.	,, रामस्वरूप (टोडाभीम)
61.	,, रामसिंह विश्नोई
62.	,, रामेश्वर दयाल यादव
63.	,, रिछपाल सिंह
64.	,, विनोद कुमार
65.	,, शिवचरण माथुर
66.	,, शिवजीराम
67.	,, श्रीराम मीणा
68.	,, सम्पतराम
69.	,, सालिगराम नेता
70.	श्रीमती सुचित्रा आर्य
71.	श्री सुनील कुमार विश्नोई
72.	श्रीमती सुमित्रा सिंह
73.	श्री सुरेन्द्र व्यास
74.	,, हबीबुरहमान
75.	,, हरिदेव जोशी
76	डा. हरिसिंह (फुलेरा)
77.	श्री हरिसिंह (महुआ)
78.	,, हीरालाल इन्दौरा
79.	,, हीरालाल देवपुरा
80.	,, हेतराम बेनीवाल

(श्री अध्यक्ष)

मतदान का निम्न परिणाम रहा है :-

प्रस्ताव के पक्ष में—116 मत

प्रस्ताव के विरोध में—80 मत

प्रस्ताव पारित घोषित किया गया।

सदन द्वारा मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत के मंत्री मण्डल में विश्वास व्यक्त किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.55 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।)

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	63	1	प्रिन्ट नहीं हुआ	(श्री अध्यक्ष)
2.	64	4	श्री चन्ददमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
3.	66	1	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
4.	71	11	श्री दिग्विजय सिह	श्री दिग्विजय सिंह
5.	113	8	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
6.	161	फोलियो	मंत्रि परिषय में-8 नवम्बर, 1990-विश्वास का प्रस्ताव	मंत्री परिषद में-8 नवम्बर, 1990-विश्वाव का प्रस्ताव
7.	163	फोलियो	मंत्रि परिषद में-8 नवम्ब, 1990-विश्वा का प्रस्ताव	मंत्री परिषद में-8 नवम्बर 1990-विश्वास का प्रस्ताव,
8.	189	5	श्री मीतीलाल मीणा	श्री मोतीलाल मीणा
9.	190	20	श्री जमत सिह दायया	श्री जगत सिंह दायमा
10.	200	28	श्री चन्दनमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
11.	201	1	श्री चन्दन मल वैद	श्री चन्दन मल वैद
12.	206	28	वंघ	वंद
13.	235	फोलियो	-8 नवश्वर, 1990	-8 नवम्बर, 1990
14.	251	3	(संगरिय)	(संगरिया)

(२००)

1	2	3	4	5
15.	254	30	(रमगढ	(रामगढ़)
16.	255	फोलियो	8 नवम्बर, 199	8 नवम्बर, 1990
17.	259	7	श्री जुबेर खना : +++	श्री जुबेर खान : ×××
18.	273	1	(श्री रामप्रताप कासनियां)	(श्री रामप्रताप कासनिया)
19.	273	1	(श्री रामप्रताप कासनियां)	(श्री रामप्रताप कासनिया)
20.	273	21	श्री रामप्रताप कासनियां	श्री रामप्रताप कासनिया
21.	283	8	श्री उपायक्ष	श्री उपाध्यक्ष
22.	303	24	श्री उपायद्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
23.	81	फोलियो	व्यवस्था–8 नवम्बर, 199 –का प्रश्न	व्यवस्था–8 नवम्बर, 1990-व्यवस्था
24.	83	,,	,,	,,